राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 4] सप्तम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का 13 वां दिवस [संख्या 10

वृहस्पतिवार

दिनांक 4 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री राम किशोर मीणा।

सिकराय निर्वाचन क्षेत्र की कन्या उच्च प्राथमिक शालाओं में अध्यापिकाओं की कमी

224. **श्री राम किशोर मीणा** (सिकराय) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिकराय निर्वाचन क्षेत्र की कन्या उच्च प्राथमिक शालाओं में कितनी अध्यापिकायें कार्यरत हैं तथा छात्राओं व अध्यापिकाओं का अनुपात क्या है?

(2) क्या यह सही है कि इन कन्या शालाओं में, यथा गीजगढ़, सिकराय, सिकन्दरा व भाण्डारेज में बहुत लम्बे अर्से से अध्यापिकायें नहीं हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा कब तक इनकी पूर्ति कर दी जावेगी?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री बुलाकी दास कल्ला) : (1) सिकराय निर्वाचन क्षेत्र में 26 अध्यापिकायें कार्यरत हैं तथा छात्राओं व अध्यापिकाओं का अनुपात 27 : 1 का है।

(2) जी नहीं। तृतीय श्रेणी अध्यापिकाओं की सिकन्दरा में 1, भाण्डारेज में 2 व गीजगढ़ में 1 तथा एक द्वितीय श्रेणी अध्यापिका की कमी थी। इन पदों को भरने के लिये आदेश जारी हो चुके हैं तथा सम्भवतः अध्यापिकायें शीघ्र ही कार्यभार सम्भाल लेंगी।

श्री राम किशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि गीजगढ़ में वर्तमान में कितनी अध्यापिकायें कार्यरत हैं तथा अब जो कार्यरत हैं उनके आदेश कब कब हुए हैं?

श्री बुलाकी दास कल्ला : [illegible]

श्री बुलाकीदास कल्ला
दय, गीजगढ़ में छात्राओं की संख्या 127 है और कार्यरत अध्यापिकायें तृतीय श्रेणी की 4, द्वितीय श्रेणी की 1, रिक्त 2 हैं। गीजगढ़ में 2-11-81 को दो अध्यापिकाओं और एक पद जो रिक्त है उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये थे लेकिन श्रीमती मृदुला शर्मा के कोर्ट केस करने से अभी वह पद रिक्त पड़ा हुआ है। पुनः रिक्त पद के नियुक्ति के आदेश दे दिये गये हैं और सम्भवतः शीघ्र ही नियुक्ति हो जायेगी।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, गीजगढ़ के लिये 11वें महीने में आदेश दिये थे। जुलाई से नवम्बर तक मात्र एक अध्यापिका और जुलाई से अगस्त, डेढ़ महीने में उसने उन बच्चियों को बैठाने की कोशिश की लेकिन व्यवस्था नहीं बैठी। अध्यक्ष महोदय, अब क्या यह व्यवस्था करवायेंगे कि जो उस क्षेत्र में रहती है, इसके क्या कारण हैं और जो नहीं थी उसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, हमारे जो निर्धारित मापदण्ड हैं उसके अनुसार प्राथमिक शिक्षा में जहां 190 से 229 का मूल्यांकन होता है वहां तीन अध्यापिकाएं होती हैं। गीजगढ़ में छात्राओं की संख्या 127 है और वहां अभी आलरेडी 4 अध्यापिकायें काम कर रही हैं। हमने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये थे लेकिन किन्हीं कारणों से भरा नहीं जा सका है। अब उसकी भी पूर्ति जल्दी ही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हीरालाल आर्य।

पंचायत समिति इटावा में हुए गन्ना काण्ड की जांच

225. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति इटावा में हुए गन्ना काण्ड की जांच विभाग द्वारा तथा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से कराने के बाद दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु दिनांक 9 जनवरी, 1980 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु सरकार ने आदेश दिये थे? क्या दिनांक 8 जुलाई, 1980 को रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी?

(2) यदि हां, तो पुलिस द्वारा इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा उक्त मामला अब किस स्तर पर है?

(3) क्या इस मामले से सम्बन्धित व्यक्तियों को निलम्बित किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार इस मामले में प्रभावित किसानों को राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री शीश राम ओला) : (1) जी हां।

(2) पुलिस द्वारा मुकदमा नं. 111 दिनांक 22-9-80 जुर्म जेर दफा 409/468 ता० हि० दर्ज किया गया था। पुलिस ने यह मामला अदम सबूत में दिनांक 27-6-81 को फाइनल रिपोर्ट देकर समाप्त कर दिया है।

(शीशराम ओला)

(3) जी नहीं । दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कर जांच रिपोर्ट भेजने हेतु जिलाधीश कोटा को आदेश दिये गये हैं । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(4) जिलाधीश से रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस मालले में विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह केस बहुत पुराना है, किसान बहुत परेशान हैं । जब विभाग से और भ्रष्टाचार विभाग से गबन सिद्ध हो गया तो फिर जिन लोगों के खिलाफ गबन सिद्ध हुआ है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । पुलिस ने चालान करने के बजाय केस को ही समाप्त कर दिया । इसमें अपने आप भ्रष्टाचार की बू आती है ।

अध्यक्ष-महोदय, यह सन् 80 का केस है और दो बार जांच हो चुकी है । भ्रष्टाचार विभाग ने दोषी पाया है । इसका मतलब यह है कि विभाग मिला हुआ है कागजात पेश नहीं कर रहे हैं । लाखों रुपयों का मामला है । भ्रष्टाचार विभाग ने मामला सिद्ध कर दिया फिर सबूत पुलिस को नहीं देने के क्या कारण हैं ? ऐसा लगता है कि जान-बूझकर कार्यवाही नहीं की जा रही है । केस को दबाया जा रहा है ।

श्री शीशराम ओला : माननीय अध्यक्ष जी, यह मामला 64-65, 65-66 का है, 80 का नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : 80 में हुआ है

(व्यवधान)

श्री शीश राम ओला : हांका क्यों करते हो........

(व्यवधान)

यह 10-11 को विधायक महोदय ने पूछा था । उसके बाद 27-2-79 को प्रश्न किया । उसके बाद 26-7-79 को किया था । यही उत्तर पहले था और यही उत्तर आज है । मैं विधायक महोदय से यह कहना चाहूंगा कि जिन व्यक्तियों के झूठे हस्ताक्षर करवा दिये गये हैं, उनकी सूची कृपया आप दे दें । इस सारे मामले को खारिज तो कर दिया गया है लेकिन मैं भी गलत मानता हूं, क्योंकि गन्ना काण्ड में दुरुपयोग हुआ है तो खारिज नहीं होना चाहिये । जिनकी तरफ से खारिज हुआ है उनके प्रति भी हम एक्शन लेंगे । श्री राम नारायण, विकास अधिकारी का मामला है, उनको रिटायर कर दिया गया है । मैं भी नहीं मानता हूं किन्तु इसमें इतना ही लिखा है कि रिटायर कर दिया गया है । मैं स्वयं सन्तुष्ट नहीं हूं । कृपया आप भी उन किसानों की सूची दीजिये । जो भी कर्मचारी दोषी पाया जायेगा उसको बख्शा नहीं जायेगा । इसलिये मैं तुरन्त जांच करवाने को तैयार हूं ।

(व्यवधान)

(५)

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, लाखों रुपयों का मामला है........

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : एक-एक माननीय सदस्य बोलेंगे, तो मैं सही जवाब दे सकूंगा।

माननीय विधायक महोदय से सूची मांगी है।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके विभाग ने जांच की है। सूची इनके विभाग में मौजूद है, मामला भ्रष्टाचार विभाग को भी दिया गया है। भ्रष्टाचार विभाग ने गबन सिद्ध किया है। भ्रष्टाचार सिद्ध हो गया फिर भी दोषी व्यक्तियों को विभाग ने सस्पेण्ड नहीं किया है। ए. इ. ओ., विकास अधिकारी और पटवारी तीनों शामिल हैं, यह जांच से सिद्ध हो चुका है....

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत बहुत ही अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं, तीन साल तक आपकी सरकार........

(व्यवधान)

मैं निवेदन कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी को सुनिये, कृपया।

श्री शीशराम ओला: अपनी मर्जी ही करना चाहते हैं। मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : सन् 80 में रिपोर्ट दी गयी है....

श्री अध्यक्ष : सब तथ्यों पर विचार करके उस पर....आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं।

आर्डर प्लीज। मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री शीशराम ओला : जैसा मैंने निवेदन किया था, ये प्रश्न 10–11–78 को 21-2-79 को, 26-9-79 को किया गया तब क्या आपकी सरकार नहीं थी और 14-4-80को किया तब आपकी सरकार नहीं थी ? न तो तब आपकी सरकार ने और न इस सरकार ने इसका हल निकाला। मैं कह रहा हूं कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि मुझे सूची देंगे तो मैं निश्चित रूप से जांच करवाऊंगा और दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जायेगा, उनके खिलाफ एक्शन होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : माननीय मन्त्री महोदय, यह बतायेंगे कि इस सारे मसले पर एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट या अन्य किसी स्तर पर जांच हुई है ? जांच का प्रतिवेदन राज्य सरकार को कब मिला और प्रतिवेदन मिलने के बाद राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री शीशराम ओला : मैं बताऊंगा। 22–9–81 को केस दर्ज हुआ, केस नं. 111, 409 और 468 के अन्दर। पुलिस ने अदम पैरवी में इसको खारिज कर दिया 27-9-81 को। आगे पुलिस ने कहा है कि जितनी रसीदें थीं उनमें कितनी झूठी थीं कितनी सही

(श्री शीशराम ओला)
थीं, उनका मालूम नहीं होता। मैं इससे इन्कार नहीं करता कि इसमें घोटाला नहीं हुआ। घोटाला हुआ, क्वेश्चन के रिप्लाई में मंजूर किया गया है कि घोटाला है। अब यह 20 हजार, 10 हजार और 7 हजार का है, किन्हीं कारणों से ये क्वेश्चन से स्पष्ट नहीं है। किसी ने पैरवी नहीं की, यह स्पष्ट नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सदस्य मुझे सूची दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि पुलिस ने जो केस रजिस्टर किया, वह विभागीय जांच के आधार पर किया था जिसमें सरकारी अधिकारी दोषी पाये गये ? उनके विरुद्ध विभागीय जांच के आधार पर केस रजिस्टर हुआ था ?

श्री शीशराम ओला : इसकी जांच विभाग के सीनियर आफिसर ने की थीं, उन्होंने भी इसमें अनियमितताएं पायी हैं। मैं मान रहा हूं कि उस आधार पर केस को दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि हमको जो रसीदें मिलनी चाहिए थीं........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा क्वेश्चन यह नहीं है। विभागीय जांच हुई और उसके आधार पर केस रजिस्टर हुआ। क्या यह सही है कि इसमें कुछ अधिकारियों को दोषी पाया गया ?

श्री शीशराम ओला : यह स्पष्ट नहीं है कि अधिकारी दोषी पाये गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें सूची है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवधान नहीं डालिये, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : मैं केवल एक पूरक प्रश्न पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : केवल एक पूरक प्रश्न। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जैसा आश्वासन दिया है उसके अनुसार तो मालूम कर लें। किन्तु किसानों को नोटिस आ रहे हैं ब्याज मिलाकर। जो पैसा उन्होंने लिया न अनुदान, न ऋण, न और कुछ लिया लेकिन नोटिस लगातार आते चले जा रहे हैं। उनको तो रुकवाइये।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय से माननीय सदस्य मिल लें, वह उचित कार्यवाही का आश्वासन दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न। अब आप....

श्री हीरालाल आर्य : मेरा तो मूल प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। मैं थोड़ी जानकारी चाहता हूं जैसा मन्त्री महोदय ने फर्माया कि यह विभागीय जांच से सिद्ध हुआ यह पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की पर कार्यवाही में ढील है, तो अब सरकार क्या करना चाहती है ? आपके भ्रष्टाचार विभाग ने भ्रष्टाचार सिद्ध कर दिया इसके बाद क्या जांच बाकी है, आप क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री दाऊ दयाल जोशी। श्री हीरालाल आर्य।

(6)

कोटा नगर में देवस्थान विभाग के मकानात

226 **श्री दाऊ दयाल जोशी** (दीगोद) व

श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(1) कोटा नगर में देवस्थान विभाग के अधीनस्थ कुल कितने मकानात कहां कहां स्थित हैं तथा किराये से विभाग को कितनी आय होती है ?

(2) इन किरायेदारों में किराये की कितनी धनराशि बकाया है ? क्या यह सही है कि बकाया धनराशि काफी बड़ी है ? यदि हां, तो बकाया रहने के मुख्य मुख्य कारण क्या हैं ?

राज्य मन्त्री, देवस्थान (श्री घासी राम यादव) : (1) कोटा नगर में देवस्थान विभाग के अधीन मन्दिरों की संख्या 22 है। इन मन्दिरों में से केवल 4 मन्दिरों के कुल 31 भवन कोटा शहर में किराये पर देने योग्य हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। यह समस्त मकान इत्यादि चारों मन्दिरों के साथ ही सटे हुए हैं। इन मकानात से विभाग को 1045 रुपये मासिक अर्थात् 12,540 रूपये वार्षिक आय होती है।

(2) कोटा शहर में स्थित देवस्थान विभाग के भवनों का किराया किरायेदारों में दिनांक 21-12-81 तक 19,296 रुपये बकाया है। यह राशि दिनांक 1-7-78 से नवीन निर्धारित किराया वृद्धि के फलस्वरूप किरायेदारों द्वारा किराया जमा नहीं करवाने तथा विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त स्थगन आदेशों के कारण पी. डी. आर. एक्ट के अन्तर्गत राजस्व वसूली को विचाराधीन कार्यवाही के कारण बकाया रह रही है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री रघुवीर सिंह कौशल।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : हमारे, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न आते ही नहीं हैं।

सोयाबीन की खेती

227. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत खरीफ में जिला कोटा में कितने हैक्टेयर में सोयाबीन की फसलें थीं ?

(2) क्या सरकार ने कृषकों को सोयाबीन का उन्नत बीज उपलब्ध कराया था ?

(3) क्या सरकार सोयाबीन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए योजना बना रही है ?

(4) क्या नवम्बर माह में समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर सोयाबीन की विक्री हुई है ?

कृषि मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) गत खरीफ 1981 में जिला कोटा में 8400 हैक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की फसल बोयी गयी थी।

(2) जी हां। काली किस्म का 20 क्विन्टल उन्नत बीज वर्ष 1981 में वितरित किया गया है।

(3) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सोयाबीन फसल के क्षेत्र में बढ़ोतरी

(श्रीमती कमला)

करने के उद्देश्य से राज्य में एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन बुवाई करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

(4) भारत सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर को-ग्रापरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन, नई दिल्ली के माध्यम से काली किस्म की सोयाबीन का समर्थन मूल्य 1980-81 में 183 रुपये प्रति क्विन्टल एवं पीली किस्म का 198 रुपये प्रति क्विन्टल निर्धारित किया। वर्ष 1981-82 में समर्थन मूल्य 233 रुपये रहा।

(5) कोटा की मण्डी में माह नवम्बर में भाव रुपये 215 से रुपये 225 तक रहे किन्तु मध्यप्रदेश के व्यापारियों ने कोटा के कृषकों को 300 से 400 रुपये तक दिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, यह (5) नम्बर में मैंने पूछा था कि क्या नवम्बर माह में समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर सोयाबीन की बिक्री हुई है ? यह 200 ग्रौर 190 रुपये सोयाबीन बिका है। ग्राज समर्थन मूल्य के लिए राजस्थान को रिकग्नाइज नहीं किया गया है जबकि राजस्थान में 8400 हैक्टेयर में सोयाबीन की खेती हो रही है। ये उन्नत बीज कहां से खरीदा गया, यह मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सोयाबीन का क्षेत्रफल 13 हजार हैक्टेयर है। ग्रकेले कोटा में 8400 हैक्टेयर है। झालावाड़ ग्रौर चित्तौड़ में भी इसकी खेती होती है। उन्नत बीज वितरित कहां से किया गया, यह ग्रापका प्रश्न है। इसकी मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह इन्दौर की मण्डी से खरीदा गया। सोयाबीन की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए मध्यप्रदेश की नाना प्रकार की योजनाएं हैं इसके लिए केन्द्रीय सरकार ग्रनुदान दे रही है। सोयाबीन की भी खेती होती है इसकी ग्रोर हमारी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ग्राज किसान को सोयाबीन का उन्नत बीज उपलब्ध नहीं है। समर्थन मूल्य पर उसकी फसल की बिक्री नहीं होती है। ऐसा उपेक्षित भाव ग्राज सोयाबीन की खेती के प्रति हो रहा है जिसका तेल ग्रायातित किया जा रहा है। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि वह ध्यान रखें कि राजस्थान में सोयाबीन की खेती होती है। उसको प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की योजनाग्रों की हमारे पास जानकारी रहे तो ग्रनुदान हमें मिल सकता है, प्रोत्साहन मिल सकता है। क्या मन्त्री महोदय ग्राश्वासन देंगी कि समर्थन मूल्य लागू होगा ?

श्रीमती कमला : जहां तक समर्थन मूल्य का सवाल है, जब समर्थन मूल्य भारत सरकार ने कायम किया हुग्रा है तो राज्य सरकार का कर्त्तव्य है कि किसान का उत्पादन समर्थन मूल्य पर खरीदा जाय। यह गलती हुई, जब समर्थन मूल्य से नीचे बाजार भाव था तो उस समय व्यवस्था की जानी चाहिये थी। ग्रब जिन विभागों द्वारा यह कार्य किया जाना है हम ध्यान रखेंगे कि कोई गलती न हो। जहां तक मध्य प्रदेश के ग्रन्दर की जा रही व्यवस्था का

(श्रीमती कमला)

सवाल है, मुझे मालूम है कि मध्यप्रदेश में सीड एण्ड पल्सेज और सोयाबीन का काफी बड़ा क्षेत्रफल है। उन्होंने एक आयल एण्ड सीड कार्पोरेशन भी बनाया हुआ है। उसको दृष्टिगत रखते हुए हम भी सोयाबीन की खेती को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दें, उसको फैलायें और काश्तकार उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ लें, इसके बारे में योजना तैयार कर रहे हैं। हम पूर्णतया इस मामले में सतर्क हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है, हमारे क्षेत्र की खेती का सवाल है। क्या सोयाबीन को प्रोत्साहित करने के लिए सोयाबीन पर आधारित कोई प्रोसेसिंग प्लाण्ट लगाने का विचार है?

श्रीमती कमला : जो योजना बनाई जा रही है उसमें यह सभी आयेंगे कि किस तरह से एक्सप्लोरेशन हो, किस तरह से प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जावे जो बीज आता है वह सर्टिफाइड बीज होना चाहिए और जहां-जहां पर मंडियां हैं उनमें ले जाकर बेचा जाय जिससे उनको अच्छे से अच्छे भाव मिल सकें। योजना में यह सभी चीजें आयेंगी?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैंने कलेक्टर कोटा और कमिश्नर, एस.डी से बात की कि यहां पर सोयाबीन की खरीद निर्धारित कीमत पर क्यों नहीं की जा रही है तो उन्होंने बताया कि राजस्थान में सोयाबीन पैदा नहीं होता है इसलिए इसको निर्धारित खरीद वाले क्षेत्र में नहीं लिया गया है। क्या यह सही है कि उनको यह पता ही नहीं है कि यहां पर सोयाबीन की खेती भी होती है?

श्रीमती कमला : यह तो सम्भव नहीं है कि भारत सरकार को यह पता ही नहीं है कि राजस्थान में सोयाबीन बोया जा रहा है। यहां पर 13 हजार हैक्टेयर में सोयाबीन बो रहे हैं। यह उनको मालूम है और उनके रिकार्ड में दर्ज है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : एक पूरक प्रश्न और। क्या सीड कार्पोरेशन सोयाबीन का उन्नत बीज दिलाने का प्रयत्न करेगा?

श्रीमती कमला : इसकी व्यवस्था के लिए पूर्व में ही सीड कार्पोरेशन से कहा हुआ है। अगले वर्ष में खरीफ की फसल आने से पूर्व व्यवस्था कितनी कर पायेंगे, कितनी नहीं कर पायेंगे इसका निश्चित रूप से विवरण देने में असमर्थ हूं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री भैरूलाल मीणा।

बढ़िया शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित विद्यालय

228. **श्री भैरूलाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष बढ़िया शिक्षा के अन्तर्गत 300 माध्यमिक विद्यालय चयनित किये जाने थे? यदि हां,

(श्री भैंरूलाल मीणा)

तो उनमें से कितने व कौन-कौन से विद्यालय चयनित किये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चयनित स्कूलों में बढ़िया शिक्षा देने हेतु दी जाने वाली सुविधा तथा फर्नीचर, शिक्षण सामग्री पुस्तकालय के संवर्द्धन हेतु फर्नीचर, नये छात्रावासों की सुविधा, एक कमरे का निर्माण हेतु दी जाने वाली राशि के देने के लिए आदेश प्रदान कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उपमंत्री, शिक्षा (श्री बुलाकीदास कल्ला) : (1) जी हां। बढ़िया शिक्षा के अन्तर्गत 300 माध्यमिक विद्यालयों का चयन कर लिया गया है। उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) चयनित विद्यालयों का फर्नीचर तथा पुस्तकालय के संवर्द्धन हेतु केन्द्रीय खरीद की जा रही है एवं शीघ्र ही समस्त विद्यालयों को ये सुविधायें उपलब्ध करवा दी जायेंगी। छात्रावासों के एवं कमरों के निर्माण हेतु स्वीकृतियां जारी करदी गई हैं। शिक्षण सामग्री हेतु प्रत्येक विद्यालय को 1500 रुपये आवंटित कर दिये गये हैं।
(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री भैंरूलाल मीणा : क्या यह सही है कि.......

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसी प्रकार का प्रश्न है, वह भी साथ साथ ही करवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : कौनसा प्रश्न।

श्री बालचन्द आर्य वीर : 249।

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं।

श्री भैंरूलाल मीणा : क्या यह सही है कि भवन निर्माण हेतु तीन हजार रुपये अलाउ किये गये हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा कमिश्नर ने पन्द्रह हजार रुपये प्रति कमरे की धनराशि स्वीकृत करके सम्बन्धित विद्यालयों और जिला शिक्षा अधिकारियों को सूचित कर दिया है। शेष आवश्यक राशि छात्र कोष की बचत एवं जन सहयोग से प्राप्त की जायेगी।

श्री भैंरूलाल मीणा : क्या यह सही है कि भवन के लिए आवश्यक रेती, चूना, पत्थर आदि टेंडर के जरिये खरीदा जायेगा ? क्या 15 हजार में भवन तैयार हो जायेगा ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सम्बन्धित अधिकारियों को, विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को जानकारी दे दी गई है कि 15 हजार रुपये राज्य सरकार की तरफ से दिए जायेंगे और जो छात्र कोष में बचत है उसका प्रभावी उपयोग करके और स्थानीय जन सहयोग जुटा कर कमरों का निर्माण कराने के लिए अपने स्तर पर कार्यवाही कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर इतने पूरक प्रश्न करने की इजाजत नहीं दूंगा।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री केसरीचन्द चौधरी।

अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा) : **यह फर्नीचर खरीदा** जा रहा है वह कब तक **पहुंच** जायेगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं और पूरक प्रश्नों की **इजाजत** नहीं दूंगा। माननीय सदस्य **स्थान** ग्रहण कीजिए।

श्री घनश्याम तिवाडी (सीकर) : यह एक तरह का घोटाला है .. ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री भैरू'लाल मीणा : × × ×

श्री तेजपाल यादव × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी × × ×

श्री मेघराज ... : × × ×

श्री अध्यक्ष :आर्डर प्लीज.......

अंकित नहीं हो।.......

इस पर कई माननीय सदस्य प्रश्न करना चाहते हैं इसलिए और इस प्रश्न को कोई अन्य तरीके से चर्चा करना चाहेंगे तो मैं इजाजत दे दूंगा। इस समय और पूरक प्रश्नों की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह बिलकुल सारी की सारी कार्यवाही जो हो रही है........

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : मैंने निवेदन किया कि अगर आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो, माननीय सदस्य, इसको अन्य तरीके से उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

मैंने निवेदन कर दिया है....आसन पैरों पर है.......स्थान ग्रहण कीजिए ... मैं इजाजत नहीं दूंगा। क्योंकि बहुत सारे माननीय सदस्य इस पर प्रश्न पूछना चाहते हैं.......

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर, अंकित नहीं हो।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस प्रश्न पर कई माननीय सदस्य पूरक प्रश्न करना चाहते हैं तो, माननीय सदस्य, इस सम्बन्ध में मुझे अवगत करा दें। मैं इसको अन्य किसी तरीके से सदन में दुबारा ले आऊंगा।

अगला प्रश्न।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

जिला अजमेर के सरपंचों के विरुद्ध गबन के मामलों में जांच

229. **श्री केसरीचन्द चौधरी** (किशनगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अजमेर के कितने सरपंचों के विरुद्ध गबन के मामले चल रहे हैं ?

(2) उपर्युक्त मामलों में से पुलिस को कितने मामले सौंपे गये हैं और अन्य कितने-कितने मामलों की जांच किसके द्वारा की जा रही है ?

राज्य मंत्री पंचायत राज (श्री शीशराम ओला) : (1) जिलाधीश से प्राप्त सूचना के अनुसार अजमेर जिले में 366 सरपंचों के विरुद्ध गबन के मामले चल रहे हैं।

(2) उपरोक्त मामलों में से 35 मामले पुलिस को सौंपे गये हैं। अन्य मामलों में से 6 मामले राज्य स्तर पर एवं 9 मामले न्यायालय में चल रहे हैं तथा शेष मामलों में जिला स्तर पर जांच की कार्यवाही चल रही है।

श्री केसरीचन्द चौधरी : माननीय मन्त्री महोदय, क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि 366 मामले कितने वर्षों से पैंडिग हैं ?

श्री शीशराम ओला : इसकी मुझे सही जानकारी नहीं है कि कितने दिनों से पैंडिग हैं। जो प्रश्न पूछा गया था उसमें यही था कि कितने सरपंचों के विरुद्ध गबन के मामले चल रहे हैं।

श्री केसरीचन्द चौधरी : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इनका निर्णय कब तक हो जायेगा ? दूसरा यह कि पुलिस में जितने मामले दर्ज कराये गये हैं, 366 मामले एक जिले में हैं तो इतने मामले होने के बाद, क्या माननीय मन्त्री महोदय ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि, जैसे सहकारी विभाग में है, कोई सैपरेट सैल बन जाय जो सरपंचों के मामलों में जल्दी से जल्दी फैसला कराये।

श्री शीशराम ओला : इस पर विचार किया जायेगा, इस चीज को देखते हुए।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री महाराम।

श्री नाथूसिंह : मेरा अगला प्रश्न इसी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

विकास अभिकरण नागौर द्वारा पशुओं के पेयजल की व्यवस्था

230. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

विकास अभिकरण, नागौर द्वारा चालू वर्ष में किन-किन स्थानों पर पशु पेय जल व्यवस्था हेतु जल कुण्डों का निर्माण एवं खेली की व्यवस्था की है ? कृपया स्थान का नाम व गांव का नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

कृषि मन्त्री (श्रीमती कमला) : जिला विकास अभिकरण, नागौर द्वारा चालू द्वितीय वर्ष में 47 स्थानों पर कुण्डों के निर्माण एवं 31 स्थानों पर खेलियों के निर्माण की व्यवस्था की गई है, जिसे

(श्रीमती कमला)
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की मदद से जिले में लागू करने के लिए जिलाधीश, नागौर द्वारा स्वीकृति जारी कर दी गई है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। स्थान एवं गांवों के नामों की सूची परिशिष्ट '1' पर उपलब्ध है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ये निर्माण कार्य प्रगति पर नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इसके निर्माण कार्य को जल्दी से जल्दी कराया जाये। ये जो पशुपालकों के लिए खेलियां बनाई गई हैं उनके वितरण का क्या आधार है? पंचायत समितियों के आधार पर निर्माण कराया गया है या जिले के आधार पर किया है?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, जो निर्देश दिये गये हैं, वे जिला विकास अभिकरण को दिये गये हैं, जिसके अध्यक्ष जिलाधीश होते हैं। उनको निर्देश दिये गए हैं कि पशुओं की जनसंख्या को देखते हुए जहां पर पानी की व्यवस्था करनी है, वहां पर एक से तीन लाख लीटर क्षमता की कुण्ड और रिजर्वायर बनाये जाने की कार्यवाही की जावे और इसके तहत जिस जिले में डी.पी.ए.पी. और डी. आर. ई. पी. के फण्ड अवेलेबल हैं, उनको ध्यान में रखते हुए और एन. आर. ई. पी. के माध्यम से जो काम कराये जा सकते हैं, उनका सहयोग लेते हुए जितने ज्यादा से ज्यादा कुण्ड, हौज या खेलियां या पक्के तालाब बनाए जा सकते हैं, या कच्चे तालाबों की मरम्मत कर पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था की जा सकती है, वह की जावे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है। जो रेगिस्तानी इलाकों में ढाणियों में रहने वाले हैं और जहां पर पानी की भयंकर समस्या है वहां पर पंचायत समितियों के आधार पर कुण्ड बनाए जावें तो ज्यादा सार्थक हो सकते हैं। दूसरा निवेदन है कि पंचायत समिति, नागौर और डीडवाना में ज्यादा कुंड बनाए जावें।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन की जानकारी के लिये कहना चाहती हूं कि राजस्थान सरकार ने अपने प्रयत्नों से भारत सरकार से पहली बार यह योजना स्वीकृत करायी है जो कि किसी राज्य में आज तक स्वीकृत नहीं हुई है। हमने इस बात के लिये तवज्जोह दिलायी कि सिर्फ इन्सानों के लिये पानी की व्यवस्था करने से रेगिस्तान की समस्या का हल होने वाला नहीं है। पशुओं के लिये भी पीने के पानी की व्यवस्था करना उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिये भारत सरकार ने डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत यह विशिष्ट योजना स्वीकृत की है जिसके तहत 75 लाख का प्रावधान इस वर्ष किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत तमाम जिलों में इसके लिये स्वीकृति जारी की है और मैं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगी कि वे स्वयं भी इस ओर तवज्जोह देकर इस कार्यक्रम को हाथ में लेने की कोशिश करें।

13

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री घनश्याम तिवाड़ी ।

विश्वकर्मा (जयपुर) स्थित सीमेंट पोल फैक्ट्री को आवंटित सीमेंट

231. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)** : क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि एस. डी. ओ. आमेर, जिला जयपुर ने इस वर्ष बाजोरिया एण्ड बाजोरिया सीमेन्ट पोल फैक्ट्री, विश्वकर्मा क्षेत्र, जयपुर के नाम आवंटित सीमेंट के कई स्थानों पर छापे मार कर हजारों कट्टे बरामद किये थे ? यदि हां, तो इस संबंध में किस-किस स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य मन्त्री, खाद्य एवं रसद (श्री घासीराम यादव) : वर्तमान कलेण्डर वर्ष में एस. डी. ओ., आमेर द्वारा मैं. बाजोरिया एण्ड बाजोरिया सीमेंट पोल फैक्ट्री, विश्वकर्मा क्षेत्र, जयपुर नामक किसी पोल फैक्ट्री की कोई जांच नहीं की गयी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि श्रीमती कमला बेनीवाल ने आमेर पंचायत समिति की मीटिंग में एस. डी. ओ. को आदेश दिया था । एस. डी. ओ. के द्वारा छापा मारा गया था और 24 हजार कट्टे सीमेंट के बरामद किये गये थे । एस. डी. ओ. का ट्रान्सफर करवाकर इस सारी कार्यवाही को समाप्त करवा दिया गया और अब यह जवाब दे रहे हैं ।

श्री घासीराम यादव : माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, वह यह है "एस.डी. ओ. आमेर, जिला जयपुर ने इस वर्ष बाजोरिया एण्ड बाजोरिया सीमेंट पोल फैक्ट्री, विश्वकर्मा क्षेत्र, जयपुर के नाम आवंटित सीमेंट......."

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने प्रश्न दिसम्बर में पूछा था और जवाब आज आ रहा है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो आदेश हुए हैं वह बता दें । वर्ष के झगड़े की बात नहीं है ।

श्री घासीराम यादव : प्रश्न में नाम सही लिखा होना चाहिए । यह बाजोरिया एण्ड बाजोरिया नाम की कोई कम्पनी नहीं है । यह मैसर्स प्रिस्ट्रीसड इण्डस्ट्रीज लि. है, फिर भी मैं इसके फैक्ट लाया हूं । सवाल दूसरे का किया गया है । इस नाम की कोई कम्पनी नहीं है, दरअसल में एस. डी. ओ., आमेर ने कट्टे बरामद किये थे और पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज करायी थी । पुलिस ने यह मानकर कि इसमें कोई आफेंस नहीं बनता है इस केस में एफ. आर. लगा दी और बाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भी इसकी स्वीकृति दे दी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह कार्यवाही कब समाप्त हुई ?

श्री घासीराम यादव : यह 21-4-81 को रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, 17-7-81 को इसमें पुलिस द्वारा एफ. आर. लगायी गयी और 14-9-81 को मुख्य दण्डनायक ने इसको स्वीकृत कर दिया।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : केवल एक पूरक प्रश्न की अनुमति है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस कारखाने में श्रीराम गोटेवाला के शेयर हैं इसलिये इनके मन्त्री बनने के बाद में इसको खतम किया गया है। श्री एन. के. वर्मा का और एस. डी. ओ. का ट्रान्सफर किया गया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : श्रीमती कमला ने आदेश दिया था और उनके आदेश पर ही यह छापा मारा गया था। एस. डी. ओ. ने कट्टे बरामद किये इसलिये ही श्री एन. के. वर्मा का और एस. डी. ओ. का ट्रान्सफर किया गया था।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हंसराज शर्मा।

राजकीय महाविद्यालय, सबाई मधोपुर में स्नातकोत्तर एवं विधि संकाय की कक्षायें

232. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाईमाधोपुर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि सवाईमाधोपुर राजकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर एवं विधि संकाय की कक्षायें प्रारम्भ करने का भूतपूर्व सरकार ने आश्वासन दिया था ?

(2) क्या सरकार 'पिछड़े को पहले' नीति के अन्तर्गत आगामी शिक्षा सत्र के पहले राजकीय महाविद्यालय सवाईमाधोपुर में स्नातकोत्तर एवं विधि संकाय की कक्षायें प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उपमन्त्री, शिक्षा (श्री बुलाकीदास कल्ला) :

(1) जी नहीं। शिक्षा विभाग के उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

(2) 'पिछड़े को पहले' की नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा घोषित 20 संकल्पों में उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालय ही सम्मिलित किये गये हैं।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि राज्य सरकार के विधि संकाय खोलने के क्या नियम हैं ? जो नियम हैं उनके अन्तर्गत इसमें महाविद्यालय खोलने की बात आती है या नहीं ? उस क्षेत्र में एस. सी. के एक एम.पी, और 5 रिजर्वेशन की सीट हैं। जिस इलाके में 75 प्रतिशत एस. सी. और एस. टी. के लोग रहते हों उस क्षेत्र में 'पिछड़े को पहले' के आधार पर राज्य सरकार क्या खास तौर से विधि संकाय की कक्षायें खोलने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सन् 77 में सवाईमाधोपुर महाविद्यालय के छात्रों की संख्या 560 थी जबकि महाविद्यालय, करौली में 953 थी । अतः राज्य सरकार ने राजकीय महाविद्यालय, करौली में निम्न विषयों की कक्षायें स्नातकोत्तर में खोलीं—एम. ए. व्यावसायिक प्रशासन और एम. ए. राजनीति शास्त्र । राज्य सरकार ने 1982में महाविद्यालय, करौली में छात्र संख्या के आधार पर विधि संकाय की कक्षायें चालू कीं । करौली में 1980 में एम. कॉम. में लेखा एवं सांख्यिकी की कक्षायें खोली थीं और 1981-82 में एम. कॉम. में आर्थिक प्रशासन का विषय है ।

'पिछडे को पहले' के प्रश्न पर स्पष्ट कर चुका हूं कि यह योजना माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में ही लागू की है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस समय वहां पर छात्र संख्या कितनी है ? दूसरे, जिन आधारों पर करौली में कक्षायें खोली हैं, क्या उन्हीं के आधार पर सवाईमाधोपुर में भी खोलेंगे ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार समय-समय पर भवन, छात्र संख्या और राज्य में उपलब्ध वित्तीय साधनों को ध्यान में रखकर ही उच्च शिक्षा के बारे में विचार करती रहती है । उसके आधार पर जब कभी इसका समय आयेगा तो विचार करेंगे ।

श्री हंसराज शर्मा : मेरा यह प्रश्न है कि जिस आधार पर करौली में खोली है उसके आधार पर ही खोलेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । जवाब नहीं आयेगा । अगला प्रश्न । श्री मेघराज तावड़

श्री हंसराज शर्मा : वहां पर छात्रों ने नोटिस दे रखा है बसें बंद करने का और ट्रेनों को रोकने का, उस क्षेत्र में एस. सी. और एस. टी. के लोग रहते हैं 150-300 किलोमीटर तक कोई विधि का कालेज नहीं है । इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि किसी प्रकार का विचार नहीं करेंगे....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य ।

श्री मेघराज तावड़ ।

उदयपुर जिले के जनजाति उपयोजना क्षेत्र में संचालित प्राथमिक विद्यालय ।

232. **श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित उदयपुर जिले की प्रत्येक तहसील में कितने प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के कई प्राथमिक विद्यालय बन्द पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां और क्यों ?

(3) विद्यालयों के बन्द होने के क्या

(श्री मेघराज तावड़)
कारण रहे हैं तथा अब कब तक इनको पुनः चालू कर दिया जायेगा ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री बुलाकीदास कल्ला) : (1) उदयपुर क्षेत्र के जनजाति उपयोजना क्षेत्र में संचालित प्राथमिक विद्यालयों की पंचायत समितिवार संख्या निम्न प्रकार है :—

पंचायत समिति	विद्यालयों की संख्या
1. सलूम्बर	95
2. गिर्वा	103
3. सराड़ा	110
4. खेरवाड़ा	156
5. झाड़ोल	101
6. धरियावद	104
7. कोटड़ा	75

(2) जी हां। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय चलाने का उत्तरदायित्व सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग का है। उनसे प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न पंचायत समितियों में जिन विद्यालयों में एक भी अध्यापक नहीं है उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) राज्य सरकार प्रत्येक विद्यालय के लिये कम से कम एक अध्यापक का पद स्वीकृत करती है। इन विद्यालयों में अध्यापक की नियुक्ति नहीं होने की पूरी जानकारी सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग से मांगी जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखे)

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने सूची मांगी थी कि कितने विद्यालय संचालित हैं, वह तो नहीं मिली लेकिन जो बन्द पड़े हैं उनकी सूची मिली है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये स्कूल कितने सालों से बन्द पड़े हैं ? आदिवासी इलाकों में 55 स्कूल बन्द पड़े हैं जबकि 'पिछड़े को पहले' का माथुर साहब का और राज्य सरकार का संकल्प है। दूसरा, इन गांवों में स्कूल बनाने के लिये क्या सरकार ने पैसा दिया है ? स्कूल बने हुए हैं या नहीं, या किसी मकान या पेड़ के नीचे ही स्कूल चल रहे हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास विभाग एवं पंचायत विभाग से सूचना भेजी है कि 744 विद्यालय उपयोजना क्षेत्र में प्रारम्भ किये गये हैं और 700 विद्यालय चल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे दूरस्थ इलाके हैं जहां अध्यापकों की नियुक्ति आदेश समय पर निकाल दिये गये थे फिर भी सम्बन्धित आशार्थियों ने इन पदों को ग्रहण नहीं किया है जिनके कारण पद रिक्त हैं और शीघ्र ही इसके बारे में कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, पिछड़े हुए इलाके में जहां लोग जाने के लिये तैयार नहीं हैं वहां क्या सरकार ऐसी नीति कायम करेगी ताकि ये स्कूल जल्दी ही चालू हो सकें और आदिवासियों को लाभ मिल सके ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष

(श्री बुलाकीदास कल्ला)
महोदय, यह नीतिगत प्रश्न है जो पंचायत विभाग से सम्बन्धित है । मैं समझता हूं, इस सम्बन्ध में अलग से प्रश्न किया जाय या पंचायत विभाग से प्रश्न किया जाय तो उत्तम रहेगा ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह जो 55 स्थानों पर आपने नियुक्तियां की हैं, लेकिन अध्यापक पहुंचे नहीं उनमें से कितने ऐसे हैं जो अन्यत्र सर्विस कर रहे हैं, जिनको इन दूरस्थ स्थानों पर अपॉइन्ट तो किया लेकिन अन्यत्र नौकरी कंटीन्यू कर रहे हैं ? ऐसे कितने लोग हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है, आपने सूचना दी है । यह जानकारी कर सकते हैं ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह बहुत अहम् प्रश्न है, वे लोग किन्हीं प्रेशर के आधार पर... ...

श्री अध्यक्ष : डेपूटेशन से दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं, एम. एल. ए. की सिफारिश से ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : पिछले दो सालों से वहां कोई भी आदमी पहुंचा नहीं, तो राज्य सरकार कम से कम इन स्थानों पर जिनको नियुक्त किया गया है उन पर कोई कठोर कार्यवाही करे । वे वहां क्यों नहीं जाते हैं । उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करे ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में मूल प्रश्न के उत्तर में बताया था कि इस सम्बन्ध में जानकारी सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग से मांगी है, वे इस पर पर्याप्त कार्यवाही कर रहे हैं । कई ऐसे स्थान भी है जहां पंचायत विभाग ने सूचित किया है कि अध्यापक तो समय पर पहुंच गये लेकिन विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त नहीं थी, इस कारण वे चालू नहीं हैं । लेकिन 700 से ऊपर प्राथमिक शालाएं सुचारू रूप से चल रही हैं वहां पर किसी भी प्रकार के अध्यापकों की कोई कमी नहीं है ।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, जिन अध्यापकों को वहां पर नियुक्ति दी जाती हैं और वे वहां जाने के लिये तैयार नहीं, जैसा कि माननीय सदस्य के प्रश्न से पता चलता है, मैं यह चाहता हूं कि क्यों नहीं वहां के आदिवासी लोगों को ही अध्यापक बना दिया जाय, जो मिडिल पास हों ताकि वे अच्छी शिक्षा दे सकें और विशेष रूप से रुचि लेकर काम कर सकें ।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, वहां पर उनको क्यों चयनित किया जाता है जो अच्छे नम्बरों से चयनित हुई हैं और लेडीज हैं । उनको जंगलों में 4, 5, 6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, इसलिये लेडीज वहां जाने से मना करती हैं । गिर्वा में तीन अध्यापक अनुसूचित जाति और जनजाति के भर्ती किये गये, जिनको पहले अच्छी तरह से पढ़ाना नहीं आता था लेकिन आज वे बढ़िया काम कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य के अनुभव का लाभ उठायें ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सदस्य की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए........

श्री अध्यक्ष : भावना हमारी भी है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो खाली स्थान हैं उनको शीघ्र ही भरवाने के लिये कार्यवाही करूंगा।

श्री मेघराज तावड़ : मैं इतना आश्वासन चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरा इलाका है जहां 22 स्कूल बन्द हैं वहां नियुक्ति जल्दी की जाय और यदि अध्यापक वहां नहीं आते हैं तो वहां के मिडिल पास आदमियों को नियुक्त कर दिया जाय।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे स्कूल तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ कागजों पर हैं। उन स्कूलों को क्या आप ऐसी जगह स्थानांतरित करने की कोशिश करेंगे.......

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है, माननीय सदस्या।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि पंचायत सलेक्शन कमेटी का कंनोजीशन नहीं होने की वजह से जो भर्ती की प्रक्रिया अपनाई गई है जिसमें आई. ओ. एस. से लिस्ट भेजी जाती है तो क्या पचायती राज सलेक्शन बोर्ड बना कर........

श्री अध्यक्ष : इसका सम्बन्ध पंचायती राज से है, मनानीय सदस्य।

आर्डर प्लीज, मैंने इजाजत नहीं दी है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, इसका सम्बन्ध सामुदायिक विकास मंत्री जी से है तो उनसे जवाब दिलाया जाय। सारे प्राथमिक स्कूल्स बर्बाद हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, स्थान ग्रहण करें। अगला प्रश्न।

शिक्षकों की सेवानिवृत्ति पर पेंशन की स्वीकृति

234. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : **क्या** शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार यह अनुभव करती है कि शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेन्शन मिलने में काफी लम्बा समय लग जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है जिससे शिक्षको को पेन्शन मिलने में विलम्ब न हो ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री बुलाकीदास कल्ला) : जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों के पेन्शन प्रकरणों को तत्परता से निपटाये जाने का प्रयत्न किया जाता है।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक आपत्ति है। मैंने दो का खण्ड क्वेश्चन किया था। वह.......

श्री अध्यक्ष : इसमें मन्त्री महोदय कुछ नहीं कर सकते ।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह सही है कि बहुत से शिक्षक रिटायर होने के टाइम जिस वेतन श्रृंखला में होते हैं उसी वेतन श्रृंखला में रिटायर होते हैं ? स्थायी पद न होने की वजह से उनकी पेन्शन में दिक्कत होती है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो पेन्शन के प्रकरण होते हैं, उसमें सर्विसेज के बारे में रिटायर होने के 6 महीने पहले कार्यालय अधीक्षक सेवा अभिलेख और सेवा कार्य का प्रमाणीकरण के प्रपत्र नियमपूर्वक भर कर समय पर भेजते हैं । उनमें तो पेन्शन प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होती है । लेकिन जो व्यक्ति अपने प्रपत्र को निर्धारित समय पर नहीं भरते हैं या सेवा अभिलेख कार्यालय अधीक्षक या सेवा प्रमाणीकरण का अभाव होता है तब पेन्शन प्रकरण में देरी लगती है और जब तक यह पूरा का पूरा स्वीकृत नहीं होता है तो अस्थायी रूप से पेन्शन स्वीकृत की जाती है ।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह प्रमाणीकरण कहां से लायेगा जो पाकिस्तान के शरणार्थी हैं या बंगलादेश के हैं ? यह तो कठिन समस्या है । यहां के कर्मचारी मानने को तैयार नहीं हैं । विभाजन हुआ तो यह सारा रिकार्ड आपके पास होना चाहिये । वह बेचारे रोटी के लिये लाचार हैं । दर दर भटक रहे हैं । इनके लिये आपका क्या निर्णय है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अंकेक्षक द्वारा पेन्शन प्रकरण के बारे में यह जानकारी दी गई है कि उनके कार्यालय में पेन्शन सम्बन्धी कोई प्रकरण पेंडिंग नहीं है । इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट विलम्ब न हो इसके लिये राज्य सरकार समयसमय पर निर्देश जारी करती है । आपके ध्यान में कोई केस हो तो बताइये, उस पर नियमानुसार कार्यवाही करायी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरजाराम । प्रश्न संख्या 235 ।

जिला बीकानेर की कृषि उपज मण्डी समितियों में नियुक्तियों/प्रदोन्नतियों में आरक्षित पदों की पूर्ति

235. **श्री सुरजा राम (नोखा)** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या बीकानेर जिले की कृषि उपज मण्डी समितियों में नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण के अनुसार पूर्ति की जाती है ?

(2) यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो बीकानेर खण्ड में वर्तमान में कितने पद हैं ? कितने पद आरक्षण के अनुसार भरे हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) बीकानेर खण्ड में कनिष्ठ लिपिक व वरिष्ठ लिपिक तथा वरिष्ठ लिपिक से पर्यवेक्षक के पद पर कितनी पदोन्नतियां, आरक्षण (रोस्टर) के अनुसार गत तीन वर्षों में दी गई । यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) कितने आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं ? यदि रिक्त हैं तो क्यों तथा पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां।

(2) आरक्षण पद्धति की पूर्णतः अनुपालना की गई है। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर 4 लिपिकों की पदोन्नतियां की गई थीं। उनमें से 2 की वरिष्ठ लिपिक से पर्यवेक्षक के पदों पर भी पदोन्नतियां की जा चुकी हैं।

(4) आरक्षित रिक्त पदों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

सहायक सचिव	2 पद
लेखाकार	3 पद
कनिष्ठ लेखाकार	3 पद
पर्यवेक्षक	6 पद
वरिष्ठ लिपिक	5 पद
कनिष्ठ लिपिक	59 पद
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	30 पद

आरक्षित रिक्त पदों पर पदोन्नतियां न होने का मुख्य कारण मण्डी सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित योग्यता के उम्मीदवारों का उपलब्ध न होना तथा अन्य प्रशासनिक कारण रहे हैं। इन पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही किये जाने हेतु चयन समिति का गठन कर दिया गया है तथा अन्य वांछित प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

श्री सुरजाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को यह निवेदन करूंगा कि सहायक सचिव के रिक्त पद थे कृषि उपज मण्डी में, उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति के उम्मीदवारों को क्यों नहीं लिया गया? इसी प्रकार पदोन्नति के पद पर भी नहीं लिया गया है। इसका क्या कारण है?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, जो पूरक प्रश्न सहायक सचिव के बारे में किया गया है, यह सूचना मेरे पास नहीं है कि कितने सहायक सचिव अनुसूचित जाति, जनजाति के हैं ....

श्री सुरजाराम : अध्यक्ष महोदय, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक के जो पद हैं उनमें से 37 पद आरक्षित हैं। इसमें सीधी भर्ती में भी नहीं लिये गये हैं।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक, पर्यवेक्षक और सहायक सचिव, यह एक पदोन्नति का चैनल है जिसमें उनकी पदोन्नति होती है। दूसरी तरफ कनिष्ठ लेखाकार, लेखाकार इनका अलग चैनल है। इनका अलग अलग अनुभव और योग्यता निर्धारित की हुई है। एक कारण तो यह है कि बहुत से लोग निर्धारित योग्यता की पूर्ति नहीं करते हैं। दूसरा कारण यह है कि इस वक्त लेखाकार वर्ग में नियमों में संशोधन राज्य सरकार की तरफ से किया हुआ है, जो कनिष्ठ लेखाकार लें वह अकाउन्ट्स सैक्शन से लें। उनसे हमने मांग की तो इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि अपने आप भर्ती करो। जो अकाउन्टेन्ट हैं उनकी भर्ती बंद है। अब टैस्ट आयोजित किये जा रहे हैं, कनिष्ठ लेखाकार और लेखाकार के लिये।

जहां पर्यवेक्षक से सहायक सचिव की पदोन्नति का सवाल है, ये पर्यवेक्षक में से लिये

(श्रीमती कमला)

जाते हैं और पर्यवेक्षकों की सीनियोरिटी लिस्ट बन गई है और सहायक सचिव के जितने पद रिक्त हैं उनको सीनियोरिटी और आरक्षण के मुताबिक भर्ती किया जायेगा....

श्री सुरजाराम : जो कनिष्ठ लिपिक के पद हैं उनमें आरक्षण के अनुसार भर्ती क्यों नहीं की गई ?

श्रीमती कमला : आरक्षण के जो नियम हैं उनका उल्लंघन नहीं किया जायेगा। जितने भी रिक्त पद हैं उनको इस पद्धति के मुताबिक पूरी तरह से भरने में नियमों का पालन किया जायेगा।

श्री सुरजाराम : जो स्थान भरे गये हैं उनमें एक भी अनुसूचित जाति, जनजाति का उम्मीदवार नहीं है।

श्रीमती कमला : मैंने अभी बताया है कि जो पदोन्नति की गई है उसमें चार इसी वर्ग के हैं। इस वर्ग के कुल 62 व्यक्ति हैं, जो एस. सी., एस टी. हैं। वह काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदसिंह ।

सेवा सहकारी समितियों के चुनाव

236. **श्री उम्मेदसिंह** (डीडवाना) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितनी सेवा सहकारी समितियां हैं ?

(2) क्या समस्त सहकारी समितियों के चुनाव हो गये हैं ?

(3) अगर चुनाव शेष हैं तो किन कारणों से चुनाव रुके हुए हैं ?

(4) क्या यह सही है कि सहकारी समितियों के चुनावों में गंभीर अनियमितताएं हुई तथा किन्हीं सहकारी समितियों द्वारा अदालती कार्यवाही भी की गई ? यदि ऐसा है, तो वे कौनसी समितियां हैं ?

राज्य मन्त्री, सहकारिता (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) राजस्थान में कुल 5,198 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं।

(2) जी नहीं। 457 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव होना शेष हैं।

(3) भरतपुर जिले की 246 सहकारी समितियों के चुनाव राज्य सरकार द्वारा इस जिले की समितियों के चुनाव न कराये जाने के निर्णय के कारण, 115 समितियों के निर्वाचन पर विभिन्न न्यायालयों के स्थगन आदेश होने के कारण, 96 समितियों के रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण, शांति भंग होने के कारण या समिति निष्क्रिय होने के कारण।

(4) जी नहीं। जिन समितियों में अदालती कार्यवाही की गई है, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

श्री उम्मेदसिंह : क्या छोटी खाटू सहकारी समिति के चुनाव में अनियमितता

22

(श्री उम्मेदसिंह)

की शिकायत आई है ? यदि हां, तो विभाग ने क्या कार्यवाही की ? दूसरे भण्डार का सहकारी समिति के चुनाव पर हाई कोर्ट का स्टे था और उसके बाद चुनाव हुए ।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा कि इन दोनों का नाम फिर से लेने का कष्ट करें ।

श्री उम्मेदसिंह : छोटी खाटू, मण्डारका, जिला नागौर ।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में माननीय सदस्य अलग से प्रश्न करेंगे तो मैं विस्तार से बता सकता हूं । इस समय जानकारी नहीं है ।

श्री यदुनाथ सिंह : जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया है कि भरतपुर जिले की 246 सहकारी समितियों के चुनाव राज्य सरकार ने स्थगित किये हैं, इसका क्या कारण है कि राज्य सरकार को इनके लिये स्थगन आदेश देना पड़ा ?

श्री रामपाल उपाध्याय : भरतपुर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के अन्तर्गत जितनी सहकारी समितियां आती हैं उनमें 94 प्रतिशत डिफाल्टर्स हैं और करीब 8 करोड़ रुपये के लेनदेन के हिसाब के बाकी है ।

94 प्रतिशत लोग डिफाल्टर हों, वहां पर सहकारिता के उद्देश्य के अनुसार जो चुनाव के निश्चित लक्ष्य हैं उसको दृष्टिगत रखते हुये यह ठीक समझा गया कि वहां पर चुनाव नहीं कराये जायें । जिस पैसे को जिन लोगों ने बेनामी ले रखा था उस पैसे के लिये इस प्रकार की कार्यवाही की गयी जिससे कि तथ्यों की जानकारी मिल सके । मुझे इस बात की खुशी है कि गरीब लोग बच रहे हैं, गबन करने वाले और घोटाले करने वालों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है । इन सब पर कार्यवाही होने के बाद कुछ दिनों में या महीने में वहां पर चुनाव करवाये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें । मैं आपको बाद में अवसर दे दूंगा । यदुनाथ सिंह जी को एक पूरक प्रश्न ..

श्री यदुनाथ सिंह : मन्त्री महोदय ने बताया कि 94 प्रतिशत समितियां वहां पर डिफाल्टर हैं तो वह तो कानून के तहत चुनाव नहीं लड़ सकते थे । मन्त्री महोदय ने स्वयं ने माना है कि बेनामी खाते डालकर पैसा उठाया गया है । लोग जानते हैं कि उनमें गड़बड़ी हो रही है, वहां पर उनके खिलाफ शिकायतें हैं । लोगों से वसूली हो रही है उनकी जमीनें नीलाम की जा रही हैं, उनके लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, उस पर विचार कर रहे हैं, इसलिए तो चुनाव नहीं कराये हैं....

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम ।

श्री यदुनाथ सिंह : और जो वहां पर लोगों से वसूली हो रही है....

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं कह रहा हूं, आप सुनने की चेष्टा करें। माननीय सदस्य, करीब 5 करोड़ रुपये का लेखाजोखा देखा गया है। जहां जहां पर ऐसे काण्ड मिले हैं उन लोगों से वसूली रोक दी गयी है। जो लोग मय स्टाफ के सम्मिलित हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जिन सहकारी समितियों के चुनाव जनता सरकार के समय में हुए थे और जिनका कार्यकाल अब सितम्बर, अक्टूबर में समाप्त होने जा रहा है, उनके चुनाव करायेंगे ?

श्री रामपाल उपाध्याय : समय पर जब जरूरत होगी, निश्चित तौर पर, निश्चित समय पर चुनाव करायेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि उन सहकारी समितियों में चुनावों में अनियमितताए हुई हैं, जिनमें आपने अपने अध्यक्ष बनाये रखे ? आपकी पार्टी के लोगों को बनाये रखने के लिये उनकी वजह से गड़बड़ हुई है, क्यों कि उन्हीं लोगों को आप अध्यक्ष बनाये रखना चाहते हैं। व्यवस्थापक से मिलकर, अध्यक्ष महोदय, 345 वोटर नम्बर को 3047 करके उनका फार्म रिजेक्ट करवा दिया और निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। गड़बड़ियां जो हुई हैं, उनके लिये आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात कहनी है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं ?

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सदस्य को समुचित रूप से यह ज्ञात है और मैं आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि जो चुनाव हुए हैं, उन चुनावों के विरुद्ध 181 व्यक्तियों ने चुनाव याचिकायें प्रस्तुत की हैं, सक्षम अधिकारी के पास। उसके निर्णय के बाद ही पता चलेगा कि क्या गड़बड़ी हुई है। नम्बर दो, जिनके बारे में आपने जानकारी दी है तो मेरे पास इस प्रकार का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नम्बर 238 काफी महत्वपूर्ण है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री मोहनलाल मोदी : इस तरह से ....

(व्यवधान)

(२५)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 238 बहुत महत्वपूर्ण है सरकार कल चोरी से बजट रख कर चली गयी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। नियमों का ध्यान रखें.... सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं जो यहां पर आते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह प्रश्न कर्मचारियों के हित से जुड़ा हुआ प्रश्न है सरकार की नीति से संबंधित प्रश्न है। इसे स्थगित हो कर दें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न छोटा सा है। चुनाव याचिकाओं के बारे में मन्त्री महोदय ने कहा है, पर वहां पर चुनाव परिणाम घोषित किये जा रहे हैं....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा :.... अध्यक्ष महोदय, आप यह प्रश्न देख लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : यह राज्य कर्मचारियों से सीधा संबंध रखने वाला प्रश्न है, सरकार अपने वायदे से मुकर रही है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इससे काम नहीं चलेगा....

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय ने कहा कि चुनाव याचिका...

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकार अपने वायदे से....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक बार आप देख लें 238 नम्बर को।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक बार आप देख लें। महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : स्थगित कर दीजिये।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : मैंने सब पढ़ लिये हैं। मैं पढ़कर आता हूं। आप किसी अन्य तरीके से उठा सकते हैं। बजट पर या....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

तीर्थस्थल नाथद्वारा में विदेशी सुरा की दुकान का लाइसेन्स

162. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष नाथद्वारा में विदेशी शराब की दुकान का लाइसेन्स दिया गया था ?

(2) यदि हां, तो क्या यह सही है कि देश के प्रसिद्ध तीर्थस्थल नाथद्वारा में इससे पूर्व शराब के लाइसेन्स पर प्रतिबन्ध था ?

(3) यदि हां, तो किन कारणों से यह लाइसेन्स दिया गया ?

(4) क्या सरकार इस लाइसेन्स को रद्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी नहीं।

चूंकि वर्तमान में नाथद्वारा में कोई शराब की दुकान स्थित नहीं है, पूर्व में ही यह अन्यत्र स्थानान्तरित हो चुकी है।

मद्य निषेध समाप्ति उपरान्त देशी एवं विदेशी सुरा की दुकानों के जारी लाइसेन्स

163. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पूर्ण मद्य निषेध समाप्त होने के बाद देशी व विदेशी शराब की दुकानों के लाइसेन्स देने के बारे में सरकारी आज्ञायें क्या थीं ? आज्ञाओं की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या सरकारी आज्ञा के विपरीत कोई लाइसेन्स दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने व किन किन को दिये गये हैं व इसके क्या कारण हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में पूर्ण मद्य निषेध समाप्त होने के पश्चात् राज्य सरकार की नीति के अनुसार देशी मदिरा की दुकानें टेण्डर व नीलामी द्वारा दी गई। इसी प्रकार राज्य

(आबकारी मंत्री)

सरकार की नीति अनुसार भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दुकानें, जो मद्य निषेध के समय चल रही थीं, की अवधि दिनांक 31-3-82 तक बढ़ा दी गयी। तत्कालीन अनुज्ञाधारियों को राजस्थान फॉरेन लिकर (ग्रान्ट ग्राफ होलसेल एण्ड रिटेल लाइसेन्स) रूल्स, 1972 में निर्धारित प्रारम्भिक शुल्क के अनुसार अनुज्ञा पत्र दिये गये हैं। राज्य सरकार के निर्णय की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(राज्य सरकार के निर्णय के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

कन्या माध्यमिक विद्यालय नाथद्वारा को क्रमोन्नत करना

164. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नाथद्वारा में स्थित कन्या माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर जिले में सबसे पुराना विद्यालय है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इसे उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 10 जमा 2 को नवीन शिक्षा प्रणाली के परिप्रेक्ष में किसी भी माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक में संशोधन नहीं करने का राज्य सरकार का नीति निर्णय है।

जिला चित्तौड़गढ़ में खोले गये नवीन विद्यालय

165. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1981–82 में चित्तौड़गढ़ जिले में किन किन स्थानों पर नवीन विद्यालय खोले गये एवं किन किन स्थानों के विद्यालय क्रमोन्नत किये गये ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार ने जिला आयोजना समिति द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावों को आधार मानकर ही विद्यालय खोले एवं क्रमोन्नत किये हैं ? यदि हां, तो कृपया आयोजन समिति द्वारा प्रस्तावित विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1981-82 में चितौड़गढ़ जिले में खोले गये नवीन प्राथमिक विद्यालय को एवं प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत विद्यालयों की तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं, भवन की व्यवस्था, स्थानीय जनता की मांग एवं उपलब्ध साधनों को दृष्टि में रखते हुए 1981-82 में नये प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किये हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

20 संकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत बढ़िया शिक्षा की व्यवस्था

166. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीस संकल्पों के अन्तर्गत "बढ़िया शिक्षा।" के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या क्या समयबद्ध योजना है ?

(2) इस संकल्प के अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु कितने कितने धन की व्यवस्था की गई थी ? क्या उतना ही धन इन विद्यालयों के लिए आवंटित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) भरतपुर जिले में कौन कौनसे विद्यालयों को आदर्श विद्यालय बनाने की योजना है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें तथा 25 जनवरी, 1982 तक का प्रगति विवरण प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) बढ़िया शिक्षा के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालय का चयन किया गया है। प्रत्येक चयनित विद्यालय को 1981-82 में 500 रुपये मूल्य की टाट-पट्टियां, फर्नीचर उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। प्रत्येक विद्यालय को 1981-82 में 500 रुपये की पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में उन चयनित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये जिनमें भवन व्यवस्था अपर्याप्त है, भवन सुधार हेतु वर्ष 1981-82 में 134.00 लाख रुपये का प्रावधान भी किया गया है। माध्यमिक एवंम उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए पंचायत क्षेत्र को आधार नहीं माना गया है। राज्य में कुल 300 माध्यमिक विद्यालयों का एवंम 27 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया है।

(2) बढ़िया शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा हेतु 1981-82 में कुल 238.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों पर कुल 164.24 लाख रुपये का आवंटन किया गया है। टाट-पट्टियों, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री एवंम पुस्तकालय की पुस्तकों हेतु विद्यालय को धनराशि न दी जाकर केन्द्रीय खरीद के माध्यम से चयनित विद्यालयों को ये अतिरिक्त सुविधायें वर्ष 1981-82 में उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(3) भरतपुर जिले में चयनित विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

भरतपुर जिले में इस कार्यक्रम की प्रगति निम्न प्रकार है :—

1) टाट-पट्टियों के आदेश दिये जा चुके हैं।

2) छात्रावासों का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है।

3) प्राथमिक विद्यालयों के बने भवन सुधार की स्वीकृति जारी की चुकी है।

4) विज्ञान किट ज्यामिती किट के आदेश दे दिये गये हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें

(28)

जिला बीकानेर की प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को प्रदत्त आर्थिक अनुदान

167. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर जिले में कुल कितनी प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं ? उनमें से किस किस संस्थान को सन् 1980-81 व 1981-82 में कितनी राशि आर्थिक अनुदान व कितनी राशि आंशिक अनुदान की सरकार द्वारा दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

बीकानेर जिले में प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं निम्न प्रकार हैं :—

कालेज शिक्षा	3
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा	96
संस्कृत शिक्षा	1

9 संस्थाओं ने नियमानुसार अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं । अतः इन्हें अनुदान नहीं दिया गया है ।

सादू ल संस्कृत विद्यापीठ दिनांक 1-7-81 से राज्याधीन कर ली गयी है ।

इन संस्थाओं को वर्ष के अन्त में अन्तिमीकरण कर अनुदान स्वीकृत किया जाता है जिसकी सूचना वर्षवार चिन्ह "क", "ख", "ब", "ग", पर उपलब्ध है ।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

बीकानेर जिले में खोले जाने वाले प्राथमिक विद्यालय

168. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वित्तीय वर्ष 1981-82 में बीकानेर जिले में कहां कहां प्राथमिक विद्यालय खोलने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981-82 में राज्य में कुल 557 प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं ।

(2) वर्ष 1981-82 में बीकानेर जिलेमें 12 प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं जिनकी सूची संलग्न है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

कोटा में चावल की भूसी से तेल निकालने का कारखाना स्थापित करना

169. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम कोटा में चावल

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

की भूसी से तेल निकालने का कारखाना लगाने पर विचार कर रहा है ?

(2) यदि हां, तो इस कारखाने पर कितनी लागत आयेगी तथा कितना तेल प्रतिमाह निकाला जायेगा ? कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम ने कोटा में चावल की भूसी और लिन सीड व अन्य तिलहन की खली से तेल निकालने का कारखाना लगाने का निर्णय लिया है।

(2) इस कारखाने पर लगभग 62,98,700 रुपये की लागत आयेगी इससे करीब 100 टन प्रतिमाह तेल का उत्पादन होगा और 64 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

तहसील चौहटन (बाड़मेर) में धोरापाली कार्यक्रम का विस्तार

170. **श्री भगवान दास डोसी** (चौहटन): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चौहटन तहसील जिला बाड़मेर क्षेत्र में अब तक भू-संरक्षण कार्य हेतु धोरापाली के कितने कार्य किये गये हैं व इन पर कितना व्यय हुआ ?

(2) चौहटन क्षेत्र में धोरापाली कार्य को विकसित और अधिक बढ़ाने की कितनी संभावना है ?

(3) किसानों के लिए लाभदायक व महत्वपूर्ण इस धोरापाली योजना को और अधिक प्रभावी ढंग से कब तक लागू किया जायेगा ?

(4) सरकार द्वारा संयुक्त खातेदारों को कम्यूनिटी खडीन नहीं माने जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया गया है।

(2) फिलहाल कोई योजना नहीं बनाई गई है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 4 (43) वियो/7/77 दि. 11-5-81 के अनुसार दो या दो से अधिक काश्तकार, जो स्वयं के नाम से जमीन रखते हों और वे सामूहिक खडीन बनाने की सहमति दें तो उस भूमि पर खडीन बनाई जाती है।

जिला गंगानगर एवं बीकानेर की तहसीलों में सर्दी से मृत भेड़ों के पालकों को राहत

171. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सर्दी एवं सर्दी की वर्षा के कारण गंगानगर एवं बीकानेर की कुछ तहसीलों में बहुत सी भेड़ें मर गयी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हैं ? यदि हां, तो कितनी भेंडे मरी तथा क्या सरकार भेड़पालकों को कोई सहायता देने का विचार कर रही है ? यदि हां,तो क्या ?

उत्तर

जी हां । 3 व 4 नवम्बर, 1981 को सर्दी व वर्षा होने के कारण बीकानेर व गंगानगर जिलों में लगभग 50,000 भेडें मरी हैं । इन भेड़ों में जो भेडें नवीन पशुपालन योजना के अन्तर्गत क्रय करवाई गई थीं उनके 6 लाख रुपयों के बीमा क्लेम तैयार करवाये गये । इसमें से अब तक 1481 भेड़ों के लिए 1,44,300 रुपये दिलवाये जा चुके हैं ।

इसके अतिरिक्त सूचना मिलने पर विभाग द्वारा तुरन्त इलाज कर 3130 भेड़ों को बचा लिया गया । अन्य सहायता देने के लिए विभाग में कोई प्रावधान नहीं है ।

यदि भेड़पालक चाहें तो भेड़ क्रय करने के लिए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान एवं ऋण नियमानुसार दिया जा सकता है ।

जिला चित्तौड़गढ़ के पशु चिकित्सालयों के लिए भवनों की उपयुक्त व्यवस्था

172. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ के अन्तर्गत चलने वाले सभी पशु चिकित्सालयों के लिए चिकित्सा भवन उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो कृपया जिले के ऐसे पशु चिकित्सालयों की तहसीलवार सूची, जो राजकीय भवनों में नहीं चलते हैं, सदन की मेज पर रखें ।

(2) राज्य सरकार इन पशु चिकित्सालयों के लिए कब तक भवन की व्यवस्था कर देगी ?

(3) क्या यह सही है कि जनजाति क्षेत्र प्रतापगढ़ तहसील के पशु चिकित्सालयों के लिए, जहां भवन नहीं है वहां सरकार भवन निर्माण कराना चाहती है ? यदि हां, तो कहां कहां ?

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ के अन्तर्गत 17 पशु चिकित्सालय, 13 पशु औषधालय कार्यरत हैं, जिनमें 8 राजकीय निर्मित भवनों में, 11 सम्बन्धित पंचायत द्वारा उपलब्ध भवनों में, 11 किराये के भवनों में स्थापित हैं । किराये के भवनों में कार्यरत पशु चिकित्सा संस्थाओं की सूची संलग्न है ।

(2) धनाभाव के कारण अभी संभव नहीं है ।

(3) जनजाति क्षेत्र प्रतापगढ़ मुख्यालय पर स्थित सभी संस्थाओं, ग्राम आधार योजना, पशु चिकित्सालय, चल पशु चिकित्सा इकाई एवं चारा प्रदर्शन केन्द्र के भवन निर्माणाधीन हैं ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

दुग्ध मार्गों पर स्थित ग्रामों में शल्य चल पशु चिकित्सा इकाई के माध्यम से पशुओं का उपचार

173. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति नागौर एवं पंचायत समिति मूण्डवा जिला नागौर की दुग्ध सहकारी समितियों का नाम एवं उनके दूध की मात्रा का विवरण अप्रेल, 1980 से जनवरी, 1982 तक का सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या दुग्ध मार्गों पर स्थित गांवों में, शल्य चल पशु चिकित्सा इकाई के माध्यम से पशुओं का निःशुल्क इलाज किया जाता है ? यदि हां, तो ग्राम भेड़ चावण्डीया, माडपुरा, आचीणा एवं पाचना सिद्धा, जिला नागौर में पशु चिकित्सक कौन कौन सी तारीखों को गये और कितने कितने पशुओं का इलाज किया ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अवशीतन केन्द्र नागौर क्षेत्र में अक्टूबर, 1980 से दूध संकलन प्रारम्भ किया गया। जिला नागौर की पंचायत समिति नागौर एवं मूण्डवा की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों व उनसे माह अक्टूबर, 1980 से जनवरी, 1982 तक प्राप्त दूध की मात्रा का विवरण संलग्न है। पूर्व में इस क्षेत्र की पांच समितियों से दूध संकलन कर मेड़ता अवशीतन केन्द्र पर ले जाया जाता था। इन समितियों से प्राप्त दूध का विवरण भी अप्रेल, 1980 से सितम्बर, 1980 तक संलग्न है।

(2) दुग्ध मार्गों पर स्थित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति स्तर पर चल पशु चिकित्सा इकाई के माध्यम से पशुओं का निःशुल्क इलाज किया जाता है, ग्राम भेड़ चावण्डिया, माडपुरा, आचीणा एवं पाचना सिद्धा में जिन तारीखों को पशु चिकित्सक गए एवं जितने पशुओं का इलाज किया उसका विवरण सलंगन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

पंचायत समिति खमनोर (नाथद्वारा) में पशु चिकित्सालयों की समुचित व्यवस्था

174. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र नाथद्वारा की पंचायत समिति खमनोर में पशु चिकित्सालय पर्याप्त संख्या में नहीं हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार पंचायत सायों का खेड़ा, पंचायत गांवगुडा, पंचायत विजनोल में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्ष 82–83 के बजट प्रावधान

32

(पशुपालन मंत्री)

होने पर ही विचार किया जाना सम्भव होगा।

नाथद्वारा में सहकारी स्पिनिंग मिल की स्थापना

175. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि नाथद्वारा में सहकारिता पर आधारित बोर्ड |उद्योग संस्थान स्थापित नहीं है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार नाथद्वारा में सहकारी स्पिनिंग मिल स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां. तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। क्योंकि नाथद्वारा अथवा उसके पास के क्षेत्र में कपास का वांछित मात्रा में उत्पादन नहीं होता।

पंचायत समिति सुल्तानपुर (कोटा) में सहकारी बैंकों के माध्यम से ट्रेक्टर क्रय हेतु प्रदत्त ऋण की वसूली

176. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) व **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर में किन किन व्यक्तियों को सहकारी बैंकों के माध्यम से कब कब ट्रेक्टर दिलाए गये ?

(2) उक्त ट्रेक्टर प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर कितनी कितनी धनराशि किन किन में कब कब से बकाया चल रही है ?

(3) उसे वसूल करने हेतु कब कब क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(4) समय पर ऋण जमा न करने पर किन किन व्यक्तियों के ट्रेक्टरों को कब कब नीलाम किया गया व उससे कितनी धनराशि वसूल हुई ? ट्रेक्टरों के बेचान के बावजूद भी अब किन पर कितनी कितनी धनराशि बकाया है व उसे वसूल करने का क्या क्या प्रयास विभाग द्वारा किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर के 49 व्यक्तियों को सहकारी भूमि विकास बैंक लि. कोटा से ऋण स्वीकृत कर ट्रेक्टर उपलब्ध कराये गये हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) बकाया राशि की वसूली के लिए जो कार्यवाही की गयी है उसका विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(4) समय पर ऋण जमा न कराने पर केवल तीन व्यक्तियों के ट्रेक्टरों को कुर्क कर नीलाम किया गया जिससे कुल

(सहकारिता मंत्री)

25,650/–रुपये की धनराशि वसूल हुई है इसके पश्चात् जो राशि बकाया रह गई है उसकी वसूली हेतु राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 106 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। विवरण संलग्न परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

सहकारिता के क्षेत्र में प्रोसेसिंग प्लान्ट्स लगाने की योजना

177. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चालू वर्ष में राज्य में सहकारिता के क्षेत्र में 50 प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की योजना है ?

(2) यदि हां, तो इन पर कितना खर्च आयेगा तथा ये कहां कहां लगाये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। चालू वर्ष में राज्य में सहकारिता के क्षेत्र में 5 माल सवार इकाइयां लगाने का प्रावधान है।

(2) उपरोक्त पांच इकाइयों पर अनुमानित लागत 71 लाख रुपये होगी। ये इकाइयां सुमेरपुर, गंगापुर, सिरोही, विजयनगर एवं चाकसू स्थानों पर लगाई जायेंगी।

राज्य को आवंटित खाद्य तेल

178. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को वर्ष 1980 से जनवरी, 1982 तक कितनी मात्रा में खाद्य तेल दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान को अन्य राज्यों की तुलना में कम तेल दिया जाता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980 से जनवरी, 1982 तक केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को कुल 5,436 टन आयातित खाद्य तेल आवंटित किया गया है।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा अन्य राज्यों को आवंटित किये गये खाद्य तेल की जानकारी राज्य सरकार को नहीं होने के परिणामस्वरूप यह जानकारी दिया जाना सम्भव नहीं है कि राजस्थान को अन्य राज्यों की तुलना में खाद्य तेल कम दिया गया है अथवा नहीं। राज्य सरकार अधिक खाद्य तेल दिये जाने हेतु भारत सरकार को समय-समय पर अपने स्तर से लिखित एवं व्यक्तिगत सम्पर्क कर निवेदन करती रही है।

मंदिरों की सेवा पूजा हेतु यथेष्ट धनराशि की व्यवस्था

179. **श्री हीरा लाल आर्य** (पीपल्दा) : एवं **श्री दाऊदयाल जोशी** : (दीगोद) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हीरालाल आर्य एवं दाऊदयाल जोशी)

(1) राज्य में कुल कितने मंदिर हैं जिन्हें सरकार सेवा पूजा के लिये राशि देती है ?

(2) उक्त मंदिरों की सेवा पूजा के लिए प्रतिवर्ष कुल कितनी रकम दी जाती है ? क्या उक्त रकम पर्याप्त है ?

(3) क्या राज्य सरकार मंदिरों की ठीक से पूजा हो सके इसके लिए दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी करेगी ?

उत्तर

(1) राज्य में राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार, 205, राजकीय आत्मनिर्भर 403, राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी 10447 एवं सहायता प्राप्त तथा 54438 वार्षिकी प्राप्त मन्दिर हैं जिनको सेवा पूजा के लिये राशि दी जाती है।

(2) सेवा पूजा एवं भोगराग हेतु लगभग 5,00,000) रु० प्रत्यक्ष प्रभार मद से, 4,32,000) रु. सहायता मद से तथा– 18,25,000) रु० शास्वत वार्षिकी के मद से राशि दी जाती है जो पर्याप्त है।

(3) राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड का पुनर्गठन

180. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड के सदस्यों की समयावधि समाप्त हो गई है ? यदि हां, तो कबसे ?

(2) क्या सरकार टेम्पल बोर्ड का पुनर्गठन करना चाहती है ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या टेम्पल बोर्ड में जन प्रतिनिधि को भी सदस्य बनाने का सरकार का विचार है ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में टेम्पल एक्ट में संशोधन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 21-3-81 को मंदिर मण्डल के समस्त सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो चुका है।

(2) जी हां। प्रकरण विचाराधीन है।

(3) नाथद्वारा मंदिर अधिनियम, 1959 एवं नाथद्वारा मंदिर नियम, 1973 के अनुसार केवल हिन्दू धर्म के पुष्टिमार्गीय वल्लभ सम्प्रदाय के विशिष्ट व्यक्तियों को ही मंदिर मण्डल का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। यदि जन प्रतिनिधि भी उक्त सम्प्रदाय से हों तो नियमानुसार उन्हें भी नियुक्त करने पर विचार किया जा सकता है।

(4) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

35

जिला बीकानेर में अनिवार्य वस्तुओं के वितरण की दुकानें

182. **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बीकानेर में आवश्यक वस्तुओं के वितरण की कितनी दुकानें किन किन स्थानों पर खुली हुई हैं ?

(2) इसमें कितनी दुकानें सहकारी समितियों के पास तथा कितनी निजी व्यक्तियों के पास हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) वर्ष 1980-81 व 1981-82 में बीकानेर जिले को कितना कितना गेहूं, चीनी, कपड़ा व सीमेंट का कोटा आवंटित किया गया है ? तहसीलवार विवरण कृपया सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) बीकानेर में आवश्यक वस्तुओं के वितरण की दुकानें निम्नानुसार खुली हुई हैं :—

बीकानेर, गंगाशहर व भीनासर	105
तहसील बीकानेर	54
तहसील लूणकरणसर	34
तहसील नोखा	70
तहसील कोलायत	32

(2) सहकारी समितियों एवं निजी व्यक्तियों के पास उचित मूल्य की दुकानों की सूची संलग्न है । (ध्वज-क)

(3) सूची संलग्न है (ध्वज-ख)

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

जिला बीकानेर को सीमेन्ट के कोटा का आवंटन

183. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले को जनवरी, 1981 से जनवरी, 1982 तक सीमेन्ट का कुल कितना कोटा माहवार मिला ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) सीमेन्ट का कोटा आवंटन का क्या मापदण्ड है ?

(3) कुल आवंटित कोटे में से गंगाशहर, भीनासर, देशनोक, बीकानेर शहर व चारों तहसील-नोखा, कोलायत, लूणकरणसर व बीकानेर को कितना सीमेंट का कोटा उपरोक्त समयावधि में आवंटित किया गया ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) वर्ष 1976 को सीमेन्ट के उपभोग का आधार मानते हुए केन्द्र सरकार से प्राप्त सीमेंट आवंटन में से आनुपातिक

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री)

प्रणाली से आवंटन किया जाता है। उक्त आवंटन करते समय जिले की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास एवं निर्माण कार्यों को दृष्टिगत रखा जाता है।

(3) किये गये आवंटन की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

चित्तौड़गढ़ में उचित मूल्य की दुकानों पर वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था हेतु गठित कमेटी

184. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा जनवरी, 1981 में उचित मूल्य की दुकानों पर उचित मूल्य की वस्तुएं नियमानुसार डीलर्स द्वारा वितरण की जाती रहे, अनियमितता नहीं हो इसके लिये प्रतापगढ़ तहसील में एक उपभोक्ता कमेटी बनाई गयी थी ?

(2) यदि हां, तो इस कमेटी की अब तक कितनी बार बैठकें हुई ? बैठकें नहीं होने के क्या कारण हैं तथा कमेटी द्वारा दी गयी राय की पालना किस प्रकार की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कोई तात्कालिक समस्या दृष्टिगोचर नहीं होने से उक्त समिति की बैठक नहीं बुलाई गई।

पीपल्दा क्षेत्र में किये गये विकास कार्य

185. **श्री हीरा लाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

ग्राम विकास अभिकरण द्वारा पीपल्दा क्षेत्र में किये गये विकास कार्य एवं अन्य कार्यक्रमों की विस्तृत सूची, काम के नाम व स्थान जहां किया था, की विस्तृत सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

पंचायत राज संस्थाओं को प्रभावशाली बनाना

186. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार पंचायत राज संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की परिभाषा में मानने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(2) क्या सरकार पंचायत राज सेवा का गठन करने का विचार कर रही है ?

(3) क्या सरकार पंचायत राज कर्मचारियों को अन्य राज्य कर्मचारियों के समान वित्तीय एवं प्रशासकीय सुविधाएं देने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार वरिष्ठ एवं कनिष्ठ लिपिकों के पद पुनः सृजित कर पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को पुनः मजबूत बनाने का विचार रखती है ?

(5) क्या सरकार हर पंचायत को एक ग्रुप सचिव देने का विचार रखती है ?

(6) क्या सरकार न्याय पंचायतों एवं न्याय उप-समितियों को अधिकार सम्पन्न बना कर नये-नये अधिकार देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। क्योंकि पंचायत राज संस्थाएं; स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं। अतः उनके कर्मचारियों की राज्य सरकार के कर्मचारियों को परिभाषा में मानने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(2) जी नहीं।

(3) इस बारे में विचार किया जा रहा है।

(4) पंचायत समितियों में कनिष्ठ लिपिक व वरिष्ठ लिपिक के पदों की संख्या में बढ़ोतरी किये जाने का मामला विचाराधीन है।

(5) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(6) न्याय उप समितियों के बजाय न्याय पंचायतें गठित करने तथा उन्हें अधिक अधिकार देने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

पंचायत समिति चेचट में पोषाहार केन्द्र खोलना

187. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमंडी) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह है कि पंचायत समिति चेचट में पोषाहार केन्द्र प्रारम्भ करने के लिये सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है ? यदि हां, तो पोषाहार केन्द्र कबसे प्रारम्भ कर देगी ?

(2) क्या सरकार अक्टूबर-दिसम्बर, 1981 से ही उक्त केन्द्र प्रारम्भ करने वाली थी ? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला उदयपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिये स्वीकृत धनराशि का उपयोग

188. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि उदयपुर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिये सत्र 1980-81 में राज्य सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की गई थी ?

(2) यदि हां, तो कितनी राशि एवं कितनी राशि का उपयोग किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1980-81में उदयपुर जिले को 34,60,500 रुपये की राशि का आवंटन किया गया ।

इसमें से ग्रामीण व्यय हेतु 29 लाख रुपये व मजदूरी व्यय हेतु 5 लाख 60 हजार 500 रुपये एवं 1400 मै. टन खाद्यान्न के रूप में दिया गया । इस जिले में वर्ष 80-81 में 3,50,000 रुपये सामग्री व्यय पर व्यय किया गया एवं 4 लाख रुपये मजदूरी व्यय पर खर्च किया तथा 350 मै. टन खाद्यान्न के रूप में उपयोग किया गया ।

भू जल विभाग द्वारा तहसील बाड़मेर व शिव तथा जिला जैसलमेर के ग्रामों का सर्वेक्षण

189. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या भू-जल विभाग द्वारा तहसील बाड़मेर के ग्राम चाड़ार, गंगाला, अभेकापार, चांदीकापार, सज्जन का पार, कसूम्बला महेचान व शिव तहसील के ग्राम डाबड़, मेदूसर जोरानाडा, नेगरड़ा, उनरोड़ की सर्वे हुई है ? यदि हां, तो उनका क्या परिणाम रहा ?

(2) क्या जिला जैसलमेर की तहसील के ग्राम कपूरीया, रीवड़ी, मंडाई, कोडीयासर, तेजमालता, देवड़ा, चलैक का सर्वे हुआ है ? यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

उत्तर

(1) जी हां । बाड़मेर तहसील के ग्राम चाडार, गंगाला, अभेकापार, चांदीकापार एवं शिव तहसील के ग्राम मेदूसर, नेगरड़ा एवं उनरोड़ का भू-जल सर्वेक्षण किया गया है जिसके परिणाम का विवरण परिशिष्ट "ए" पर सलंग्न है । बाड़मेर तहसील के ग्राम सज्जन का पार, कसूम्बला, महेचान एवं शिव तहसील के ग्राम डाबड़ तथा जोरानाड़ा का सर्वेक्षण अभी नहीं किया गया है ।

(2) जी हां । जैसेलमेर तहसील के

(भू-जलमंत्री)
ग्राम कपूरीया, रीवड़ी, मंडाई, कोडी-यासर, तेजमालता, देवड़ा, चलॅक का भू-जल सर्वेक्षण किया गया है। जिसके परिणाम का विवरण परिशिष्ट "दो" पर सलंग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

भूमि जल निगम की स्थापना :

190. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या भू-गर्भ जल विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार राज्य में भूमि जल निगम की स्थापना पर विचार कर रही है ?

(2) प्रारम्भिक दौर में किन किन जिलों का सर्वेक्षण किया जायेगा ?

(3) निगम को स्थापित करने में तथा सर्वे करने में कितना रुपया व्यय होगा ?

उत्तर

(1) जी हां। 'राजस्थान राज्य नलकूप सिंचाई निगम' की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) इस निगम के द्वारा सर्वेक्षण किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। वरन् राज्य के 6 जिलों (अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, सीकर, झुन्झुनू एवं जयपुर) में राजकीय नलकूप निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है, जिनके द्वारा सिंचाई हेतु भू-जल उपलब्ध कराने का विचार है।

(3) प्रस्तावित निगम की स्थापना हेतु वर्ष 1982-83 से 1988-89 (सात वर्ष) की अवधि के लिए रेकरिंग मद में रुपये 44.205 करोड़ एवं नान रेकरिंग मद में रुपये 62.041 करोड़ इस प्रकार कुल रुपये 106.246 करोड़ की अनुमानित धनराशि का व्यय प्रस्तावित है। सर्वे करने हेतु इस राशि में कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि सर्वे का कार्य निगम के कार्य क्षेत्र में रखा जाना प्रस्तावित नहीं है।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री लक्ष्मण सिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य को श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष : शोकाव्यक्ति।

इस विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, माननीय लक्ष्मण सिंह शक्तावत का निधन हो गया है। श्री शक्तावत 1952 में अजमेर विधान सभा के सदस्य चुने गये थे और जब अजमेर का विलीनीकरण राजस्थान के साथ हुआ तो वे इस सभा के सदस्य बन गये थे। अच्छे वकील थे, अच्छे समाज सेवी, कार्यकर्ता थे। जब तक वे इस सभा में रहे उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने की पूरी कोशिश की।

हमें हार्दिक खेद है कि वे अपने बीच में नहीं रहे। मैं उनके शोक सन्तप्त परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता हूं। आप सबकी ओर से और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को वह शांति प्रदान करें और उनके शोक सन्तप्त परिवार को इस महान् दुख को झेलने की शक्ति दें।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि

(श्री अध्यक्ष :)

वे दो मिनट अपने स्थान पर श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(दो मिनट मौन रह कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

सदन ने स्थान ग्रहण करें ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) **श्री महाराम चौधरी**, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति नागौर तथा पंचायत समिति मूण्डवा के लघु सीमान्त कृषकों तथा अनुसूचित जाति के दस्तकारों तथा मजदूरों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण व अनुदान न देने के सम्बन्ध में,

(2) **श्री कनराज मेहता**, सदस्य, विधान सभा की ओर से सांचौर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में गत माह से डॉक्टर का पद रिक्त रहने के सम्बन्ध में,

3. **श्री मोहनलाल मोदी**, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका के चुनावों के सिलसिले में गत 13 फरवरी को नीम का थाना के कुछ हरिजन मतदाताओं के साथ की गई मारपीट के सम्बन्ध में,

4. **श्री बंशीलाल पटवा**, सदस्य, विधान सभा की ओर से महात्मा गांधी अस्पताल, भीलवाड़ा में एक डॉक्टर द्वारा विकलांगों को आवश्यक प्रमाण पत्र जारी न करने के विषय में,

5. **श्री जीतमल जैन**, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर के बजाज बाजार में त्रिपोलिया का भवन जीर्ण-शीर्ण हो जाने की घटना के विषय में,

(6) **श्री देवीसिंह भाटी**, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 5 फरवरी को ग्राम प्रागपुरा, जिला जयपुर में श्रीमती किरण की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो जाने के विषय में,

(7) **श्री भगवान दास शास्त्री**, सदस्य, विधान सभा की ओर से मेडिकल कालेज, अजमेर के प्राचार्य, डॉक्टर मैत्रेय के स्थानान्तरण की माग को लेकर अजमेर में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जाने के सम्बन्ध में,

(8) **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी**, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 2 मार्च को भरतपुर जिले के डीग उपखण्ड के ग्राम सिनसिनी में लगभग 20 सशस्त्र डकैतों द्वारा की गई डकैती व लूट की घटना के विषय में,

(9) **श्री कैलाश मेघवाल**, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर के केन्द्रीय आदर्श कारागृह में वहां के कैदियों द्वारा जेल अधिकारियों के सहयोग से बाल अपराधियों के साथ अभद्र व्यवहार करने की घटना के सम्बन्ध में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) **श्री दाऊदयाल जोशी**, सदस्य, विधान सभा की ओर से सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी की परीक्षाओं के लिए कोटा में कैथून, आलनिम व मण्डाना नामक स्थानों में स्थित परीक्षा केन्द्र परीक्षार्थियों के लिए असुविधाजनक होने के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

(11) **श्री रघुवीर सिंह कौशल**, सदस्य, विधान सभा की ओर से बारां नगर में आवासन मण्डल की निर्माण योजना को क्रियान्वित न करने के विषय में।

उक्त प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों से सम्बन्धित नहीं हैं। अत : मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(12) सर्वश्री हीरालाल आर्य, अनंग कुमार जैन, बालचन्द्र आर्यवीर, रामकिशोर मीणा, रामकंवार बैरवा, नन्दलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आरक्षण न देने, बेरोजगारी भत्ता समाप्त करने व डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म दिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित न करने के सम्बन्ध में।

इस प्रस्ताव में एक से अधिक विषय उठाये गये हैं और ये विषय हाल ही में घटित किसी घटना से सम्बन्धित नहीं हैं। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है : —

(1) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी व श्री नाथूसिंह : सोम कामला अम्बा बांध पर मिट्टी ढह जाने से श्रमिकों की मृत्यु।

सरकार ने सूचित किया है कि इस दुर्घटना में 8 श्रमिकों की मृत्यु हुई है और मृत श्रमिकों के परिवारों को दो हजार रुपये की सहायता व घायल श्रमिकों में से प्रत्येक को 200 रुपये की सहायता दी गई है।

(2) श्री **कमलेन्द्रसिंह** : उदयपुर नगर के अलीपुरा मोहल्ले में रेजीडेन्सी मस्जिद, की भूमि पर हुए अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इस भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया और न ही इसके बारे में कोई कानूनी विवाद है।

(3) **श्री चुन्नीलाल** : गत 8 फरवरी को जिला सवाई माधोपुर तहसील बौंली में ऐदलकी के मेले में असामाजिक तत्वों द्वारा लूटपाट।

सरकार ने सूचना दी है कि इस घटना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अन्वेषण जारी है।

(4) **श्री घनश्याम तिवाड़ी एवं सुश्री पुष्पा जैन** : गत 24 फरवरी की रात को धौलपुर से 15 किलोमीटर दूर बिसनोवा ग्राम में होस्ट मास्टर श्री रामनिवास एवं उनकी पत्नी की डकैतों द्वारा हत्या।

सरकार ने सूचित किया है कि यह डकैती मथुरा जिले के कुछ डकैतों द्वारा डालीगई है और इसमें डकैतों की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक प्रयास किये जा रहे हैं और अन्वेषण जारी है।

(5) **श्री मोहनलाल मोदी** : गत 18 फरवरी को पुलिस थाना प्रागपुरा निर्वाचन क्षेत्र नीम का थाना में श्रीमती कमला किरण देवी की हत्या।

सरकार ने सूचित किया है कि इस घटना के अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दो व्यक्ति फरार हैं, अभियोग का अन्वेषण जारी है।

(6 श्री बन्नीलाल पटवा : भीलवाड़ा स्थित मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के श्रमिकों को नौकरी से पृथक करना।

(श्री अध्यक्ष)

सरकार ने सूचित किया है कि किसी भी श्रमिक को सेवा से पृथक नहीं किया गया है और श्रमिकों को कार्यभार भी निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ही है।

(7) **श्री जीतमल जैन** : अलवर स्थित बैकन फैक्ट्री में पशुओं का वध ठीक ढंग से न होने के विषय में।

सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस फैक्ट्री में भेड़, व बकरी आदि का वध स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुभवी लोगों से कराया जाता है और किसी प्रकार का अस्वास्थ्यकर वातावरण नहीं है।

(8) **श्री देवीसिह भाटी** : राजस्थान नहर की विरसलपुर ब्रान्च में 3 व्यक्तियों के डूब कर मर जाने के सम्बन्ध में।

सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार पिछले वर्ष आर. डी. 59 पर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, कारण अज्ञात हैं। आर. डी. 45 पर दो व्यक्तियों की मृत्यु तेज बहाव के कारण हुई। इस वर्ष के अन्त तक खेलियां बन जायेंगी और उसके बाद दुर्घटनाओं में कमी होने की सम्भावना है।

उपरोक्त आधारों पर इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

इन स्थगन प्रस्तावों को व्यवस्था में सम्मिलित नहीं किया गया है :—

(1) **श्री राम कंवार बैरवा** : जयपुर कोटा रोड पर शीलमाता बांध पर पुलिया का काम पूरा न होने के विषय में। माननीय सदस्य ने एक स्थगन प्रस्ताव और दिया है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है।

(2) **श्रीमती उजला अरोड़ा** : जयपुर की श्री लक्ष्मीनारायणपुरी में बाढ़ की क्षति।

इस विषय पर माननीय सदस्या ने दिनांक 2-3-82 को भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, जिस पर राज्य सरकार से जानकारी मंगवाई जा रही है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीमती उजला अरोड़ा (उदयपुर ग्रामीण) : वह बिलकुल अलग से स्थगन प्रस्ताव था। यह पूरा नहीं पढ़ा गया है। दिक्कत यह है कि यह बिलकुल अलग है। यहां नागतलाई के नाले का बांध टूटा है और उसके मकान गिरे हैं और इस साल और गिर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी, सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी की परीक्षाओं के लिए कोटा में कैथून, आलनिया व मण्डाना नामक स्थानों में स्थित परीक्षा केन्द्र परीक्षार्थियों के लिए सुविधाजनक न होने के विषय में।

व्यवस्था का प्रश्न

विधानसभा सदस्यों में विधान सभा परिसर में मारपीट

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : पाइन्ट आफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय, मेरे को और इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों को किसी भी क्षण इस सदन से बाहर निकलते ही बेइज्जत किये जाने का खतरा है। पहले भी यह घटना हुई है और कल फिर यहां यह घटना हुई। यहां एक मंत्री और

(श्री यदुनाथ सिंह)

विधायक में बुरी तरह मारपीट हुई है। यह विधान सभा परिसर में होता है। इस से सदन की प्रतिष्ठा गिरती है। इस पर आप, अध्यक्ष महोदय, अपनी व्यवस्था दें। पहले मंत्री और विधायकों में झगड़ा हुआ है और फिर कल हुआ है जिससे माननीय सदस्यों को भय है कि किसी भी क्षण, कोई भी आदमी हमें बेइज्जत कर सकता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : कल बजट भाषण समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् एक मंत्री श्री कंवरिया जो हैं, उनके, भैरू सिंह गुर्जर ने थप्पड़ बाहर निकलते ही मारा है। हमारे ही मार दें आपके संरक्षण में......

श्री अध्यक्ष : खतरा है या कहीं पर व्यवस्था नहीं की हुई है तो उसकी सूचना माननीय सदस्य लिखित में दें।

(व्यवधान)

श्री नश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, बार बार होता है यह।

एक माननीय सदस्य : यह बिलकुल गलत बात है। थप्पड़ की बात स्वाभाविक नहीं थी। भैरू सिंह गुर्जर ने माननीय मंत्री महोदय के

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस तरह की घटना घटी हो या नियमों की अवहेलना हुई हो तो कृपया ऐसी चीजें लिखकर दें जिससे घटना की जांच हो सके। इस पर चर्चा की इजाजत किसी को भी नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य आप इस सदन के नियमों से परिचित हैं, कृपया नियमानुसार कार्यवाही करें।

(व्यवधान)

आॅर्डर, आॅर्डर प्लीज, आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य.......

(व्यवधान)

और इससे पहले कुछ नहीं कह सकता हूं,......

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज........

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। श्री दाऊदयाल जोशी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया समय का ध्यान रखें

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि इसका स्पष्टीकरण देना चाहिये मंत्री महोदय को

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किसी का स्पष्टीकरण नहीं होगा, सदन के समक्ष कुछ नहीं

(श्री अध्यक्ष)

हुआ ....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें, बाधा उपस्थित नहीं करें,

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें, इस तरह के विवाद को पहले, बिना ग्रासन को पूर्व सूचना, नहीं दें —

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): ग्रध्यक्ष महोदय,.....—

(व्यवधान)

कैसी दुर्घटना हुई, क्यों हुई, स्वास्थ्य मंत्रीजी के साथ ऐसी वारदात हो जाये इसके पीछे क्या बैक ग्राउण्ड है,.......

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर, ग्रॉर्डर। ग्राप फर्मा रहे हैं माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी।

(व्यवधान)

ग्रंकित न हो।

विपक्ष के माननीय नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): ग्रध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में यह सब ग्राते हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : सब ग्राते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें कोई भी सीधा झगड़ा होगा तो उस झगड़े के सम्बन्ध में, मैं तो ऐसा समझता हूं कि सदन के सचिवालय की तरफ से, ग्रापके माध्यम से, ग्रापके पास जानकारी ग्रानी चाहिये, एक चीज। वह जानकारी इसलिए दी जानी चाहिये, ग्रध्यक्ष महोदय, कि सदन में कोई भी दुर्घटना हो जाय, उस दुर्घटना पर एक्शन नहीं ले, मैं नहीं कहता कि सदन एक्शन ले या नहीं लें, पहला कारण तो यह है कि ग्रासन को उसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिये। मैं यह जानकारी करना चाहता हूं, इस घटना के बारे में........

श्री ग्रध्यक्ष : कोई दुर्घटना नहीं हुई उस सम्बन्ध में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस विषय में ग्रासन की तरफ से कोई कार्यवाही क्यों नही की गई यह मेरा एसपर्सन है ....

श्री ग्रध्यक्ष : मेरा नम्र निवेदन है कि ग्रासन से सीधे यहां कोई प्रश्न पूछे नहीं जा सकते। यहां पर जो कुछ भी सदन की परिसीमा में होता है, उसकी व्यवस्था करने का ग्रासन का ग्रौर सदन का काम है ग्रौर इस सदन की तरफ से मुझे ग्रधिकृत किया

(श्री अध्यक्ष)
गया है। लेकिन जहां कोई भी ऐसा विवाद या घटना सामने घटित हो जाय, उस स्थिति में, मैं उसका काग्नांजेन्स तुरन्त ले सकता हूं लेकिन मेरे सामने घटित नहीं हुई है, माननीय सदस्य इस प्रश्न को यहां उठाना चाहते हैं, वही माननीय सदस्य लिखकर क्यों नहीं देते....

(व्यवधान)

आप तो सब नियमों की जानकारी रखते हैं, बिना लिखित शिकायत पर क्या कार्यवाही करें ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं वही निवेदन करना चाहता हूं कि नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर

श्री भैरोंसिह शेखावत : कहीं सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन होता है, आवश्यक नहीं है कि सदन के माननीय सदस्य जब विशेषाधिकार उल्लंघन का प्रस्ताव रखें उस समय ही कार्यवाही की जाय। अध्यक्ष महोदय स्वतः अपनी तरफ से कार्यवाही नहीं कर सकते ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, आप नियमों से परिचित हैं, यदि सदन के समक्ष कोई घटना हो, कोई विशेषाधिकारों का हनन हो जाय, तब उस स्थिति में तो काग्नजिन्स लिया जा सकता है,....

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं....

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप पढ़कर देख लीजिये। आप स्वयं अच्छी तरह से परिचित हैं कि यदि कोई दुर्घटना हो जाय, उसका इलाज तो एक ही है, विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव के माध्यम से उसकी जानकारी अध्यक्ष को देनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में पुलिस का प्रवेश नहीं हो सकता, सदन में मजिस्ट्रेट प्रवेश नहीं कर सकता, कोई यदि काग्नांनिजेवल आफेन्स होता है, दुर्घटना हो जाती है तो उसका काग्नांजेन्स कौन लेगा ? सदन का अध्यक्ष लेगा, और सबसे पहले काग्नजिन्स लेगा यदि झगड़ा हो जाय......

श्री अध्यक्ष : झगड़े की परिभाषा क्या हुई ? बाहर के झगड़े और यहां के झगड़े, दुनियां तो यही समझ लेती है कि यहां कोई झगड़ा हो रहा है, कोई पाइन्ट क्लियर करा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है....

(व्यवधान)

श्री भंवरसिह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, बुनियाद है।

श्री अध्यक्ष : सदन के नियम हैं, विपक्ष के माननीय नेता महोदय बोल रहे हैं, सदन के कुछ नियम हैं।

श्री भैरूसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कोई पाइन्ट क्लियर नहीं कराना चाहते और कोई स्वयं को हैडिंग नहीं चाहते हैं। जो दुर्घटना हुई उस दुर्घटना की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किसने की और किसने नहीं की, मैंने देखा नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लेकिन अगर सदन में इस प्रकार की घटना होती है, सदन के अन्दर, सदन में मारपीट होती है, काग्निजिबल ऑफेन्स होता है उसकी काग्निजेन्स कौन लेगा ? माननीय सदस्य उसका काग्निजेन्स नहीं लेते ।

श्री अध्यक्ष : मैं ऐसी स्थिति पर विचार करूंगा ।

श्री भंरूसिंह गुर्जर (खारची) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट मे स्पष्ट कर दूं। निवेदन है कि कल ज्यों ही बजट भाषण समाप्त हुआ, उसके बाद विपक्ष की ओर से कुछ आरोप लगाये गये, जो बेबुनियाद हैं । विरोधी पक्ष के नेता खड़े थे, माननीय श्री नरेन्द्र सिंह जी भाटी खड़े थे, माननीय श्री प्रद्युम्नसिंह जी खड़े थे, माननीय श्री शीशराम जी ओला खड़े थे और इस सदन के कम से कम 50 माननीय सदस्य वहां पर खड़े थे, मैंने मात्र, कंवरिया साहब से, क्योंकि भीड़ काफी थी, आवाज नहीं आ रही थी इसलिए जोरदार शब्दों में बात जरूरी की थी, उस बात को लेकर झूठा बवंडर खड़ा किया जा रहा है, जो बिलकुल बेबुनियाद है। इसके लिए इनको प्रताड़ित किया जाय, ऐसी कोई बात नहीं है ।

(व्यवधान)

यह तो बहुत बड़ा झूठ है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य, इस पर विवाद नहीं होगा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सदस्य ने झूठ बोला है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, श्री दाऊदयाल जोशी ।

(व्यवधान)

यह नहीं होगा, माननीय, सदस्य नियमों का ध्यान रखें ।

(व्यवधान)

आप अपना भाषण प्रारम्भ कीजिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी ।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह : जब तक मन्त्री महोदय स्पष्टीकरण नहीं देंगे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी ।

(व्यवधान)

श्री भंरूसिंह गुर्जर : आपको शर्म आनी चाहिये, झूठा आरोप लगाते हो ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में बात न करें ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाने वाली हैं, उन परीक्षाओं में कोटा नगर के करीब साढ़े पांच हजार से अधिक विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। राजस्थान सरकार ने इस वर्ष तीन जगह नये केन्द्र स्थापित किये हैं, एक कैथून में, जो कोटा से 13 किलोमीटर दूर है, दूसरा कैथल नगर में, जो कोटा से 21 किलोमीटर दूर है, तीसरा मण्डाना में, जो कोटा से 37 किलोमीटर दूर है....

श्री अध्यक्ष : आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन करना यह है कि 235 विद्यार्थियों को कोटा से 11 किलोमीटर, कैथून में एवम् कोटा से मन्डाना के लिये, जो 37 किलोमीटर दूर है, 157 विद्यार्थियों को परीक्षा के लिये भेजने की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः कोटा में स्थानाभाव के कारण इन परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा देने के लिये जाना होगा। यह सारी बातें शायद न आतीं, लेकिन एक दुखी पिता रमेश अनिल, जो स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं, अपने लड़के को, जिसको कि श्वांस की बीमारी है और जिसको कोटा से 21 किलोमीटर दूर परीक्षा केन्द्र दिया गया है, एक प्रार्थना-पत्र, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को प्रेषित किया और निवेदन किया कि मेरा पुत्र श्वांस की बीमारी से पीड़ित है, सुबह साढ़े सात बजे परीक्षा प्रारम्भ हो जाती है, कोटा से तीनों स्थानों पर कोई बस नहीं जाती, जिससे उन परीक्षा केन्द्रों पर पहुंच सके। आप जानते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सैकण्डरी के अन्दर 10 से 15 साल के बच्चे और सीनियर सैकण्डरी के अन्दर 15 से 17 साल के बच्चे परीक्षा के लिये जाते हैं....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि केवल नगर में कोई धर्मशाला नहीं है, वहां एक फैक्ट्री है, वहां स्कूल चलता है, उसी में उन्होंने परीक्षा केन्द्र स्थापित किया है। मण्डाना में कोई धर्मशाला नहीं है, कैथून में कोई धर्मशाला नहीं है, जहां सारे विद्यार्थी बैठकर अध्ययन कर सकें। इसका एकमात्र तरीका है कि ये कोटा से चलकर रोज 37 किलोमीटर दूर आयें और सुबह चार बजे....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : स्थान ग्रहण करने का मेरा प्रश्न नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं सुबह चार बजे 15-16 साल का बच्चा उठकर केवल नगर जाय और जिसको श्वांस की बीमारी हो। उसके बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बड़ी बेशर्मी के साथ लिख दिया है की सैकण्डरी की 1982 की परीक्षा के आवेदन पत्र के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि कोटा में अधिक छात्रों की संख्या हो जाने से स्थानाभाव के कारण, नजदीक में परीक्षा केन्द्र न होने की वजह से उसे अब केवल नगर परीक्षा केन्द्र दिया गया है। परीक्षा केन्द्र से अब किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा। जो श्वांस का बीमार है, उसे यह बात कही है, अतः वह इस सम्बन्ध में कोई पत्र-व्यवहार न करे, यदि उसने इस सम्बन्ध में भविष्य में पत्र-व्यवहार किया तो उसको प्रत्युत्तर नहीं दिया जायेगा। मेरा निवेदन यह है कि यह दैनिक नवज्योति में प्रकाशित हुआ....

श्री अध्यक्ष : लम्बा न करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक तरफ कोटा, जहां 37 किलोमीटर दूर जाकर

(श्री दाऊदयाल जोशी)

विद्यार्थी परीक्षा देने जायेंगे, वहां कोई बस नहीं जाती और दूसरी तरफ जयपुर, जहां सैकण्डरी स्कूल की परीक्षा के लिये विशेष बसें.......

श्री अध्यक्ष : इसको मैं स्वीकार कर लेता और सरकार से जवाब मंगवा लेता, लेकिन इसका जवाब यह है कि कम्प्यूटरों के माध्यम से रोल नम्बर दिये जाते हैं, और जो नम्बर आता है उसको अब बदला नहीं जा सकता। आइन्दा इसको उठायें सदन में तो....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि जैसे जयपुर के लिये, विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है नवज्योति में, सैकण्डरी स्कूल के लिये विशेष बस चलाई गई हैं, शास्त्री नगर से। कोटा से कोई भी बस नहीं है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रघुवीर सिंह कौशल।

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा के लिये एकी बस नहीं...........

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : वहां भगवान का मन्दिर है, वहां परीक्षा केन्द्र स्थापित किये जा सकते हैं ?....

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल : बारां में आवास स्थिति....

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो कानून बने हुए हैं कि जिन स्थानों पर केन्द्र होता है उस केन्द्र के लोगों को दूसरे केन्द्रों में नहीं भेजा जाता। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो अलग से नगरपालिका का क्षेत्र है उसमें, कोटा के लोगों को कैथून में भेजने का कारण क्या है ? जिसकी अभी चर्चा की गई है, 21 किलोमीटर दूरी पर है, यह पंचायत समिति क्षेत्र में है इसका कोटा नगरपालिका क्षेत्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। तो, माननीय मंत्री महोदय, किस नियम से, किस कानून के तहत...

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं यह इसलिये पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : अन्य किसी तरीके से पूछें।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपने स्वयं ने कहा है कि कंप्यूटर ने जो व्यवस्था दी है वह ठीक है। अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल ठीक है, को-आपरेशन हो गया है, अगर को-आपरेशन हो गया है, तो यह

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

कानून नहीं है, इसके विरुद्ध में हुआ है। तो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो माननीय श्री दाऊदयाल जी ने भी कही है कि वहां यातायात नहीं, तो यातायात की व्यवस्था तो करवाइये। यह किसकी जिम्मेदारी है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें, भाषण न करें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह सरकार कैसे चलेगी, कानून का पालन नहीं करती ? हम स्थगन-प्रस्ताव रखते हैं उसका जवाब देने के लिये सरकार तैयार नहीं है और उसके बाद व्यवस्था है। व्यवस्था तो करें। कानून का उल्लंघन करते हैं.......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मंत्री महोदय ने कानून का उल्लंघन किया है। यह बात बतायें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किस नियम के तहत इस प्रकार की व्यवस्था की है। यह गलत है। राज्य सरकार को यातायात की व्यवस्था करनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। इस पर चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : × × ×

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : **अध्यक्ष** महोदय, बारां नगर इस समय 60 हजार से ऊपर आबादी का नगर हो गया है।

(12.37 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वहां गत दो वर्षों में अनेक नये ऑफिसेज स्थापित हो गये हैं। एडिशनल एस. पी., ए. जी. एम., एडिशनल इंस्पेक्टर ऑफ एजूकेशन, ए.आर., ए.सी.एम., पी. डब्ल्यू. डी., ए.सी.एम., इरिगेशन, अनेक प्रकार के नये आफिस चलाये गये। आबादी वहां पर दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मकानों की समस्या भयंकर रूप धारण कर चुकी है। एक छोटा सा कमरा आज बारां में उतने किराये पर मिलता है जितना कि जयपुर में मिलता है। इस स्थिति को देखते हुए शहरों के बाहर, जहां कस्बों में आवासनीय मण्डल ने जो अपनी योजना बनाई थी, वह सबसे पहले बारां में बनाई थी। एक करोड़ की आवासीय योजना तीन वर्ष पहले स्वीकृत हो चुकी थी और मुझे आश्चर्य है कि आज तक उसकी क्रियान्विति का प्रयास नहीं किया जा रहा है। वहां के नागरिकों ने प्रार्थना-पत्र दिये हैं, पैसा जमा करा चुके हैं, बार-बार आग्रह किया है। एक करोड़ की योजना स्वीकृत होने के बाद भी वह तीन वर्ष से क्रियान्वित नहीं हो रही है।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे वहां पर असन्तोष उत्पन्न हो गया है। लोगों का पैसा भी जमा है, प्रार्थना-पत्र भी हैं, किन्तु जो आवासन मण्डल वारां में है, वह उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ की जितनी योजनायें थीं, लगभग पूर्ण होने को आयीं। किन्तु वहां अभी तक आवासन मण्डल ने जमीन की व्यवस्था नहीं की है और उसका नतीजा यह है कि वहां इस विषय पर आन्दोलन खड़ा होने की स्थिति आ गई है। जिन लोगों का पैसा जमा है, प्रार्थना-पत्र दिये हैं, उन्होंने आवासन मण्डल को कहा है कि हमारे पैसे वापस कर दो। ऐसी गम्भीर स्थिति वहाँ पैदा हो गयी है। लोगों का असन्तोष बढ़ रहा है। उन्होंने नोटिस दिये हैं, किन्तु आवासन मण्डल के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे क्षेत्र के साथ राजनैतिक भेद-भाव के कारण जानबूझ कर आवासन मण्डल इस योजना को कार्यान्वित नहीं कर रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो ठीक है, मेरा क्षेत्र है लेकिन वहां जो नागरिक हैं उनसे बदला नहीं लिया जाना चाहिये। आपके नियमों के अनुसार उन्होंने पैसा जमा कराया है, प्रार्थना पत्र दिये हैं। आपकी एक करोड़ की योजना स्वीकृत हुई. उसका क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति व जनजाति के गरीब व्यक्तियों के हितों का यह सरकार ढोंग रचा रही है और विभिन्न योजनायें बनाकर उनको गुमराह कर रही है क्योंकि अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग अशिक्षित हैं। गरीब हैं, उनकी गरीबी और अशिक्षा का फायदा उठा कर, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर ये उनसे कहते हैं कि हम आपका हित कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि अनुसूचित जाति के लोगों का भला नहीं हो रहा है। वे अभी भी गरीब हैं, और पिछड़े हुये हैं। इसके कुछ उदाहरण, देकर जो सरकार उनके साथ खिलवाड़ कर रही है, उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा।

अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को नौकरियों में आरक्षण है, प्रमोशन में आरक्षण है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा कि आरक्षण के बाद अभी तक कितने लोगों को, कितने प्रतिशत लोगों को आरक्षण के अनुसार नौकरियां दी गई हैं? यदि प्रथम श्रेणी की नौकरियों का प्रतिशत देखेंगे तो 1 पाइंट समथिंग के आसपास पड़ेगा। द्वितीय श्रेणी की नौकरियों का प्रतिशत देखेंगे तो 2 प्रतिशत से कम पड़ेगा। और तृतीय श्रेणी का प्रतिशत देखेंगे तो यह 1 पाइंट समथिंग के आसपास है। इस तरह से आरक्षण के नाम पर उनको गुमराह किया जा रहा है। जब कि वास्तविकता यह है कि उनको आरक्षण के अनुसार यह सरकार नौकरियां देने में असफल रही है। अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग मांग करते हैं कि हमको आरक्षण के अनुसार नौकरी दी जाय। उधर वे कहते हैं कि उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उनको नौकरियां नहीं दी जाती हैं।

(श्री हीरा लाल आर्य)

तीसरा, पहले शिड्यूल्ड कास्ट के जो ग्रेजुएट थे उन सबको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था लेकिन अब तृतीय श्रेणी में पास होने वाले ग्रेजुएट हैं और बेरोजगार हैं, उनका भत्ता इन्होंने बंद कर दिया है। मैं आपकी मार्फत सरकार से मांग करूंगा कि तृतीय श्रेणी का जो बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया है वह वापस चालू किया जाय। अनुसूचित जाति व जनजाति के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिये छात्रावास थे उनको छात्रावासों में मिलने वाली सुविधाओं को सरकार ने बंद कर दिया है। उनको केवल 80) रुपये मासिक दिया जा रहा है। अब 80) रु. में कपड़ा खरीदेगा, पुस्तकें खरीदेगा, फीस देगा, मकान का किराया देगा ? एक तरह से यह सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ यह कांग्रेस इस बात का ढोंग रचा रही है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को हमने ऊंचा उठाया है। अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को उठाने वाले महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर थे। उनको ऊंचा उठाने वाले व्यक्ति गये। उनकी मांग है, करोड़ों व्यक्तियों का मसीहा अम्बेडकर, जिनका जन्मदिन 14 अप्रेल का पड़ता है उस दिन की सार्वजनिक छुट्टी की जाय। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस मांग को स्वीकार करें।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ ज्यादतियां और जुल्म हो रहे हैं, अभी एक केस आपके सामने आया था। एक सरपंच चुनाव में खड़ा हुआ था उसको पीटा गया, जूतों की माला पहनाई गई। आपके सामने सदन में चर्चा की। शिड्यूल्ड कास्ट के मंत्री थे उनकी पिटाई की गई, शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्तियों पर...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपने विषय से अलग हट रहे हैं।

श्री हीरालाल आर्य : इन घटनाओं से अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों में बड़ा आक्रोश है। अपना आक्रोश प्रकट करने के लिये राजस्थान के कोने-कोने से आये हजारों छात्रों ने कल प्रदर्शन किया था। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों की विरोधी सरकार है। मैं चाहूंगा कि उनको अधिक सुविधायें दी जानी चाहिये। कल उन्होंने मुख्य मन्त्री को मांग पत्र पेश किया था उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उनकी मांगों को अधिक से अधिक मानें, ताकि अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों के मन में जो निराशा, भय और आतंक है, वह दूर हो सके। इतना ही आपकी मार्फत निवेदन कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : मेरा नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने कह दिया, काफी है। आप सहयोग कीजिये। विशेष

(52)

(श्री उपाध्यक्ष)

कोई बात हो तो कहें।

श्री अनंग कुमार जैन।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष, इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैं इस सरकार की जानकारी में कुछ तथ्य लाना चाहता हूं। इस सरकार के हर मंत्री, इस सरकार के हर सदस्य अनुसूचित जाति व जनजाति के रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं। बार-बार घोषणा की जाती है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। लेकिन इस सरकार द्वारा इन लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है उसके कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा जिससे स्पष्ट होगा कि सरकार की इनके साथ बददयानती है। इन पर भारी अत्याचार हो रहे हैं, इनको संरक्षण प्रदान नहीं किया जा रहा है बल्कि सरकार के मंत्रियों द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार हो रहे हैं। यदि कोई अधिकारी अपराधी को पकड़ने की कोशिश करता है तो सरकार के मंत्रियों द्वारा उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। सबसे प्रथम उदाहरण आपके माध्यम से मंत्री महोदय की नोलेज में लाना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में डग पंचायत समिति में विक्रम सिंह ने एक नागरिक की हत्या कर दी थी अब उसकी औरत और दो भाइयों को गायब कर रखा है। इस घटना को 5-6 महीने हो चुके हैं। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री पर आरोप लगाना चाहता हूं कि वहां के एस. पी. ने उसको अरेस्ट किया। वे उस केस में आगे कार्यवाही करना चाहते हैं लेकिन विधि मंत्री ने दबाव डाला, इस सरकार के मंत्रियों ने कहा कि इस मामले में कार्यवाही नहीं की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसा प्रकरण है कि पुलिस स्वयं हाथ नहीं डालती है लेकिन यदि कोई एस. पी., अच्छा अधिकारी कार्य करना चाहता है, मैं तो झालावाड़ के एस. पी. को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने साहसिक कदम उठाया, वहां के कांग्रेस कार्यकर्ता और भ्रष्ट व्यक्तियों पर ध्यान नहीं दिया, विधि मंत्री के टेलीफोन को नकार दिया, विधि मंत्री को इन्कार हो गये और अपराधी को गिरफ्तार किया, कार्यवाही की। लेकिन आज उन पर दबाव डाला जा रहा है, विधि मंत्री बार-बार दबाव डाल रहे हैं। विधि मंत्री, जिनके बारे में इस सदन में स्पष्ट रूप से कई बार चार्जेज लगाये गये हैं। राजस्थान विधान सभा के अन्दर अगर कोई सबसे भ्रष्ट मंत्री है, तो पण्डित बृज सुन्दर शर्मा हैं जिनको राजस्थान के कई मेडिकल के छात्रों ने नजरात के सामने पकड़ कर पान थूककर नंगा कर दिया था। विधि मंत्री को आज भी शर्म नहीं आती है। राजस्थान के अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। वह अत्याचार करते हैं।

(12.50 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जाति व जनजाति....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपका ध्यान नियमों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि किसी मंत्री अथवा व्यक्ति के खिलाफ आरोपजनक, अपमान-

(53)

(श्री अध्यक्ष)

जनक विषय इस सदन में उठाये जायें, तो उसकी पूर्व सूचना दी जाय। इस माध्यम से आप लम्बी चर्चा नहीं उठा सकते। 5-6 माननीय सदस्य दस्तख्त कर सकते हैं आपके किसी प्रस्ताव पर, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि उस पर बहुत लम्बी चर्चा हो।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (विधि मंत्री): मैंने किसी एस. पी., झालावाड़ को कोई टेलीफोन नहीं किया....

(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन: एक प्रकरण सदन में आया था, सरकार ने घोषणा की थी, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिनके साथ मारपीट की गई है, जिनके साथ बलात्कार हुआ है, उन मामलों में विशेष अदालतें स्थापित की जायेंगी। लेकिन उन विशेष अदालतों की वजह से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिनको पहले एक मील कोर्ट में जाना पड़ता था, आज 100-150 मील जाकर कोर्ट अटैंड करनी पड़ती है। इन स्पेशल अ[illegible]ों में, अनुसूचित जाति व जनजाति के लो[illegible]न पर अत्याचार हो रहे हैं, की [illegible]ी. देने के लिये समय पर लोग पहुंच [illegible] पाते और बार-बार प्रकरण खारिज हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति की रहनुमा बनती है लेकिन उनको कौनसी सुविधा प्रदान करना चाहती है? इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस न्यायालय के मामले जो लटका रखा है, में शीघ्र निर्णय लें और अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

(व्यवधान)

मैं आज्ञा नहीं दूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री बालचन्द, आर्य वीर।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग): अध्यक्ष महोदय, रोजाना यह अखबारों में आता है और हम लोग यह रोजाना देखते भी हैं कि आज हमारे यहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ भयंकर अत्याचार और अन्याय हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, उनके साथ सामान्य लोगों की तरह व्यवहार नहीं किया जाता है और भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आपको निवेदन करना चाहूंगा कि कल ही एक प्रतिनिधि-मण्डल मुख्य मन्त्री जी से मिलने के लिये आया था। मुख्य मन्त्री जी ने उनसे बातचीत भी की। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह ध्यान दिलाना चाहूंगा, हालांकि मुख्य मंत्री जी ने उनसे काफी लम्बी बातचीत भी की लेकिन उनकी एक मांग को भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया और उन्हें बहुत सी बातें करके वापस भेज दिया। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हरिजनों के साथ न्याय किया जाय।

इसी प्रकार मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि 14 अप्रेल को डॉक्टर अम्बेडकर साहब, जिन्होंने कि गरीब लोगों के और हरिजनों विशेष तौर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये बहुत से काम किये हैं, के जन्म दिन

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

जैसा सदन के माननीय सदस्यों ने मांग की है, को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जावे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य, श्री अनंगकुमार जी ने यहां पर हरिजनों के साथ अत्याचार के बारे में कहा कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी और औरत के भाइयों को वहां जागीरदार ने कब्जे में कर रखा है उसके लिये मेरा निवेदन है कि जो व्यक्ति इस तरह की कार्यवाही कर रहा है उसके खिलाफ में सख्त कार्यवाही की जाय और हरिजनों को अन्याय से मुक्त कराया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये। श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं, मैंने भी इस स्थगन प्रस्ताव में हस्ताक्षर किये हैं। मैं रिपीटिशन नहीं करूंगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्थगन प्रस्ताव सदन में दिये जाते हैं, उनका तात्पर्य यह होता है कि वे स्थगन प्रस्ताव कोई विशेष घटना से संबंधित हैं जो कि कुछ ही समय पहले घटी हैं। अब आप एक जनरल स्थगन प्रस्ताव देकर हरिजनों की सभी समस्यायें यहां प्रश्न के माध्यम से उठाना चाहें और यहां पर उन्हें डिस्कस करें, यह तो सम्भव नहीं है। इसमें माननीय सदस्यों का भाषण नहीं होना चाहिये। इसके बाद में यह भी है कि जितने भी माननीय सदस्य उस पर हस्ताक्षर करें, वह सभी माननीय सदस्य उस पर बोलें, यह सम्भव नहीं हो सकता है। फिर भी मैंने दो तीन माननीय सदस्यों को बोलने की इजाजत दे दी है, इसलिये अब माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें। इस प्रकरण को यहीं समाप्त कर दें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर। मैं माननीय सदस्यों को पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि हरिजनों की समस्याओं के बारे में यहां पर इस तरह डिस्कशन सम्भव नहीं है। मेरी मजबूरी है। अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, कृपया दो मिनट में ही अपनी बात कह दें। भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर से आठ किलोमीटर दूर सोम कामला अम्बा बान्ध पर सिंचाई की योजना चल रही है। इस योजना के

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

ऊपर काम कर रहे मजदूरों पर ऊपर से मिट्टी गिरी। अध्यक्ष महोदय, वह मिट्टी इस बुरी तरह से गिरी कि उसमें 20 मजदूरों की दब कर हालत खराब हो गई। अध्यक्ष महोदय, उसमें से आठ आदमी तो स्पोट पर ही दब कर मर गये। अध्यक्ष महोदय, उस मलबे को उठाने में 14 घण्टे लग गये। उसमें से तीन मजदूरों को तो डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत वहां पर गम्भीर रूप से खराब चल रही है। मैं, अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मन्त्री जी यहां पर बैठे हैं आपके माध्यम से उनको निवेदन करना चाहूंगा कि सिर्फ बैठे रहने से ही काम नहीं चलने वाला है आप इस घटना की जांच करावें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस सन्दर्भ में, कि मिट्टी ऊपर से गिरी तब मजदूर लोग वहां पर काम कर रहे थे। मिट्टी गिर रही थी तो भी उनको वहां से नहीं हटने दिया गया और उनको प्रेशराइज करते रहे कि आप खुदाई का काम चालू रखें। अध्यक्ष महोदय, मेरा सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन है कि यह जो कहा जा रहा है कि वहां पर राज्य सरकार के इन्जीनियर उपस्थित थे, यह बात गलत है। वहां पर कोई इन्जीनियर सिंचाई विभाग का उपस्थित नहीं था, सिर्फ उस बान्ध का कॉन्ट्रेक्टर ही उपस्थित था। इसलिये यह जो सूचना दी गई है कि इन्जीनियर उपस्थित था, गलत है। मुख्य मन्त्री महोदय ने अपने कोष में से जो दो-दो हजार रुपये की अनुदान राशि, जो मर गये हैं उनके परिवार वालों को दी है वह तो ठीक है लेकिन मैं आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सोम कामला अम्बा बान्ध पर जो यह घटना घटी है उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये। वहां पर जो सिंचाई इन्जीनियर नहीं था, नेग्लीजेन्स जिन लोगों की रही, उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर भी न्यायिक जांच होती है। यहां पर गृह मन्त्री जी भी बैठे हैं और सिंचाई मन्त्री जी भी बैठे हैं, आठ-आठ व्यक्ति मर गये हैं उसके लिये मजिस्ट्रेट से जांच करायी जानी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सिंचाई मन्त्री जी और गृह मन्त्री जी दोनों यहां बैठे हैं, वह तत्काल जानकारी करावें और इसकी न्यायिक जांच करवा कर जिनकी सुपरवाइजरी नेग्लीजेन्स रही है उनको कठोर से कठोर दण्ड दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री कमलेन्द्रसिंह।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस स्थगन प्रस्ताव में नाम है, मुझे भी एक मिनट के लिये बोलने की इजाजत दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, सोम कामला अम्बा बान्ध प्रोजेक्ट, जो डूंगरपुर से आठ किलोमीटर दूर है, पर मिट्टी के गिर जाने से आठ मजदूरों की मृत्यु हो गई है।

श्री **परसराम मदेरणा** (राजस्व मंत्री) : यह सोम कामला अम्बा बान्ध किस जिले में है? उदयपुर जिले में है या डूंगरपुर जिले में है?

श्री नाथूसिंह : आसपुर के पास डूंगरपुर से आठ किलोमीटर दूर है।

श्री अध्यक्ष : आपका कभी पधारना हुआ वहां पर ?

श्री नाथूसिंह : मेरा जाना नहीं हुआ, साहब,

(व्यवधान)

पर यह उदयपुर जिले में है। अध्यक्ष महोदय, माननीय परसराम जी मदेरणा साहब जिले के बारे में पूछ रहे हैं, उसका बता रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में किसी घटना के बारे में जानकारी मंगायी जाती है और यहां पर एक मिनट के लिये 400 रुपये का खर्चा आता है, इसलिये मेरा निवेदन है कि इसका सदुपयोग किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपका सुझाव ठीक है।

(व्यवधान)

ऑर्डर ऑर्डर। कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : तो मैं माननीय परसराम जी मदेरणा साहब से निवेदन कर रहा हूं कि यह उदयपुर जिले में हो, या भीलवाड़ा जिले में हो, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन इसमें यही है कि यहां पर कोई स्थान का महत्व हो, यह बात नहीं है। महत्व तो यह है कि कैसी घटना वहां पर घटी है, महत्व तो सिर्फ घटना का होता है। अध्यक्ष महोदय, स्थिति तो यह है कि मजदूर काम करते करते वहां पर मिट्टी गिर जाने से मर गये, आठ व्यक्तियों की जानें चली गई और काफी लोग घायल हो गये हैं। इसलिये इनकी सरकार को चाहिये कि इस ओर विशेष ध्यान देकर इसकी न्यायिक जांच करायी जाय। हालांकि मुख्य मन्त्री महोदय ने, जो लोग वहां पर मर गये उनके परिवार वालों को दो-दो हजार रुपये अनुदान राशि के दिये, उसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन अगर मुख्य मन्त्री इस सारे प्रकरण के लिये कोई न्यायिक जांच के आदेश दे दें तो मैं उनकी प्रशंसा करूंगा। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, अध्यक्ष महोदय, इस घटना को घटे हुए इतने दिन हो गये लेकिन आज तक किसी भी व्यक्ति, जो कि दोषी हैं, के खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं की गई, किसी भी व्यक्ति को पकड़ा नहीं गया। इस मामले को प्रशासन द्वारा ऊपर से दबाव डालकर दबाया जा रहा है, इस मामले को रफा दफा किया जा रहा है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कांड की जांच जल्दी से जल्दी करायें और जांच कराने के पहले, वहां पर जो अधिकारी लगाये हुए हैं उनको तुरन्त हटाया जाय ताकि इस दुर्घटना की जांच निष्पक्ष तरीके की जा सकें। अगर यह नहीं हुआ तो इस मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हो सकेगी। इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इसकी जांच। करायी जावे। इसमें जो दोषी अधिकारी हैं उनको सजा दी जानी चाहिये।

(57)

(श्री नाथूसिंह)

ऐसी व्यवस्था वहां की जाय कि भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं घटे। उसके लिये स्थायी उपाय किये जायें।

श्री अध्यक्ष : श्री कमलेन्द्रसिंह।

श्री कमलेन्द्रसिंह (बल्लभनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने उदयपुर नगर के अलीपुरा मोहल्ला में रेजीडेन्सी मस्जिद की भूमि पर हुए अतिक्रमण के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। अलीपुरा मोहल्ले के मुसलमानों ने ज्ञापन द्वारा मुख्य मन्त्री से यह मांग की है कि उनकी मस्जिद की चार बीघा जमीन पर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उनको हटाया जाय, जमीन के बेचान को अविलम्ब रोका जाय। कई लोगों ने वहां पर बरसों पहले ही अतिक्रमण कर लिया। अतिक्रमण की प्रक्रिया काफी अर्से से चली आ रही है। वहां के मुसलमानों ने अपने प्रतिनिधिमन्डल राज्य सरकार के पास भी भेजे। उनको नेताओं ने आश्वासन भी दिया है किन्तु आज तक उन लोगों को कोई न्याय नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर सूचना दी गयी है उसके अनुसार इस भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है और न ही इसके बारे में कोई कानूनी विवाद है, यह कहा गया है वह गलत है। इसकी जांच कराई जानी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ तब से वहां पर अतिक्रमण हो रहे हैं और उसमें राजस्थान के चोटी के राजनेताओं का हाथ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मालिकाना हक का सवाल है इसमें न तो विवाद है और न सन्देह है। 1836 में 150 साल पहले तत्कालीन मेवाड़ सरकार ने रेजीडेन्सी मस्जिद के लिए यह चार बीघा जमीन पट्टे पर दी थी। पट्टा भी मौजूद है और ताम्रपत्र भी मौजूद है। 1931 में जब सैटलमेंट हुआ था, उस सैटलमेन्ट के दौरान जो रिकार्ड बना है उस रिकार्ड में भी यह जमीन मस्जिद के नाम पर अंकित है। 1946 में एक विवाद जरूर खड़ा हुआ था। आजिम खां नाम के व्यक्ति ने दावा पेश किया था कि जमीन व्यक्तिगत रूप से उसकी खुद की है और मस्जिद भी उसकी खुद की है। यह विवाद राजस्थान हाई कोर्ट तक गया। सन् 57 में हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया, आजिम खां का दावा खारिज करते हुए यह करार दिया कि जमीन मस्जिद का है और मस्जिद भी सामूहिक रूप से अलीपुरा के मुसलमानों की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला होने के बाद एक नयी चाल चली गयी। उस जमीन पर आदिवासी कन्या छात्रावास के नाम पर एक बिल्डिंग तैयार करना चालू किया। अलीपुर के मुसलमानों ने उस मौके पर भी अपना दावा तत्कालीन कमिश्नर, उदयपुर के सामने पेश किया था। उस दावे का कुछ नहीं हुआ क्योंकि राजनैतिक दबाव था। आज दिन तक उसका कोई फैसला हुआ या नहीं हुआ, यह भी पता नहीं चलता है। 1965 में राजस्थान सरकार ने अधिकृत रूप से एक सूची तैयार की थी जिसमें मस्जिदों की जायदाद का विवरण था। उदयपुर की जो सूची थी उसमें 66 नम्बर आइटम पर यह जमीन मस्जिद के नाम पर अंकित है।

58

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रब स्थिति में परिवर्तन ग्राया है। परिवर्तन इसलिए ग्राया है कि जो जमीन सन् 77 में 3 हजार रुपये की थी ग्राज वही जमीन 6 लाख रुपये की है। इस 6 लाख रुपये के पीछे वह ग्रादिवासी कन्या छात्रावास, जिसके नाम से ग्रतिक्रमण हुग्रा था वो साल से बन्द पड़ा है ग्रौर जमीन में से एक टुकड़ा सेंट पाल स्कूल को 2 लाख रुपये मे बेच दिया गया है। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय,....

श्री ग्रध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं ग्राप।

श्री कमलेन्द्रसिंह : क्यो सर ?

श्री ग्रध्यक्ष : मस्जिद के बारे में फर्मा रहे थे ग्राप।

कमलेन्द्रसिंह : मस्जिद की जमीन के बारे में बात हो रही है, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय,....

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : वही जमीन है, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय।

श्री ग्रध्यक्ष : नहीं, छात्रावास की जमीन का कह रहे हैं।

श्री मेघराज तावड : वही छात्रावास की जमीन है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर, ग्रॉर्डर।

श्री कमलेन्द्र सिंह : छात्रावास उन्होने कर रखा है, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय। मस्जिद की जमीन को बेचना, मस्जिद की जमीन पर ग्रतिक्रमण करना, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हर मुसलमान इसे ग्रपने मजहब की तौहीन मानता है। उनकी ग्रांखों के सामने जब जमीन बिक रही है तो उनकी बरदाश्त की सीमा को छेड़ना है। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, यह ग्रतिक्रमण केवल जमीन पर नहीं हुग्रा, यह मुस्लिम समुदाय की धार्मिक निष्ठा पर ग्रतिक्रमण हुग्रा है।....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर। संक्षेप में, माननीय सदस्य,

श्री कमलेन्द्रसिंह :....जहां ग्राज दिन तक माइनोरिटी की सुरक्षा के नाम पर वोट बटोरते ग्राये हैं, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, उनकी मस्जिद की जमीनों को बेच कर लाखों के नोट बटोर रहे हैं। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय........

श्री ग्रध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री कमलेन्द्र सिंह:... ....ऐसी परिस्थिति में ग्रलीपुर के मुसलमानों ने एक बार ग्रौर मुख्य मंत्री जी को ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में ग्रतिक्रमण हटाने के लिए, इस जमीन के बेचान को रोकने के लिए मांग की है। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी न्याय देना चाहते हैं तो उनके लिए एक मिनट का काम है क्योंकि जिस कन्या छात्रावास के लिए यह ग्रतिक्रमण किया गया था उस छात्रावास को चलाने वाली जो संस्था है,महिला ग्राश्रम, भीलवाड़ा, उसकी संचालिका माननीय.......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे बिना पूर्व सूचना के, माननीय सदस्य।

श्री कमलेन्द्र सिंह : ....वह स्वयं मुख्य मंत्री जी की श्रीमती हैं और, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको बेचने वाले जो हैं वह स्वयं मुख्य मंत्री जी के साले है...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। माननीय सदस्य, आपको यह सूचना देनी चाहिए थी। इस विषय पर चर्चा से पहले आप विषयान्तर, हो रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री कमलेन्द्र सिंह : एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैंने जब आपको इसकी सूचना दी थी उसको 8 दिन निकल गए......

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दिया सरकार ने उस पर व्यवस्था दे दी है।

श्री कमलेन्द्र सिंह : आपको 7–8 दिन से यह सूचना मिल गई है कि मैं इस मस्जिद के बारे में कहने वाला हूं। अलग सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : नहीं, माननीय सदस्य, आप अन्य विषय जोड़ रहे हैं इसमें।

श्री कमलेन्द्र सिंह : विषय एक ही है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। विषय एक ही होता है लेकिन अलग-अलग भी होते हैं।

श्री मेघराज तावड : माननीय अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष मैंने भी....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। ऑर्डर। ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आप नियमों का पालन करें।

श्री मेघराज तावड :....... उसका उत्तर नहीं आया और विधान सभा बन्द हो हो गयी थी........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मेघराज तावड :....छात्रावास को बन्द कर दिया गया था। मुख्य मंत्री जी का साला उसको चलाता है.......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

अंकित न हो।

श्री मेघराज तावड : × × ×।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री मेघराज तावड : × × ×।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। नियमों का ध्यान रखें।

[× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।]

(श्री अध्यक्ष)

श्री चुन्नीलाल ।

अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य ।

अंकित न हो ।

श्री मेघराज तावड : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नी लाल ।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, तहसील बोली के ग्राम मलारना चौड़ में एक एदलकी हनुमान जी का मेला लगता है–फरवरी के महीने में । उस मेले में जो हलवाइयों की दुकानें लगी हुई थीं, उनमें एक वर्ग के दस, बीस, पच्चीस लड़के तुलवा बैठ गये और दुकानदार से जलेबियां तुलवा कर खाते रहे । जब दुकानदार ने सबको जलेबी दे दी, सब लोग खा गये तो एक-एक करके सब खिसक गये । उनमें से एक लड़के को दुकानदार ने पकड़ लिया और उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले किया । पुलिस ने उस लड़के का काला मुंह करके, उसके मुंह में जलेबी रखकर, हथकड़ी लगाकर पूरे मेले में घुमाया । जिस वर्ग का वह लड़का था उस समाज के अन्दर बड़ा जोश और रोष आया । उस लड़के को लेकर मेले में वहां के नागरिकों ने पुलिस की जमकर पिटाई की, कोतवाल को मुर्गा बनाया । सारे पुलिस वाले मेले को छोड़कर भाग गये । दुकानों को लूटना चालू हो गया और इस मामले को, हमने खुदने वहां के पुलिस अधिकारियों को बताया कि इस तरह की घटना इस मेले में हुई है । आपने उन अपराधियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? उनमें से न तो वे किसी आदमी को पकड़ पाये, न किसी के खिलाफ केस बनाया और न चालान ही बनाया । इससे पुलिस प्रशासन की बदनामी हो रही है । पूरे जिले में इस बात का शोर मचा हुआ है कि एदलकी के मेले के अन्दर पुलिस प्रशासन को बुरी तरह से पब्लिक ने पीटा है और थानेदार को मुर्गा बनाया है । इस मामले को पुलिस ने जान बूझकर दबाया है, अपनी बदनामी से बचने के लिए । तो मुझे आपके माध्यम से सिर्फ यही अर्ज करना है कि पुलिस प्रशासन की इस तरह से पिटाई होती रहे, अपराधियों को पकड़ा नहीं जाये । कोई नार्मल आदमी होता तो वह अलग बात है, लेकिन पुलिस के साथ इस तरह की वारदात हो, पुलिस साइलेन्ट रहे और तथ्य को छुपा जाए, यह सबसे बड़ी शर्म की बात है । मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी जो वारदात है यह रफा दफा नहीं की जाये । जिन लोगों के द्वारा पिटाई की गई है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाये । उनको सजा मिलनी चाहिए । मुझे इतना ही निवेदन करना है ।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी । धौलपुर में डकैती ।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : पुष्पा जी बोलेंगी ।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : मेरा नाम ही नहीं है ।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं कियागया ।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे स्थगन-प्रस्ताव के ऊपर आपने आज जो सूचना सदन को दी, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे राज्य सरकार अपना उत्तरदायित्व भूलती जा रही है। उन्होंने महज एक कर्त्तव्य समझ लिया कि कोई स्थगन-प्रस्ताव, ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव या कोई भी प्रस्ताव उठाया जाये, उसकी आप हमें एक सूचना मात्र दे दें। अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगी कि राज्य सरकार का फर्ज है कि वह इस राज्य की 3॥ करोड़ जनता को न्याय प्रशासन दे और उनकी सुरक्षा करे। लगता है वह अपने कर्तव्यों से विमुख हो रही है। सिर्फ भरतपुर जिले के सम्बन्ध में अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक एडजोर्नमेंट मोशन दिया था कि विश्वम्भर दयाल की पत्नी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और उनकी सारी सम्पत्ति को लूट कर ले गये। इसके साथ और भी केसेज बताये थे जिनमें हत्यायें करके सम्पत्ति को लूटा गया है। मुझे दुःख है। फिर आज भरतपुर जिले के फैक्ट्स रख रही हूं। भरतपुर के धौलपुर उप-खण्ड के पास, जहां गृह राज्य मंत्री स्वयं रहने वाले हैं, बसई ग्राम में श्री राम निवास जी के यहां डाका डाल कर उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई और लाखों का माल लूट कर ले गये। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, उनकी पत्नी की ही नहीं उनकी स्वयं की भी, राम निवास जी की भी, हत्या कर दी गई। मुझे दुःख है। इसी दिन 26 तारीख को भरतपुर जिले के ग्राम सिरसी में भी एक ऐसे परिवार में डाका डाला गया, वहां औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। बच्चों पर मिट्टी का तेल डाल करके औरतों को डराया गया कि अपने गहने उतार कर रख दीजिये अन्यथा बच्चों को जिन्दा जला देंगे।

अध्यक्ष महोदय, ये बढ़ती हुई डकैतियां और हत्याएं आखिर किस बात की ओर संकेत कर रही हैं। इसी बात की ओर संकेत है कि राज्य सरकार अपने कर्तव्य से विमुख हो रही है। मुझे दुःख है, कल बजट भाषण देते समय माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा था कि चूड़ियों से कर हटा दिया गया है। अगर हालत यही रही इस राज्य की, तो मेरा निवेदन है कि हम तो चूड़ियां पहनना छोड़ देंगे और राज्य सरकार को चूड़ियां पहना देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल मोदी।

श्रीमती किरण देवी की हत्या।

(व्यवधान)

ऑर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, शान्त रहें।

श्री मोहन लाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन-प्रस्ताव दिया था। उसका राज्य सरकार ने उत्तर दिया है उसमें सिर्फ इतनी सी जानकारी दे दी कि दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है, दो फरार हैं। यह मामला क्यों हुआ, क्या कार्यवाही चल रही है, किस तरह से कार्यवाही की है राज्य सरकार ने उसके अन्दर, यह नहीं बताया। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां की रहने वाली थी किरण देवी, मेरे क्षेत्र की थी। उसकी तीन साल पूर्व दांसल गांव में शादी हुई थी। तीन वर्ष

(श्री मोहन लाल मोदी)

के बाद 19 फरवरी को उसकी हत्या कर दी गई । उसका हस्बैन्ड आवारा है। इस तरह उसकी हत्या करके उसको जला दिया गया । क्या सबूत पुलिस ने इकट्ठे किये हैं, किस तरह आरोप-पत्र पेश करेगी ? अध्यक्ष महोदय, ऐसा काम है पुलिस । सिवाय पैसा कमाने के और अपनी जेबें भरने के अलावा कुछ काम नहीं है । पुलिस ने इसको आमद का एक जरिया बना लिया है। जब पैसे का मन करता है गांव में जाकर.......

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य ।

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, जो इस तरह का काम करते हैं, उनको दण्ड देने के लिये कोई न कोई साधन होना चाहिये । उसको सजा किस प्रकार दिलवायेंगे ? मैं सबसे बड़ा निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, राज्य सरकार को पूरी तरह सजग रह कर व्यवस्था करनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशी लाल पटवा ।

मेवाड़ टैक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा ।

श्री बंशी लाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेवाड़ टैक्सटाइल मिल के सम्बन्ध में जो स्थगन-प्रस्ताव दिया था, उसका राज्य सरकार की ओर से जो उत्तर आया है, मैं सोचता हूं निराधार है। आज मेवाड़ टैक्सटाइल मिल की स्थिति इस प्रकार की हो चुकी है कि जो मशीनें सन् 1938 में लगाई गई थीं, स्थापित की गई थीं, वे सारी की सारी मशीनें जर्जरित हो गई हैं । 1938 से लेकर आज दिन तक मेवाड़ टैक्सटाइल मिल में एक नहीं अनेकों बार हड़तालें हुई हैं, मजदूरों का शोषण हुआ है । इसके साथ ही साथ मैं बताऊं, वर्ष में एक बार नहीं, दसों बार झगड़े होते हैं, संघर्ष होते हैं । इसका मतलब है वहां का मैनेजमेंट इस मिल को सुव्यवस्थित नहीं चलाना चाहता है । मिल घाटे में है, मशीनें जर्जरित हैं, वर्क लोड बढ़ गया है । पिछले 6 सालों में एक नहीं अनेक मजदूरों को निकाला गया है जिनके केसेज लेबर कोर्ट में पड़े हुए हैं । किसी तरह से मिल-मालिक और मैनेजमेंट मिल कर लेबर-कोर्ट से अपना एडजस्टमेंट करते हैं और कहते हैं, यह कर देंगे, वह कर देंगे । इस तरह करके केसेज को रफा दफा करा देते हैं ।

स्थिति यह हो रही है कि न तो उनको काम देते हैं और न उनका हिसाब ही किया जाता है । कोई भी प्राब्लम हो, कोई भी शिकायत हो, यदि सेठ से मिलने जायें, मैनेजमेंट से मिलने जायें, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, गेट बन्द कर दिये जाते हैं । छोटी-छोटी बातों को लेकर मजदूरों का शोषण किया जाता है । आज सारे-के-सारे मेवाड़ टैक्सटाइल मिल के मजदूर जर्जरित हैं, पीड़ित हैं । इसके साथ ही जिस डिपार्टमेंट में मेवाड़ टैक्सटाइल मिल के मजदूर का खाता है, जिस खाते में वह काम करता है, उसको दूसरे खाते में काम करने को मजबूर किया जाता है । अनुभव नहीं होने पर वह काम नहीं कर

(श्री वंशीलाल पटवा)

पाता है, तो जोर-जबर्दस्ती और बिना नोटिस उसको निकाल दिया जाता है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री वंशी लाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, उससे मजदूर दर-दर भटक रहा है, भूखों मर रहा है, उनकी हालत दयनीय हो गई है। यही स्थिति चलती रही तो वहां पर एक विस्फोटक स्थिति हो सकती है। इस लिये इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है, सरकार ने यदि इस मेवाड़ टैक्सटाइल मिल को अपने हाथ में नहीं लिया या सुव्यवस्थित चलाने के लिये मैनेजमेंट को मजबूर नहीं किया, तो स्थिति भयंकर होगी और फिर उस स्थिति से निपटना मुश्किल होगा। आज सारे मजदूरों की स्थिति बड़ी दयनीय हो चुकी है इसलिये सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिये। यदि वहां सुव्यवस्था नहीं की गई तो स्थिति भयंकर होगी और मजदूर भड़केगा, हालात खराब होंगे, शहर का सारा वातावरण खराब होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन श्रमिकों की कोई न कोई उचित व्यवस्था की जाय और मजदूरों जिनको निकाला गया है, को वापस लिया जाय, साथ ही उनका हिसाब भी किया जाय। जो जर्जरित मशीनें है, उनको बदलवा कर ठीक किया जाय और यदि सेठ नहीं चला सकते हैं, तो सरकार अपने हाथ में लेकर इसको चलायें। यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल जैन।

वेकन फैक्ट्री के सम्बन्ध में।

श्री जीत मल जैन (अलवर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर में वेकन फैक्ट्री है वह प्राइवेट लोगों को ठेके पर दी गई है उसमें कम्पोजिट प्लान्ट के नाम से कार्य चलता है। उसके अन्दर पशुओं का वध होकर मांस डब्बों में भर कर बाहर भेजा जाता है, यह सरकार की ओर से जवाब आया है। मेरा जो निवेदन है, वह यह है कि जो मांस के लिये वहां पशुओं का वध होता है उसमें भेड़ व बकरी का वध, जो कुछ दिनों पहले तक होता था, बन्द कर दिया गया। अब पाड़े हरियाणा, आगरा और उत्तर-प्रदेश से लाकर उनका मांस डब्बों में बन्द करके बाहर भेजा जाता है। उनका जो कुछ भी वेस्ट मैटीरियल है, जो सफाई करने के बाद बचता है उसको ठीक प्रकार से दूर नहीं फेंका जाता है, वह पड़ा रहता है-आस पास में ही छोड़ दिया जाता है। जो आस पास के निवासी हैं, आस पास के रहने वाले लोग हैं उन लोगों को उससे कष्ट होता है और एक प्रकार से अस्वस्थ्यकारी स्थिति बन गई है। राज्य सरकार का यह कहना है कि इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आस-पास के लोगों ने मेमोरेन्डम जिलाधीश महोदय को दिया है, प्रशासक, नगर परिषद को दिया है, लेकिन आज तक कार्यवाही नहीं हुई है। इसके साथ एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हरियाणा से जो पाड़े काटकर लाये जाते हैं, उनकी सफाई होती है उनको इस प्रकार जो ट्रकों में लाया जाता है वह 72

(श्री जीत मल जैन)

घंटे पहले के रहते हैं, इससे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाता है....

(व्यवधान)

वह मांस खराब हो जाता है और वही फिर डिब्बों में भरकर बाहर जाता है। इसके साथ भारत की प्रतिष्ठा का सवाल जुड़ा हुआ है। अगर खराब मांस बाहर भेजेंगे, तो भारत की प्रतिष्ठा भी गिरेगी। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आस पास के नागरिक वहां रहते हैं उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशासन कारगर कदम उठाये और उस वेस्ट-मैटीरियल को बहुत दूर फिंकवाने की व्यवस्था करे, जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। इतना ही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवी सिंह भाटी।

(व्यवधान)

श्री हंस राज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने और श्री सोहनलाल जी ने ध्यान-आकर्षण-प्रस्ताव दिया था। मेरा निवेदन है, उसमें मेरा नाम नहीं है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री हंस राज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं.......

(व्यवधान)

मुझे इसमें समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अब सम्भव नहीं है।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने....

श्री अध्यक्ष : अब सम्भव नहीं है।

श्री हंस राज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने पुकारा नहीं है। मैं तो बैठा रहा कि अभी नाम आयेगा। श्री चुन्नी लाल जी नम्बर दो पर थे, उनको पुकार लिया गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे 2–3 मिनट...

श्री अध्यक्ष : उस वक्त कहते। अब तो मैंने दूसरे प्रस्ताव पर—

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो वंचित रह गया। जो कार्य हुए, उनके संबंध में ध्यानाकर्षित करना चाहता था, मैं सरकार से जानना चहाता था।

श्री अध्यक्ष : इसमें आपके दस्तखत नहीं थे। भूल गये आप दस्तखत करना।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर परियोजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, है, इसका निर्माण हो, इसमें हम सब भी....

श्री अध्यक्ष : भूमिका नहीं बांधें, माननीय सदस्य। सीधे विषय पर आ जाइये। यह सब जानते हैं कि राजस्थान नहर बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है।

श्री देवीसिंह भाटी : इसी के लिए मैं कह रहा हूं कि इतनी महत्वपूर्ण योजना होते हुए भी इसके अन्दर जो वहां के रहने वाले लोगबाग हैं, उनके सामने क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उनकी ओर यह राजस्थान नहर विभाग कतई ध्यान नहीं देता। इसके बारे में हमने बार बार माननीय मन्त्री महोदय, चीफ इंजीनियर, सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के सामने भी ये समस्याएं रखी थीं। परन्तु जिस प्रकार से नये क्षेत्र में नहर निर्माण कार्य चालू होता है उसमें, जैसे कि नहर निर्माण हो उसके अन्दर पानी के पीने के लिए खेलियां बनायी जायें, उनके अन्दर पेडियों की व्यवस्था हो, उनके अन्दर घाट बनाये जायें जिससे पशुधन नहीं डूबे, मरे नहीं।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान नहर बिरसलपु ब्रांच में जिसके निर्माण कार्य के दौरान तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, यह तो एक उदाहरण स्वरूप है। पता नहीं कितने-पचासों व्यक्तियों की इस प्रकार पानी पीते और पानी भरते हुए मृत्यु हुई है। श्री नीतू राम पुत्र सोहन राम, जिसकी 29-9-81 को आर. डी. 59 पर मृत्यु हुई, वह पानी भरने के लिए गया था। हमेशा की एक प्रक्रिया है, लोग-बाग वहां जाते हैं, पानी भरते हैं। परन्तु जैसे उसका पैर फिसला, वह नहर के अन्दर गिर गया और डूब गया और डूबते ही खतम हो गया। इसी प्रकार गंगली पुत्री खूसा राम बिश्नोई, पूर की पुत्री गंगा राम बिश्नोई, ये भी इसी प्रकार अकाल के मुंह में चले गये।

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार ये निर्माण कार्य चल रहे हैं, कच्चे नहर निर्माण हो, उसके अन्दर कोई दिक्कत नहीं आती परन्तु जैसे ही नहर को पक्की किया जाता है उसके अन्दर घाट बनाना, पेडियां बनानी भी आवश्यक है। आप कहीं भी जाइये, मौके पर उस नहर के अन्दर एक दो पशु हर रोज डूबकर तैरते हुए, निकलते हुए नजर आयेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अगर राजस्थान नहर मन्त्री इस क्षेत्र की समस्याओं का कुछ समाधान करना चाहते है जैसे वह बार बार घोषणाएं करते है कि मैं नहर के बारे में नयी स्कीम ला रहा हूं, परन्तु जैसे ही मुख्य मन्त्री ने उनके स्टेटमेन्ट का प्रतिवाद किया, उसी दिन से उनके स्टेटमेन्ट आने बन्द हो गये। अगर वह समस्याओं का कुछ समाधान करना चाहते हैं अगर उस नहर में सुख का, उस क्षेत्र के लोग को फायदा देना चाहते हैं, तो जैसे ही उनकी समस्याएं उनके सामने आयें, उनका तुरन्त समाधान किया जाय। नहर निर्माण के दौरान अगर वह इसी प्रकार लोगों का भक्षण चाहते हैं, वह डूबें और निर्माण कार्य में बर्बाद हो जाये और वह क्षेत्र सूना हो जाय और नये लोग-बाग जाकर वहां बसें, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, यह तो मात्र एक दो बातें हैं जो हम उनके ध्यान में ले आये, सूचना दे दी। इसके बाद इस प्रकार की कार्यवाही, पर ध्यान नहीं दिया, तो इसके लिए चाहे हमें कुछ भी प्रयास करना पड़े, चाहे कितना

66

(श्री देवीसिंह भाटी)

ही विरोध करना पड़े, हमें उसके लिए जो भी दिक्कत आयेगी, उनको सहन करेंगे, परन्तु ये निर्माण कार्य कतई नहीं चलने देंगे और इस प्रकार से उस क्षेत्र के लोगों को मरने नहीं देंगे। यह मैं चैलेन्ज देता हूं, या तो इस समस्या का एक महीने के अन्दर समाधान करें- पेड़ियां बनायें, खेलियां बनायें-वरना वह, अध्यक्ष महोदय, नहर निर्माण कार्य बन्द कर कर दिया जायेगा।

श्री दुलाराम : वह तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने क्षेत्र का।

व्यवस्था का प्रश्न
अधिसूचनाओं को सदन पटल पर रखे जाने में विलम्ब

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। अधिसूचनाएं। श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व ग्रुप 4....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पहले व्यवस्था इस प्रकार की दे रखी है कि जो अध्यादेश प्रसारित कर दिये जायें, वे उसके बाद जब विधान सभा का सैशन हो, उसमें पेश किये जायें। पिछली बार भी जब इसी प्रकार अध्यादेश रखे जा रहे थे तो मैंने आबजेक्शन उठाया था। आज मैं फिर कहना चाहता हूं, आप अगर अध्यादेश नम्बर एक को देखें, इसकी तारीख है 24 अप्रेल, 1931....

श्री अध्यक्ष : अधिसूचनाएं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अधिसूचनाएं। सारी अधिसूचनाओं के बारे में कह रहे हैं—

श्री अध्यक्ष : अधिसूचनाओं और आर्डिनेन्स....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जी हां। आपका स्लिप ऑफ टंग हो गया। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं। आप, अध्यक्ष पद से महत्वपूर्ण निर्णय, का पृष्ठ नम्बर 279 पर देखें। इस प्रकार का इसमें यह सवाल आया है-जिसमें श्री हरीश चन्द्र, यातायात मन्त्री होम 'बी' विभाग की अधिसूचना जो 10 जुलाई 1961 को प्रकाशित हो चुकी थी, सदन की मेज पर रख रहे थे, तो श्री भैरोंसिंह ने आपत्ति की कि उक्त अधिसूचना के प्रकाशित होने के बाद विधान सभा के दो अधिवेशन हो चुके और दूसरे, तीसरे को भी प्रारम्भ हुए एक महीना हो चुका है। फिर उनके इतने विलम्ब से सदन में प्रस्तुत किये जाने का क्या कारण है? इस प्रश्न पर कुछ वाद-विवाद के बाद अध्यक्ष महोदय ने कहा "मैं आपसे निवेदन करूंगा, माननीय मन्त्री महोदय, इस विषय के अन्दर और भी विशेष तौर से ध्यान रखें। अधिसूचनाएं जारी 10 जुलाई को हो गई और कोई कारण नहीं हो सकता जिसकी वजह से वे सदन में न आयें। आइन्दा पूरा ध्यान रखें।" मैं आपको कहना चाहता हूं कि अधिसूचना नम्बर एक, दो, पांच, आठ और नौ, इनके बाद एक सत्र 14 सितम्बर से लेकर 25 सितम्बर, 81 तक पूरा हो गया और इस सत्र को प्रारम्भ हुए भी 10-12

67

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
दिन हो गये, माननीय मन्त्री महोदय तो काफी पुराने हैं, जानकार हैं, उनके द्वारा ऐसी गलती हो। मैं आपके माध्यम से निवेदन करू कि आप मन्त्री महोदय को कहें कि वे ऐसी अधिसूचनाएं तुरन्त ही विधान सभा के पटल पर रखें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन....

श्री अध्यक्ष : अब स्थिति में काफी सुधार हुआ है पहले के मुकाबले में। पहले तो कई वर्षों पुरानी अधिसूचनाएं रखी जाती थीं इसलिए बार बार कहा। कुछ सुधार हुआ है। जो व्यवस्था अध्यक्ष महोदय ने उस वक्त दी है, उसको मैं दोहराता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : जिन अधिसूचनाओं को, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं, उसमें 3 अधिसूचनाएं ऐसी हैं जो पिछले सत्र से पहले गजट में प्रकाशित हो गई थीं। इनको कानून के अन्तर्गत राजस्थान टिनेन्सी एक्ट और अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पहले सत्र में रखा जाना आवश्यक था। इन अधिसूचनाओं को रखने के लिए विधान सभा सचिवालय को सूचना दे दी गई थी लेकिन, क्योंकि हिन्दी का अनुवाद नहीं था इसलिए विधान सभा ने यह एतराज करके भेजा कि राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अन्तर्गत इसकी हिन्दी प्रतिलिपि भी संलग्न की जानी चाहिए। वह की नहीं जा सकी थी। इतनी तो सरकार की गलती जरूर हुई। अदरवाइज यह पहले आ गई थीं, यहां पर सदन में और विधान सभा के इस एतराज के बाद में हिन्दी अनुवाद के साथ इसको दुबारा प्रस्तुत किया गया है। रहा सवाल 8 दिन में प्रस्तुत करने का, तो वह इसी सत्र में रखी जानी चाहिए थीं और इस सत्र में रखी जा रही हैं।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना.

अध्यक्ष महोदय, अब मैं राजस्व (ग्रुप-4) विभाग की निम्नांकित 8 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या एफ 5 (30) राज/ग्रुप-4/79, दिनांक 24 अप्रेल, 1981

(2) अधिसूचना संख्या प.5 (12), राज ग्रुप-4/78/12, दिनांक 30 अप्रेल, 1981

(3) अधिसूचना संख्या प.5 (27) रेवे/ग्रुप-4/81, दिनांक 20 फरवरी, 1982

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 5 (17) रेव/ग्रुप-4/81/1, दिनांक 20 जनवरी, 1982

उपरोक्त अधिसूचनाओं के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 में संशोधन किये गये हैं।

(5) अधिसूचना संख्या प.1(14) (राज) ग्रुप-4/80/42, दिनांक 21 जुलाई, 1981 जिसके द्वारा राजस्थान भूमि अर्जन नियम, 1956 में संशोधन किये गये हैं।

(6) अधिसूचना संख्या एफ. 3(28) रेव ग्रुप-6/78, दिनांक 17 दिसम्बर, 1981 जिसके द्वारा राजस्थान भूमि सुधार तथा भूस्वामियों को सम्पदाओं का अर्जन नियम, 1964 में संशोधन किये गये हैं।

(68)

(श्री परसराम मदेरणा)

(7) अधिसूचना संख्या प. 7 (1) राज/ग्रुप 4/80, दिनांक 13 मार्च, 1981

(8) अधिसूचना संख्या एफ. 17 (1) रेव/ग्रुप-4/80/29, दिनांक 22 मई, 1981 उपरोक्त अधिसूचनाओं के द्वारा राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम, 1973 में संशोधन किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जय कृष्ण शर्मा। परिवहन राज्य मन्त्री एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से गृह (ग्रुप 7) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 1 (43) होम 7/78, दिनांक 21-8-1981 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1981 में संशोधन किये गये हैं, को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : अधिनियमों के परिशोधित पाठ, श्री बृज सुन्दर शर्मा सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राजभाषा अधिनियम........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। अनुमति लेते नहीं हैं, यह इम्पलाइड है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने ले ली।

श्री अध्यक्ष : इतनी अण्डरस्टेंडिंग है। इतनी बात कह दें तो उसको मान लेते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किस बात की अण्डरस्टेंडिंग है ?

श्री अध्यक्ष : इतना कह दें वह पर्याप्त समझा जावे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यह नहीं हैं। अनुमति इस बात की लेनी है कि बृजसुन्दर जी का नाम इस कार्य सूची में आया है उनके स्थान पर परसराम जी बोल रहे हैं। इसकी अनुमति ली है ?

श्री अध्यक्ष : मेरे ध्यान में आ गई न बात। उन्होंने अनुमति का कहा, मैंने मौन अनुमति दे दी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय विधि मंत्री को आज, वर्ल्ड कोर्ट के जज आए हुए हैं, गवर्नर के यहां पर जाना आवश्यक था। उन्होंने सूचित कर दिया कि उनकी तरफ से मैं रखूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपने दूसरी घटना बता दी।

श्री परसराम मदेरणा : कौन सी घटना ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वर्ल्ड कोर्ट के जज आए हैं और विधि मंत्री जी गए हैं तो क्या शान रहेगी। आप जाते।

अधिनियमों के परिशोधित पाठ

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2) के अन्तर्गत निम्नां-

(श्री परसराम मदेरणा)

कित अधिनियमों के परिशोधित पाठ सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) राजस्थान निवारक निरोध अधिनियम, 1970

(2) राजस्थान राजगामी संपत्ति विनियमन अधिनियम, 1956, तथा

(3) राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्हता–निवारण) अधिनियम, 1969।

शासकीय वक्तव्य

बांसवाड़ा जिला में पीपल्दा ग्राम में पुलिस की पिटाई से खातिया नामक एक आदिवासी की मृत्यु

श्री अध्यक्ष : मंत्री द्वारा वक्तव्य। जिला बांसवाड़ा के पीपल्दा ग्राम में पुलिस की पिटाई से खातिया नामक एक आदिवासी की कथित मृत्यु के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मन्त्री, गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह वक्तव्य पढ़ने की इजाजत चाहता हूं।

दिनांक 9–11–81 को श्रीमती गंगा पत्नी खातू आदिवासी, निवासी पीपल्दा, थाना बांसवाड़ा ने जिलाधीश, बांसवाड़ा को एक इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि उसके पति को पुलिस थाना बांसवाड़ा की तरफ गाड़ी में बैठा कर चार दिन पूर्व 12–1 बजे के करीब पुलिस वाले ले गये। उसके बाद से ही न तो उसका पति घर आया है और न ही उसकी कोई जानकारी है। जिस पर दिनांक 10-11-81 को पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा ने उप अधीक्षक, बांसवाड़ा द्वारा जांच कराई।

2. प्राथमिक जांच के उपरान्त पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा के आदेश से मामले की गहनता को देखते हुए अभियोग संख्या-520, दिनांक 7–12–81 को धारा 365, 348 ता. हि. के अन्तर्गत थाना बांसवाड़ा पर पंजीबद्ध किया गया और पुलिस निरीक्षक द्वारा अभियोग का अन्वेषण आरम्भ किया गया। दिनांक 18–12–81 को उप महानिरीक्षक, उदयपुर रेंज के आदेश से इस प्रकरण की तफतीश डिप्टी एस. पी., प्रतापगढ़ को दी गई।

अन्वेषण स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया ही जा रहा था कि दिनांक 24-12-81 को महानिरीक्षक (पुलिस), राजस्थान, जयपुर के बांसवाड़ा दौरे के समय श्रीमती गंगा द्वारा उसके पति को प्रबन्धक, पुलिस थाना, बांसवाड़ा द्वारा गाड़ी में बैठा कर ले जाये जाने, उसके साथ गम्भीर मारपीट करने व चोरी की वारदात में गिरफ्तार शुदा अन्य तीन मुलजिमान को न्यायालय में पेश करने पर न्यायालय द्वारा उसकी जमानत होने व उसके पति को न तो न्यायालय में पेश करने और न ही उसका मालूम होने के कारण उसकी हत्या कर दिये जाने की सम्भावनाओं के आरोपों का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और यह भी मांग की कि जांच किसी विशेष अधिकारी द्वारा करवाई जावे, जिस पर महानिरीक्षक (पुलिस),

70

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

राजस्थान, जयपुर के आदेशानुसार दिनांक 31–12–81 से इस अभियोग का अन्वेषण सी. आई. डी (अपराध शाखा) के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है।

सी. आई.डी. (अपराध शाखा) के अधिकारी द्वारा अन्वेषण कर वस्तुस्थिति का पता लगाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। यह अन्वेषण सी. आई. डी. (अपराध शाखा) के उच्च अधिकारियों की देखरेख में किया जा रहा है।

इस मामले में 12–12–81 को थाना अधिकारी, लुहारिया, श्री आनन्दीलाल एवं हैड कांस्टेबल बदनसिंह को पुलिस अधीक्षक द्वारा लाइन हाजिर किया गया तथा बाद में इन्हें दिनांक 24–12–81 को निलम्बित कर दिया गया है।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आदिवासियों के प्रति सरकार की नीति है और सरकार आदिवासी और हरिजनों के लिए नकली आंसू बहाती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है, इस बात का....

श्री अध्यक्ष : कृपा करके विषय पर आ जाइये। बड़े प्रश्न को इसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : जो घटना हुई है उस सम्बन्ध में आप कुछ बात कहिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : मैं अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उसके बारे में पूछना चाहूंगा कि क्या बदनसिंह और आनन्दीलाल को निलम्बित करने से काम चल जाएगा? क्या यह कार्यवाही पूरी हो गई? दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं और यह आश्वासन चाहता हूं कि लाश का पता क्यों नहीं चल रहा है? उसके साथ कालिया और फूला दो व्यक्ति और थे और खातिया उनके साथ था। जिस समय उसके साथ थाने में मारपीट की गई तो क्या उस समय थाने में डॉक्टर को बुलाया गया? तीसरा, जब डॉक्टर नहीं बुलाया और वह बेहोश हुआ, सीरियस था तो क्या उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया? यदि भर्ती कराया तो डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट दी? वह रिपोर्ट आपके पास है? चौथा मेरा प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, कि क्या जो तीन आदमी उसके साथ थे उन आदमियों से उसको अलग किया गया और उनके साथ मारपीट की गई? उन लोगों से भी जानकारी की गई जो उनके साथ इस मुकदमे में पकड़े गए थे और उनको वे ले गए थे? मेरा आरोप है, अध्यक्ष महोदय, पुलिस के ऊपर, कि क्योंकि खातिया की पत्नी गंगा बड़ी खूबसूरत औरत है, उसकी बदनीयती रखते हुए पुलिस ने उसके साथ अलग से जाकर के मारपीट की, बुरी तरह से पीटा है। न कि उद्देश्य चोरी बरामद करने का है। मैं आरोप लगाता हूं, पुलिस पर और मंत्री महोदय पर कि उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें केवल निलम्बित किया गया है। उनको निलम्बित करने से काम नहीं चलेगा। उनके ऊपर 302 का केस क्यों दायर नहीं किया गया? मैं चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि ये ऐसे कातिल लोग हैं। जो पुलिस रक्षक है, पुलिस रक्षक नहीं भक्षक है। उनके खिलाफ 302 का केस रजिस्टर किया जाना चाहिए।

(श्री मेघराज तावड़)

क्या आप 302 का केस उनके खिलाफ रजिस्टर करेंगे ? मंत्री महोदय, इस बात का भी उत्तर दें। मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय कि वहां जो कर्मचारी थाने में हैं उन लोगों को वहां से हटा कर इन्वेस्टीगेशन केवल सी. आई. डी. से नहीं करा कर इस बात का आश्वासन दें कि सी. बी. आई. से जांच करायेंगे। जब तक जांच सी. बी. आई. से नहीं करायेंगे तब तक यह मामला सामने नहीं आएगा, क्योंकि उसकी लाश का पता नहीं है। यह सही बात है कि उसकी थाने में हत्या की गई है और अन्यत्र कहीं ले जाकर डाल दिया है, दफना दिया गया है। यह ब्लिट्ज में छपा है....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं माननीय सदस्य, आपने पूछ लिया है।

श्री मेघराज तावड़ : यह ब्लिट्ज की पूरी रिपोर्ट है इस सम्बन्ध में। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसकी सी. बी. आई. से पूरी जांच कराने का मंत्री महोदय आश्वासन दें, उनके खिलाफ 302 का केस रजिस्टर करें। मेरे चारों प्रश्नों का उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं दो सवाल पूछना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं भी कुछ सवाल पूछना चाहती हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : खातिया भील के सम्बन्ध में माननीय गृह राज्य मंत्री ने जो जवाब दिया, अध्यक्ष महोदय, मैं इससे सहमत नहीं हूं। खातिया भील पीपल्दा ग्राम का रहने वाला था जो लुहारिया थाने के अन्तर्गत जिला बांसवाड़ा में है। दिनांक 4 और 5 तारीख को पुलिस सब इंस्पेक्टर श्री आनन्दीलाल और हैड कांस्टेबल श्री बदन सिंह और उसके साथ दो कांस्टेबल और थे, यह दो बार ग्राम में गए और बारी बारी से खातिया भील और रामा भील को गिरफ्तार किया और लुहारिया थाने में ले गए। 4 तारीख को कालिया भील और फूलजी भील को गिरफ्तार करके लाए। अध्यक्ष महोदय, 24-11-81 तक इन चारों व्यक्तियों को पुलिस थाना, लुहारिया में बन्द रखा। उनके साथ मारपीट की जो यातनायें दे सकते थे, वह देने की कोशिश की। उसके पीछे कारण यह था कि लुहारिया थाने के अन्तर्गत कोई चालीस हजार की एक चोरी हुई थी। उस चोरी की शंका में इन चारों को गिरफ्तार किया गया था। अध्यक्ष महोदय, इसके आगे जो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात सामने आई है वह यह है कि 24-11-81 को लुहारिया पुलिस ने रामा भील और फूलजी भील को बांसवाड़ा के न्यायिक दण्डनायक के सामने प्रस्तुत किया जब कि कालिया भील को, वहां तो किया लुहारिया पुलिस थाने ने और यहां पर बांसवाड़ा पुलिस ने चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया और खातिया भील को न तो लुहारिया की पुलिस ने और न बांसवाड़ा की पुलिस ने किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया। इसके

(श्री नन्दलाल मीणा)

पीछे हुआ क्या ? जैसा कि राज्य मन्त्री महोदय ने बताया कि डी. आई. जी., उदयपुर रेंज वहां पर पहुंचे तो पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर के सामने जनता पार्टी ने शिकायत की तो उसकी जांच की। जांच पर पुलिस सब-इंसपेक्टर लुहारिया का कहना है कि हमने खातिया भील को पकड़ा ही नहीं चोरी के आरोप में, गिरफ्तार भी नहीं किया और न पुलिस थाने में रखा। इसके पीछे जब सर्किल इंसपेक्टर, बांसवाड़ा को इंक्वायरी के लिए नियुक्त किया गया और उन्होंने उस गांव के लोगों के बयानों के आधार पर गांव के लोग से सम्पर्क किया, छानबीन की, यह पाया की खातिया भील को पुलिस सब इंसपेक्टर आनन्दीलाल और हैड कांस्टेबल बदनसिंह तथा दो और पुलिस वाले, जो उनके साथ गए थे, गिरफ्तार करके ले गए। उसको पुलिस थाने में लाए। 24-11-81 तक उसको थाने में रखा और उसको यातनायें दी गई।

उसके बाद आई. जी. वहां पर पहुंचे। इसके पहले खातिया भील की शिकायत पर 348 और 364 में कार्यवाही शुरू की। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी शंका इसमें यह लगती है कि जब आदमी मारा गया, उसकी पत्नी कह रही है कि मेरे आदमी को जिन्दा या मुर्दा बरामद करवाइये और जबकि उसको पुलिस पकड़कर ले गई तो फिर 348 और 364 का क्या रगड़ा है ? इससे क्या यह शंका नहीं रहती कि जो इन्क्वायरी करके वाला पुलिस का आदमी, सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया उसकी नियुक्ति इस बात का फतूर नहीं है कि जो क्यों नहीं उस पर 302 और 307 की कार्यवाही की गई ? इसके पीछे, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जिस प्रकार आई. जी. गरीब आदमी मारा गया उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है ? वहां पर गये और सी. आई. डी. से इन्क्वायरी कराने की बात की और गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने मांग की, न कि उच्च-स्तरीय और निष्पक्ष जांच होनी चाहिये, यह आवश्यक है। इस प्रकार से आदिवासी इलाके में जो हत्यायें पुलिस के माध्यम से करना.......

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो गये, माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं माननीय मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस अधिकारी के माध्यम से दफा 307 और दफा 302 लगाने की कार्यवाही कर रहे हैं क्या आप 302 की कार्यवाही के अन्तर्गत जांच कराना चाहेंगे ? यदि आपकी नीयत में वास्तव में उस आदिवासी का हित है तो इस बात की सदन में घोषणा करें।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं बांसवाड़ा से आता हूं....

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा, संक्षेप में।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह राज्य मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि दर्ज कराई गई रिपोर्ट क्या नामजद है ? यदि हां, तो अब तक मुल्जिमों को क्यों नहीं पकड़ा गया ? तीसरा, दर्ज कराई गई रिपोर्टस के आधार पर आई. पी. सी. की किस धारा के अन्तर्गत केस बनता है ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, खातिया को जब थाना लुहारिया में ले

(एक माननीय सदस्य)

जाया गया और बहुत मारपीट के बाद वहां बेहोश हो गया तो डॉक्टर बांसवाड़ा से लाया गया या किसी और अस्पताल से डाक्टर बुलाया गया ? डाक्टर ने पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में क्या क्या बताया ? यह कृपया बताने की कृपा करेंगे ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सर्वप्रथम, गंगा पत्नी खातिया की तरफ से रिपोर्ट जिलाधीश को पेश की गई, मैं उसको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं ।

सेवा में, श्रीमान जिला दण्डनायक एवं जिलाधीश महोदय, बांसवाड़ा ।

विषय—न्याय हेतु प्रार्थना ।

मुसम्मात गंगा जोजे खातू, उम्र 24 वर्ष, निवासी पीपल्दा, थाना बांसवाड़ा विषय : न्याय पाने हेतु प्रार्थना । प्रार्थिया निम्न प्रकार से सादर निवेदन करती है :

यह कि मेरा पति खातू आदिवासी, जो खेत में काम कर रहा था, को पुलिस स्टेशन, बांसवाड़ा की जीप गाड़ी में चार दिन पूर्व शुक्रवार को दिन में 12-1 बजे के समय पुलिस वाले ले गये और मेरे गांव से बांसवाड़ा शहर की ओर जा रहे थे । विगत चार दिनों से वह कहां है और किस हालात में है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है । वर्तमान में हमारी खेती का समय चल रहा है और गेहूं, चने की फसल बोनी है । हमारे पति यहां नहीं होने से भारी क्षति हो रही है । हमारे पति पर किसी प्रकार का आरोप है तो पुलिस कार्यवाही की जानकारी देवे तथा इतने दिन कहां कहां थे ? इस प्रकार की कार्यवाही से हमारे धन-जन दोनों नष्ट हो रहे हैं ।

यह कि श्रीमान का क्षेत्राधिकार है और रास्ते चलते जनता को इस प्रकार पकड़ कर ले जाना, बिना किसी आरोप के न्याय में इस कार्यवाही का समर्थन नहीं होता । लिहाजा निवेदन है कि फरियादी की प्रार्थना पर अमल फरमायेंगे और कानूनी इमदाद हो तो प्रदान करायेंगे ।

यह प्रार्थना पत्र गंगा की तरफ से जिलाधीश, बांसवाड़ा को पेश किया गया था । तो अध्यक्ष महोदय, इसमें बांसवाड़ा की तरफ से जीप आ रही थी उसके अन्दर...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस पर हुआ क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको विगतवार बताना चाहता हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विगत जाने दीजिये क्योंकि सदन का समय जायेगा आपने एफ. आई. आर. पढ़ कर सुनायी क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : This was treated as F. I. R.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एफ. आई. आर. जो दी उन्होंने ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको सब सुनाये देता हूं । जब यह आई तो इसको एस. पी. को फार्वर्ड किया कलेक्टर ने । एस. पी. ने सर्किल ऑफिसर को दे दी और सर्किल ऑफिसर ने इस पर तफतीश की । वह लुहारिया थाने में, बांसवाड़ा थाने में गये और सब जगह से पुलिस वालों ने इस

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बात को मना किया कि हम तो उसको पकड़ कर नहीं लाये । They denied, उसके ऊपर वे गांव में भी गये और उस जगह भी पता लगाया। जब यह मामला उसके समक्ष आया तो उन्होंने बिना नाम की रिपोर्ट 365 व 348 की थाने में दर्ज करा कर केस का इन्वेस्टीगेशन शुरू किया। जब डी. आई. जी. को इस बात का पता लगा, तो डी. आई. जी. आये । उन तक शिकायत पहुंची तो उन्होंने सकिल ऑफिसर, प्रतापगढ़ को इस मामले की जांच दे दी। इस आशय से कि लोकल पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है और लोकल पुलिस न्याय नहीं दे पायेगी, जब आई. जी. साहब पहुंचे, दौरे के दौरान, तो खातू की वाइफ........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो रिपीट कर रहे हैं आप ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे बताना तो पड़ेगा। फिर, अध्यक्ष महोदय, आई. जी. के सामने वह पेश हुई और उसने कहा कि यह डी. एस. पी., बांसवाड़ा पहले वहां रह चुके हैं, प्रतापगढ़ वाले और इनसे हमको न्याय की उम्मीद नहीं है, आप अपनी ओर से जांच करावें। तब उन्होंने इसकी जांच सी. आई. डी. (सी.बी.) को दे दी। 31-12-81 को यह ट्रांसफर हुई, सी. आई. डी. (क्राइम) में। उसके बाद तफतीश चालू है। मेरे सामने यह मामला जब आया तो मैंने कल ही वहां से तफतीश कुनिन्दा को स्वयं बुलाया और स्वयं इस केस की जानकारी प्राप्त की और मैंने खुद हिदायत दी है कि इसका कन्क्लूजन निकाल कर दे देवें। अध्यक्ष महोदय, इसमें पुलिस प्रशासन को कोई फेवर करने की बात होती तो न तो सब-इंसपेक्टर का ट्रांसफर करते, न ही यह सी. आई. डी. (सी.बी.) में ट्रांसफर करते और न उस हैड कांस्टेबल को ट्रांसफर करते। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार की किसी को प्रोटेक्शन देने की नीयत नहीं है। जो दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने में सरकार हिचकिचायेगी नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : मैं क्वेरी करता हूं। यह बताइये, आपके जो तफतीश कुनिन्दा हैं वे इस नतीजे पर पहुंचे या नहीं कि पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी नहीं बताई हो लेकिन गिरफ्तार किया था या नहीं? क्योंकि बुनियादी सवाल यही है। क्योंकि गिरफ्तार किया गया और उसके बाद पता। नहीं लगा नहीं। आप स्वयं कानून से परिचित हैं कि किसी व्यक्ति को किसी के साथ आखिरी बार देखें तो उसकी बड़ी भारी जिम्मेदारी हो जाती है कि वह व्यक्ति गया कहां? फिर सस्पेण्ड किया तो किस आधार पर?

श्री महाराम चौधरी : आज झिल्या हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या कह रहे हैं?

श्री महाराम चौधरी : आज ही पकड़

(श्री महाराम चौधरी)

में आये हैं आप। वरना ऊपरी-ऊपरी दांव-पेच कर निकल जाते हो आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय की पकड़ में आये हैं बड़ी खुशी है इस बात की तो। अध्यक्ष महोदय, आपने दो प्रश्न पूछे कि अब तक की तफतीश से क्या हुआ। अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर जो अब तक की तफतीश हुई है, जो बयानात हुए हैं, उनकी लिस्ट है मेरे पास। यह गिरफ्तारी कहीं नहीं पायी गई, न तो बांसवाड़ा और न लुहारिया के पुलिस रिकार्ड में। उस आदमी की कहीं गिरफ्तारी नहीं बताई गई है।

श्री अध्यक्ष : तो फिर सस्पेण्ड क्यों किया गया ?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सीरियस एलीगेशन लगाया गया और सर्किल ऑफिसर ने यह बात कही। जो तफतीश की उसमें भी ताईद किया कि तुम्हारे पर एलीगेशन यह है, तुम उसका पता लगाओ। तुम्हारे पर आरोप है। पता न लगाने के कारण, नेग्लीजेंस बरतने के कारण, श्रीमान्, उसको सस्पेण्ड किया गया।

श्री अध्यक्ष : इसमें कुल मिला कर जो स्थिति बनती है वह यह कि पुलिस को सैटिस्फाई करना होगा कि वह गिरफ्तार किया गया था या नहीं और कस्टडी में था या नहीं। अगर नहीं था, और उसके बाद पता नहीं चल रहा है तो उसके बाद लाश बरामद करने की कार्यवाही से ताईद की जाय। वरना सस्पेन्ड करके आपने रख दिया है और आगे किसी निर्णय के लिये आपका इन्वेस्टीगेशन ऑफिसर नहीं पहुंचा है। पुलिस की कस्टडी में था या नहीं, था पुलिस के पास आया था या नहीं, उसके साथ में था या नहीं। इस नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं। तो फिर क्या इन्वेस्टीगेशन है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने दो प्रश्न पूछे हैं। अध्यक्ष महोदय, अदालत के अन्दर उनको 21 तारीख को पेश किया गया था और 24 तारीख को उनकी जमानत हुई है। जो आरोपी थे उन लोगों के साथ वह पकड़ा गया। दो मुल्जिम और थे।

श्री नन्दलाल मीणा : उसके साथ जो गिरफ्तार लोग थे रामा भील, उनके क्या बयान हैं ? वह बताइये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

बात यह है कि इन्वेस्टीगेशन में सबूत अदालत के सामने पेश किये जा सकें, शायद इसमें कठिनाई आवे। साधारण मारपीट का कोई इल्जाम होता तो पुलिस उसी वक्त किसी नतीजे पर पहुंच जाती कि सच्चाई क्या है। उसकी लाश बरामद हुई अथवा वह गायब हो गया, यह अलग बात है। सच्चाई पुलिस से छिपती नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन कर दूं, यदि आप चाहें तो समय जरूर लगेगा।

श्री नन्दलाल मीणा : रामा भील के पुलिस के पास बयान हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। यह अलग से प्रश्न है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर बयान लिये गये हैं। जो बयान लिये गये हैं, आप चाहें तो मैं उन बयानों को पढ़ कर सुना दूं।

श्री नन्दलाल मीणा : रामा भील के बयान पढ़ कर सुनाइये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

पुलिस के स्टेटमेन्ट के बारे में कठिनाई यह है कि उस पर पुलिस के दस्तखत होना जरूरी नहीं है। यह अलग चीज है।

(व्यवधान)

ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : पुलिस उसको पकड़ कर ले गई है....

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जांच रिपोर्ट में है, पुलिस पकड़ कर थाने में ले गई। मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या माननीय गृह राज्य मंत्री यह बताएंगे कि जो एफ. आई. आर. दर्ज की गई है वह किस आधार पर की गई है? सर्किल इन्सपेक्टर की जांच के आधार पर की गई है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो प्रारम्भिक रिपोर्ट उसकी पत्नी ने दी, उसके आधार पर? डी. एम. को प्राप्त प्रारम्भिक रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट में कोई अन्तर है क्या?

(विराम)

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं, इस सम्बन्ध में काफी चर्चा हो गई है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप भी समझ गये जो है सो....

श्री अध्यक्ष : इसमें हम यह कह देते हैं कि इस दृष्टि से आदेश दें कि इन्वेस्टीगेशन हिसाब से हो....

एक माननीय सदस्य : फैक्ट जो आये हैं वह बताइये....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भविष्य के लिये आदेश हो जाएंगे, सरकार के आदेश हो जाएंगे....

श्री अध्यक्ष : इस केस के बारे में यह कह रहे हैं कि जो यह परिस्थितियां सामने आई हैं, पुलिस यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकी है कि क्या उस व्यक्ति को पकड़ा गया था और थाने में दूसरे मुल्जिमों के साथ लाया गया था। इतना आप निकाल लीजिये, उसके बाद में, मैं समझता हूं कि समस्या का हल निकल जायेगा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि सर्किल इन्सपेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दे दी है कि उसको पुलिस लाई थी। उस आधार पर केस रजिस्टर किया था लेकिन माननीय मंत्री महोदय कुछ अजीब सी बात कह रहे हैं।...

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपको कहा है, केस रजिस्टर किया गया है, 7-12-1981 को। शायद मामला यह है, श्रीमान जिला दण्ड नायक, गंगा पत्नी........प्रार्थिनी नम्र निवेदन करती है....यह तो वही है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसने पहले दी है। उसके ऊपर ही रिपोर्ट दर्ज की गई है।...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सारा फर्जी काम हो रहा है।.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य.......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा एक क्वेश्चन है।

मंत्री महोदय ने बताया है कि डी. एम. को लिखित में शिकायत की थी। उसके आधार पर केस रजिस्टर किया गया। मैं यह मान कर चलूं, मंत्री महोदय, आपने यह कहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने उसकी पत्नी ने रिपोर्ट की, उस आधार पर केस रजिस्टर किया गया। मैं यह जानकारी चाहता हूं कि जिस तारीख को उसने शिकायत की, उसी तारीख को यह कॉग्नीजेबल ऑफेन्स था तो केस क्यों नहीं रजिस्टर किया गया और उसकी इन्क्वायरी बाद में क्यों करायी गई ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई कम्पलेन्ट की जाती है, यहां किसी के खिलाफ एलीगेशन नहीं है, नामजद रिपोर्ट नहीं थी। मेरा आपसे यह निवेदन है, जब किसी आदमी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट नहीं है और उसमें यह लिखा है कि मेरे पति का पता लगवाया जाय तो डी. एम. ने उसी वक्त एप्लीकेशन को फार्वर्ड कर दिया एस. पी. को और एस.पी. ने सर्किल ऑफिसर को फार्वर्ड कर दिया। उन्होंने जांच पड़ताल की है। जब उन्होंने यह पाया कि इस मामले में कहीं न कहीं गफलत है तो उन्होंने इसको धारा 365 में केस दर्ज कर लिया....

श्री अध्यक्ष : यह पर्याप्त हो गया। इतना ही मंत्री महोदय बात को समझ गये हैं, जैसे, दूसरे लोगों के विरुद्ध ऐसी शिकायत होती तो कोई व्यक्ति तीन महीने या चार महीने से गायब रहता....

(व्यवधान)

ऑर्डर, इस पर चर्चा नहीं होगी।....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया, स्थान, ग्रहण कीजिये।.......

आधे घंटे की चर्चा ....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज।

अब मैं किसी प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा। आसन पैरों पर है।

कोई पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं दूंगा....

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है।........

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : प्रदेश की पुलिस अक्षम है तो सी. बी. आई. को क्यों नहीं सौंप देते हैं ?........

श्री अध्यक्ष : अपनी पुलिस भी सक्षम है।

माननीय सदस्य, चर्चा पर्याप्त हो चुकी है। कोई भाषण नहीं होगा।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया मेरी बात को सुन लीजियें।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए।

आसन पैरों पर है। मैं भी निवेदन करना चाहता हूं।

ऑर्डर प्लीज, कृपया बैठ जायें।

ऐसा है कि यह स्थगन प्रस्ताव जब मेरे पास आया और मैंने इसको पढ़ा और इसमें मैंने कुछ ऐसा पाया कि शायद इसमें ज्यादती हो गयी हो। क्योंकि कोई व्यक्ति तीन-चार माह पहले पुलिस द्वारा थाने में ले जाया गया हो अथवा बुलाया गया हो उसके बाद में उसका पता नहीं चल रहा हो, पुलिस के खुद के ऊपर इल्जाम है। उसके बाद में यह भी मालूम हुआ कि जैसा मंत्री जी ने कहा, सी. आई. डी. को इस केस को दे दिया गया है। तो जो बुनियादि प्रश्न थे, मेरे विवेक के अनुसार मैंने सब पूछ लिये। मंत्री महोदय भी, मैं समझता हूं कि मेरे आशय को अच्छी तरह से समझ गये होंगे। यह वास्तव में काफी गम्भीर मसला है। आपको इसमें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। यदि मैं खुद इसके बारे में इतना चिंतित नहीं होता तो इतना अवसर देना, जवाब मंगवाना, उसके बादमें आप जानते हो कि वाद-विवाद माननीय सदस्य के बीच में होता है लेकिन मैंने खुद ने इन्टरवीन करके जो बातें कहीं, मैं समझता हूं, इसके परिणाम का कुछ समय के लिए इन्तजार करना चाहिये। यदि जांच नहीं होती है तो आप इसको दुबारा मेरे ध्यान में ला सकते हैं। कार्य सूची काफी लम्बी है और समय काफी हो गया है। मैं आप माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं इसलिए मुझे इजाजत दीजिए अगला विषय लेने की।........

माननीय सदस्य, सब प्रश्न आ गये हैं यह मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

आधे घन्टे की चर्चा। पहले कृषि मंत्री

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)
जी वक्तव्य देंगी और उसके पश्चात् जिन माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाये हैं उनको कुछ प्रश्न पूछने की इजाजत दी जायेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें, अध्यक्ष महोदय, पहले जो चर्चा उठाते हैं, उन सदस्यों को बोलने देते हैं इसलिए पहले उनको बोलने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : सरकार का उत्तर आने दीजिए पहले, उसके पश्चात्........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज का कार्य, आज का बिजनेस समाप्त हो जाय, उसके बाद में ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय काफी अनुभवी हैं। वह अपने अनुभव के आधार पर.......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं रूल्स के आधार पर........

श्री अध्यक्ष : हां रूल्स में हो या परम्पराओं में, ऐसा प्रश्न आखिर में उठाया जायेगा, आज की कार्य सूची समाप्त होने के पश्चात्। मुझे कोई एतराज नहीं है उस वक्त ले लेंगे इसको।

समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन, श्री हरिदेव जोशी।

समिति का प्रतिवेदन

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री रामधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री रामधन (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, 1981-82 का स्वायत्त शासन विभाग तथा नगर विकास, आयोजना विभाग से सम्बन्धित समिति का द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति का तेरहवां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। मंत्री जी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : मैं कार्य सलाहकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृति)

कार्य सलाहकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमति प्रकट की गई।

घोषणा

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद के लिए समय का बंटवारा

आय-व्ययक 1982-83 पर सामान्य वाद-विवाद के लिए दलों में समय का बंटवारा।

आय-व्ययक, 1982-83 पर वाद-विवाद के लिए समय का दलों में बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है :—

कांग्रेस (ई)–10 घंटे, भारतीय जनता पार्टी-3 घंटे, जनता पार्टी (जेपी)-40 मिनट,

(श्री ग्रध्यक्ष)
लोकदल-30 मिनट, कांग्रेस ग्रर्स-30 मिनट, प्रगतिशील विधायक दल-ग्राप लोगों को शिकायत थी इसलिए 40 मिनट कर देता हूं ।

(व्यवधान)

इससे ज्यादा समय माननीय सदस्य नहीं लेंगे। समान ग्रवसर दिया जाता है।

ग्रॉर्डर प्लीज ।

भारतीय साम्यवादी दल-30 मिनट। 15 मिनट था। ग्रब समय बढ़ा दिया है।

मार्क्सवादी साम्यवादी दल-30। मिनट।

(व्यवधान)

निर्दलीय 15 से 20 मिनट।

एक माननीय सदस्य : ग्रध्यक्ष महोदय, हमारे इस समय को ग्राधा घण्टा कर दीजिए।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप हमेशा ज्यादा समय लेते हैं। इस समय के बंटवारे में सरकार की ग्रोर से उत्तर का समय भी सम्मिलित है।

एक माननीय सदस्य : हमको जो 35 मिनट दिये गये। सबसे ज्यादा किसानों के ऊपर भार लादा गया है ग्रौर उसमें भी ग्राप........

श्री ग्रध्यक्ष : ध्यान रख लेंगे। ग्रापने जो सुझाव दिये, उनकी ग्रोर ध्यान रख लगे। सभी को समान ग्रवसर मिले, ऐसी व्यवस्था की जायेगी, माननीय सदस्यगण।

ग्राय-व्ययक 1982-83

प्रथम ग्रवस्था

सामान्य वाद-विवाद।

एक माननीय सदस्य : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राधे घण्टे की चर्चा........

श्री ग्रध्यक्ष : सबके बाद में। ग्रनुमति हो तो इस सदन की, ग्राधे घण्टे की चर्चा पहले ले ली जाय।

पहले ले लेते हैं। क्या दिक्कत है ?

नियम 295 के ग्रन्तर्गत प्रस्तुत प्रश्न विश्वविद्यालयों की परीक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री के वक्तव्य के कारण विद्यार्थियों की हड़ताल एवं प्रदर्शन

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : एक निवेदन है कि ग्राज 295 में उन्होंने एक नोटिस दिया था। सारे महाविद्यालयों ग्रौर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बाहर ग्राये हुए हैं, ग्रान्दोलन हो रहा है। ग्रगर ग्राप मुझे दो मिनट की इजाजत दें तो उस सम्बन्ध में........

श्री ग्रध्यक्ष : दो मिनट।

श्री नाथूसिंह : हां, दो मिनट।

(श्री नाथूसिंह)

अध्यक्ष महोदय, आज विश्वविद्यालय और जयपुर के जितने महाविद्यालय हैं, उनके समस्त छात्र राजस्थान विधान सभा के सामने अभी अभी प्रदर्शन करने आये हैं और अभी उन्होंने शिक्षा मंत्री जी से मिलने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि शिक्षा मंत्री जी उनसे मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, विगत 18 फरवरी को राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से, रजिस्ट्रार साहब ने एक विज्ञप्ति निकाली जिसमें यह कहा गया कि विश्वविद्यालय के छात्रों की परीक्षायें........विज्ञप्ति सुना देता हूं, छोटी सी है :—

"स्थानीय महाविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय की परीक्षा तिथियां बढ़ाने का अनुरोध किया है। छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए मार्च, 1982 में परीक्षायें आयोजित नहीं की जा रही हैं। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा तिथियां यथाशीघ्र घोषित की जायेंगी।

17 फरवरी, 1982 कुल सचिव"

यह एक विज्ञप्ति निकाली है। बहुत सारे विद्यार्थी वी. सी. से मिले। उन्होंने बाहर आकर कहा, बिलकुल ठीक बात है यह सप्लीमेन्ट्री एग्जामिनेशंस नहीं हुए हैं, कई परीक्षाओं के परिणाम नहीं आये हैं इसलिए मार्च में आयोजित नहीं करा सकते। व्यवस्था नहीं कर सकते हैं इसलिए मार्च में आयोजित नहीं करा सकते, व्यवस्था नहीं कर सकते हैं इसलिए आगे परीक्षा कराना उचित है। वी. सी. ने यह शब्द कहे। लेकिन सदन में जब यह मामला आया, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा कि परीक्षायें हम मार्च में करायेंगे। उस बयान को लेकर सारे छात्रों में उत्तेजना है, अध्यक्ष महोदय। विश्वविद्यालय बन्द रहा, इन्हीं चीजों को लेकर। चूंकि वहां पर स्थाई वी. सी. नहीं हैं बहुत दिन हो गये हैं और स्थाई वी. सी. न होने से वहां प्राब्लम खड़ी हो रही है। वी. सी. पाण्डे तो यहां आने वाले थे। वहां सारे कर्मचारियों में उत्तेजना है, सारे लेक्चरर्स, प्रोफसरों में उत्तेजना है, सारे विद्यार्थियों में उत्तेजना है। तभी से आन्दोलन होना शुरू हुआ। जहां तक मैंने सुना है, अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली में, उनको रोके जाने की बात कही है। मैंने कहा है, मुझे मालूम नहीं है लेकिन ऐसी चर्चा है, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। विद्यार्थी आज किसी भी स्थिति में नहीं हैं, सारे छात्र उत्तेजित हैं और वाइस चान्सलर, रजिस्ट्रार फैसला लेने से पूर्व....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री नाथूसिंह : एकेडेमिक कौन्सिल है। विश्वविद्यालय आटोनॉमस बाडी है और एकेडेमिक कौंसिल के जो एकेडेमिक मैटर्स हैं वह उनमें निर्णय करती है, क्या कोर्स होना चाहिये, क्या परीक्षायें होनी चाहिये.......

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मन्त्री जी उस विश्वविद्यालय की आटोनॉमी में दखल दे रहे हैं और एकेडेमिक मैटर्स में विश्वविद्यालय की आटोनॉमी को समाप्त कर रहे हैं। फाइनेन्सियल मैटर्स में कुछ भी करिये, सहायता दीजिये उनको, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है कि छात्रों को परेशान किया जा रहा है, छात्रों की बात सुनी नहीं जाती। अभी मैं मिलकर आया हूं। माननीय परसरामजी भी उनसे मिले हैं और उन्होंने किस तरह से बात रखी, बड़ी विनम्रता से और सही तरीके से अपनी बात रखी, लेकिन शिक्षा मंत्री जी अभी उन विद्यार्थियों से नहीं मिल रहे हैं। मैं आशा करता हूं शिक्षा मन्त्रीजी, नेताओं से मिलेंगे और इसको कार्यरूप में परिणत करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आधे घण्टे की चर्चा श्री शिवदानसिंह।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : शिक्षा मन्त्रीजी विद्यार्थियों के शिष्टमण्डल से मिलने के लिये गये हैं और आटोनॉमी में राज्य सरकार की तरफ से इण्टरवीन नहीं किया जा रहा है, जैसा कि शिक्षा मन्त्री जी ने बताया। विद्यार्थियों ने आपकी उपस्थिति में जो बात कही है जो तारीख मुकर्रर राज्य सरकार ने की, वही कर रहे हैं। यह जो विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर ने की, वही की जायेगी।

श्री नाथूसिंह : आपके सामने विद्यार्थियों ने कहा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने उनको भेज दिया और समझा दिया।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आप भी सहयोग दीजिये जाकर।

आधे घण्टे की चर्चा
उद्योगों की भांति किसानों को जनरेटर लगाने हेतु सहायता

श्री अध्यक्ष : आधे घण्टे की चर्चा।

श्री शिवदान सिंह।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान उस आदेश की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें राज्य सरकार ने उद्योगपतियों को जनरेटिंग सैट लगाने के लिये सब्सिडी का प्रावधान किया। उसमें एक उद्योग को 50 पर्सेन्ट सब्सिडी दी जाती है, कुल लागत की। उसके अनुसार ढाई लाख उद्योगों को जनरेटिंग सैट के लिए सब्सिडी दी जा रही है। उद्योगों को जितना नुकसान होता है, अलग से, आदेश दिये हैं इसके बारे में, इसी प्रकार किसानों को उद्योगपतियों से भी ज्यादा नुकसान होता है। उद्योगपति का जो इन्वेस्टमेन्ट है, उसका कारखाना नहीं चलता फिर भी इन्वेस्टमेन्ट वैसा का वैसा रहता है जबकि किसान का जैसा इन्वेस्टमेन्ट होता है, उसमें वह पहले बीज बोता है, ट्रैक्टर से खड़ाई करता है, फर्टिलाइजर लगाता है, अपनी लेबर उसमें लगाता है और जब उसमें बिजली समय पर नहीं पहुंचती है तो वह पिलाई नहीं कर पाते हैं, उसका सारा इन्वेस्टमेन्ट बेकार हो जाता है और सारा आर्थिक नुकसान हो जाता है। इस नुकसान को देखते हुए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार जिस प्रकार से

(श्री शिवदान सिंह राठोड़)

उद्योगपतियों को सब्सिडी दे रही है उसी प्रकार किसानों को भी अपने कुओं पर जनरेटिंग सैट लगाने के लिये सब्सिडी दे और उसमें इस प्रकार की व्यवस्था की जाय। अध्यक्ष महोदय, जोधपुर संभाग में कुएं सौ-डेढ़ सौ फीट गहरे हैं, उनसे पानी निकालना पड़ता है और इन्जनों से भी पानी निकालना मुमकिन नहीं होता है। लोग ट्रैक्टर लगाकर निकालते हैं इससे उनको कास्ट बहुत आती है। इस प्रकार से बहुतखर्चा होता है। इसमें जनरेटिंग सैट के लिये किसानों को सब्सिडी का प्रावधान कर दिया जाय। किसानों को आज की तारीख में इन्जिन के लिये तो लोन मिलता है लेकिन जनरेटिंग सट के लिए लोन नहीं मिलता है। इसलिए उनको पचास पर्सेन्ट सब्सिडी दी जाय और 50 पर्सेन्ट लोन से पैसा दिया जाय ताकि वह अपने कुओं से पानी निकाल सकें। पश्चिमी राजस्थान में कुओं में पानी कम होता है और एक कुएं से जनरेटिंग सैट को दूसरे कुओं पर लगाना चाहें तो वह पानी निकाल सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि गवर्नमेन्ट ने जिस प्रकार उद्योगपतियों को राहत दी है उसी प्रकार किसानों को भी राहत दे सकती है। अतः सब्सिडी और लोन का प्रावधान किया जाय।

श्री अध्यक्ष श्री माधवसिंह दीवान।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा जब राजस्थान सरकार जनता के लिए एक जैसी है तो उद्योगपतियों के लिए स्पेशल फेसिलिटी क्यों? जबकि किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। एक तबके को फेसिलिटी दे रहे हैं और दूसरे तबके को नहीं दे रहे हैं, इसका क्या कारण है? इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन सरकार क्यों कर रही है?

(2.15 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): अध्यक्ष महोदय, उद्योगपतियों को जिस प्रकार से, जनरेटिंग सैट लगाने के लिये 50 पर्सेन्ट सब्सिडी देने का जो प्रावधान किया गया है उसी प्रकार किसानों को भी 50 पर्सेन्ट सब्सिडी जनरेटिंग सैट लगाने के लिये मिलनी चाहिये। इस प्रकार मैंने एक प्रश्न किया था और अध्यक्ष महोदय ने इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा उठाने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद देता हूं। किसानों को बिजली गत दो-तीन वर्षों से चार-पांच घण्टे से अधिक नहीं मिल पा रही है। बिजली पर्याप्त नहीं मिल पाने से उनकी सारी फसल चौपट हो जाती है। आज देश के अन्दर 80 पर्सेन्ट लोग खेती करते हैं। उनका खेती के अलावा किसी प्रकार का अन्य स्रोत कमाई का नहीं है। बिजली का कनेक्शन मिल जाने के बाद अगर उनको बिजली नहीं मिलती है और उनकी फसल सारी की सारी चौपट हो जाती है तो इस प्रकार किसानों की चार-पांच साल से बिजली की कमी के कारण आर्थिक स्थिति रसातल में पहुंच रही है। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से निवेदन है कि जिस प्रकार उद्योगों के लिये 50 पर्सेन्ट सब्सिडी जनरेटिंग सैट

(श्री सूरजपाल सिंह)

लगाने के लिये देने का प्रावधान किया गया है उसी प्रकार का प्रावधान किसानों के लिए भी किया जाना चाहिये। किसानों को बिजली का कनेक्शन लेने के बाद में भी अतिरिक्त व्यवस्था के तौर पर डीजल सैट लगाने पड़ते हैं। बिजली का कनेक्शन लगाने में रुपये खर्च करते हैं, अतिरिक्त डीजल सेट लगाकर दस-पन्द्रह हजार वह खर्च करते हैं और इस महगाई में डीजल ऑयल तो पूरा नहीं मिल सकता। इस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति दिनोंदिन रसातल में जा रही है, किसानों की स्थिति बहुत ही गिर रही है इसलिए यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री सूरजपालसिंह : इसलिए राज्य सरकार को इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई इस प्रकार की व्यवस्था, जनरेटिंग सैट की या जो वित्तीय साधन हैं उनको देखते हुए यदि यह नहीं कर सकें तो मेरा यह भी सुझाव है कि जिन किसानों ने बिजली के कनेक्शन मिल जाने के पश्चात्, जिनके डीजल सैट हैं उनको डीजल कूपन या अन्य प्रकार से कास्ट देकर, क्योंकि कनेक्शन दिया तो बिजली दी जानी चाहिये और नहीं मिलती है तो उसको....

श्री हजारी लाल शर्मा : वह तो बढ़ा दिया।

श्री सूरजपाल सिंह : वह तो ठीक है, बढ़ा दिया। सूक्ष्म में मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से उद्योगपतियों को सब्सिडी दी गई, उसी प्रकार से किसानों को भी राहत दी जानी चाहिये। जब जनरेटिंग सैट पर लोन और सब्सिडी दी गई तो किसानों को भी इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधव सिंह दीवान।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : मैं तो बोल चुका हूं।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें बोलने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धाराराम फुलवारिया (अनुपस्थित)

श्री जेठमल बरवड़।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आधा मिनट में ही अपनी बात कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। आप बोल रहे हैं ना ?

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) : मैं बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जनरेटिंग सैट लगाने के लिये जिस प्रकार व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, जो सब्सिडी और लोन की व्यवस्था सरकार ने की है, वह तो ठीक है। धन्यवाद सरकार को परन्तु आज किसान इस बिजली से इतने परेशान हैं कि चार-पांच घण्टे दिन में उनको बिजली

(श्री जेठमल बरवड़)

मिलती है और बीच में चली जाती है। इस कारण वह रात को पानी में खड़ता रहता और फसलों के बीच में रहता है। उनको परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है, कृषि मंत्री जी से, किसानों को भी जनरेटिंग सेट लगाने के लिये सब्सिडी और लोन दिया जाना चाहिये। अगर इनको सब्सिडी दी गई तो, उपाध्यक्ष महोदय, किसान उत्पादन बढ़ायेगा। किसान देश के लिये सबसे जरूरी, है जो अनाज पैदा करता है, जो इन्सानों की जरूरत की चीज है। अगर उद्योग बन्द हो जाता है तो भी ठीक है, लेबर को नुकसान जरूर होता है लेकिन आज जो फसल जल जाती है, किसान इतनी मेहनत के बावजूद भी उस फसल को नहीं बचा सकता। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि किसानों को भी सब्सिडी और लोन दिया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आसन पैरों पर है। जिन्होंने भाषण दिया, उनको कायदे से मौका दिया गया है और उन्हीं को दिया जा सकता। दूसरे को नहीं।

(व्यवधान)

मंत्री महोदय जवाब दें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। आपने पहले कहा होता तो आपको भी मौका मिलता।

(व्यवधान)

स्थान ग्रहण करें।

श्री त्रिलोक सिंह : अगर किसी भी किसान की क्षति हो तो उसे मुआवजा नहीं दिया जायेगा और किसी व्यापारी का बेटा होता है तो....

(व्यवधान)

उसको मुआवजा मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष : जो रूल्स हैं, उसी के अनुसार मुझे भी बोलना है आपको भी बोलना है।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री त्रिलोक सिंह : × × ×

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। रूल 49 के अन्तर्गत आपको मौका नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(86)

(श्री उपाध्यक्ष)

"There shall be no formal motion before the House nor voting. The member, who has given notice, may make a brief statement and the Minister concerned, shall reply briefly Any member, who has previously intimated 'to the Speaker, may be permitted to ask a question for the purpose of further clæcidating any matter of fact. :"

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री त्रिलोक सिंह : × × ×

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आप नोटिस देते तो आपको भी कायदे से मौका मिलता रूल 49 आपको मालूम है।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

स्थान ग्रहण कीजिये। आप कृपया बैठ जाइये।

श्री त्रिलोक सिंह : × × ×

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, मैं नाम से आपको सम्बोधित करूंगा माननीय मंत्री....।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : यह कोई व्यवस्था नहीं है। मैं सिर्फ दो मिनट बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

रूल 49 साफ है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। मुझे मजबूर होकर कार्यवाही करनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने पूर्व में एक प्रश्न इस सम्बन्ध में पूछा था और उस प्रश्न ...

(व्यवधान)

आपको जो बात कहनी है, वह माननीय सदस्य पहले कह चुके हैं, आप कोई नयी बात नहीं कहेंगे। इसलिये मैं कह रही हूं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको नाम से सम्बोधित करूंगा।

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय सदस्य, शासन पैरों पर है। केवल दो मिनट के लिये समय दूंगा।

श्री चतुर्भुज : मैं यह कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय ...

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री चतुर्भुज : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे में आप पावर डेलीगेट नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको नाम से सम्बोधित करता हूं....

श्री चतुर्भुज : आपने किसानों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है। किसान, जिस पर देश निर्भर करता है। मेरा प्रश्न यह है कि किसान को पानी दिया जाय। आज किसान भूखा मरता है। किसान के लिये कोई सब्सिडी नहीं, कोई सहायता नहीं। आपको मालूम है 146 कांग्रेस के लोग जीते हैं, जो देहातों के हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि इसके बावजूद किसान को कोई सहायता नहीं मिल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान किसानों को ...

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न कीजिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। आज राजस्थान के अन्दर अकाल की भयंकर स्थिति है। उसके साथ ही साथ बिजली का भयंकर अकाल होने के कारण किसान ने जो फसल बोई है और जो बोता है, उसमें उसको हमेशा भयंकर हानि होती है। ऐसी स्थिति में एक अच्छी सरकार का, एक लोकप्रिय सरकार का यह दायित्व है, कर्त्तव्य है और फर्ज होता है कि वह 50 प्रतिशत सब्सिडी नहीं बल्कि सेंट पर्सेन्ट सब्सिडी उसको उपलब्ध कराये। कोई भी इंजन हो। मैं 50 प्रतिशत का पक्षधर नहीं हूं। आप आज बिजली उपलब्ध कराते है, वह पूरे राज्य में समय पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। जब सरकार इस स्थिति में नहीं है तो वह उसको फ्री इंजन दे। हम अपने खर्चे से डीजल और आयल लेकर अपनी क्षतिपूर्ति नही कर सकते। इसके लिये, मंत्री महोदय, आपको व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरूंसिंह।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय उपाध्यक्षजी, निस्सदेह अपना हिन्दुस्तान एक किसान प्रधान देश है और कल जो किसान पर वज्रपात हुआ है, जो उन पर बोझ पड़ा है, दुगुने रेट करके, उससे सारे किसान, मेरे ख्याल से नाराज होंगे। मैं कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा कि जनरेटर किसान अगर खरीदता है तो चार पांच किसान उसको काम में ले सकते हैं, लेकिन इंजन जो लगाया जाता है उस इंजन को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। जनरेटर, एक कुंए से पानी लेकर दूसरे कुंए पर पानी के लिए ले जा सकता है,

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

दूसरे किसान भी फायदा उठा सकते हैं। इसलिये प्रथम तो मेरा निवेदन यह है कि आप जनरेटर पर सब्सिडी दें, जिस प्रकार से उद्योगों पर देते है। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि अगर छोटे किसान, जो जनरेटर नहीं खरीद सकते है, को आप कृपा करके, जो इंजन वह खरीदते हैं और डीजल तेल लेते हैं, उसके लिये विचार कर रहे हैं? इसका जवाब आप दें।

श्री त्रिलोकसिंह : मैं यह कहता सदन के माध्यम से कि यह किसान के साथ अन्याय है।

श्री उपाध्यक्ष : आप सवाल कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोकसिंह : मेरा सवाल कोई पार्टी का नहीं है, यह तो एक ऐसे वर्ग का सवाल है......

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विषय पर सवाल कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोक सिंह : 90 प्रतिशत लोगों को सब्सिडी नहीं दी जाय। जो सबके लिये रोटी पैदा करता है, जो देश को जिन्दा रखता है....

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं।

श्री त्रिलोकसिंह : यह भाषण नहीं है। किसान के साथ घोर अन्याय हो रहा है, वज्रपात हुआ है। जो रोटी देता है उस किसान को अगर जनरेटर नहीं दिया जायेगा तो किसान बर्दाश्त नहीं करेगा, यह नाकाबिल बर्दाश्त है। इसलिये मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, खाली निवेदन नहीं करना चाहता, कि यह जुल्म किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। वह सरकार जो गरीब लोगों के साथ अन्याय करे, किसान को यह हर्गिज बर्दाश्त नहीं होगा, यह किसान के साथ अन्याय है। एक और किसान की फसल जल गई, फसल की फसल बर्बाद हो गई और दूसरी ओर टाटा बिड़ला के कारखाने चलेंगे। आज भी क्या होता है? इधर टाटा बिड़ला के कारखानों को बिजली दी जाती है और हमारे कुएं बर्बाद होते हैं, फसल जलती है। इस भयंकर सर्दी में अभी भी हमारी मां, बहनें खेतों में खड़ी होती हैं। दिन में नहीं, रात में खड़ी होती हैं। उस जगह रात में खड़ी होती हैं जहां भयंकर सांप हैं, लोगों को डस लेते हैं। इस तरह की हालत ये उत्पन्न करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद नहीं करूंगा। आधी रात को, जब कृषि मन्त्री, एक किसान की बेटी यहां बैठी हैं....

श्री उपाध्यक्ष : सवाल करने के बजाय भाषण शुरू कर दिया। श्री महाराम।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : मैं तो सरकार से निवेदन नहीं करता हूं। मैं मेरा हक मांगने की दृष्टि से कह रहा हूं कि कृषि को उद्योग घोषित किया जाय। जिस तरह से उद्योगों को रियायत दी जाती है जिस तरह से जनरेटिंग सेट्स देने की सुविधा उद्योगपत्तियों को दी गई है उसी तरह से कृषि कार्य करने केलिये, वह की वह सुविधा किसानों को दी जाय और आज ही घोषणा की जाय।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिन उद्योगपतियों को आपने सब्सिडी दी है जनरेटिंग सेट्स खरीदने के लिये, क्या यह जो कृषि सीजन चल रहा है, आपने उद्योगपतियों को कोई हिदायत दी है, कृषि का 4-5 महीने का सीजन है, इसमें वह जनरेटिंग सेट से काम लें ? वह जनरेटिंग सेट को सीजन में भी नहीं चला पाते हैं और उनको सहायता भी द दी गई है। ठीक इसी तरह से उद्योगपतियों और किसानों को कठिनाई उठानी पड़ रही है सरकार के इतना बोझ ढोने के बावजूद भी। तो मैं जानना चाहूंगा कि जनरेटिंग सेट को जो पूरी तरह स नहीं चलाते हैं उनकी इस तरह की तलाशी करेंगे या अंधाधुंध अपनी सहायता जनरेटिंग सेट्स पर देना चाहेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी आधे घंटे की चर्चा की जा रही है, उसमें आपके माध्यम से मैं कृषि मत्री से निवेदन करना चाहता हूं। मत्री जी अपने जवाब में यह भी बतायें, अभी उद्योग मंत्री ने दो तीन दिन पहले एक जवाब दिया था, एक प्रश्न के उत्तर में, कि लघु उद्योगों को 6 घंटे बिजली दी है केवल एग्रीकल्चर के लघु उद्योगों को 4 घंटे दी है। दूसरी बात, जैसे सरकार उद्योगों को कच्चा माल मुहैया करने की गारंटी देती है, क्या सरकार किसानों को खेतों में, चाहे नहर से, चाहे बिजली से पानी दे, तो किसान की जिम्मेदारी, किसान के खेत में फसल के बावजूद उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी या नहीं, पानी देने की ? सरकार उद्योग धंधों की जिम्मेदारी लेती है, कर्मचारियों को हिदायत देती है अथवा कर्मचारी जिम्मेदारी लेते हैं, तो किसान के खेत पर पानी देने की जिम्मेदारी सरकार नहीं ले सकती क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

प्रश्न कीजिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : मैं निवेदन कर रहा हूं, जिस प्रकार उद्योग धंधों में उद्योगपतियों के लिये आपने सब्सिडी दी है 50 पर्सेन्ट जनरेटिंग सेट्स के लिये, कृषि भी एक उद्योग है....

श्री उपाध्यक्ष : आपने कौनसी नई बात कह दी ?

श्री अमराराम चौधरी : कृषि एक उद्योग बने। 4 महीने अगर गेहूं की फसल के लिये किसान को टाइम पर बिजली नहीं मिलेगी तो फसल बर्बाद हो जायेगी। उद्योग धंधे बिना मौसम के चल सकते हैं, आज उद्योग धंधे के बिना रह सकते हैं लेकिन कृषि के अंदर कार्तिक महीने से फागुन महीने तक बिजली नहीं देंगे, तो गेहूं की फसल नहीं होगी अगर बाद में देंगे तो किसी काम नहीं आयेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि सेंट पर्सेन्ट सब्सिडी दी जाय, किसानों को जनरेटर्स दिये जायं या क्रूड ऑयल वाले

(श्री अमराराम चौधरी)

इंजन पर 50 से 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जाय।

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाडा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट 1982-83 का पेश किया है, मैं विरोध में नहीं बोल रहा हूं परन्तु किसान की खातिर, बिजली की फ्लेट रेट दूनी करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है, उस पर पुनः विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर बोलिये।

श्री रतना राम चौधरी : जो इस समय भयंकर अकाल है, अकाल की स्थिति में किसानों को पूरी बिजली मिली नहीं और पूरी बिजली न मिलने के कारण किसान की फसल चौपट हो गई। अकाल की भयंकर स्थिति में एक तरफ अकाल का मुकाबला और दूसरी ओर बिजली की कमी के कारण किसान की फसल जलकर नष्ट हो गई। कृपा कर यह जो फ्लेट रेट को दुगुनी करने का प्रस्ताव रखा है, वापस लिया जाय और किसानों को जनरेटर के लिये, जैसे दूसरे उद्योगपतियों को 50 पर्सेंट अनुदान देते हैं उसी तरह किसानों को मशीन अनुदान के रूप में जनरेटर की व्यवस्था कराई जाय क्योंकि वह किसान सर्दी-गर्मी में अपना खून पसीना एक करके फसल उगाता है और देश के खाने के लिये अन्न पैदा करता है। इसलिये फ्लेट रेट का जो बजट में प्रस्ताव रखा है दुगुना करने का, वह वापस लिया जाय।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा उद्योग में कार्यरत उद्यमियों के लिए सहायता प्रदान की गई है, बिजली की कमी को दृष्टिगत रखते हुए ताकि उद्योग बराबर चलते रहें। इस काम को संपादित करने के लिए उनको जनरेटिंग सैट्स खरीदने के लिए सरकार सब्सिडी देगी। इस मामले को दृष्टिगत रखते हुये कुछ माननीय सदस्यों ने एक प्रश्न रखा और प्रश्न काल में, चूंकि समय कम होता है इसलिए आधे घण्टे की चर्चा के माध्यम से कृषि कार्य के लिए यह प्रावधान राज्य सरकार की तरफ से किया जाय इस बात की माग की गई।

इस बात में कोई शंका नहीं है कि राज्य में बिजली की जितनी आवश्यकता है और उसके मुकाबले बिजली का जितना उत्पादन और हमारी उपलब्धि है उसमे बहुत बड़ा गैप है और इसलिए कृषि कार्यो को जितनी बिजली मिलनी चाहिये वह बराबर नही मिलती। इस बार क्योंकि बिजली की कमी और भी अधिक रही कोटा अणु बिजली घर के बार बार खराब होने के कारण से, अन्य स्थानों से जो बिजली हमें मिलनी चाहिये थी उसकी कमी से या पिछले समय जितने कनेक्शन दिये और डिमांड बढ़ी उसके मुकाबले में जनरेटिंग सैट्स न लगने से और अनेक कारणों से बिजली की कमी रही उससे किसानों को परेशानी रही। एक तरफ बिजली की कमी रही दूसरी तरफ बिजली की सप्लाई में आंख मिचौनी होती रही उससे भी किसान को बहुत परेशानी रही। इसलिए बिजली की कमी के कारण से घंटे तो घटे ही, लेकिन साथ-साथ इन्ट्रप्शन्स भी चलते रहे उस कारण से जो बिजली मिलनी चाहिये वह भी पूरी तरह से काश्तकार को नहीं मिल पाई। अब हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना

(श्रीमती कमला)

चाहिये कि एक अभूतपूर्व ढंग से इस बार 4 वार सर्दी के मौसम में बरसात आने से चाही और बारानी की फसलें जो थी काफी अच्छी ......

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्रीमती कमला: पहले तो फसल लगी है, सुनने की कोशिश करें। फिर गड्ढे पड़े इसलिए उस स्टेज तक आने तो दो। आप जो जानते हैं हम लोग भी जानते हैं, इसलिये सुनने का कष्ट करें। आप खड़े हो कर और दो मिनट बोल दीजिये, अगर कोई बात बाकी रह गई हो। सर्दी की 3-4 वार की बरसात ने काफी हद तक बिजली की कमी की पूर्ति की लेकिन उसके उपरांत भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बिजली की उम्मीद में जहां जहां पर काश्तकारों ने अप ने कनेक्शन्स लिये और लगाये और लाइनें भी सरकार ने डालीं, सब कुछ किया लेकिन यह हमेशा की परेशानी रहती चली आयी। इस सम्बन्ध में कल विद्युत विभाग के बारे में वक्तव्य में भी सुना और उसके बारे में सवाल जवाब भी किये गये। उसके उपरान्त यहां माननीय सदस्यों को जो राहत मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिल पा रही है। इस बजट के माध्यम से कुछ ज्यादा भार ही किसानों पर डाल दिया गया है। इस बारे में यह सवाल दिया गया है। उसके बाद में भी आप लोगों को बोलने का मौका मिलेगा जबकि वित्तीय भाषण माननीय वित्त मंत्री जी का होगा। उस समय भी आपको कष्ट पहुंचेगा उसका निराकरण करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को यह कहना चाहती हूं कि आपका यह सवाल जिस पर आधे घण्टे की चर्चा उठाई है उसके सन्दर्भ में मैंने तथ्य इकट्ठे किये कि उसमें क्या किया जा सकता है, क्या सम्भव है और क्या सम्भव नहीं है। स्थिति इस प्रकार की बनती है कि अगर काश्तकारों को पांच हॉर्स पावर की बिजली जनरेट करने के लिए जनरेटर दिये जाय और उद्योगों के समकक्ष व्यवस्था की जाय तो पांच हॉर्स पावर पम्पिंग सैट के लिए कम से कम तीन हजार रुपये की जनरेटर खरीदने के लिए जरूरत पड़ेगी। इसी तरह साढ़े सात हॉर्स पावर के पम्पिंग सैट के लिए कम से कम 35 से 40 हजार रुपये की जनरेटर खरीदने के लिए आवश्यकता होगी और दस हॉर्स पावर के पम्पिंग सैट के लिए 50 हजार रुपये के जनरेटर की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार ट्यूब वैल को चलाने के लिए 15 से लेकर 25 हॉर्स पावर के पंपिंग सैट होते हैं और इससे भी अधिक पावर के सैट्स होते हैं उसके लिए कम से कम 60 हजार 70 हजार और 80 हजार-रुपये तक की कीमत के जनरेटर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कोई भी काश्तकार बिजली की मोटर नहीं लगाकर डीजल का पम्पिंग सैट खरीदना चाहेगा तो 6-7 या साढ़े सात हजार रुपये का पम्पिंग सैट पड़ता है। इन सभी को हमने वर्क आउट किया। उसके करने के बाद यह स्थिति सामने आती है। आज उद्योगों के लिए और कृषि कार्यों के लिए भी बिजली के लिए लोन

(श्रीमती कमला)

और सब्सिडी का प्रावधान किया जाय तो बडी मात्रा में इसके लिए सब्सिडी देनी पड़ेगी और काफी हद तक इसका लोन का प्रावधान करना पड़ेगा, यह अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है। जहां तक लोन दिये जाने का प्रश्न है, आम तौर पर जितने भी बैंक्स हैं उनमें कहीं भी किसी प्रकार का लोन देने की मुमानियत नहीं है कि आप किसी कार्य के लिए लोन लेना चाहते हैं वह आपको नहीं मिले। लेकिन सरकार एक काम विशेष रूप से प्राथमिकता से करें कि जो लोनिंग इन्स्टीट्यूशन्स हैं वे कृषि कार्यों के लिये लिये जाने वाले जनरेटिंग सेंट के लिये लोन काश्तकारों को दें। इस व्यवस्था को कराये जाने, इसकी देखभाल करने में तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती है लेकिन इसके पेटे 50 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत माननीय सदस्यों ने सब्सिडी प्रस्तावित करने की बात की है वह अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। व्यापक तौर पर इसकी क्रियान्विति की जायेगी तो बहुत बड़े पैमाने पर फण्ड्स का इन्वॉल्वमेन्ट इसमें होगा। इसलिए कृषि मन्त्रालय अपने स्तर पर किसी प्रकार की घोषणा करने की स्थिति में नहीं है। इतनी बड़ी धन राशि सब्सिडी के तौर पर दी जानी है वह दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे इसे मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा जा कर निर्णय लिया जायेगा कृषि विभाग के अकेले निर्णय करने का मामला नहीं है। जैसे कि माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए क्या स्थिति सरकार के सामने देने की बन सकती है वह मैं अपने तौर पर यहां पर घोषणा करने की स्थिति में नहीं हूं। डीजल पम्प सेंट के लिए हम लघु और सीमान्त काश्तकारों को आज भी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रहे हैं। जहां तक सवाल उन काश्तकारों का है जो लघु और सीमान्त काश्तकारों से ऊपर के हैं और उनके लिए बिजली की स्थिति को देखते हुए व्यवस्था की जावे जो मांग है वह बेहद अधिक मांग है और परेशानी भरी है। इसलिये इससे अधिक मैं सदन के समक्ष माननीय सदस्यों को और कुछ भी आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं। हम लोन दिलाये जाने के लिये लोनिंग इन्स्टीट्यूशन्स को प्राथमिकता से इस पर विचार करने के लिये कहेंगे। इस बारे में चर्चा किये जाने के बाद जरूर व्यवस्था कर सकते हैं लेकिन सब्सिडी दिलाये जाने के बारे में अपने स्तर पर कुछ भी कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, लघु और सीमान्त काश्तकारों को सब्सिडी दी जावे। उसी प्रकार की सब्सिडी और भी लोगों को दी जा सकती है यह तो उसी प्रकार है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य,

(श्री उपाध्यक्ष)

कृपया शांत रहें।

अंकित नहीं हो।

श्री शिवदान सिंह राठौड़: × × ×

श्री सूरजपाल सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष :माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य। आपको मौका मिलेगा बोलने का बजट के वक्त, आप माननीय सदस्य बोलें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो।

श्री सूरजपाल सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है मैं आपको रियायत नहीं दूंगा बोलने की।

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो।

श्री सूरजपाल सिंह : × × ×

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है कि इसमें बहुत भारी वित्तीय प्रावधान....

(व्यवधान)

जरा सुनिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत भारी वित्तीय प्रावधानों की आवश्यकता होगी।

(व्यवधान)

जरा सुनिये।

काश्तकारों को जनरेटिंग सैट दिलाने के लिये 30 हजार रुपये में से 15 हजार रुपये की सब्सिडी देनी होगी। अगर पूरी की पूरी सब्सिडी देनी होगी तो वह 30 हजार रुपये हो जायेगी। यह बहुत बड़ा अमाउन्ट है। यह मन्त्रिमण्डल स्तर पर निर्णय लिया जा सकेगा। कृषि मन्त्री की हैसियत से इसमें किसी प्रकार का निर्णय लेने की स्थिति में मैं नहीं हूं। अब आप क्या प्रश्न पूछेंगे ?

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : यह तो अपने जवाब में ही कहा....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।]

(श्री उपाध्यक्ष)

अंकित नहीं हो।

श्री सूरजपाल सिंह : × × ×

श्री शिवदान सिंह : × × ×

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। आसन पैरों पर है। मैं आपको नाम से सम्बोधित करूंगा। अंकित नहीं हो।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मोहनलाल मोदी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, वह व्यवस्था का प्रश्न ऐसे लोक महत्व के प्रश्न के लिये है। किसी लोक महत्व के विषय पर चर्चा आधा घण्टे की उठायी जाती है तो आधे घण्टे के समय के अन्दर ही चर्चा करने का माननीय सदस्यों को अधिकार है। इसमें ही मन्त्री महोदय जवाब दें उनके उत्तर के बाद माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं। आसन को इसके लिये अनुमति देनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

यह नियमों में प्रावधान है। यह नियम 49 (5) में लिखा है कि जिसमें जिन सदस्यों ने अध्यक्ष को पहले सूचित कर दिया हो वह····

श्री उपाध्यक्ष : यह मैं जानता हूं।

श्री मोहनलाल मोदी : आप सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं जानता हूं। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। आप स्थान ग्रहण करें। मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। माननीय सदस्य, यह आधा घण्टे की बहस है। इस आधे घण्टे की बहस में आधे घण्टे से अधिक समय नहीं लिया जाना चाहिये। माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाये हैं···

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। उसके अलावा मन्त्री महोदया ने अपने जवाब में मजबूरी जाहिर की कि वित्तीय अधिक भार पड़ने वाला है इसलिये केबिनेट के अन्दर रखने के बाद में जो निर्णय होगा वह होगा। नम्बर एक। नम्बर दो, जो लोनिंग एजेन्सी हैं उनको परस्युएट करेंगी ताकि लोन सुचारू रूप से मिले। इस तरह का है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, शान्त रहें। आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

बैठ जाओ।

कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य।

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

अंकित न हो।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : × × ×

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब बजट पर सामान्य वाद-विवाद होगा।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य :

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : बजट पर सामान्य वाद-विवाद। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, बिराज जाइये, कृपया। चर्चा समाप्त हुई। अब बजट पर सामान्य वाद-विवाद।

श्री तेजपाल यादव : × × ×

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, बैठ जाइये।

(व्यवधान)

आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार से डीजल इंजन पर सब्सिडी दी जाती है लघु और सीमान्त काश्तकारों को तो कम से कम जनरेटर पर सब्सिडी देने की मंत्री महोदया यहां घोषणा करें कि इनको लोन दिया जायेगा और यह भी कि जनरेटर पर लोन पाली जिले में और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में जनरेटर पर लोन नहीं दिया जा रहा है, इतना आश्वासन तो दिया जाय कि लोन दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह मामला मंत्री महोदया ने आपको बताया जब तक केबिनेट में फैसला नहीं हो जाय तब तक यह अकेली घोषणा नहीं कर सकतीं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। जवाब आ गया अब कोई सवाल नहीं रहा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य आपने अपनी भावनायें व्यक्त कर दी हैं। आपने अपनी ड्यूटी कर दी है। बैठ जाइये।

श्री चतुर्भुज : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी भी थोड़ी सी सुन लीजिए। आधा मन्त्रिमण्डल तो यहीं बिराज रहा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सूरजपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सब्सिडी नहीं दें, लेकिन बिजली पूरी देंगे यह भी आश्वासन नहीं। जनरेशन बढ़ायें या गैप को पूरा करेंगे, क्या करेंगे कुछ तो आश्वासन दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

अंकित नहीं हो।

श्री सूरजपाल सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों को पूरी स्थिति से अवगत कराते हुए यह स्पष्ट किया है कि जहां तक लोन की व्यवस्था की जानी है उस सम्बन्ध में हम बैंकिंग एजेन्सी से तुरन्त सम्पर्क स्थापित करके, बात करके उसको प्राथमिकता के आधार पर लोनिंग किया जा सके, वह तो हम तुरन्त कर सकेंगे। लेकिन जहां तक सब्सिडी के दिये जाने का सवाल है चाहे यह उन मामलों का है जो कि राठौड़ साहब कह रहे हैं कि लघु और सीमान्त कृषक को जो पम्प सैट पर दे रहे हैं उसको तो कम से कम जनरेटर सैट के लिए दीजिए, लेकिन उसके अन्दर भी जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि एक जनरेटर सैट पर 15-20 हजार रुपया दें तो 50 पर्सेन्ट सब्सिडी देने का बजट बनता है और 100 पर्सेन्ट सब्सिडी दी जाती है तो एक व्यक्ति को 30-35 हजार तक की सब्सिडी देनी पड़ती है। कोई छोटा-मोटा अमाउन्ट नहीं है जो मैं अपने विभाग में से कहीं से सेविंग करके घोषणा कर सकूं। इसलिए इस मामले को केबिनेट के सामने ही रखना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : सीमान्त कृषकों के लिए नहीं बल्कि आपको यह जनरल करना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : मंत्री महोदया ने यह स्पष्ट नहीं किया....

श्री उपाध्यक्ष : वीरेन्द्रप्रताप सिंह मैं आपको बाहर निकलवा दूंगा।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये। नाम से पुकारा लिया है आपको।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा अधिकार है। मैं मेरे विचार प्रकट करूंगा आपके माध्यम से ....

श्री उपाध्यक्ष : Not allowed.

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : × × ×

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा अधिकार है। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह बाहर निकल जाइये,....

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : मैं यहां से नहीं जाऊंगा....यह कौन सा तरीका है ?....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो....

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अंकित न हो।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : × × ×

माननीय सदस्य, माननीय सदस्य....

श्री मेघराज तावड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से बाहर नहीं निकलवाया जा सकता जबर्दस्ती....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदया भी माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार की भावना व्यक्त की है उसको अच्छी तरह से समझ गई होंगी। लोगों में एक प्रकार का अन्तर किया है जब हम दूसरे वर्ग को किसी प्रकार की सब्सिडी देते हैं और राजस्थान का जो मेजर वर्ग है उसकी उपेक्षा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की उत्तेजना होगी। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्य, जो रिप्रेजेन्टेटिव हैं, उत्तेजित हों, तो ठीक है लेकिन आप जैसा व्यक्ति, जो उदार प्रवृत्ति के नाम से सारे हिन्दुस्तान में परिचित है, यदि उत्तेजित हो तो उससे काम नहीं चलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जो....

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो निकालने का आदेश दिया है वह तो वापस ले लें। सार्जेन्ट को बुला लें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये।

अब बजट पर सामान्य वाद-विवाद होगा। श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट सत्र के प्रारम्भ में माननीय राज्यपाल महोदय ने

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

अपने भाषण के उपसंहार में कहा था वह मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं, "क्षमता पर आधारित समृद्ध एवं सुखी समाज तथा राष्ट्र के निर्माण के लिये वार्षिक आय-व्ययक....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बातें नहीं, माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : द्रुत विकास का वहन बन सके।" माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट सत्र के प्रारम्भ में माननीय राज्यपाल महोदय ने भाषण किया कि आय-व्ययक का जो भाषण आये वह प्रदेश में विकास को द्रुत गति से बढ़ा सके। किन्तु मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भाषण उन्होंने दिया है उस भाषण को आद्योपान्त कई बार पढ़ने का मौका मिला है, सामान्य रूप से इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि यह बजट विकास की गति को अवरुद्ध करने वाला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बात ही नहीं है कि यह बजट विकास की गति को अवरुद्ध करेगा, जिस प्रकार का कर भार माननीय वित्त मंत्रीजी ने लगाया है और जैसी सदन की भावना का प्रदर्शन अभी हुआ, यह किसान की कमर को तोड़ने वाला बजट है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सारे 20 सूत्रों और 20 संकल्पों को क्रियान्वित करने के लिये जो मशीनरी विद्यमान है, जो कर्मचारीगण अपने प्रदेश में हैं, इस बजट को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कर्मचारियों के हितों को नेस्तनाबूत करने वाला यह बजट है। उद्योगों पर जिस प्रकार कर भार लगाया गया है उससे सारे उद्योग चौपट हो जायेंगे चाहे उनकी स्थापना का सवाल हो, चाहे लगे हुए उद्योगों को आगे बढ़ाने का सवाल हो। अन्त में मैं यही कहूंगा कि यदि कोई पांचवां विश्लेषण दिया जा सकता है तो आम आदमी को दूभर करने वाला यह बजट है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस बजट के आधार पर माननीय वित्त मंत्रीजी ने बड़ी कृपा की है इस बजट को देते समय किन्तु सारे बजट के निष्कर्ष, जिसे पांच बिन्दुओं के आधार पर मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है, के बाद माननीय वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उस नाते से पुनर्विचार करें और भाषण को इस प्रकार करें कि आम आदमी को राहत मिल सके। चाहे किसान का सवाल हो, चाहे कर्मचारी का सवाल हो, चाहे विकास को आगे बढ़ाने का सवाल हो, चाहे उद्योगों को ठीक रूप से चलाने का सवाल हो, चाहे आम आदमी की जिन्दगी का सवाल हो उसमें राहत देने की बात होनी चाहिये। उस नाते इस बजट को ठीक करने की कोशिश करें। आप बजट को देखेंगे, प्रारम्भ में ही क्या लिखा है। वित्त मंत्री महोदय को 9 महीने हो गये वित्त मंत्री बने। चार और सात पहले

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

पृष्ठ पर आप देखें। पहले पृष्ठ पर दृष्टिपात करें, बजट शुरू किया है निराशा से और राजस्थान प्रदेश को इसी निराशा के गर्त में ढकेलना चाहते हैं जो 9 महीने में उन्होंने अपनी कृपा से पैदा की है। शुरू में जो वर्णन कर रहे हैं, जो कारण उन्होंने दिये हैं, चौथा कारण पढ़िये, गैर योजना मद पर खर्चों पर पर्याप्त अंकुश का न होना। कौन जिम्मेदार है ? किसके ऊपर उत्तरदायित्व है इस बात का कि गैर योजना मद में अधिक खर्च हो गये ? कन्ट्रोल तो वे करते हैं। 9 महीने से तो सर्प के समान उस पिटारी पर बैठे हैं, क्या कन्ट्रोल कर सके वे ? सातवां अगर आप देखेंगे इन सब खर्चों का वहन करने के लिये पर्याप्त साधनों का न जुटाना। कौन जुटायेगा ? किसकी जिम्मेदारी है, किसको चलना चाहिये, किसके कन्धों पर यह जिम्मेदारी आती है, यह रेसपांसिबिलिटी आती है ? मैं इतनी बात कहना चाहता हूं जो दो और तीन कारण लिखे गये हैं चार से लेकर सात तक, 9 महीने का वित्त मंत्री का काल एक निराशा का काल है और कोई कारण नहीं है जो वित्त मंत्री के नाम पर वे सदन में रहें या राजस्थान के मंत्रिमण्डल में वित्त मंत्री के नाते रहें। उनको इस्तीफा देने की आवश्यकता है ..

(व्यवधान)

जो जिम्मेदारी उनकी है उसे वे नकारना चाहते हैं। एक कारण और दिया है ओवर ड्राफ्ट के ब्याज का। अगर आप देखेंगे इस सारे ब्याज को, सारे आंकड़ों को देखने की कोशिश करेंगे, तो दो-तीन को छोड़कर परिवहन संचार पर 23·70 करोड़ रुपया, उद्योग और खनिज पर 16·10 करोड़ रुपया, सहकारिता पर 4.5 करोड़ रुपया है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी से कि ओवर ड्राफ्ट के बारे में कहा गया है यह तो शराब की तरह लत पड़ गई है. इनकी यह शराब की तरह ही छूटती नहीं है। शुरू किया गया कहां से और पहुंच गये 340 करोड़ पर। उन्होंने स्वीकारोक्ति की है। अगर सारे ब्याज की कल्पना आप करें, तो आप देखकर आश्चर्य करेंगे 77-78 में भी ब्याज का चुकारा जो सरकार थी उसने किया है। उस ब्याज का 57 करोड़ का चुकारा किया गया और 78-79 में भी पूरे ब्याज का चुकारा किया गया। ओवर ड्राफ्ट के ब्याज की अलग से चर्चा करूंगा। पूरा ब्याज दिया 60 करोड़। 79-80 में भी ब्याज का चुकारा किया गया था। उस समय एक महीने के लिये कांग्रेस की नई सरकार आ गई थी। अब हो गया 67 करोड़। यह गति है-57 करोड़ और 60 करोड़ से 67 करोड़। 1981-82 में कितनी ब्याज की अदायगी की है वित्त मंत्री महोदय ने ? आपको सुनकर आश्चर्य होगा 112 करोड़ की अदायगी की है ब्याज की। जरा बतायें, यह विकास करना चाहते हैं और विकास के जो मद, आंकड़े दिये हैं 112 करोड़ हैं। इसमें बिजली और सिचाई की चर्चा है। मैं कहूंगा 112 करोड़ और किसी मद में नहीं हैं। राजस्थान के वित्त मंत्री महोदय जो 40, 60 और 67 करोड़ था उससे बढ़कर 112 करोड़ पर पहुंच गये। ओवर ड्राफ्ट पर कितना ब्याज दे रहे

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

हैं आप ? अगर आप इसको देखेंगे तो आश्चर्य होगा । 77-78 में भी सरकार थी जब बहुत पानी पी पी कर गालियां देते थे आप । 40 लाख का ब्याज दिया था, वेज एन्ड मीन्स एडवान्सेज के आधार पर और ओवर ड्राफ्ट पर हमने 77-78 में जो ब्याज दिया था वह 37 लाख का था । 78-79 में जो ब्याज था वह 48 लाख का था। और इसबार के मंत्री महोदय ने ब्याज कितना दिया है ? 38• करोड़ का ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज दिया है । यह ब्याज पहले लाखों में था 40 लाख, 47 लाख, 48 लाख और अब दिया है इन्होंने 38 करोड़ का ।

मैं कहना चाहता हूं पिछला वर्ष गुजर गया जो वित्तीय अनुशासनहीनता की दृष्टि से निकृष्टतम था । वित्त मंत्री महोदय इसके लिये जिम्मेदार हैं । एक-एक दिन में 14-14 लाख का ब्याज दिया है । 14-14 लाख का एक एक दिन में ब्याज ? माननीय वित्त मंत्रीजी, कैसे हालात बना दिये आपने इस प्रदेश के ? क्या करके विकास करना चाहेंगे ? कौनसी तरफ इस प्रदेश को ले जाना चाहेंगे ? और चर्चा की गई है विकास की । चर्चा करना चाहूंगा आपसे जिसके बारे में मैंने कहा है कि विकास की गति को अवरुद्ध करने वाला यह बजट है । 340 करोड़ की पिछले वर्ष योजना थी, योजना में हमने खर्च किया था । योजना बनायी थी 340 करोड़ की । इसी सरकार ने पेश की थी । इन्होंने यह आंकड़े दिये हैं कि 15-16 पर्सेन्ट की वृद्धि हो गयी है, मंहगाई में मूल्यों में इतनी वृद्धि हो गयी है । अगर उस 340 करोड़ की योजना का विचार इस वर्ष करें, तो 340 करोड़ की योजना इस मूल्य वृद्धि के रेशनल में 392 करोड़ की हो जायेगी जो पिछले साल 340 का बजट था उसके अनुसार । यानी इस बार अगर पिछले साल के बराबर ही योजना रही तो 392 करोड़ का पैसा इनको मुहैया करने की आवश्यकता थी वैसे इन्होंने कहा कि उसे मैं साबित करूंगा डिटेल में बात में कि 340 करोड़ खर्च नहीं किया । हमारा ज्यादा खर्च हो गया । वह खर्च बताया था इन्होंने 460 करोड़ रुपये । जो आज के परिप्रेक्ष में, इस महंगाई के परिप्रेक्ष में 15 पर्सेन्ट मूल्य वृद्धि के परिप्रेक्ष में विचार करें तो 460 करोड़ हो जाती है 529 करोड़, यानी पिछले साल के इनके आंकड़ों के अनुसार 529 करोड़ इस साल होनी चाहिए थी जब बराबर की योजना रहती । किन्तु कितनी योजना ला रहे हैं, माननीय वित्त मन्त्री महोदय ? 340 करोड़ की । 529 करोड़ की चर्चा कर रहे हैं जो पिछले साल के परिप्रेक्ष में है और इस बार ला रहे हैं 340 करोड़ कहां ले जायेंगे विकास को आप ? क्या विकास करेंगे ? यह राजस्थान का विकास आगे करेंगे या पीछे की ओर ले जायेंगे ? पिछले वाली योजनाओं में पैसा देंगे ? उनको आगे बढ़ायेंगे, उनका निर्माण करेंगे या निर्माण रोकेंगे ? यह तो निर्माण को रोकने की साजिश माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने अपने सारे भाषण में करने की कोशिश की है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च प्राथमिकता की चर्चा की गयी । विकास में सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे सिंचाई और विद्युत को । सिंचाई और विद्युत की चर्चा माननीय वित्त मंत्री महोदय ने की है । मैं

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं वह जरा देखें, बीस सूत्री कार्यक्रम और 20 संकल्प की भी चर्चा की और जिसके बारे में वह कहते हैं कि सर्वोच्च प्राथमिकता विद्युत और सिंचाई होगी। 80-81 में कितना बजट था ? 80-81 में सिंचाई में बजट था 78.88 करोड़ का। 81-82 में कितना था ? मैंने कहा कि 80-81 वह राज था जिस समय हम थे, जनवरी तक। बाद में आ गयी थी कांग्रेस सरकार। 81-82 में था 67 करोड़ और अब क्या लाये हैं ? माननीय वित्त मंत्री महोदय 82-83 के बजट में लाये हैं 66.41 करोड़। सामान्य आंकड़े देख लीजिए, वाह रे आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता, वाह रे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, वाह रे सोचने का ढंग।

मैं जिस मूल्य वृद्धि की चर्चा कर रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी से कहना चाहता हूं जैसे 80 81 की चर्चा की मैंने। उसमें 78.83 करोड़ था। उसमें 16 पर्सेन्ट महंगाई जो एक साल में बढ़ी, 80-81 में, उसको देखेंगे तो हो जायेगा 90 करोड़ और 15 पर्सेन्ट महंगाई बढ़ गयी पिछले साल में, तो आज हो जायेगा 103.5 करोड़ रुपये। यानी 81-82 में जो खर्च किया सिंचाई पर, जिस समय जनता पार्टी का राज था जनता पार्टी ने सिंचाई परियोजनाओं पर जो खर्च किया वह आज के 103.5 करोड़ के बराबर है। इतना काम करना हो तो इनको 103.5 करोड़ और चाहिए आज। अब हमारे माननीय वित्त मन्त्री महोदय सर्वोच्च प्राथमिकता को कितना पैसा दे रहे हैं ? दे रहे हैं 66.41 करोड़। कितने पर्सेन्ट हुआ ? 67 पर्सेन्ट। आपकी पिछली 80-81 के मुकाबले 2/3 है जनता पार्टी के राज के। मैं आरोप लगा रहा हूं आप पर। मैं कहना चाहता हूं ये आंकड़ों का हिसाब है यह रुपयों का हिसाब यह उस नाते से हिसाब है। आप देखने की कोशिश करें सिंचाई के मद में। लघु सिंचाई का सामान्य किसान के जीवन से सम्बन्ध रहता है उसके लिए 8.45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें बजट के आंकड़ों में 8.45 करोड़ में से 2.45 करोड़ तो एडवान्स प्लान असिस्टेंस के हैं जो कि शायद बाढ़ के समय या इस प्रकार के केलेमिटीज के समय आपको खर्च करने होंगे। बाकी बचते हैं 6 करोड़ रुपये। माननीय मन्त्री महोदय, जरा अपने भाषण के प्रत्युत्तर में विवरण देने का कष्ट करें जो पिछले साल से काम चले आ रहे हैं 80-81 की अपेक्षा घटा दिये गये हैं। 81-82 में जो काम चल रहे हैं, जो परियोजनाएं चल रही हैं, जो लघु सिंचाई की परियोजनाएं चल रही हैं, उनकी कम्यूटेड लाइबिलिटीज 6 करोड़ रुपये है। 6 से भी कुछ अधिक कम्यूटेड लाइबिलिटीज हैं यानी जो पुराने काम चले आ रहे हैं वह चलते रहें, उनको पूरा करने के लिए 6 करोड़ रुपया खर्च हो जायेगा। क्या होगा नये कामों का, क्या होगा नये तालाब बनाने का, क्या नयी नहर बनेंगी, क्या नये इस प्रकार के एनीकट्स बनेंगे, क्या इस तरह मन्त्री महोदय कर सकेंगे ? नहीं। उनकी हिम्मत की बात नहीं है। वह तो चाहते हैं प्रगति को अवरुद्ध करके परागति की दिशा में ले जायें और

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

इस प्रकार का ग्रहीनता का बजट लाने की उन्होंने कोशिश की है।

राजस्थान नहर की भी थोड़ी सी चर्चा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं करना चाहूंगा। राजस्थान नहर में प्रावधान क्या किया गया है। इस साल प्रावधान है 27.50 करोड़। पिछले साल कितना था? पिछले साल था 29.59 करोड़। राजस्थान की नहर Stretagically It is uery important. जो राजस्थान ग्रौर हिन्दुस्तान के लिए एक लाइफ लाइन का सवाल है। बड़ा ग्रानन्द हुग्रा था पिछली बार के सेशन में। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने 9 दिन का सैशन चलाया था। 20 संकल्पों की चर्चा की है। राजस्थान नहर को वह जल्दी समाप्त करना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। यह ढंग है उनका निर्माण करने का 29.59 से 27.50 करोड़। मैं ग्रारोप लगाना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं ग्राप तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे क्योंकि वहां ग्रंगुलियां जो नचा रही हैं। यहां के मन्त्रिमण्डल के लोग उनके इशारे पर नाच रहे हैं। मैं ग्रारोप लगा रहा हूं, वेस्टेड इन्ट्रेस्ट की लाबीज बनी हुई हैं, वह नहीं चाहतीं राजस्थान कैनाल जल्दी से पूरी हो जाय। मांग तो करने की कोशिश की थी ज्यादा रुपयों की, मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? एक लाबी काम कर रही है दिल्ली में, एक लाबी काम कर रही है सेन्ट्रल मिनिस्ट्री में। ऊपर से चर्चा करते हैं। लोक सभा में चर्चा करते हैं, ग्रार चर्चा करते रहेंगे किन्तु डेलीब्रेटली राजस्थान के मुख्य मन्त्री जिस रावी-व्यास समझौते में घुटने टेक ग्राये हैं, उसी घुटने टिकाने से कम्प्यूटेड लाइबिलिटीज पंजाब की बनी जो इस प्रकार की एक साजिश है प्रयत्न है। राजस्थान के साथ जिसका परिणाम है। राजस्थान के वित्त मन्त्री इस बात से 27.50 करोड़ का प्रावधान इस राजस्थान कैनाल के लिए करा सकें। महंगाई तो बढ़ गयी फिर भी प्रावधान कम। कैसे पूरा करेंगे? स्ट्रेटेजिकली भी राजस्थान नहर ग्रावश्यक है, इकानामिक भी ग्रावश्यक है, मैं स्टेटेस्टिक्स की चर्चा नहीं करना चाहता। हिन्दुस्तान जिसमें राजस्थान कैनाल ग्रागे बढ़ा रहे हैं, जिस क्षेत्र में जा रही है हिन्दुस्तान पाकिस्तान का बार्डर है Economically it is a life line.

मैंने तो कहा इकानामिक लाइफ लाइन किन्तु ग्रपने सोचने से क्या होता है। उधर तो वह लोग बैठे हैं जिनका प्रभाव का सारा परिचय चाहे रावी-व्यास का समझौता हो, चाहे चम्बल का समझौता हो ग्रौर रावी व्यास का समझौता होने के पश्चात् पंजाब कम्पूटेड लाइबिलिटीज बना सके। इस प्रकार की स्थिति षडयन्त्रकारी लोगों के द्वारा हो रही है जिनका शिकार राजस्थान के वित्त मन्त्री, राजस्थान के मुख्य मन्त्री ग्रौर राजस्थान मन्त्रिमण्डल होने जा रहा है। राजस्थान के हितों की रक्षा करनी चाहिए ग्रापको। मैं कहना चाहता हूं, माननीय वित्त मन्त्री महोदय, कान्सेस को जरा जगाइये। राजस्थान नहर के साथ इस प्रकार का दुर्भाव करने की ग्रावश्यकता नहीं है यह ग्रापकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। विद्युत को भी फर्स्ट प्रायोरिटी कहा है ग्रापने।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

वह भी प्रायोरिटी में पहले आपने रखा है किन्तु प्रावधान रखा है 115.68 करोड़ रुपये का। यह प्रावधान है विद्युत का, 80 81 में कम था 115.27, 81-82 में क्या था 117 करोड़, 82-83 में कहां आ गये राजस्थान के वित्त मंत्री, कहां आ गये बिजली मंत्री, कहां आ गये राजस्थान के मुख्य मंत्री 115.68 करोड़ पर। मैंने कहा न, एस्कालेशन का विचार करें, प्राइसेज एस्कालेशन का, मूल्य वृद्धि का विचार करें। 80-81 में जो 115.27 था वह हो जाता है 154 करोड़। 80-81 की बराबरी के लिए भी 154 करोड़ रुपये चाहिए थे। वित्त मन्त्री महोदय, आप लाये हैं 115 68 करोड़ रुपये का बजट विद्युत विस्तार के लिए, विद्युत विकास के लिए। कहां ले जायेंगे आप ? किधर ले जाना चाहते हैं देश को, इस प्रदेश को किधर ले जाना चाहते हैं ? राजस्थान सुलग रहा है, बिजली की कमी के कारण किसान परेशान है। देखा नहीं आपने, सारे माननीय सदस्यों के मन में क्या भावना थी। जिस भावना का प्रदर्शन हो रहा था, जो भावना उमड़ कर बाहर आने वाली थी, आपने इस बजट सत्र में इस बात को साबित कर दिया कि किसानों पर कुठाराघात करने की आपकी साजिश है। बिजली पानी का सम्बन्ध किसान से है और आप केवल किसान विरोधी बजट ले आए हैं। किसान की कमर तोड़ने की, किसान पर दोहरी मार करने की आप साज़िश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। विद्युत के विकास को पीछे ले जाने की साजिश कर रहे हैं, आप प्रयत्न कर रहे हैं।

बड़ा आनन्द हुआ, उपलब्धियों का वर्णन किया गया कि उपलब्धियां बढ़ी हैं। वैसे तो भगवान की दया से पहले जितने बजट सत्र आए उसमें प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग उपलब्धियां बतलाई गई हैं, इसमें उपलब्धियां एक साथ दे दी गईं। उपलब्धियां क्या है, विद्युत के क्षेत्र में। वित्त मंत्री जी भाषण करते हैं कि 593 ग्रामों में बिजली पहुंच चुकी है, 11580 कुओं पर बिजली पहुंच चुकी है। वाह रे उपलब्धि ? आज चार मार्च है, इस वर्ष में केवल 26 दिन बच गये हैं। क्या कहता है अभिभाषण। अभी तो राज्यपाल महोदय अभिभाषण करके गये हैं। अभी अभिभाषण करके गये हैं। बड़ी तालियां बजी थीं जब कहा था कि ग्यारह हजार कुओं के बजाय, पन्द्रह हजार कुओं के बजाय 25 हजार कुएं विद्युतीकृत करेंगे। बड़ी तालियां बजी थी जब कहा था कि ग्यारह सौ के बजाय पन्द्रह सौ ग्रामों का विद्युतीकरण करेंगे और 1500 गांवों के मुकाबले उपलब्धि कितनी ? 593 गांव, वन थर्ड। क्या कर लेंगे एक महीने में। वन थर्ड किया, टू थर्ड किस के भरोसे ? मार्च महीने के भरोसे क्या हो जाएगा ? मैं कहना चाहता हूं कि होगा कि नहीं लेकिन दिये हुए पैसों के साथ राजनैतिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार का खेल खेला जाएगा। इसी जनता पार्टी की सरकार में तीन तीन महीने की योजना बनती थी, मानीटरिंग करते थे। सारे फाइनेंशियल, फिजिकल

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

टार्गेट उसी वर्ष में पूरे करने का प्रयास किया जाता था। किन्तु आज माननीय वित्त मंत्री महोदय उपलब्धि बता रहे है कि कुएं हुए हैं 11,500 और ढाई हजार कुए करने वाले थे। राजस्थान की सरकार 25 हजार कुओं के विद्युतीकरण करने की घोषणा अभी दस दिन पहले कर रही थी और हो रहे हैं उसमें से 11500। आधे से भी कम। वाह रे उपलब्धियां। वाह रे, फिजिकल एण्ड फाइनेंशियल टार्गेट्स को पूरा करने का प्रयत्न। प्रायोरिटी है, विद्युत और सिंचाई में प्रायोरिटी है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है सिंचाई, उसका जिक्र मैंने आपके सामने करने की कोशिश की है। जनरेशन पर कहा गया है, मैंने पिछली बार कहा था कि 18 करोड़ रुपया चाहिए कोटा थर्मल के लिए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वह दिया नहीं गया। अब देने का विचार होगा और इसलिए 31 मार्च, 82 विदा हो जाएगा, वह थर्मल धरा रह जाएगा। 18 करोड़ आये साल आप दे देंगे जनरेशन में। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं, पलाना की भी चर्चा कर रहे हैं फिर आबू हाइटक की चर्चा कर रहे हैं। फिर माही की चर्चा कर रहे हैं। मैं नहीं समझ पाता कि कौन सी प्राथमिकता जनरेशन के आधार पर देना चाहते हैं। माननीय वित्त मंत्री महोदय, जरा देखिये। जनरेशन बिजली का बहुत आवश्यक है। रुपया उपलब्ध कराइये। उसके बिना राजस्थान की सरकार और राजस्थान का सारा क्षेत्र आज इस पर आंसू बहायेगा। प्रगति जो होने वाली थी, जिस प्रगति के कारण प्रदेश आगे बढ़ने की प्रक्रिया में था, उसको रोक कर रख दिया, माननीय वित्त मंत्री महोदय। इसलिए मैंने कहा कि यह वर्ष फाइनेंशियल अनुशासन-हीनता का वर्ष है, जिसका जिक्र इसमें है। हां, कभी-कभी मैं विचार करता हूं, माननीय मुख्य मंत्री यहां के शिवचरण माथुर है। लेटेस्ट विचारों के हैं। इन्दिरा गांधी को मौका मिल जाता तो बंगाल की सरकार को उलट देती वह इस प्रकार के इनडिसिप्लीन के कारण किन्तु राजस्थान में तो सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है, सबसे आगे है। मौका मिल रहा है किन्तु शिवचरण जी माथुर शील्ड कर रहे है। बहुत-बहुत धन्यवाद है उनको। आज इस नाते से जो प्रदेश में कर बढ़ा दिये हैं। परिवहन का विचार करें आप। परिवहन पर विचार करने के बाद क्या लगेगा आपको कि वर्ष 80–81 में 26·60 करोड़, 81–82 में 27·45 करोड़ और 82–83 में कितना लाये है, वित्त मंत्री महोदय, 23·70 करोड़। मैं प्राइवेट सेक्टर की चर्चा नहीं करना चाहता। मैं तो केवल यह बताना चाहता हूं आपको कि तीन बार किराया बढ़ा दिया। 25 पर्सेन्ट एक बार, रात के अंधेरे में चुपचाप। कार्पोरेशन है, हमारा क्या लेना देना। बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा। हम फाइनेंशियल इनडिसिप्लीन की चर्चा करते हैं, 25 पर्सेन्ट बढ़ा दिया। बाद में बढ़े हुए किराये पर 20 पर्सेन्ट और बढ़ा दिया और फिर जो किराया बढ़ा था उस पर 10 पर्सेन्ट और बढ़ा दिया। 65 पर्सेन्ट किराया बढ़ा है, 65 पर्सेन्ट। 25, 20 पैंतालीस और 10 पचपन नहीं, अगर एग्रीगेट करेंगे, फैलाने की कोशिश करेंगे, तो देखेंगे कि

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

65 पर्सेन्ट किराया बढ़ा है और 65 पर्सेन्ट किराया बढ़ाने के बाद भी उस परिवहन में विकास की चर्चा वित्त मंत्री महोदय कह रहे हैं 23 करोड़ रुपया। बसेज नहीं हैं, ऊपर नीचे लोग बैठ रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बसेज़ के शिड्यूल फेल हो गए। मुख्य मंत्री महोदय नहीं हैं, मैं पूछता कि क्या चाह रहे हैं वित्त मंत्री महोदय। क्या यह चाहते हैं कि राष्ट्रीयकरण को गोल कर दिया जावे। आशंकायें पैदा हो रही हैं और प्राइवेट बस आपरेटर्स को प्रोत्साहन दिया जावे जिससे मंत्रिमण्डल के दो सदस्य हैं ऐसे सेठों की परिभाषा में आने वाले। उनकी दृष्टि में पूरा विचार करने वाले, रीति नीतियों का ऐसा अवलोकन करने वाले कि समाजवाद से सरकार दूर चली जाकर प्राइवेट आपरेटर्स के हाथ में जाकर पड़े। इस प्रकार की साजिश वित्त मंत्री महोदय ने इस परिवहन और संचार के क्षेत्र में करने की कोशिश की है।

मैंने जैसा आपसे निवेदन किया इस सारे बजट को देखने के बाद लगता है कि किसानों के साथ बड़ा अत्याचार आज तक कभी नहीं हुआ। फ्लेट रेट दुगुनी। फ्लेट रेट में 135 घण्टे बिजली देने का प्रावधान है। जब माननीय सदस्य उस दिन चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे कि 135 घण्टे नहीं 75 घण्टे बिजली दे रहे हैं क्या उस नाते रिडक्शन करेंगे बिलों में? उसके बारे में नहीं बोलेंगे। इसके बारे में ऐसा कहीं नहीं होता और किसी प्रदेश में, जो राजस्थान में हो रहा है। प्रातःकाल 9 बजे बिजली मैया के दर्शन गायब होते हैं, अन्तर्ध्यान होती है, शाम को छः बजे दर्शन देती है। ऐसी हालत है, वोल्टेज की हालत यह है कि किसानों की मोटरें जल रही हैं। किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। खेत सूखे हैं। खेत की प्यास नहीं बुझाई जा रही है और माननीय वित्त मंत्री महोदय भाषण करते हुए कह रहे है कि फ्लेट रेट दुगुनी करेंगे हम। दुगुना करो, करेला और नीम चढ़ा। फ्लेट रेट तो दुगुनी करेंगे, किन्तु 5 पर्सेन्ट का विद्युत शुल्क और। दस पर्सेन्ट की और बढ़ोत्तरी। एक और फ्लेट रेट को दुगुनी करेंगे और साथ में विद्युत शुल्क को दुगुना करेंगे।

सिंचाई में 25 पर्सेन्ट की वृद्धि। यह किसान विरोधी सरकार है। मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि किसानों के हितों पर, मैं जानता हूं कि हवा देख ली है। उन्होंने माननीय सदस्यों के चेहरे देख लिए हैं। उन्होंने माननीय सदस्यों के वार्तालाप देख लिए हैं। मैं जानता हूं कि उन्होंने पहले से सोच रखा है कि पहले तो डबल कर दो, बाद में डेढ़ा कर देंगे। सब लोग समझेंगे कि बड़ी रियायतें दे दी हैं हमने। माननीय वित्त-मंत्री महोदय सोचते हैं कि 25 पर्सेन्ट अभी टैक्स लगाया है, हमने सिंचाई रेट पर, बाद में 15 पर्सेन्ट कर देंगे। वाहवाही लूट लेंगे लेकिन लूटने नहीं देगा कोई। किसानों की क्या चीज सस्ती है, भाई। खाद महंगा, बीज महंगा, डीजल महंगा, इनपुट्स महंगे। उसके सीमेंट की हालत इतनी खराब, दवाइयां महंगी। सब प्रकार की मुश्किलातें। क्या कमर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। बहुत लोग हैं, शहरों में रहते हैं। छः छः मंजिली अट्टालिकाओं में निवास करते हैं। उनके

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

तरीके निकालिये वित्त मंत्री महोदय। उन पर कर लगाने वाले, इनपुट्स डवलप करने वाले तरीके निकालिये। कटलरी पर लगाओ, चमचों को छोड़ दो। बड़ा अच्छा है। छोड़ोगे आप तो।

मैं कहना चाहता हूं कि यह सारे कर बड़े गंभीर हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट रूप से देखें और नहीं देखेंगे तो मैं जो संज्ञा इस बजट को देना चाहता हूं वह यह है कि यह बजट शिवचरण जी माथुर के मन्त्रिमण्डल की इतिश्री का बजट होगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह इतिश्री कर देगा। देख लीजिए ...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बदला ले रहे हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह तो बदला लेने वाला है, पता नहीं कौन से समय की दुश्मनी निकालना चाहते हैं। कौन सी आपस की पुरानी बात है, कौन सी घर की बातें हैं मुझको पता नहीं, उसका बदला मुख्य मंत्री शिवचरणजी माथुर से निकालने का वे प्रयास कर रहे हैं मुझको इसका पता नहीं है।

(व्यवधान)

हां, विरोधी दल के नेता ठीक कह रहे हैं कि लॉबी में चर्चा यह है कि नम्बर वन कौन रहे, नम्बर दो कौन रहे, नम्बर तीन कौन रहे।

श्री दिनेश डांगी (राज्य मन्त्री, पुनर्वास) : आप भी भैरोंसिंह जी के साथ वही सलूक करेंगे आगे चल करके।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सिंचाई से मेरा भी सम्बन्ध रहा है। मैं इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे कहना चाहता हूं कि मेंटीनेंस को एक्सप्लोइट करिये। मेंटीनेंस का, रख रखाव का वर्णन किया लम्बा चौड़ा आपने कि इतना खर्चा होगा, वह प्राप्त नहीं हो रहा है। मेन्टीनेंस पर, रख रखाव पर खर्च किया। ठीक डायरेक्शन दीजिये, उस खर्च को कम करने की कोशिश कीजिये, किसान को गुमराह तो मत करिये। उस पर लगातार प्रहार करने की कोशिश मत करिये। मैंने जैसा निवेदन किया, चाहे उद्योगों की स्थापना हो, चाहे उद्योगों को बढ़ाने वाली बात हो, एक बार राजस्थान में वातावरण बना था, अवसर मिला था दूर-दूर से प्रवासी राजस्थानी भाई राजस्थान में आना चाहते थे और उद्योग लगाना चाहते थे। आज क्या सोच रहे हैं? एक प्रतिशत कर उन कारखानेदारों पर, लघु उद्योग वालों पर लगाकर पांच साल बाद दो प्रतिशत लगा रहे हैं। रा-मेटीरियल पर कर लगा कर उनको पनपने दीजिये, आगे तो आने दीजिए, विकास तो करने दीजिये। माननीय वित्त मंत्री महोदय, आपको पता होगा पहले साल पूरा पूरा प्रोडक्शन नहीं होता। प्रोडक्शन होता है 20, 25 प्रतिशत। दूसरे साल बढ़कर होता है 40 प्रतिशत। तीसरे साल बढ़कर होता है 60 प्रतिशत। इसलिये यह छूट दी है। इस छूट का कोई

(107)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

कारण तो बताइये ? रीजन तो बताइये ? किस तर्क के आधार पर 1, 2 प्रतिशत लगाने की साजिश कर रहे हैं ? बिजली का हाल बताइए, बिजली सम्बन्ध इससे रखती है। किशनगढ़ के पावर लूम जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। राजस्थान के बाहर चले जा रहे हैं। इस सारे बजट को बढ़ाने के पश्चात् कहीं मुझे नहीं लगा कि कोई भी नया उद्योग किसी भी सेन्टर में राजस्थान में आने की प्रक्रिया है ? चुप। बोलने का काम नहीं। हां तो बोलें, दिशा तो बताएं। कोशिश तो करें।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं इस सारे बजट को देखने के पश्चात् जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कर्मचारियों के हितों पर गहरी चोट मारने के लिये बेरी कमीशन का निर्माण किया। बेरी कमीशन बना, बहुत जोर से विचार किया, बहुत बड़ी रिपोर्ट दी। विधान सभा में, प्रश्न करते हैं तो कोई जवाब नहीं आता। जवाब आ गया बजट में। अगूंठा बता दिया कर्मचारियों को। अंतरिम राहत तो दे दी 13 करोड़ की किन्तु जो वित्त भार बनता है 28·4 करोड़ बेरी आयोग का ये 15·40 करोड़ कहां से आयेंगे ? कहां है इनकी आवश्यकता ? इसमें तो उनको उपदेश दिया गया है। वित्त मंत्री महोदय को उपदेश देने और उपदेश सुनने की बहुत आदत है। राज्य कर्मचारियों को उपदेश, धौंस, डांट-डपट। अरे बजट भाषण करिये यह डांट-डपट करने की जगह है क्या ? आपका स्वभाव जरूर है डांट डपट करने का घर में मिलने आता है उससे जरूर कर लेते हैं किन्तु कम से कम बजट भाषण में....मुझे अनुभव है; गये थे कोटा के विद्यार्थी।

श्री चन्दनमल बैद : आपको कभी नहीं डांटा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मुझे क्यों डांटेंगे आप। कौनसी बात होगी कि मुझे डांटने की आवश्यकता पड़े।

क्या जोरदार पैराग्राफ लिखा है आपने कर्मचारियों के लिये। कैसा उपदेश ? और इन दो पहलुओं को अनदेखा करके अगर इन दुविधाओं को असीमित रूप से बढ़ने दिया तो ऐसी स्थिति हो सकती है या तो योजनाओं की छुट्टी कर दी जाय या बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छुट्टी कर दी जाय। आज, मुख्य मंत्री महोदय, धौंस दी जा रही है, भय दिखाया जा रहा है, डराया जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है, एलीगेशन लगाये जा रहे हैं। क्या प्रयोग करते हैं। राज्य कर्मचारी चाहें तो केवल अपनी कार्य क्षमता बढ़ा कर प्रदेश के बजट के घाटे को पूरा कर सकते हैं। नहीं कर रहे हैं, आपकी मंशा यह है। अगर नहीं कर रहे हैं, तो आपका क्या आशय है, क्या दबाव है। क्या देखरेख है ? सारे कर्मचारी समाज के ऊपर एलीगेशन लगाना, माननीय वित्त मन्त्री महोदय, यह कौन सी प्रक्रिया से किया है। यह तो बजट का भाषण नहीं था यह तो करने की आवश्यकता थी। इस नाते से किन्तु एक बात और निवेदन करूंगा केन्द्रीय सरकार तो कुछ कोशिश कर रही है कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग होती है वह तो विचार कर रहा है। 272 पाइन्ट डी. ए को 320 पाइन्ट पर ले जा रहे हैं 344 आज.

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

कल सूचकांक है । वह तो विचार कर रहे हैं कि डी. ए. को 272 पाइन्ट को 320 पाइन्ट तक ले जाया जाय । केन्द्र में तो हो रहा है विचार और राजस्थान के वित्त मंत्री आ रहे हैं इस बजट को लेकर क्या चाहते हैं कर्मचारियों से ? क्या चाहते हैं ? अगर कमी दीखती है तो उन पर निगरानी रखिये । किन्तु देख कर ऐसा लगता है कि सारे कर्मचारी समाज के ऊपर इस प्रकार का लांछन लगाना आपकी दुर्नीति का प्रमाण है । इसके दुष्परिणाम आपको भोगने होंगे, काम की गति में भी भोगने होंगे । जिन लोगों से आप काम लेना चाहते हैं सभी को एक डण्डे से हांकने की कोशिश कर रहे हैं । कुछ प्रेम दीजिये, कुछ स्नेह दीजिये, कुछ दुलार दीजिये । भूखे पेट बंधी बंधाई तनख्वाह वाले लोगों को 15 तारीख के बाद 16 तारीख को लगता है आज बच्चों के लिये खाना नहीं है, बच्चों के लिये कपड़े नहीं हैं । आप उनके जीवन के साथ यह खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं ? यह खिलवाड़ कर रहे हैं कर्मचारियों के साथ । एक तरफ काम में, गति में पीछे रहेंगे और दूसरी तरफ आन्दोलनों की धूम मचेगी । माननीय वित्त मंत्री महोदय, इस नाते से मैं निवेदन करना चाहता हूं इस बात को दिमाग में रख कर....

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर प्रेम से खुश होते हैं, तो आपको काफी दिया । आप तो खुश हुए ही नहीं ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हमने तो बहुत कुछ दिया है । बेरी कमीशन हमने बनाया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप प्रेम से खुश नहीं करना चाहते तो डण्डे से करेंगे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह मतलब नहीं है । यह कह रहे हैं प्रेम दीजिये उनको, अपनाइये । हमने कहा, हमने तो प्रेम दिया, तनख्वाह बढ़ाई सब कुछ किया फिर भी आप तो यों के यों हो ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं नहीं, ये नैतिक शिक्षा का पाठ दे रहे हैं । नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम में नहीं जोड़ी, यहां दे रहे हैं । यह नैतिक शिक्षा है ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारे बजट के बाद चर्चा की गई है कि गैर योजना मद में 10 करोड़ की बचत कर लूंगा । यह तो लॉबी ने बता दिया है, यह तो आपने भी लिख दिया कि नहीं हो सकता । यह तो आपकी कान्फिडेंशियल रिपोर्ट है जो आपने उजागर कर दी है । सवाल आपका है । मैंने कहा, ओवर ड्राफ्ट 340 करोड़ है जिसका ब्याज लगता चला जायेगा तो कहां पहुंच जायेगा ? उसका वर्णन मैंने बताया । गैर योजना मद में कमी करने की बात, उसकी सिफारिशें बता कर फायदे का बजट बनाने वाली बात के लिये ऊपर से डण्डा आ गया । घाटे का बजट होगा तो योजना मद में पहले पहल काटूंगा इसलिये तरीके से चुपचाप ऐसा पेश करो, इसलिये आपने कहा लाभ का बजट दे रहा हूं 10 करोड़ कहां से प्राप्त

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

करूंगा। गैर योजना मद से प्राप्त करने की बात माननीय मंत्री महोदय ने करने की कोशिश की है....

एक माननीय सदस्य : एक्टिंग तो बढ़िया है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक्टिंग तो बढ़िया है मालूम पड़ेगा थोड़ी देर में जो राजस्थान के किसानों, राजस्थान के कर्मचारियों...

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : बात एक्टिंग की है, साहब। बजट तो पेश हुग्रा ही है।

श्री चन्दनमल बैद : नाटक पर मनोरंजन कर माफ कर दिया है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह बजट का भाषण है। बेरोजगारों की हालत क्या है? शिक्षित बेरोजगारों ग्रौर ग्रशिक्षित बेरोजगारों के बारे में कहने की बात है? कोई चर्चा, कोई उपाय सुझाये हैं? कोई पैसे का ग्रलाटमेंट किया है? मतलब क्या है? बेरोजगार जवानों से क्या मतलब है? मतलब है उन लोगों से, ग्रालोक को दी जा रही है वहां की फैक्ट्री। जयपुर मैटल्स देने की प्रक्रिया इसमें तो है। वित्त मंत्री को बड़ा ग्रानन्द ग्राता है। बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रयोजन क्या? यह मैंने रिपोर्ट पढ़ी। पिछले साल की रिपोर्ट कहती है 31-12-81 को ग्राशार्थियों की संख्या 3,96,791 थी ग्रौर नौकरी दी 17 हजार को। चार लाख में से 17 हजार को नौकरी केवल सरकारी क्षेत्र में नहीं किन्तु सारे क्षेत्रों में प्रायोजना विभाग लगा सका। क्या उन बेरोजगारों की चिन्ता नहीं करनी चाहिये? क्या इस बजट में प्रावधान करने की ग्रावश्यकता नहीं है? चाहे ग्रामीण रोजगार हो, चाहे शिक्षितों की व्यवस्था हो, चाहे ग्रशिक्षित रोजगार का सवाल हो सारी योजना मौन है।

सार्वजनिक वितरण की चर्चा की। बंधी बंधाई तनख्वाह वाले व्यक्ति परेशान हैं। ग्राज उनकी मुश्किल है। चीजों के भाव ग्रासमान को छू रहे हैं, महंगाई ग्रासमान को छू रही है। उनका जीना दूभर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ग्रव्यवस्था के रूप में पड़ी है। चाहे चीनी हो, चाहे घासलेट हो, चाहे गेहूं हो, चाहे दैनिक उपयोग में ग्राने वाली वस्तुएं हों उनके लिये कुछ प्रोविज़न करने की कोशिश की? ग्रावश्यकता क्या है? ग्रावश्यकता उस दिन बताऊंगा जिस दिन सिलसिलेवार चर्चा होगी। उसमें घासलेट तेल में क्या प्रक्रिया शुरू की गई है उस दिन निवेदन करने की कोशिश करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल मात्र यह कहना चाहता हूं राजस्थान के विश्वविद्यालयों की हालत क्या है। रिवेल्यूएशन नहीं हो रहा है, सप्लीमेन्ट्री का रिजल्ट नहीं ग्रा रहा है, लॉ का रिजल्ट नहीं ग्रा रहा है, कारण है इसका कि राजस्थान विश्वविद्यालय का ऐसा ग्राकार हो गया है जिस पर कन्ट्रोल करना मुश्किल है। जरा प्रावधान कीजिये, कोटा में विश्वविद्यालय

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

बने, प्रावधान कीजिये अजमेर में विश्व-विद्यालय बने, प्रावधान कीजिये, बीकानेर में विश्व विद्यालय बने। कोई ऐसी स्टेट नहीं है। चार नाम आप बना दीजिये, मैं चाहता हूं वित्त मंत्रीजी अपने जवाब में बताएं। सब प्रकार के आंकड़े दें, और प्रदेशों में विश्वविद्यालयों की संख्या क्या है और राजस्थान उनके कम्पेरिजन में कहां पर खड़ा है ? यह सवाल उठेगा। एक तो बेरोजगारी के कारण उठेगा और उठने के कारण, ऐसी स्थिति पैदा होगी, उन सब बातों पर विचार करने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्षजी मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस दृष्टि से यह बजट विकास को रोकने वाला है। किसान खड़े हो जायेंगे, कर्मचारी खड़े हो जायेंगे, उद्योग चौपट होंगे और इन सब का प्रभाव सामान्य व्यक्ति पर पड़ेगा। चाहे सैल्स टैक्स से हो, चाहे बिजली के कारण हो, चाहे उद्योगों के कारण हो, सब पर पड़ने वाला है। ऐसा कोरा निरर्थक बजट, विकास की गति को अवरुद्ध करने वाला, पीछे ले जाने वाला है। माननीय वित्त मंत्री जी लाये हैं मैं इसका विरोध करना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल मात्र थोड़ी-सी इस प्रकार की मुसाहिबी से काम नहीं चलेला।

गंभीरता से विचार करें। यह सारी बहस आपके सामने आयेगी। हर मुद्दे पर विचार करें। विचार नहीं करेंगे तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पहाड़िया जी चले गये 11 महीने के थोड़े से समय में और इनके साथ-साथ दूसरे मुख्य मंत्री को भी चलाने की बात है। कहीं यह साजिश है। इस साजिश से राजस्थान को उबारिये। जनता को आगे बढ़ावें। विकास की गति को आगे बढ़ावें। इन शब्दों के साथ मैं विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बहादुर सिंह।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 3 मार्च को जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री को निवेदन करना चाहता हूँ, इस प्रकार से गरीब किसान एक-एक कण के लिये दौड़ता है मजदूरी के लिये दौड़ता है। उनको खेती के लिये पानी नहीं मिलता है, समय पर बिजली नहीं मिलती है और बड़ी मुसीबत के साथ अपना उत्पादन बढ़ाता है। अपने पेट गुजारे के लिये, वह अपना काम करता है। आज माननीय वित्त मंत्रीजी की तरफ से जो बजट पेश हुआ है, उसमें बिजली की दर बढ़ा दी गई है, सिंचाई की दर बढ़ा दी गई है। इस प्रकार काश्तकार को कमजोर किया जाता है तो फिर राजस्थान में गरीब काश्तकार के लिये कोई आशा नहीं है। आज सीमान्त और लघु कृषक अपने पेट गुजारे के लिये सिर्फ भगवान पर निर्भर रहता है। इसमें जबर्दस्ती सरकार अपनी टांग अड़ा करके इन गरीबों को पीछे हटाने के लिये, दबाने के लिये शोषण करने का विचार रखती है तो बहुत

(श्री बहादुर सिंह)

बुरी बात है। आज भारत की प्रधान मंत्री बड़े बड़े शब्दों में गरीब काश्तकारों, किसानों हरिजनों, खेतिहर मजदूरों, खेतिहर किसानों को ऊंचा उठाने की बात करती है और उनके नीचे तबके के लोग इन किसानों को दबाने की कोशिश करते हैं. उनका शोषण करने की कोशिश करते हैं। आज खाद के भाव ऊंचे हैं। काश्तकारों को खाद नहीं मिलती है. समय पर पानी नहीं. मिलता है और समय पर बिजली नहीं मिलती है। ऐसे लोगों पर इस प्रकार से दर बढ़ाई गई है बिजली और सिंचाई की, वह बहुत बुरा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें संशोधन करके कम किया जाय। इन दरों को कम किया जाय। सीमान्त, लघु कृषक पर यह नहीं होना चाहिये। सीमान्त और लघु कृषक को बिजली और सिंचाई की बढ़ी हुई दर का भुगतान करना पड़ेगा तो वह काश्तकार ऊंचा नहीं हो सकेगा। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हमारे बांसवाड़ा जिले में सीमान्त और लघु कृषक अधिक मात्रा में हैं। ऐसे काश्तकार, सक्षम काश्तकार बहुत कम हैं और वहां इस प्रकार जो सिंचाई और विद्युत की दर बढ़ाई है, वहां पर काश्तकार आगे नहीं बढ़ पायेंगे।

साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले में अकाल की स्थिति को देखते हुए इस साल जो दर बढ़ाई गई है इससे वहां के काश्तकारों के लिये बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। वे समय पर भर नहीं पायेंगे। सरकार की तरफ से डंडा बरसेगा। काश्तकार भाग-भाग कर जंगल में छिपते रहेंगे। सरकार उनकी तरफ ध्यान देने वाली नहीं है। आज की स्थिति को देखते हुए वे कमजोर हैं और काश्तकार को कोई सहारा देने वाला नहीं है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अपने बजट भाषण में यह बताया गया है कि अकाल राजस्थान में है। अकाल होने के नाते सरकार ने यह व्यवस्था बनाई है कि जितने भी काम हैं वे सरकार के माध्यम से, डिपार्टमेन्ट के माध्यम से होंगे, वहीं पर मजदूरी को मजदूरी दी जायेगी। कई काम कम समय में ही पूरे हो जायेंगे। लम्बे अर्से से काम चल रहे हैं वे पूरे होने को हैं। इसका बजट है नहीं तो वहां पर मजदूरी कैसे मिलेगी। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल के लिये अलग से बजट तय किया जाय और अलग से काम की सैंक्शन दी जाय ताकि समय पर लोगों को मजदूरी मिल सके और गरीब लोग मजदूरी पर जा सकें, अपना पेट भर सकें। आपने यह बताया है कि मजदूरों की मजदूरी 7/- रुपये से 9/- रुपये, 11/- रुपये, 10/- रुपये कर दी गई है। इससे क्या होना-जाना है। मजदूरी ही नहीं खुलेगी कहीं सड़क पर काम नहीं चलेगा, तालाब पर काम नहीं चलेगा, एनीकट पर काम नहीं चलेगा तो मजदूरी की दर बढ़ाने से क्या मतलब ?

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि

(1025)

(श्री बहादुर सिंह)

रिलीफ के काम अकाल के वक्त में खोलना सरकार की जिम्मेदारी होने के नाते, सरकार को अलग तरीके से रिलीफ के कार्य खोल कर के मजदूरों को मजदूरी दी जाय. मेरा यह निवेदन है । सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, मैं यह कहना चाहता हूं, अकाल के वक्त में मजदूरों को मजदूरी देने के लिये डिपार्टमेन्ट के काम चालू रखे जायें । वहां पर ठेकेदार का भी काम होगा । वह कम मात्रा में होगा कम मजदूर लिये जायेंगे । राजस्थान में सैंकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों की तादाद में मजदूर हैं। करोड़ों की तादाद में मजदूरों को मजदूरी डिपार्टमेन्ट के काम के आधार पर दी जाय, ठेकेदारी के आधार पर नहीं दे सकते है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार अकाल राहत कार्यों की अलग व्यवस्था करें और राजस्थान के मजदूरों को मजदूरी दें ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बजट के हिसाब से, मैं समझता हूं कि राजस्थान में आदिवासी हरिजन लोगों के लिये पढ़ाई का स्तर दिनोदिन गिरता जा रहा है क्योंकि सरकार के आंकड़ों के हिसाब से आज की यह बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से देखा जाय, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भरसक सहयोग मिल सके, उस हिसाब से कोई बजट नहीं है । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा, आदिवासी, हरिजनों के जो होस्टल चल रहे हैं वहां पर होस्टल बढ़ाये जायें, उनकी संख्या बढ़ाई जाय और विद्यार्थियों के लिये कपड़ा, जूते, खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जाय । मैं यह सोचता हूं कि आज से दो महीने पहले सरकार पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 80/- रुपया पर मन्थ देती है । उनको यह सुविधा कुछ नहीं है । कोई खाना पकाने वाला नौकर नहीं है । न कोई उनके कपड़े का ठिकाना है, न जूते का ठिकाना है 80/- रुपये आज देने का तय है । वित्त मंत्रीजी ने इसमें रेट बढ़ायी है और 80 से 100, 125 रुपया कर दिया । इससे कुछ नहीं होने वाला है, आज की महंगाई को देखते हुए । बड़े अधिकारियों, मिनिस्टर, विधायकों को सब फैसिलिटीज दी जाती हैं, छोटे कर्मचारियों को दी जाती है तो पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वे क्या करते हैं, वे क्या पहनते हैं, वे क्या खाते हैं ? आज उनका जीवन निर्वाह नहीं हो सकता है । उनको खाने को अनाज चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए, जाने-आने के साधन होने चाहिए । इन सबके लिये आप पैसे क्या देते हैं 80 रुपये, सौ रुपये । इससे न तो वह खाना खा सकता है, न कपड़े पहन सकता है, न जूते खरीद सकता है न किताबें खरीद सकता है और न पैन-पेंसिल आदि की व्यवस्था कर सकता है । ऐसी स्थिति में उनको मिलने वाला पैसा बढ़ाया जाय तो पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिये, गरीब आदिवासी के लिये कारगर कदम हो सकता है । इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकंवार बैरवा ।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो इस

(श्री रामकंवार बैरवा)

हाउस में 3 मार्च को बजट पेश किया है उसका मैं आपके माध्यम से विरोध करता हूं। खास कर इस बजट का असर राजस्थान प्रदेश की महिलाओं पर, अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर, छोटे काश्तकारों के ऊपर, किसानों के ऊपर और मध्यम श्रेणी के ऊपर पड़ा है उन पर कुठाराघात किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात याद आती है जब केन्द्र और प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार थी, तो श्रीमती इन्दिरा गांधी जहां कहीं भी जाती थीं वहां जनता पार्टी के ऊपर एक सीधा आरोप यह लगाती थीं कि जनता पार्टी के नेताओं ने हिन्दुस्तान के सोने को बेच दिया है और हमारी भारत वर्ष की महिलाओं के लिये, बहू बेटियों के लिये मंगल सूत्र के लिये सोना नहीं छोड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस बजट में हमारे वित्त मंत्री महोदय ने मखौल किसानों के साथ उड़ाया है, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ उड़ाया है और अन्य प्रदेश के नागरिकों के साथ उड़ाया है और महिलाओं को भी अछूता नहीं छोड़ा और कांच की चूड़ियां भेंट की हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आपको क्या पता चूड़ियां कितनी आवश्यक होती हैं?

श्री रामकंवार बैरवा : हमारी महिलाओं के लिये, कल कहीं पर आपस में चर्चा हो रही थी कि हमारे नेताओं ने राजस्थान के मन्त्रिमण्डल ने, वित्त मंत्री ने और हमारी गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिये कितनी छोटी सी रियायत के तौर पर बजट पेश किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : ओढ़नी का भी तो जिक्र करो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपको कहीं देखने को भी मिली है क्या?

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : वह तो आपको ओढ़ा दी है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामकंवार बैरवा : इस बजट को देखने से मिलता है कि किसान खेत पर काम करने के बाद में बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करता था लेकिन वित्त मंत्री जी ने उसके ऊपर बिजली की दर को बढ़ाकर उसके विकास को रोका है। बिजली की रेट उन्होंने दुगुनी कर दी है। मैं पूछता हूं कि अनुसूचित जाति के लोग छोटे काश्तकार लोग हैं उनमें से किसी के पास में पांच बीघा जमीन है, किसी के पास 7 बीघा है और किसी के पास में एक एकड़ जमीन है। वह अपने कुओं पर बिजली लगाकर अपना छोटा सा रोजगार करता है, वह मजदूरी भी करता है और खेती भी करता है, उसके लिये वित्त मंत्री जी ने कुछ भी नहीं सोचा है।

मैं आपके माध्यम से यह भी कहूंगा।

(श्री रामकंवार बैरवा)

चाहूंगा कि वित्त मन्त्री जी ने एक धनी व्यक्ति के घर में जन्म लिया है इसलिये गरीब की ओर ध्यान नहीं गया है। माथुर साहब की सरकार जो है वह पूंजीपतियों की सरकार है। उसका मैं सख्त विरोध करता हूं और कहना हूं कि गरीबों की तकलीफों तक पहुंचने का उसका दिमाग नहीं है क्योंकि वे गरीबों से बहुत दूर रहते हैं। इसलिये इस बजट का असर आम लोगों पर पड़ा है। उनके जो विचार हैं, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा, किसानों की कमर पर दोहरा मार डाला गया है।

कृषि के मामले में किसान वर्ष के 365 दिन काम करता है, कितना काम करता है। वह खुद, उसकी पत्नी, उसके लड़के और जितने भी परिवार के सदस्य हैं वह सब खेती में काम करने के बावजूद किसान की स्थिति आज भी लाभ की स्थिति नहीं है। एक भी किसान लाभ की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसको या तो बिजली लगानी पड़ती है या बैल खरीदने पड़ते हैं। और खाद। खाद की समस्या आज इतनी जटिल है कि हर दूसरे साल अगर वह खाद नहीं डालता है तो कुछ भी पैदा नहीं होता है। इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि किसान की आज वह दशा वित्त मन्त्री जी ने बना दी है कि न तो वह खेती कर पायेगा और न ही मजदूरी करने लायक रहेगा। आज वह मुसीबत में आकर फंस गया है।

इसके साथ-साथ ही बिजली की दरें जो बढ़ायी हैं उसमें किसानों से फ्लेट रेट जो पहले ली जाती थी उसको दुगुना कर दिया गया है। मैं वित्त मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपने बिजली का कानून बनाया हुआ है, जो बिजली की आवश्यकता है उसको पूरी तरह देने का आश्वासन दिया हुआ है। आप एकदम से गारन्टी निभाने से पीछे हटते हैं और बिजली की दर बढ़ाने में आगे रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर में आपकी नीति क्या है? जो बिजली के नियम हैं उस पर न टिक कर केवल किसानों को लूटने की हमेशा बात करते हैं। इस तरह का ही आपने बजट पेश किया है।

इसके साथ ही साथ आपने अनुसूचित जाति और जन जाति के विकास की बात कही है। वर्ष 1982–83 की योजना में 50.69 करोड़ रुपये जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में व्यय किये जाने का प्रावधान है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में सम्मिलित कार्यों के लिये 36.15 करोड़ रुपये का प्रावधान है। राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए अनुसूचित जाति संगठन योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके लिये 36 करोड़ और 81 लाख रुपये का प्रावधान है। भारत सरकार से इसके अलावा 5.92 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 5 करोड़ इतने बड़े प्रदेश के लिये केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये दिया गया है। यह केन्द्रीय सरकार की मखौल उड़ाने वाली बात है। श्रीमती गांधी का 20 सूत्री कार्यक्रम जो है वह दिखावे का कार्यक्रम है। इसमें लोगों को धोखा देकर और लच्छेदार भाषण देकर वोट प्राप्त करने जैसी नीति है।

(श्री रामकंवार बैरवा)

अधिक उत्पादन के सम्बन्ध में 20 संकल्प में कहा है कि "अधिक उत्पादन के लिये इस वर्ष 1982 को उत्पादक वर्ष घोषित किया है और हम खासतौर से अपने राष्ट्रीयकृत उद्योगों को प्रणाली को सुधार रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि हमारे दफ्तरों और अदालतों में जो मामले रुके पड़े हैं उनको निपटाने के लिये विशेष प्रयास किये जायेंगे।"

इस तरह से यह सारी बात है सिमेंज अपने नये 20 सूत्री कार्यक्रम में सिंचाई क्षमता में और वृद्धि की जायेगी और सूखे खेतों को पानी देने की बात है। इसके लिये सम्बन्धित तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने की और विकास की बात है। कृषि का विकास करने में अनुसूचित जाति के लोगों के लिये फलदार पौधों की बात कही है। यह सारी बातें देखने के बाद में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी 19 जुलाई को जो बाढ़ आयी थी उसमें मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 114 लोगों की मृत्यु हो गयी, उनकी जानें गई और हजारों लोग बेघरबार हो गये। सरकार उसके पांच रोज बाद वहां पहुंची और पहुंचने के पश्चात् आज तक केवल डेढ़ सौ गज प्लाट और 6 चद्दर एक परिवार को सरकार दे पायी है। उसके अलावा और कोई सरकारी इन्तजाम उनके लिए नहीं है। न कोई रोजगार है, न जमीन सुधारने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी दी गयी है। मैंने खुद ने कई दफा मुख्य मन्त्रीजी से, राहत मन्त्री जी से और अन्य महकमों से सम्पर्क किया लेकिन सरकार सोई हुई है। और सरकार, कितनी भी बड़ी संख्या में प्रदेश के नागरिकों के कष्ट हों, तो उस पर ध्यान देती नहीं है। यह बहरी और गूंगी सरकार है। मैंने इस प्रकार से आज तक कहीं नहीं देखा। पहले भी यह सरकार थी, जब सुखाड़िया जी की सरकार थी कोई मशविरा लेकर जाते थे, तो उनकी जो वाजिब बातें होती थीं वह उनको मान जाते थे। आज की तारीख में हालत यह हो गयी है कि विधान सभा में भी जाने में हिचकिचाहट करते हैं, अक्सर जाते नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों में बदले की भावना है। बदले की भावना से काम करते हैं। जो भी कोई अपोजीशन मैम्बर हैं, अगर वह सच्ची बात करता है तो इनके पास केवल एक ही जवाब है कि ये तो ऐसे ही विरोध करते हैं, या करते कहेंगे इनका काम यही है।

इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में बड़े-बड़े लोगों, जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उद्योगपति हैं उनको तो बिलकुल अछूता रखा गया है और जितने भी मध्यम श्रेणी के लोग हैं उन पर कर का अधिक भार डाला गया है। मेरा निवेदन यह है कि सरकार ने इस वक्त अनुसूचित जाति और जनजाति के जितने भी बड़े अधिकारी थे उन सबको ऐसी जगहों पर लगाया है और ऊपर से कहते हैं कि अगर तुम किसी भी प्रकार का अधिकार मांगोगे तो इससे भी दूर भेज दिया जायेगा या आपको नौकरी से हटा दिया जायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज यह वर्तमान सरकार जो चल रही है, श्री शिवचरण माथुर की सरकार जब बनी थी मैंने उस समय उनको धन्यवाद पत्र लिखा था'। बरसात जब शुरू हुई थी 18 तारीख को

(श्री रामकंवार बैरवा)

इनको धन्यवाद पत्र लिखकर दिया। मैं आशा करता हूं कि आप मुख्य मन्त्री पद सम्भालते ही राजस्थान का विकास करोगे दूसरे ही दिन बरसात शुरू हो गयी। और तीसरे दिन यह हुआ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 114 लोग जान से मर गये।

श्री यदुनाथ सिंह : हत्यारी सरकार है।

श्री रामकंवार बैरवा : इससे आगे जाकर पता नहीं क्या होने वाला है इसलिए मैं तो भयभीत रहता हूं। शिवचरण जी की जो सरकार है वह पहाड़िया जी की सरकार से भी चार गुणा ज्यादा नकारात्मक सरकार साबित हुई है. यह कहकर इस बजट का विरोध करना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपकी इसी प्रकार की नीति रही तो आपकी सरकार टिकाऊ नहीं बन सकती है। पहाड़िया साहब के राज में भी मैंने यही कहा था और आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि टिकाऊ सरकार नहीं होगी। गरीबी और अमीरी का भेदभाव नहीं होगा, सबके हितों की रक्षा नहीं होगी और प्रदेश के नागरिकों के प्रति यही दृष्टिकोण नहीं रहेगा तो टिकाऊ सरकार नहीं होगी, अधिक दिन चलने वाली नहीं होगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माणक मल मेहता।

श्री माणकमल मेहता (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, कल इस बजट भाषण को वित्त मन्त्री जी ने पढ़ा और इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां हैं इसमें। जैसा कि मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस बजट, में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी हमें प्रशंसा करनी होगी। जो किसान के अहित की बातें इसमें दी हैं उसके लिए निश्चित रूप से वित्त मन्त्री और सरकार उनका पुन: अवलोकन करें।

यह निश्चित है कि जो उपलब्धियां हुई हैं वे उपलब्धियां हमने और हमारी सरकार के जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, उन सभी के सहयोग से प्राप्त हुई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी आर्थिक कठिनाइयां राजस्थान में विशेष रूप से रही हैं और अकाल की विभीषिका निरन्तर चार वर्ष से इस प्रदेश में रही है। पाश्चात्य इलाका विशेष रूप से जोधपुर डिवीजन, बीकानेर डिवीजन, ये जो डिवीजन्स हैं वहां पर बहुत ज्यादा अकाल की विभीषिका रही, पीने के पानी की कमी रही। लेकिन पूरे राजस्थान में जहां पर अकाल की स्थिति नहीं होते हुए भी वहां अकाल घोषित किया गया और इस कारण पाश्चात्य या पश्चिमी राजस्थान में जो सुविधायें होनी चाहिए थीं, जो कार्यक्रम और अकाल राहत कार्य बड़े पैमाने पर खोले जाने चाहिए थे वह नहीं खोले जा सके।

आज भी हम पश्चिमी राजस्थान में रहने वाले लोग इस बात की कठिनाई को महसूस कर रहे हैं कि हमारे यहां जिस पैमाने पर ये कार्य खोले जाने चाहिए थे वे नहीं खोले जा सके। वित्तीय संकट के कारण हमें दुर्दशा का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वी राजस्थान में तो, जो वहां के निवासी नहीं हैं न यह कहते हैं कि इस बजट में जो किसान पर फ्लेट रेट वगैरह लगायी

(श्री माणक मल मेहता)

गयी है उससे पश्चिमी राजस्थान वालों को ज्यादा कठिनाई हो रही है। पश्चिमी राजस्थान में वैसे ही पीने के पानी की कमी है इसलिए जो कुछ भी विजली से उपयोगिता हो सकती है अगर किसान पर इस दुर्दशा का भार पड़े तो जहां 3-4 साल से मुतवातिर, निरन्तर अकाल पड़ रहा है उस से वहां इस क्षेत्र के किसान को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए मैं सर्व-प्रथम यह निवेदन करना चाहूंगा कि फ्लेट रेट को पुन: देखा जाय और इसके लिए जो पहले की स्थिति थी वही कायम रखी जाय।

मैं, इसके बाद में, जो उपलब्धियां हैं, उनके लिए निवेदन करना चाहता हूं। उपलब्धियां राजस्थान सरकार ने बहुत की हैं। यानी हमारे जो पांच हजार से कम की अबादी वाले गांव हैं उनको सड़क से जोड़ने की बात कही गयी है। उस से निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिलेगी। वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। वहां गांव की जो ट्रान्सपोर्टेशन की कमी है उसमें निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और वहां के लोग दूसरे शहरों और गांवों से मिल सकेंगे, जुड़ सकेंगे।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि जनजाति और अनुसूचित जाति के विकास के लिए आपने 50 करोड़ 69 लाख रुपयों का प्रावधान रखा है। इसमें निश्चित रूप से पिछड़े लोगों को बहुत ऊंचा उठाने की सम्भावनायें हैं। विशेष रूप से उन क्षेत्रों को जहां अनुसूचित जाति और अनु-सूचित जनजाति के लोग रहते हैं, निश्चित रूप से लाभ होगा और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। छात्रवृत्ति में वृद्धि करने की जो बात कही गयी है उसकी मैं प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। जो 100 रुपये नीड कम मेरिट के आधार पर दिये जाते हैं उसे बढ़ाकर 60 से 120 कर दिया गया है। इसी प्रकार छात्रावास में रहने वाले छात्रों, जिनको इस समय केवल 75 रुपये मिलते थे, को 125 रुपया कर दिया गया है। तो वास्तव में उनकी नीड को सरकार ने देखा है। निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार हमेशा गरीबों की भलाई की बात सोचती है इसके लिए वित्त मन्त्री ने बहुत ही दूरदर्शिता का परिचय दिया है इसमें कोई शक नहीं कि पेयजल की समस्या के लिए,

(4.10 म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदया, 28.89 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लेकिन पिछले साल जो प्रावधान किया गया था वह उससे कम है। मैं तो निश्चित रूप से यह कहना चाहूंगा कि विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के लिए आपको ईयरमार्क करके वह 28 करोड़ रुपया केवल बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, पाली इन क्षेत्रों के लिए रखा जाना चाहिए। मैं आपसे अब भी निवेदन करूंगा कि 28 करोड़ की जो योजना राजस्थान के पेयजल की है केवल पश्चिमी राजस्थान के उन इलाकों के लिए और उन 5 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए विशेष लि

(श्री माणकमल मेहता)

मे रखी जानी चाहिये जिनमें पानी की बहुत बड़ी कमी है। मैं आपको इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि रोहट पचायत क्षेत्र में जो पाली डिस्ट्रिक्ट का, पाली तहसील का एक एरिया है जहां पीने का पानी बिलकुल नही है, जो भी पानी है वह खारा पानी है, उसके लिए रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम पूरी तरह से कामयाब नहीं हो रही है, वाटर सोर्सेज वहां पर चालू करेंगे। उसके लिए निश्चित रूप से रिसर्च करके उस क्षेत्र को पानी पिलाने की योजना बनायी जानी चाहिए क्योंकि हमेशा उस क्षेत्र में पानी की कमी रही है, न पीने का पानी है और न दो फसली एरिया है न बिजली के संसाधन वहां पर जुटा पाये हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में केवल 6 जिलों के लिए यह 28.89 करोड़ रखा जाना चाहिए ताकि आगे से पानी की समस्या वहां हल हो सके। इस क्षेत्र के लोगों को जो हमेशा पानी की कमी आती रही है पानी मिल सके और पानी की कमी को दूर किया जा सके। पानी पिलाई के लिये जो पूर्वी राजस्थान का इलाका है वहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है वहां पर अगर आप दूसरी योजनायें धीरे-धीरे चलाते रहें, पाइप लाइन जिन गांवों में नहीं है वहां पाइप लाइन देने के लिए देरी से योजना बनायें तो उनके लिए इतनी आवश्यकता नहीं रहेगी जितनी कि पश्चिमी राजस्थान को रहेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि योजना विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के इलाकों के लिए बनायी जानी चाहिए और उसके लिये निश्चित रूप से 30 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिये। जो हैण्डपम्प लगाने की योजना बनायी है उसमें पी. एच. ई. डी. को जितना पैसा दिया जा रहा है वह बिलकुल अपर्याप्त है इसके लिए भी निश्चित रूप से इसमें प्रोविजन करके उनको और पैसा देना चाहिये।

आगे की बात यह निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायती राज को हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने पुनर्जीवन दिया। सन् 59 में हमारे राष्ट्रमना पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी दीपशिखा प्रज्ज्वलित की थी चित्तौड़ में, पुनर्जीवन दे करके डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन का एक नया अध्याय शुरू किया। यह निश्चित रूप से हम मान्यता रखते हैं कि मुख्य मन्त्री इसको पुनर्जीवित करके और अधिकार दे करके उसकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आगे आयेंगे। उसको और अधिकार देंगे ताकि हम महात्मा गांधी के पंचायत राज के स्वप्न को साकार कर सकें और गांव के लोग गांवों में योजना बनाकर उनको आगे बढ़ा सकें। आज कल जो योजना बनायी जा रही है वह ऊपर से बनाकर गांव के लोगों के ऊपर थोप दी जाती है। इसलिए जो उनकी प्रगति होनी चाहिये वह नहीं होती और जनता में इस तरह की क्षमता नहीं बढ़ती कि वह अपने कार्य को अपने आप कर सके। इसलिए मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को और सरकार को यह कहना चाहूंगा कि इन संस्थानों के स्वप्न को आपने पुनर्जीवित किया, मुख्यमन्त्रीजी ने पुनर्जीवित किया और एक नये अध्याय की शुरूआत की है इनको शक्ति देकर इनकी आर्थिक क्षमता बढ़ायी जानी चाहिये। इनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये आपको इनके लिए भी विशेष प्रोविजन

(श्री माणकमल मेहता)

रखना चाहिये, जो इस बजट में, मेरे ख्याल से नहीं रखा गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो कर प्रस्ताव आपने दिये हैं उन कर प्रस्तावों में किसानों के लिये जो कर प्रस्ताव हैं उसके साथ साथ आपने छोटे उद्योगों के लिये कच्चे माल पर टैक्स लगाने की बात कही है। मैं समझता हूं उनके ऊपर टैक्स लगाने से उनकी क्षमता में कमी आयेगी और कोई भी एन्टरप्रेन्योर राजस्थान में अपना एन्टरप्राइज, अपनी कोई भी फैक्ट्री, कोई भी उद्योग लगाने के लिए कतई तैयार नहीं होगा। इसलिए अगर आप नये उद्योगपतियों को या नये उद्योग लगाने वालों को, नये नये लड़कों को, जो इन्जीनियरिंग पास करके आते हैं, लाना चाहते हैं तो इस कच्चे माल पर टैक्स लगाने की जो योजना बनाई है उसको कम करना चाहिये और यह टैक्स लगाने की बात है उसको स्क्रेप करना चाहिये।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने यह जो बिक्री कर में एक बात कही है और लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स को एक लाख की आबादी वाले शहरों में हटाने का कदम उठाया है उसका हम स्वागत करते हैं। यह आपका प्रशंसनीय कार्य है। क्योंकि जिन शहरों में एक लाख से कम की आबादी है वहां पर लोग उन मकानों की कीमत बढ़ा बढ़ाकर लगाते थे। उस टैक्स को हटाकर आपने यह स्वागत योग्य कार्य किया है। इसके लिए निश्चित रूप से प्रशंसा करूंगा। उसके साथ मनोरंजन कर, जो आपने नये सिनेमा हाउसेज लगाने की बात कही, उन पर नहीं लगाया जायेगा। पहले साल इतना कम रहेगा, दूसरे साल इतना रहेगा, यह जो आपने बजट भाषण में बात कही है स्वागत योग्य इसलिए है कि दूसरी जगहों से लोग सिनेमा हाउसेज, जो आज कल एण्टरटेनमेंट के लिए है, के लिये वहां पर आयेंगे और उन क्षेत्रों में सिनेमा लगायेंगे। नये-नये सिनेमा लगाने के बाद में उन पर कर नहीं लगेगा तो निश्चित रूप से आकर्षित होंगे उस क्षेत्र की ओर। उसके लगाने से जो आय होगी उससे निश्चित रूप से अपनी जो प्रोसपेरिटी है उस प्रोसपेरिटी में एक कदम आगे बढ़ सकेंगे। इसी के साथ–साथ मैं आपसे यह कहूंगा कि बिजली की दर, टैक्स, छोटे-छोटे उद्योगों पर बढ़ाने की बात कही गई वह अनुपयुक्त है, उसके लिए आपको पुनर्विचार करना चाहिये। साथ ही साथ जो आपने संगीत, राजस्थानी कला और संस्कृति के प्रोत्साहन के लिये जिन बारह बातों के ऊपर टैक्स नहीं लगाने की बात कही वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। कुल मिलाकर इस बजट का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन साथ साथ किसानों के लिये आपने जो टैक्स नहीं लगाने की बात की वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। उसके लिये भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको फ्लेट रेट पर पुनर्विचार करना चाहिये। दूसरे प्रदेशों में या दूसरे प्रान्तों में जिस प्रकार की प्रणाली है उसी के अनुसार यहां की प्रणाली रखी जाय जिससे बिजली की चोरी न हो सके और किसानों की हालत भी सुधर सके। चार पांच सालों से किसानों की कमर टूट चुकी है। विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के किसानों की हालत बहुत खराब है। जो लोग विशेष रूप से हमारी पार्टी को हमेशा

120

(श्री माणकमल मेहता)

से समर्थन देने आये हैं उनके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस पर पुनर्विचार करें। जो फ्लेट रेट रखी उसको कम करने की ओर पुनर्विचार करें, इसकी ओर ध्यान दें तो बहुत ही स्वागत योग्य होगा। इस विषय पर और ज्यादा न कह कर यह कहना चाहूंगा कि कुल मिलाकर जो बातें कही गई हैं बजट में, आज हमारा राजस्थान वित्तीय संकट से गुजर रहा है हमारा आज ओवर ड्राफ्ट भी ज्यादा हो चुका है ऐसी हालत में इससे ज्यादा ठीक प्रकार से बजट पेश नहीं किया जा सकता था।

इन्हीं शब्दों के साथ बजट का स्वागत करते हुए जो बात किसानों के लिये कही गई और जो फ्लेट रेट बढ़ाने की बात कही गई उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री शिवदानसिंह।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : माननीय सभापति महोदया, मैं इस बजट के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। हमारे जो मुख्यमन्त्रीजी शिवचरण जी माथुर हैं उन्होंने राजस्थान का विकास करने के लिए, गरीबों और किसानों का उत्थान करने के लिए अथक परिश्रम किया है। उन्होंने पहले बीस संकल्प का कार्यक्रम देकर अपने प्रयत्नों से राजस्थान का विकास करना चाहा था लेकिन हमारे जो वित्त मन्त्रीजी हैं, मुझे अफसोस है उस काम में सहयोग करते नहीं। इन्होंने राजस्थान सरकार की ऐसी स्थिति कर दी है जिस प्रकार नगरपालिका की है। नगरपालिकाओं का काम एक ही रह गया है कि टैक्स लगाना और टैक्स वसूल करना। उसमें आधा टैक्स अधिकारी लोग चोरी करते हैं और आधा पैसा जो बनता है वह कर्मचारियों को तनख्वाह में दे दिया जाता है सड़कें टूटी हुई हैं, खड्डे पड़े रहते हैं और विकास में साधारणतया नगरपालिका की कोई रुचि नहीं रहती। इसी प्रकार से वित्त मन्त्री महोदय को राजस्थान के किसान और गरीबों के प्रति कोई चिन्ता नहीं है। रुचि नहीं है। इसलिए इस बजट से ऐसी बात लग रही है, मैं निःसंकोच निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में खास तौर से पूंजीपतियों, व्यापारी वर्ग को फायदा देने की बात रखी है।

किसान और गरीब आदमी के साथ अन्याय किया गया है। उसकी आर्थिक स्थिति टूटी हुई है। आज राजस्थान में चार साल से अकाल पड़ रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, डीजल नहीं मिल रहा है, उसके पास पैसा नहीं है और वह इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है फिर भी उस पर टैक्स लगाये गये हैं। जो टैक्स लगाये गये हैं उसमें भी किसानों को एक प्रकार से दुख दिया गया है। मैं निवेदन करूंगा, खास तौर से, इस बजट में किसान के प्रति कोई हमदर्दी वित्त मंत्री जी ने नहीं दिखायी है। यह दिखा भी कैसे सकते हैं? न तो यह किसान रहे हैं, न कभी यह गांव में रहे हैं और जो आम आदमी दुख पा रहे हैं उस आदमी की पीड़ा का न ही इन्हें कोई तजुर्बा है। यह पूंजीपतियों के साथ रहे हैं, बड़े महलों में रहे हैं इसलिये इनको दुख का अन्दाजा नहीं है। इसलिये इन्होंने जो बजट बनाया उसमें उनको राहत दी गई जिनके पास आलरेडी पूंजी है और ब्लैक का पैसा है। जो किसान टूटा हुआ है, बीज उधार लाता है, पैसा उधार लेता है, उसके

(श्री शिवदान सिंह राठौड़)

ऊपर टैक्स लगाया है। किसानों की जो बिजली के फ्लेटस रेट है बिजली किसान को मिल नहीं पा रही है। चार घंटे लगातार भी किसान को बिजली नहीं दी जाती। एक घंटा के बाद 15 मिनट उसको काट दिया जाता है, फिर आधा घंटा देकर उसको फिर काट लिया जाता है। उस किसान के कुंए से जो पानी निकलता है, खेत में नहीं पहुंचता उसकी सारी फसल जल जाती है। जो फ्लेट रेट पहले लागू थी, किसान उसको तो जमा नहीं करवा सका। औरों को तो इतना नहीं बढ़ाया लेकिन किसान की जो फ्लेट रेट है उसको 100 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।

इसी प्रकार पानी की दरें बढ़ा दी गई हैं। हमारे यहां चार पानी देने का वायदा कर रखा है। एक या दो पानी समय पर नहीं पहुंच पाता है और उनसे पूरे रेट लिये जाते हैं, आज यह हालत है। इनकी वजह से यह टैक्स लगाये गये हैं। जबकि दूसरे स्रोत हैं उन पर हमारे वित्त मंत्री जी का ध्यान नहीं गया। ध्यान गया किसान के ऊपर, जिसके पास पैसा नहीं है, जो बेचारा तंगी में गुजर कर रहा है, अपनी जमीन बेचता है। कर्जा उस पर चढ़ा हुआ है और तीन-तीन साल से उसको वसूल किया जा रहा है, फिर भी आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं। मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर वित्त मन्त्री जी पुनः विचार करें। उन किसानों और गरीबों की दयनीय स्थिति को देखते हुए टैक्स को हटाने पर पुनर्विचार करें। इसके साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इससे राजस्थान का विकास होगा, प्रगति होगी? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिसके पास खाने को रोटी नहीं है उससे विकास करना चाहते हैं? किसका विकास करना चाहते हैं? यह जो शहरों में जिनके पास लाखों रुपये के बंगले बने हुए हैं, जिनके पास चमचमाती कारें हैं, जिनके पास कूलर हैं, उनका इन शहरों का विकास करना चाहते हैं। हम आज उन लोगों का विकास करना चाहते हैं, हम उन लोगों को तकलीफ देकर उनके खून पर विकास करना चाहते हैं। हम इस तरह राजस्थान का विकास करना चाहते हैं। कैसा विकास? आज लाखों लोग गांव में बसते हैं। यह राजस्थान है, जो गांवों में रहता है। जिनके पास पैसा नहीं है सदियों से बरसों से जिनका शोषण होता आया है, जो गरीबी में रहता है उनका विकास करना है तो जो किसान पर टैक्स लगाये गये हैं उन्हें हटायें, उनका मैं विरोध करता हूं। किसान को राहत दी जाय। किसानों और गांवों में रहने वाले लोगों की कोख से राजस्थान का विकास न कीजिये। राजस्थान का विकास तब होगा जब गरीब आदमी, जो गांव में रहता है, का विकास होगा, उसको सहूलियतें देंगे। उसके पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, उसके बच्चों को पढ़ने के लिये स्कूल नहीं हैं, उसके बीमार आदमियों के लिये औषधालय नहीं हैं, डिस्पेंसरियां नहीं हैं। फिर आप किसका विकास करेंगे? आप बड़े-बड़े शहरों में अफसर बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं। शहरों में तो वित्त मन्त्री जी बहुत विकास हो गया, अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप शहरों का विकास रोक दीजिये और आप विकास को गांवों की ओर ले

(श्री शिवदान सिंह राठौड़)

जाइये, जो सदियों से दुखी हो रहे हैं । इस बजट में स्कूलों का कोई खुलासा नहीं है, औषधालयों का खुलासा नहीं है, डिस्पेंसरियों का कोई खुलासा नहीं है । यह नहीं कहा कि हम इतने स्कूल इस वर्ष खोलेंगे, इसका कोई खुलासा नहीं किया गया है....

(व्यवधान)

मैं आपको निवेदन करूंगा कि हमारे एग्रीकल्चर प्रॉडक्शन की इनकम 31 हजार करोड़ है और दूसरा जो प्रॉडक्शन है उसकी इनकम 12 हजार करोड़ है। यहां तो इसकी 70 से 80 में 33 प्रतिशत कीमत बढ़ा रहे हैं जबकि एग्रीकल्चर का जो प्रॉडक्शन है उसकी 11.6 प्रतिशत कीमत बढ़ी है । जो पूंजीपति का प्रॉडक्शन है उसकी 10 साल में 33 प्रतिशत कीमत बढ़ी है और किसान का जो प्रॉडक्शन है उसकी केवल 11 प्रतिशत कीमत बढ़ी है। यह टैक्स लगाकर आप किसान को और मार रहे हैं, किसानों के साथ ऐसा अन्याय मत कीजिये ।

दूसरा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने व्यापारियों का फायदा करने के लिये बहुत सोचा है । आपने स्टील वालों को छूट दे दी, आपने चमचे को तो छोड़ दिया, स्टील वालों को छूट दे दी और भवन और भूमि पर छूट दे दी । मैं कहता हूं कि भवन और भूमि में जो छूट दी गई है, यह गलत है। मैं तो निवेदन करूंगा इसको रखा जाय । जिन शहरों में एक लाख की आबादी है, जहां बड़े-बड़े मकान हैं, वहां ऐसी सीलिंग कर दी जाय कि उनमें मध्यम वर्ग को टैक्स न देना पड़े । वहां लें जहां पूंजीपति लोग रहते हैं । जिनकी 10–10 लाख की भूमि है, जिनके पास मकान हैं, जिनके पास सैंकड़ों बीघा भूमि है उन पर टैक्स लगाया जाय । पाली में 20–20 लाख के लोगों के पास मकान हैं, उनसे आप यह वसूल कीजिये । गरीब लोग इतने बड़े मकान नहीं बना सकते, इतनी बड़ी भूमि नहीं रख सकते । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसमें संशोधन कीजिये । चाहे कोई भी नगरपालिका हो 50 हजार की सीमा फिक्स कर दें । जो गरीब हैं उनको उससे निकाल दें । पूंजीपतियों, जिनके पास प्रॉपर्टी है, पर टैक्स और बढ़ा दिये जायं । जिनके पास काल धन है, लाखों रुपया है उनसे टैक्स वसूल करकर, उनकी आमदनी से कुछ हिस्सा निकालकर राजस्थान का विकास कीजिये न कि उनसे जिनके पास पैसा नहीं है ।

इसी तरह से मैं ओवर ड्राफ्ट के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा । हमारे बजट में ओवर ड्राफ्ट के बारे में जो वित्त मन्त्री जी ने कहा है, इसको बताने में असमर्थ हूं कि आज इतनी बड़ी राशि, इतने थोड़े समय में कैसे हो गई । और अगर बढ़ गई तो इसमें आपने कारण बताया है कि यह बाढ़ और अकाल की वजह से हुआ है । यह भी एक कारण है । जबकि मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाढ़ और अकाल की स्थिति में 40 करोड़ रुपये भारत सरकार ने हमको दिये थे और 36 करोड़ रुपये अकाल के लिये दिये और 14 करोड़ और दिये। कुल मिलाकर 90 करोड़ हुए । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस 90 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्चा राज्य सरकार ने नहीं किया । तो फिर कौन सा कारण था कि जिससे

(श्री शिवदान सिंह राठौड़)

इतना ओवर ड्राफ्ट बढ़ गया ? वही नगरपालिका वाली स्थिति है कि पैसा इकट्ठा किया, आधा पैसा चोरी में चला जाता है, आधा पैसा तनख्वाह में चला जाता है। सिवाय इन सरकारी अधिकारियों को तनख्वाह देने के और कोई काम नहीं। इस पर भी यह सरकारी अधिकारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं। आपको पूंजीपतियों पर टैक्स लगाना चाहिये। इन प्रशासनिक खर्चों को बन्द करना चाहिये। पाली जिले में लोगों के पास कोई काम नहीं है। परसों मैं पाली गया था वहां के मजदूर बेकार बैठे हैं उनके पास कोई काम नहीं है। फिर कहां खर्च हो रहा है ? यह कैसे ओवर ड्राफ्ट बढ़ गया ? पूरे पाली जिले में वर्क रुका हुआ है। उस पर वित्त मन्त्री जी ने ऐसी रोक लगा दी है जिससे लोग भूखे मर रहे हैं। वहां लोगों में त्राहि-त्राहि मची हुई है, लोग भूखे मर रहे हैं।

फेमिन के काम नहीं खोले हैं, इस वजह से आपके सारे फेमिन के काम रुके पड़े हैं। आपने सारा सेन्ट्रलाइज कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके पास जितना पैसा है उतना खर्च किया जाय। हम नहीं कहते हैं कि ज्यादा कीजिये। जो पैसा आपके पास है उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सीलिंग करके पैसा दिया जाय और लेबर की सीलिंग करके उतनी लेबर दी जाय। इससे ज्यादा लेबर नहीं लगाई जाय। उस लेबर के लिये वहां अकाल परामर्शदात्री कमेटी है। वहां कौन से कार्य जरूरी है, वह सैंक्शन करेगी। वहां लोग चाहते क्या हैं। जयपुर आकर मजदूरों की संख्या फिक्स करते हैं या दूसरे काम हैं जिससे कोई फायदा नहीं होता। मजदूर नहीं मिलते हैं और अनुपयोगी कामों में पैसा जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जिला फेमिन कमेटी को पावर दीजिये और अपने पैसे और लेबर की सीलिंग मुकर्रर कीजिये। उस कमेटी को अथोराइज कीजिये सैंक्शन करने के लिये कि कौनसा काम जरूरी है, कौनसा जरूरी नहीं है। जयपुर में कामों की लिस्ट मंगाइये।

इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें गत वर्ष बजट के समय बताया गया था कि इस वर्ष एक भी सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला जायगा जबकि आपने 4 सैकण्डरी स्कूल खोले कहां खोले हैं हमें पता नहीं। वित्त मन्त्री ने अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में खोले हैं। कहां खोले हैं इसका तो कोई पता नहीं। इसका बिलकुल खुलासा कीजिये कि कितने स्कूल खोलेंगे, कितनी डिस्पेन्सरीज खोलेंगे और कितने औषधालय खोलेंगे। उसमें सरकार को खयाल रखना चाहिये जो पिछड़े इलाके हैं, जिनमें विकास नहीं हुआ है या 10 सालों में नहीं खोले हैं प्राथमिकता के तौर पर वहां स्कूल खोले जायं, डिस्पेन्सरीज खोली जायं, औषधालय खोले जायं। हर साल उसी कान्स्टीट्यूएंसी में, उसी सेक्टर में बार बार डिस्पेन्सरीज खोल दी जाती हैं। वहीं स्कूल खोल दिये जाते हैं और वहीं सैकण्डरीस्कूल खोल दिये जाते हैं।

इसी प्रकार आपने जो गुड्स व पैसेंजर टैक्स को शामिल करके 4 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी बढ़ाने का लिखा है उसमें आपका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि यह टैक्स किस प्रकार से लगाया जायेगा।

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

आपने यह बताया है कि 4 करोड़ की गुड्स व पैसेंजर टैक्स की आमदनी होगी लेकिन यह टैक्स किस प्रकार से लगाया जायेगा और किस रेट पर लगाया जायेगा। क्या वसूली होगी, आपने कुछ नहीं बताया और वहां बसों का किराया बढ़ा दिया और मनमाना किराया लेना शुरू कर दिया।

इसी प्रकार आपने विद्युत शुल्क में लिखा है कि जो रिडक्शन, रेमिशन, आर एग्जम्पशन है वह खतम की है और मीटर्ड सप्लाई में सरकार ने एक पैसा बढ़ाया है। यह बिलकुल मायाजाल अक्षरों और आंकड़ों का है। आपने एक पैसा नहीं बढ़ाया है, आपने 5 पैसे बढ़ाये हैं। इधर फ्लैट रेट आपने दुगुनी कर दी और उधर किसान का मीटर चल रहा है उसमें आपने लिखा कि एक पैसा बढ़ाया। दूसरी तरफ हकीकत में उसके 5 पैसे बढ़ाये हैं। किस प्रकार से बढ़ाया गया। रिडक्शन, रेमिशन आर एग्जम्पशन के 4 पैसे पहले लगाये जाते थे और अगर वह किसान अपना बिल समय पर जमा करा देता था तो 4 पैसे वह कम हो जाते थे 21 पैसा हो गया। आपने इस एग्जम्पशन को खत्म करके 4 पैसे वैसे बढ़ा दिया और एक पैसा बढ़ा दिया मीटर्ड सप्लाई में। मतलब यह हुआ कि 5 पैसे आपने पर यूनिट बढ़ा दिया तो 21 पैसे के बजाय 26 पैसे हो गये।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : यह सही नहीं है।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : मैं बैठता हूं, वित्त मन्त्री स्पष्ट करें।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : यह तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के एग्जम्पशन्स थे, वे विथड्रा किये गये हैं।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : आपने लिखा है रिडक्शन, रेमिशन एण्ड एग्जम्पशन 4 पैसे।

श्री चन्दनमल बैद : इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : 4 पैसे। आप घोषणा कर दें। मैं वित्त मन्त्री की राय से सहमत हूं अगर आप खुलासा कर दें कि जो 4 पैसे की छूट रहेगी वह वसूल नहीं की जायेगी, 21 पैसा पर यूनिट की जायेगी।

श्री चन्दनमल बैद : यही बात है। वह एग्जम्पशन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का है, वह टैरिफ का नहीं है।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : सरकार 21 पैसे पर यूनिट वसूल करेगी ?

श्री चन्दनमल बैद : 21 पैसा प्लस एक पैसा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने बजट में यह बताया है कि प्रशासनिक और दूसरे गैर योजना मद में कोशिश करके 10 करोड़ की खर्च में कमी की जायेगी। मैं वित्त मन्त्री से जानना चाहूंगा कि आपने इस वर्ष प्रशासनिक खर्च में कितनी कमी की ? इस वर्ष आपने अपने

(श्री शिवदानसिंह राठौड)

खर्चे में इस बात को लक्ष्य रखते हुए कितनी कमी की ? आपके अधिकारी कतई इस बात का खयाल नहीं रखते और नतीजा यही होगा कि हमने बजट में लिखा है और एक पैसे की आमदनी भी नहीं बढ़ेगी।

सैक्रेटेरियट हम जाते हैं सारा सैक्रेटेरियट चमचमाती कारों से भरा पड़ा है। जो अधिकारी घर से सैक्रेटेरियट आते हैं और सैक्रेटेरियट से घर जाते हैं उनके पास ब्रांड न्यू एम्बेसेडर गाड़ियां हैं एक एक लाख रुपये की। उन गाड़ियों से सैक्रेटेरियट आने और सैक्रेटेरियट से घर जाने और उनकी बीवी बच्चों को घुमाकर लाने या सब्जी खरीदने के सिवाय इन कारों का कोई उपयोग नहीं है। यह अनुपयोगी खर्चा है, इन खर्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक अधिकारी के पीछे एक लाख की कार लगा दी जिसका ब्याज लगायें तो साल में 10-12 हजार यानी एक परसेंट ब्याज होता है एक कार का। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे अधिकारी जिनकी ड्यूटी केवल आफिस में रहने की है, हैड क्वार्टर पर रहने की है उनके पास से कारें हटा दी जायं। हमारे जो आई. ए. एस. अधिकारी हैं ये राजस्थान सरकार के लिये सफेद हाथी हैं। सबसे बड़ा खर्चा इन सफेद हाथियों पर हो रहा है। हम धुंआदार पैसा गरीबों से वसूल करते हैं, ये उसका सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। इतनी सहूलियतें दे रखी हैं। जिन अधिकारियों को केवल हैड क्वार्टर पर रहना है उनसे कारें आप हटा दीजिये, इसकी जगह कोई भत्ता दे दीजिये। साल में एक एम्बेसेडर कार पर 10-12 हजार ब्याज बनता है, इस पर जो आप एक-एक लाख देते हैं वह फिक्स्ड डिपॉजिट में रखें इससे उनको भत्ता मिल जायेगा और अपनी कार में आयेंगे और जायेंगे। अगर कहीं जाना है तो पूल है वहां से गाड़ी ले लें। आप गाड़ी बिलकुल हटा दीजिये इसका बिलकुल उपयोग नहीं है। बहुत सारी ऐसी पोस्ट्स हैं जहां सिवाय कार से आफिस आने के कोई काम नहीं है। इतना भारी वजन कर रखा है सफेद हाथियों ने, आप इनसे कारें ले लीजिये। जब तक आप, वित्त मन्त्रीजी, इन सफेद हाथियों को कन्ट्रोल नहीं करेंगे कितना ही टैक्स लगा दें, हमारा पैसा आयेगा और ये खा-पीकर पूरा कर देंगे। इनका विकास होगा। जयपुर में कितने अधिकारियों के बंगले बने हुये हैं और कितने किसानों के पास जयपुर में मकान हैं ? किसान का मकान नहीं है, सरकारी अधिकारियों की कोठियां हैं। दो नम्बर का धन्धा करने वाले और सरकारी अधिकारी, खास तौर से ये आई. ए. एस. अधिकारी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और पक्षपात करते हैं। सबसे ज्यादा यूनियन है तो इन आई. ए. एस. अधिकारियों की यूनियन है जो किसी सरकार को काम करने नहीं देती है न गरीब को उठने देती है। ये आज के नये जागीरदार बन गये हैं। जिस प्रकार से जागीरदार अपने गांव का ध्यान नहीं रखते थे उसी प्रकार से ये आई. ए. एस. अधिकारी जन प्रतिनिधियों और आम लोगों को आराम से काम करने नहीं देते। आप कंट्रोल कीजिये जो दो नम्बर का धंधा करते हैं। इन सफेद हाथियों पर कन्ट्रोल करें तो हम मानेंगे कि वास्तव में सरकार सक्षम है और मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री बहुत काबिल हैं बड़े मेहनती हैं। इनमें

126

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

काबलियत है वह सफेद हाथियों पर लगाम लगायेंगे ।

इसके साथ ही मेरा निवेदन है रोडवेज के मामले में भी आज यह गति है। किराया बढ़ता जा रहा है, रोडवेज घाटे में जा रही है। जिस अधिकारी को लगायें उसके लिये टार्गेट्स फिक्स करके दें कि रोडवेज को इतने समय में यह स्थिति होनी चाहिये नहीं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा। उस पर दृढ़ रहें और उस अधिकारी को हटायें ।

यही हालत इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की है। जहां 5 कनेक्शन्स हैं वहां एक असिस्टेंट इन्जीनियर, 5 एल. डी. सी. और चार चपरासी और जहां 500 कनेक्शन्स हैं वहां भी एक असिस्टेंट इंजीनियर, 4 एल.डी.सी. हैं। तो यह जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ढांचा है इस पर आप पुनर्विचार करें और अच्छी तरह से इसको करें। राजगोपालन साहब को बहुत अर्सा हो गया इनको दूसरा काम दीजिये। इन्होंने तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भट्टा ही बिठा दिया। अपने आपको समझते तो बहुत हैं हमारे मन्त्री की सलाह भी पूरी नहीं मानते। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उतना ही डूबता जा रहा है। आप इतना पैसा बढ़ा रहे हैं फिर भी वह घाटे में जायेगा ।

तो इन बातों पर मेहरबानी करके गम्भीरता से विचार करके कुछ सख्ती से एक्शन लीजिये। मेरा ऐसा सुझाव है कि यह सब जो काम चल रहे हैं वह बिना प्लानिंग के चल रहे हैं। आप स्टेट प्लानिंग कमीशन बनाइये जिसमें कुछ आदमियों को रखिये। जिस प्रकार सेन्टर का प्लानिंग कमीशन है उसी प्रकार हमारे स्टेट में भी प्लानिंग कमीशन होना चाहिये जो हमें यह सुझाव दे कि हमारी इतनी आमदनी होती है और इतना हमारा खर्चा है। पांचवर्षीय प्लान बनाना चाहिये। प्लानिंग कमीशन बिलकुल सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से काम करे और आप हमको काम करके बतावें तब हमारे राजस्थान का विकास हो सकेगा ।

मैं एक और बात आपको निवेदन करना चाहूंगा कि कोआपरेटिव बैंक और भूमि विकास बैंक हैं। इनमें से भूमि विकास बैंक लोंग टर्म लोन देता है और कोआपरेटिव बैंक शॉर्ट और मीडियम टर्म लोन देता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन दोनों बैंकों को आप एक कर दीजिये। सहकारी संस्थाओं के थ्रू आप इन तीनों प्रकार के लोन की व्यवस्था करावें। यह तीनों लोन शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन और लोंग टर्म लोन सहकारी संस्थाओं के थ्रू दीजिये ।

इसके साथ आपने छात्रवृत्ति बढ़ाने और खिलाड़ी कल्याण कोष की स्थापना का जो निर्णय लिया है इसके साथ रजिस्ट्रेशन में फोटोस्टेट कापी का निर्णय लिया है उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसी व्यवस्था करें की फोटोस्टेट कापी या प्रतिलिपि हो वह रजिस्ट्रेशन आफिस में रह जाय और उसका असल दस्तावेज है वह उसी वक्त उसको मिल जाय ।

यह जो आपने बजट पेश किया है वह बहुत ही मेहनत करके पेश किया है इसके लिये आपको बहुत धन्यवाद देता हूं ।

श्री सभापति : श्री नारायणसिंह ।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : सभापति महोदय, वित्त मन्त्रीजी ने इस प्रदेश का 82–83 का जो बजट प्रस्तुत किया है वह इस प्रदेश की स्थिति और आर्थिक स्थिति सभी देख करके प्रस्तुत किया है इसकी मैं सराहना करता हूं, इसका मैं समर्थन करता हूं।

एक माननीय सदस्य : यह क्या कर रहे हो ।

श्री नारायण सिंह : इसके साथ साथ, वित्त मन्त्री जो, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ भार आपने जो किसानों पर डाला है मैं सोचता हूं कि आप इस पर फिर से विचार करें । किसानों पर आपने जो दुगुनी फ्लेट रेट की है, मैं सोचता हूं, वह वाजिब नहीं है। हमारे यहां के किसानों की आज यह स्थिति है कि वह दुगुनी रेट देने में कतई समर्थ नहीं हैं। किसानों को आपने बिजली दी है और उसकी जो आपने इस साल में दर रखी है उससे तो हमारे राजस्थान के किसानों की कमर टूट गई है आज जो मौजूदा रेट है उसको देने में भी हमारे किसान समर्थ नहीं हैं। आपने तो वह रेट दुगुनी कर दी है, मैं सोचता हूं कि आपने उनके साथ अन्याय किया है, उनके साथ में आपने यह अच्छी बात नहीं की है। मैं आपको, वित्त मन्त्री जी, बतलाऊं, सही बात यह है कि साल में ईश्वर की मेहरबानी हुई, बार-बार बारिश हो गई जिसके कारण कुछ फसल किसानों के हो गई यदि आपकी बिजली के भरोसे काश्तकार बैठा रहता तो अभी जो फसल हुई है वह कतई नहीं होती। राजस्थान के अन्दर बिजली की हालत पिछले दिनों ऐसी थी, सभापति महोदया, दो दो घण्टे और तीन तीन घन्टे तक बिजली आती थी। वह भी यदि हम समय पर नहीं दे सके और फसल बिजली देकर नहीं बचा सके तो मैं सोचता हूं कि हमको यह भी अधिकार नहीं है कि हम उनकी बिजली की फ्लेट रेट को दुगुनी कर सकें। इसलिये, सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको गम्भीरता से लें और फिर सोच और विचार करके जो दुगुनी रेट फ्लेट रेट की है उसको कम करें। आज आपने सरकारी प्रशासन पर खर्च में कमी करने और सरकारी अधिकारियों के खर्चे में कमी करने की बात कही है। मैं सोचता हूं कि आपने जो सैल्स टैक्स लगाया है अगर आप उसको सारे को ही वसूल कर लें तो कोई नया टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज टैक्स के अन्दर बहुत भारी लीकेज है और बहुत भारी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगर आप उसको सही तरीके से वसूल कर लें तो काफी आमदनी हो सकती है। आज बड़े बड़े सेठों में और बड़े बड़े लोगों में आपके सैल्स टैक्स की लाखों रुपये की बकाया है जो कि वसूल नहीं होती है। आप खाली पांच करोड़ रुपये राजस्थान के किसानों पर टैक्स लगा कर अगर यह चाहते हैं कि राजस्थान के किसान, जो कि गरीब है और दबा हुए हैं, को और दबाया जाय तो वह कतई उचित बात नहीं है। आज राजस्थान के अन्दर प्रशासनिक खर्च और अधिकारियों पर खर्च है उस पर आप सख्ती करिये। मैं आपको सही बात बतलाऊं कि यदि आप सख्ती से कदम उठायेंगे, उसमें कमी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत बड़ी

(श्री नारायण सिंह)

आमदनी होगी और जो बहुत बड़ा घाटा है, जो बहुत भारी ओवर ड्राफ्ट है वह कम हो सकेगा। आज आपके जो सरकारी अधिकारी हैं, आपके जो आई. ए.एस. अधिकारी हैं वह जब बाड़मेर से जयपुर के लिये चलते हैं तो छोटे छोटे से काम के लिये सरकारी कारों में आते हैं। बाड़मेर से चलने के बाद यहां पर आते ही सर्किट हाउस में ठहरते हैं और पहला काम यह करते हैं कि टेलीफोन करते हैं, लाइटनिंग काल करते हैं अपने यहां पर और यह कहते हैं कि जब मैं आऊं, मेरे लिये सब्जी में मिर्ची कम होनी चाहिये और नमक कम होना चाहिये। इस तरह से खर्चा करते हैं। तो, सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो इस प्रकार खर्चा हो रहा है वह कितना खर्चा होता है। इसी प्रकार दूसरे खर्चे भी होते है वह भी काफी होते हैं उनमें कमी कर सकते हैं। दूसरे गरीब लोगों पर आपके इस टैक्स का असर होता है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नही होती है। इसलिये आपको ऐसे कदम उठाने चाहिये जिससे कि उनको मदद मिल सके। राजस्थान में किसान सोचता था कि जब बजट आयेगा तो आप उसकी कुछ मदद करेंगे। उसकी फसल को जो नुकसान हुआ है जो जिस तरह दूसरे उद्योगों को सब्सिडी देते हैं उसी तरह की अनुदान की राशि किसानों को दी जावेगी, लेकिन आपने तो अनुदान देने के बजाय उस पर भार और डाल दिया जो कि कतई उचित नहीं है इन हालात के अन्दर जबकि आपने बिजली नहीं दी। बिजली आप उनको दे नहीं सकते हैं और आप उनकी फसल को बचा नहीं सकते हैं तो उन पर और कर भार डालना कतई उचित नहीं है। दबे हुए को इन हालात के अन्दर और दबा कर आपने उनके ऊपर दुगुनी फ्लैट रेट कायम की है। इसके अलावा बिजली की जो कमी है, बिजली के जो हालात हैं उनको आपको निश्चित रूप से सुधारना चाहिये। आपको उनको निश्चित रूप से सुधारना पड़ेगा। आज आम किसान की जो हालत है, उसकी जो पैदावार है और जो आर्थिक स्थिति किसान की है उसको सुधारने के लिये हमारे देश और प्रदेश में किस प्रकार उसकी मदद कर सकते हैं उसके लिये आपको सोचना होगा।

राजस्थान के अन्दर कौन कौनसे विकास के कार्य होंगे, कहां कहां पर पशु चिकित्सालय खोले जायेंगे, कहां कहां पर कितने स्कूल खोले जायेंगे और कहां कहां पर कितने प्राइमरी स्कूल खोले जावेंगे उनमें कितने अध्यापकों की आवश्यकता होगी, जो कमी आज अध्यापकों की है वह दूर करने के लिये अध्यापक लिये जावेंगे यह आपने नहीं दर्शाया है और यह कहा है कि शीघ्र ही उनकी व्यवस्था की जावेगी। मैं सोचता हूं आप जब इस बजट की सामान्य बहस में भाग लेंगे तब इसका उत्तर देंगे कि राजस्थान सरकार इस संबंध में क्या करने जा रही है, आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान के अन्दर स्कूलों में 20 हजार अध्यापकों की कमी है। प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की कमी के बारे में असेम्बली क्वेश्चन के उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा कि एक जिले में 50

(श्री नारायण सिंह)

अध्यापकों की कमी है यह तो एक जिले की बात है प्राइमरी स्कूलों के बारे में, दूसरे जिले भी हैं जहां भी हमें प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा करना है। मैं सोचता हूं कि आप भी इसको महसूस करते होंगे कि जो अध्यापकों की कमी है वह कितनी कमी है। जहां भी स्कूल आपने खोले हैं उनके अन्दर आपने छात्रों के अनुपात के हिसाब से अध्यापक रखे हैं या नहीं ? अगर आप अनुपात से अध्यापक नहीं दे सकें तो कम से कम स्कूल में इतने अध्यापक जरूर रखें ताकि बच्चों की पढ़ाई हो सके। इसके लिये सोचता हूं आप निश्चित रूप से व्यवस्था करेंगे।

सभापति महोदय, इसके अलावा पिछले साल हमारे यहां पर अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत अकाल राहत कार्य खोले गये थे उसमें लाखों रुपये खर्च किये गये। इस साल सीकर में और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, मैं आपसे निवेदन करूं कोई अकाल नहीं है इसलिये कोई काम नहीं खोले गये हैं। लेकिन पिछले साल जिन बान्धों के काम को हाथ में लिया गया उसमें दो तीन लाख रुपये खर्च भी हो गये वह अब मामूली कमी के कारण अधूरे पड़े हुए हैं। अगर उन अधूरे कामों को पूरा नहीं कराया गया तो जो सरकारी पैसा पिछले साल खर्च किया गया था वह सब बरबाद हो जायेगा। इसलिये मेरा निवेदन है मन्त्री महोदय से कि उन कामों को हाथ में लिया जाना चाहिये ताकि अकाल राहत कार्य पर पैसा खर्च हुआ उस पैसे का उपयोग हो सके।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों को और अधिकार देने की बात है....

श्री यदुनाथ सिंह : आपके क्षेत्र में, आपके विधान सभा क्षेत्र में तो अकाल है लेकिन अकाल घोषित नहीं हुआ।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री यदुनाथ सिंह : अकाल है। अकाल घोषित नहीं हुआ

श्री नारायण सिंह : मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कुछ गांव अकाल के अन्दर लिए गए। हमारे जिले के अन्दर जो दूसरी तहसीलें हैं, दूसरे क्षेत्र हैं उनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं है लेकिन उन क्षेत्रों के अन्दर, उन तहसीलों के अन्दर अकाल है और हमारे यहां अकाल नहीं है। उसी तरह की परिस्थितियां, उसी तरह के हालात और उसी तरह की फसल–उसमें कोई भेदभाव नहीं है लेकिन खाली इसलिए कि वहां के एक अधिकारी एस. डी. ओ. ने कह दिया कि यहां अकाल दिखाना नहीं है, अकाल नहीं रखना है, इस बात को लेकर के खाली यह लिख दें कि खराबा 50 पर्सेंट से कम दर्ज किया जाय, यह सारा का सारा पटवारी ने लिखा और मैंने राजस्थान सरकार को, मुख्य मन्त्रीजी को और रेवेन्यू मन्त्री महोदय को इस संबंध में लिखा। मैंने सुना है कि कुछ गांवों को अकाल के अन्दर, जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर लिया जा रहा है। इसलिए मैं जहां अकाल नहीं है और अकाल

(130)

(श्री नारायण सिंह)

जबर्दस्ती करवाया जाय यह तो मैं उचित नहीं समझता लेकिन वास्तव में जहां अकाल है, जिन गावों के अन्दर अकाल है वहां अकालग्रस्त घोषित नहीं करें यह उचित नहीं है। तो मेरा यही निवेदन है कि जिन अकाल राहत कार्यों को इस साल लिया जा रहा है, पिछली साल लिया गया उन अकाल कार्यों का एक योजनाबद्ध तरीके से काम लिया जाना चाहिए और अकाल के बाद यदि दूसरे साल के अन्दर अकाल नहीं रहे तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अधूरे काम जो प्लान के अन्दर लिये जाते हैं उनको पूरा कराया जाना चाहिए। सड़कों पर लाखों रुपया खर्च हों, बांध पर लाखों रुपया खर्च हों, उसका उपयोग नहीं मिले और वह पैसा बरबाद हो तो इससे यही होगा कि जो प्रदेश का धन है वह बेकार चला जायेगा और उसका लाभ लोगों को नहीं मिल सकेगा।

हमारे यहां जो सड़कों की हालत है वह खराब है। वित्त मन्त्रीजी ने इस बजट के अन्दर मैंने जहां तक देखा है सीकर के अन्दर नया सड़क देने का तो प्रश्न नहीं है बल्कि कई सड़कें ऐसी हैं जो पुरानी हैं और जिनके कार्य चल रहे हैं उनमें भी किसी प्रकार की धनराशि नहीं दी। इसलिए मैं सोचता हूं कि उन सड़कों को चालू रखना चाहिए और जिनको धनराशि नहीं दी गयी है उनको भी कुछ दी जानी चाहिए जिससे अधूरी पड़ी सड़कें, जो बहुत जरूरी सड़कें हैं वह जुड़ सकें। मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां जीनमाता का एक ऐसा स्थान है जहां सारे देश के लाखों आदमी आते हैं लेकिन आज भी वहां सड़क जुड़ी हुई नहीं है। इसी प्रकार से खाटू श्याम जी एक ऐसा स्थान है जहां बहुत सारे दूसरे प्रदेशों के लोग आते हैं वह सड़क भी अधूरी पड़ी हुई है। उसके कारण से जो देश के दूसरे भागों के लोग आते हैं वह इस बात को महसूस करते हैं कि राजस्थान के अन्दर आज ऐसे स्थान हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैं उनको भी सड़कों से नहीं जोड़ा गया है, तो इस राजस्थान के अन्दर कैसी व्यवस्था है, कैसा विकास है और कैसी हालत इसकी है। इसलिए ऐसे जो महत्वपूर्ण स्थान हैं उनको निश्चित रूप से जोड़ा जाना चाहिए।

पंचायत समिति, जिला परिषद और पंचायतों के बारे में मैं सोचता हूं कि आपने अपने बजट भाषण में और अधिकार देने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बात कही है लेकिन क्या उनको दिया जा रहा है? उनको क्या अधिकार होंगे, कैसे अधिकार होंगे मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाना चाहिए और उनको अधिक अधिकार दें। पंचायती राज का ढांचा जो एकदम पिछले टाइम से, पिछले कुछ समय से बिलकुल बरबाद हो गया था, पंचायती राज का स्वरूप ही बिगड़ गया था उसको और मजबूत करने के लिए जिस प्रकार चुनाव कराके, सारी संस्थाओं का एक साथ चुनाव कराकर जो अच्छा काम राजस्थान सरकार ने किया है उसके लिए सराहना करता हूं, स्वागत योग्य है लेकिन इसके साथ ही साथ चुनाव कराके ही हम मान लें कि हमने चुनाव करा दिये, तो यह अच्छी बात नहीं होगी। हम उनको

(श्री नारायण सिंह)

अधिक अधिकार दें, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें जिससे कि जो नीचे के लेवल की संस्थायें हैं वह ज्यादा अच्छा काम कर सकें, गांवों का विकास अधिक हो सके। मेरी यह मान्यता है कि जो काम आज पंचायत समिति और पंचायत के लेवल पर अच्छे हो सकते हैं वह आपके अधिकारियों के द्वारा, आपकी दूसरी एजेन्सी जो काम करने वाली हैं उनके द्वारा नहीं हो सकते। यदि आप पंचायतों के माध्यम से कोई भी काम कराते हैं तो आप जितना पैसा अनुदान का देंगे, जिस काम के बदले में देंगे उससे दुगुना चौगुना आपको उस गांव से सहायता के रूप में उस गांव के अन्दर मिल सकेगा। इसलिए यह जो एजेन्सी है, सारे विकास के काम करने की, छोटे काम गांव में कराने की और गांवों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात है वह काम आपको पंचायत, पंचायत समिति से हमारे गांवों के डवलपमेन्ट के लिए कराने चाहिए।

पिछले टाइम में पंचायत समितियों के पास अध्यापकों की तनख्वाह देने के अलावा और अध्यापकों के ट्रान्सफर करने के अलावा कोई दूसरे काम नहीं थे। उसके कारण से खाली हम यहां लीकपीट रहे थे कि पंचायती राज की व्यवस्था हमारे यहां राजस्थान के अन्दर खराब है। मेरी तो मान्यता है कि राजस्थान के अन्दर ऐसी व्यवस्था जो खराब थी उससे तो अच्छा हो कि हम लीक नहीं पीटें और 30 तारीख को मुख्य मन्त्रीजी ने जो घोषणा की थी कि पंचायती राज को और सुदृढ़ बनाया जायेगा, उनको आर्थिक सहायता भी अधिक दी जायेगी और उनको अधिकार भी और दिये जायेंगे जिसके कारण से यह संस्थायें मजबूत हों, इन संस्थाओं का काम सुचारू रूप से चल सके तो इन संस्थाओं को सैकण्डरी स्कूल तक के सारे काम दिये जायं। वहां के दूसरे जो स्वास्थ्य के और दूसरे छोटे विभाग हैं वह उनको दिये जायं। उनके आर्थिक दूसरे काम चाहे ग्रामीण योजना के हैं चाहे किसी भी तरह के काम हैं वह उनके माध्यम से कराये जाने चाहिए जिसके कारण से उनकी साख भी जमे और वह काम भी अच्छा करें और डवलपमेन्ट भी ज्यादा हो।

इन्हीं शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने फ्लेट रेट को दुगना किया है उस पर आप पुनः विचार करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर पुनः विचार करके जब आप अपना उत्तर देंगे तो निश्चित रूप से इसमें कमी करेंगे....

श्री यदुनाथ सिंह : कमी नहीं समाप्त करेंगे।

श्री सभापति: एक मिनट ठहरिये। जब तक माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त नहीं करलें तब तक के लिए समय बढ़ाया जाये।

श्री नारायण सिंह : ....इसमें जो भी व्यवस्था है, बिजली के संबंध में जो हालात हैं वह आप अच्छी तरह से जानते हैं और जो हालत हैं उनको देखते हुए मैं सोचता

(श्री नारायण सिंह)

हूं कि राजस्थान सरकार को पुनः इस पर विचार करना चाहिए। जो सिंचाई की दरें हैं वह भी मैं समझता हूं कि आपने अधिक बढ़ाई है इस पर भी आप पुनः विचार करेंगे और पुनः विचार करके जब आप जवाब देंगे तो निश्चित रूप से हमें सन्तोष हो और इस प्रकार का होना चाहिए।

(4.59 म. प.)

(श्री अहमदबक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीरप्रसाद जैन।

एक माननीय सदस्य : समय किसने बढ़ाया है ?

श्री उपाध्यक्ष : बढ़ा देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप दोनों तो ऊपर मत लड़ो।

(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही विधानसभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये और बढ़ाई जाती है।

आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कल हमारे राजस्थान के वित्त मन्त्री महोदय ने बजट पेश किया है वह प्रदेश के विकास को आगे ले जाने वाला नहीं है, प्रदेश को पीछे ले जाने वाला है। प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने वाला है, किसान विरोधी है और जिस प्रकार जजिया कर लगता है उसी प्रकार यह भी जजिया कर नाम से लगने वाला है और हमारे प्रदेश के उद्योगों को गर्त में डालने वाला है। यह बजट श्रमिकों का दुश्मन है और औद्योगिक विकास को पीछे ढकेलने वाला है। इसके साथ ही यह भ्रामक और झूठ का एक पुलिन्दा मात्र है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस बजट में केवल इस प्रकार से आय-व्ययक के आंकड़े जो प्रस्तुत किये गये हैं, जिससे इस राजस्थान में न कोई स्कूल खुलेंगे, न प्राइमरी स्कूल खुलेंगे, न मिडिल स्कूल क्रमोन्नत होंगे, न सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत होंगे न विश्वविद्यालय खुलेंगे, न कालेज खुलेंगे। इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं है। न गांवों में औषधालय खुलेंगे इस बजट में और न कोई सिंचाई के बान्ध ही बनेंगे। न छोटे-छोटे बान्ध बनेंगे, न बड़ी परियोजनायें, जो हाथ में ली गई हैं, बनेंगी। इस प्रकार इस बजट को किस प्रकार विकास का बजट कहें, किस प्रकार से इस बजट द्वारा प्रदेश का विकास करना चाहते हैं ? न सड़कों की कोई चर्चा है, न किसी प्रकार के स्कूल भवनों को बनाने की बात इसमें कही गई है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो इन्होंने आय-व्ययक के आंकड़े दिये हैं उसमें इस आय-व्ययक के पृष्ठ 38 में मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं, लागत है जो विकास पर लागत होगी उसमें 78-79 में सामान्य सेवाओं में 283.97 लाख का प्रावधान था, वर्ष 79-80 में 299.24 लाख का प्रावधान था, 80-81 में 336.60 लाख का प्रावधान था, वर्ष 81-82 में 428.27 का

(श्री महावीरप्रसाद जैन)

प्रावधान था जो वर्ष 82-83 में केवल 216.41 का प्रावधान रखा है। इसी प्रकार सामाजिक और सामुदायिक सेवायें में इन्होंने 81-82 में 6125. 99 लाख का प्रावधान रखा था वह 82-83 में घटाकर 4952.57 का प्रावधान रखा है। इसी प्रकार 19552.10 लाख का प्रावधान था उसको घटाकर 11814.17 का प्रावधान रखा है। इस प्रकार सामान्य सेवाओं में 211.86 लाख रुपये की कमी की है। सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं में 1172.8 लाख की कमी की है और आर्थिक सेवाओं में 7737.93 की कमी की है। क्या हम इसी प्रकार प्रदेश का विकास करना चाहते हैं।

दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जो प्रशासनिक खर्चे हैं, उनमें तो बढ़ोतरी की है और केवल बढ़ोतरी ही नहीं की है विकास व्यय में हमने 82–83 में 1614.27 लाख की कमी की है। दूसरी ओर हमने अविकास व्यय में केवल 2594.35 की वृद्धि की है। इससे तो हमने विकास की गति को रोका है। विकास में हम पीछे रह गये हैं, विकास के खर्चों में हमने कम प्रावधान रखा है वहां पर हमने अविकास व्यय में केवल प्रशासनिक खर्चों में 2594.37 की वृद्धि करके इस प्रदेश के विकास को अवरुद्ध कर दिया और एक तरह से फुलस्टाप लगा दिया।

मेरा यह मानना है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इस बजट के द्वारा न केवल प्रदेश का विकास रुकेगा बल्कि प्रदेश का विकास पीछे की ओर जायेगा। जितना बजट रखा गया है उसमें प्रशासनिक खर्चे, अधिकारियों की कारें दौड़ेंगी, अधिकारी अपने ऑफिस के मेन्टीनेन्स के लिए खर्चा करेंगे। जो योजनायें चल रही हैं, जिनका हमारे ऊपर उत्तरदायित्व है, वह पूरी नहीं होंगी और कोई योजना हाथ में नहीं ली जायेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं वैसे हम विरोध में बैठते हैं और प्रदेश के विकास की तरफ देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा दिवाला पड़ गया हो। इनकी कार्य कुशलता इस प्रकार रही है कि ये प्रदेश के विकास को करना ही नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार की जिम्मेदारी सरकारी अफसरों पर और जिस प्रकार का अनुशासन का पाठ कर्मचारियों को सिखाने की कोशिश की है, मैं समझता हूं, वह अनुशासन का पाठ यदि आप अपने यहां से शुरू करते तो ज्यादा अच्छा रहता कोई मन्त्रिमण्डल में कटौती करते तो ज्यादा अच्छा रहता। आप कोई त्याग करके कर्मचारियों को सबक देते तो अच्छा होता। आप कहते मन्त्री भी त्याग कर रहे हैं, वेतन कम ले रहे हैं, हम भी छोड़ रहे हैं और आप भी छोड़िये क्योंकि प्रदेश पर संकट आया हुआ है और फिर कहते आप भी आगे आइये। लेकिन आपने तो उनको अनुशासन का पाठ पढ़ाने की केवल मात्र कोशिश की है और साथ ही उनको धमकाया गया है, डराया गया है। लेकिन राजस्थान के कर्मचारी न इनसे डरने वाले हैं और न ही इनकी धमकियों में आने वाले हैं। जब तक राजनैतिक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, जब तक विधान सभा में बैठने वाले लोग और जब तक मन्त्रिमण्डल में बैठने वाले लोग मितव्ययता

(135)

(श्री महावीरप्रसाद जैन)

नहीं रखेंगे, यह भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा और जब तक आप अपनी ईमानदारी का परिचय लोगों को नहीं देंगे तब तक यह केवल घोषणायें मात्र ही रहेंगी और इससे आपका कोई काम चलने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है जिस प्रकार महंगाई बढ़ी है, जिस प्रकार मेन्टीनेन्स में और खर्चे बढ़े हैं उनके कारण तो प्रशासनिक खर्चे और बढ़ेंगे। सरकारी अधिकारियों की कारें चलेंगी उसमें पैट्रोल जलेगा और निश्चित रूप से आपका यह खर्चा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। वित्त मन्त्री महोदय का यह मानना हो सकता है और यह उनके भाषण के लिये अच्छी बात हो सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई बजट भाषण पढ़े हैं लेकिन कहीं भी चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे जनता पार्टी की सरकार रही हो किसी सरकार ने भी इस प्रकार का निराशाजनक बजट, इस प्रकार का दम घोंटू बजट, इस प्रकार युवकों को सड़कों पर लाने वाला बजट, चोर और डकैतों को प्रोत्साहन देने वाला बजट, पेश नहीं किया। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं चेतावनी देना चाहता हूं इस प्रदेश में चोरियों की वारदातें बढ़ेंगी, डकैतियां पड़ेंगी। इस प्रकार का बजट वित्त मन्त्री जी पेश करके, मेरा यह मानना है कि नये चोर और डकैत पैदा करेंगे जिससे हमारे देश में लॉ एण्ड आर्डर की एक ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी जिसको सम्भालना मुश्किल हो जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट किसानों का दुश्मन है, क्योंकि हमने गांवों की विकास की बात इसमें नहीं कही है। मैंने कई बार ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठने वाले सदस्यों के और मन्त्रिमण्डल में बैठने वाले सदस्यों के भाषण सुने हैं जिसमें जनता पार्टी के कार्यों की आलोचना की है। काम के बदले अनाज योजना की आलोचना की है, अन्त्योदय की आलोचना की है। मैं आपसे निवेदन करना चहता हूं कि वे किस मुंह से आलोचना करते हैं। आज गांवों में मेरा तो यह मानना है कांग्रेस का नाम लेकर घुस नहीं सकते हैं क्योंकि आपने गांवों के विकास की बात इस बजट में कहीं नहीं कही है। जिस गांव में आप स्कूल भवन नहीं बना सकते हैं, जिस गांव में बिजली नहीं ला सकते हैं, जिन गांवों में कुओं पर आप बिजली द्वारा पानी नहीं दे सकते हैं आप सिंचाई के साधनों द्वारा उनके खेतों को पानी पिला सकते हैं क्या फिर भी आप उन गांवों में जाना चाहेंगे ? मेरा मानना है जिस प्रकार 77 की स्थिति आई थी और जिस प्रकार के चुनाव आये थे यह राजस्थान की जनता और हिन्दुस्तान की जनता जिस प्रकार की क्रान्ति लाती है और जिस प्रकार का एक तरीका है वह यह नहीं है कि आपको दिखायी नहीं देता लेकिन अन्दर ही अन्दर जिस प्रकार लोग लग रहे हैं, उसके प्रति आपको सूझ रहनी चाहिये और ठीक से पुनः विचार करना चाहिए इस बजट पर। लेकिन मैं जानता हूं कि आप इस पर कोई विचार नहीं करेंगे। जहां 340 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट है जिस पर प्रतिदिन एक करोड़ का ब्याज आने वाला है। वहां प्रेशर और दबाव के कारण नफे का

(श्री महावीरप्रसाद जैन)

बजट जिस प्रकार आप पेश करके खुश हो रहे हैं ज्यों ही यह वित्तीय वर्ष समाप्त होगा आप देखेंगे कि यह घाटे के रूप में बदल जायेगा। जहां 15 और 14 करोड़ का लाभ की बात करते हैं मेरा मानना है कि यह बजट सौ करोड़ रुपये के घाटे में अन्त में जायेगा। केवल हमने किन्हीं इशारों पर दबावमें आकर यह बजट बनाया है, यह बहुत भ्रामक है। यह भ्रामक किस लिए है? मैं कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने यह बजट बनाया है उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह राजस्व आय व्ययक का अध्ययन किया, 81–82 का जब मैंने अध्ययन किया 82-83 का अध्ययन किया, तो मालूम हुआ यह झूठे आंकड़े हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दुग्ध सहकारी समिति की सदस्य संख्या जो इन्होंने दी है आंकड़ों में। 81-82 का जो बजट, इन्होंने आय व्ययक प्रस्तुत किया है, उसमें इन्होंने दुग्ध सहकारी समिति सदस्यों की संख्या बतायी है 46096 और 82-83 में इन्होंने 78-79 के आंकड़ों में बतायी है 86555, 79-80 के आंकड़ों में बतायी 57608 और82-83 में उनकी 79-80 के आंकड़ों में इन्होंने 1049361 इस प्रकार सदस्य संख्या बतायी है। समझ में नहीं आता कि उस आय-व्ययक के आंकड़े पढ़ें जायें या उसको पढ़ा जाय। सही किसको माना जाय।

इसी प्रकार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हमको आय व्ययक अनुमान खण्ड 4 दिया गया मैं इसको देख रहा था कि टोंक जिले में किस प्रकार से क्या क्या योजनाएं हैं? तो मैं इसमें जब यह देख रहा था तो यह भिलाय औषधालय खोलने की स्कीम है उसमें इन्होंने जिस प्रकार की आंकड़े बताये हैं, उससे करोड़ों रुपये हैं एक औषधालय के मैं सोचने लगा कि यह सरकार बड़ी प्रगतिशील हो गयी, एक-एक औषधालय में करोड़ों-करोड़ों रुपये के आंकड़े दिये हैं। तो जब मैंने यह दूसरा

(व्यवधान)

नहीं। केवल प्रिन्ट की गड़बड़ हो तो एक जगह हो सकती है उसमें जो खर्चा इन्होंने बताया है 81–82 में, उसमें तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमको किताबें पढ़ने के लिए दी जाती हैं–

श्री यदुनाथ सिंह : सारा बजट गलत छपा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : किस प्रकार हम अध्ययन करें, किस प्रकार अपना अनुमान लगायें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं आपको भिलाय को देखकर बताऊंगा कि इसमें किस प्रकार के विकास की कल्पना की गयी है एक यह है कि टोंक जिले में जिन मदों पर जिस प्रकार का खर्च 80-81 में हुआ, 81-82 में हुआ और 82-83 में जिस प्रकार

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

खर्च का इन्होंने प्रावधान रखा है, मैं उसके द्वारा इस सदन के माननीय सदस्यों को और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार ये प्रदेश का विकास करेंगे। इससे यह पता लगेगा। इसमें 459 लोक कल्याण में जहां 80-81 में 1 लाख 53 हजार रुपये खर्च हुये, और 81-82 में 6 लाख रुपये खर्च किये वहीं 82-83 में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं रखा। "477" हैड--जो शिक्षा और कला का है-3 लाख 75 हजार रुपये 80-81 में खर्च किये, 81-82 में 93 हजार और 82-83 में केवल 36 हजार का प्रावधान है। इसी प्रकार उसी हैड में एक लाख रुपये 81-82 में खर्च किये गये और82-83 में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं रखा। इसी प्रकार इसी हैड में जहां 80-81 में 2 लाख 45 हजार रुपये खर्च किये गये, वहीं 81-82 में 50 हजार रुपये और 82-83 में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 25 हजार रुपये--

श्री उपाध्यक्ष: सदन कार्यवाही सदन के भाषण के बाद समाप्त होगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसी प्रकार "हैड--480" में 3 लाख 32 हजार--जो चिकित्सा पर है--80-81 में खर्च किये गये, 1 लाख 92 हजार रुपये 81-82 में और 82-83में 114 हजार का प्रावधान रखा है जब कि महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है। 15 पर्सेन्ट हर साल महंगाई बढ़ी है। लेकिन योजना मद में इस प्रकार की कटौती किस चतुराई से की है, मैं इसको बताना चाहता हूं। इसी प्रकार "480--हैड" में 20 हजार रुपये 80-81 में रखे और 60 या 50 हजार रुपये 81-82 में, 78 हजार रुपए केवल 82-83 में रखे। इसी प्रकार से परिवार कल्याण में, जो मैं आपको बता रहा था, जिलाय परिवार कल्याण केन्द्र की स्थापना की गयी, 12 करोड़ 8 लाख 41 हजार रुपये इन्होंने 80-81 में खर्च करना बताया, 6 करोड़ रुपये 81-82 खर्च करना बताया, और 1 करोड़ 90 लाख 82-83 में खर्च करना बताया। मैंने पिछले बजट को उठाकर देखा तो मुझे यह लगा है कि या तो यह जान बूझकर गड़बड़ की गयी है या कोई हो सकता है बहुत बड़े घोटाले का यह संकेत हो। तो मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि केवल 75 हजार रुपये 80-81 में रखे, 81-82 में 8.8 हजार रुपये रखे और 82-83 में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं रखा। "483" में इसी प्रकार 10 हजार रुपये रखे। इस तरह मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने सारे हैड अलग अलग बताये।

(5.17.म.प.)

(श्री पुनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

और, इस टोंक जिले के विकास की कल्पना की, मैंने सारे राजस्थान के विकास की दृष्टि से देखने की कोशिश की तो मुझे लगता है कि किसी प्रकार का विकास अब नहीं होगा। माननीय सदस्य अभी यह प्रस्ताव रख रहे थे, ये मांग कर रहे थे कि किसानों को जनरेटर लगाने के लिए अनुदान दिया जाय, ये मांग कर रहे थे कि रिण दिया जाय। पर न तो ये घोषणा कर सकते हैं, न दे सकते हैं। इन्होंने अपने प्रदेश की हालत इस प्रकारकर

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

दी है। अकाल और बाढ़ हमेशा यहां के लिए विरासत में मिले हैं। अकाल और बाढ़ हमेशा आये हैं, हमेशा उनका मुकाबला किया है। यहां के मन्त्रियों और योग्य मुख्य-मन्त्रियों ने उनका मुकाबला करके और जनता पार्टी ने उनका मुकाबला करके जिस प्रकार प्रदेश के विकास को आगे लाये हैं वहां पर आज ओवर ड्राफ्ट और सारे कर्जों का बोझ किस प्रकार लादा जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपको यह पता है कि सारे राजस्थान में सबसे ज्यादा विनाश लीला बाढ़ के कारण से, टोंक जिले में हुई लेकिन टोंक जिले में यह घोषणा की गयी है कि इतने लाख का अनुदान दिया गया है, इतने लाख का कुओं पर अनुदान दिया गया है, इतने लाख का अनुदान खेती की भूमि को ठीक करने के लिये दिया गया है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चहता हूं जो बांध टूटे हैं, वे आज तक नहीं बने हैं। वर्षा का मौसम वापस 2–3 महीनों में आने वाला है लेकिन न किसी प्रकार की योजनायें बनायी गयीं, न उनको वापस ठीक करवाया गया। जहां सिंचाई के थोड़े बहुत बांध ठीक हुये हैं वहां पर 153 के आसपास केवल पंचायतों के तालाब टूटे हैं। उन पंचायतों के तालाब में एक धेले का प्रावधान नहीं रखा है और न एक धेला आज तक लगा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उन तालाबों को नहीं बनवाया गया तो न पानी रुकेगा और न कुए पानी होगा, न सिंचाई होगी और वापस बाढ़ की स्थिति आयेगी।

जिन लोगों के घर ऊजड़ गए, जिन लोगों के जानवर लुट गए उन लोगों को केवल आश्वासन दिया गया है। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी, जो हमारे देश की प्रधान मन्त्री हैं, हिंगानिया में पधारी थीं। वहां पर जिस प्रकार का नाटक और जिस प्रकार की बातें की गई थीं, जिस प्रकार से करोड़ों रुपया उसमें खर्च किया गया था। आज वहां का व्यक्ति पानी के लिए तरसता है। आज वहां का व्यक्ति अपने जानवरों को कहां बांधे, उसके लिए तरसता है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए माननीय सदस्य।

श्री महावीरप्रसाद जैन : न उसके पास जमीन है, न उसके लिए पानी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार हम मानते हैं, हमारी सरकार मानती है और जो अर्थ-शास्त्र समझते हैं वे भी मानते हैं कि उद्योगों के विकास से इस देश का औद्योगीकरण होगा। लेकिन हमारे वित्त मन्त्री जी ने जिस प्रकार का बजट पेश किया है उससे उद्योगों का विकास नहीं होगा। जो पुराने उद्योग लगे हुए हैं उल्टे उनके ऊपर ताले लगा दिये हैं। नए उद्योगों के आने की कोई सम्भावना नहीं है। यहां पर जो बिजली में छूट दे दी गई थी, जो रिडक्शन दे दिया गया था, वह बिजली की छूट वापस ले लीं। उनके ऊपर चार पैसा प्रति यूनिट, छोटे उद्योगों के ऊपर और छः और आठ पैसे बड़े उद्योगों पर........

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये माननीय सदस्य।

138

श्री महावीरप्रसाद जैन : बढ़ा दिये हैं। इस प्रकार से कच्चे माल पर जो नये उद्योग लगायेंगे, उन पर एक पर्सेंट का भार लाद दिया गया है। और जो पुराने उद्योग चल रहे हैं उन पर दो पर्सेंट का भार लाद दिया गया है। इस प्रकार की उद्योगों की हालत की है और किसी प्रकार की व्यवस्था इन्होंने नहीं की है कि किस प्रकार से नए उद्योगों यहां पर लगायेंगे। किस प्रकार से सब्सिडी दी जाएगी। कोई टाइम बाउण्ड प्रोग्राम इन्होंने फिक्स नहीं किया है। मेरा मानना है और मेरा यह निवेदन है कि यदि आपको विकास करना है, तो उसमें कोई टाइम फिक्स करिये। हर प्रोग्राम में आपका जो भी प्लानिंग है, उसमें यह तय करिये कि इतने टाइम में वह काम पूरा हो जाएगा। नहीं होता है, तो उसकी रेस्पांसिबिलिटी फिक्स करिये। वह अधिकारी और कर्मचारी जो समय पर काम नहीं करते हैं उनके ऊपर जब तक एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप स्वयं अनुशासन में नहीं बंधेंगे तब तक न तो आप कर्मचारियों को बांध सकते हैं और न आप विकास कर सकते हैं।

मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि यह बजट काला बजट के नाम से पुकारा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पूर्व माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आज मध्याह्न पश्चात् 2 बज कर 50 मिनट और 3 बजे के बीच में सदन में जब एक प्रश्न को लेकर अव्यवस्था फैल गई थी उस वक्त किसी माननीय सदस्य ने एक बहुत ही अभद्र, अशोभनीय और असंसदीय शब्द का प्रयोग किया। उसको मैं कार्यवाही से निकालता हूं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की सर्वोच्च सत्ता हम में निहित है और यहां पर इस तरह की भाषा होनी चाहिए और ऐसा बर्ताव होना चाहिए कि वह दूसरों के लिए उदाहरण स्वरूप हो। अतः माननीय सदस्यों को चाहिए और मैंने देखा है कि पिछले कुछ अर्से से माननीय सदस्यगण कभी-कभी आवेश में आकर भाषा में संयम खो देते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और सर्वत्र, हमारे इस सदन की गरिमा बनी रहे, इस तरह का हमारा व्यवहार और इस तरह का हमारा बोलना-चालना होना चाहिए। अतः मैंने माननीय सदस्यों का इस ओर ध्यान आकर्षित किया। अब मैं सदन की कार्यवाही कल दिनांक........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं।

यह किसी सदस्य ने किया होगा। लेकिन आपने जिस प्रकार की व्यवस्था दी है सारे सदन पर उसका प्रभाव पड़ा है। अब एक सदस्य ने किया होगा और उसके कारण से सारे माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में यह चर्चा चली कि यहां पर असंसदीय भाषा का प्रयोग होता है। ऐसी भाषा का प्रयोग होता है जो साधारणतया बोलचाल में नहीं आती। मैं समझता हूं कि सदस्य ने जो कुछ कहा है उसको एक्सपंज कर दें।

श्री अध्यक्ष : मैंने शब्द के बारे में कहा है। जो शब्द कहे हैं उसके बारे में ही मैंने कहा है। यह सब ऐसा ही होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, अध्यक्ष महोदय, देखिये........

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि इसको निकालना भी जरूरी था, नहीं तो ऐसे ही चला जाता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह शब्द का पता ही नहीं लग रहा है कि किस सदस्य ने कहा, कौन सा शब्द कहा।

श्री अध्यक्ष : वह पता नहीं लग रहा है, वही तो बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शब्द तो है ना ? शब्द तो निकाल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : तो फिर उस शब्द को बोलूं, यों ? मैंने उस शब्द को निकाल दिया, बात इतनी सी है और माननीय सदस्यों से विनती कर दी कि भाषा के अन्दर संयम बरतना चाहिए। इतना ही तो निवेदन किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आपने यह भी कहा है कि पिछले दिनों से इस सदन के अन्दर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है।

श्री अध्यक्ष : रोज कार्यवाही आती है, उसको पढ़ता हूं इसलिए अर्ज किया है।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 5 मार्च, 82 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की बैठक म. प. 5.25 बजे शुक्रवार, दिनांक 5 मार्च, 1982 के म. पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(१४०)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 226 की सूची

कोटा शहर में उन मन्दिरों की स्थिति जिनके भवन किराये पर देने योग्य हैं :—

क्रम संख्या	नाम मन्दिर	पता
1	2	3
1.	श्री फूल बिहारी जी	पाटन पोल, कोटा
2.	श्री दाऊ जी महाराज	सूरजपोल, कोटा
3.	श्री रामचन्द्र जी	लाड़पुरा, कोटा
4.	श्री दाऊ जी महाराज	नानता, कोटा

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 228 की सूची

"बढ़िया शिक्षा के अन्तर्गत चयनित माध्यमिक विद्यालय

जिला-जोधपुर

1. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-धवा
2. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-आसोप
3. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-भावि
4. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-शेरगढ़
5. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-डाढाणिया
6. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-लोहावट
7. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-बाप
8. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-बावड़ी
9. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-कालीवेरी
10. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-पीपाडशहर. (कन्या)
11. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-फलोदी (कन्या)

जिला-पाली

12. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-बीसलपुर
13. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-खेरवा
14. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-सुमेरपुर
15. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-बगडीनगर
16. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-मारवाड जंक्शन
17. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-नाडोल
18. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-बसी
19. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-ओकाल
20. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-पीपलिया
21. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-रोहट
22. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-चण्डावल
23. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-रायपुर
24. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-समेरपुर (कन्या)
25. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-रोल (जि. नागौर)

(142)

जिला-नागौर

26. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-कचेरा
27. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-जांयल
28. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-गांठन
29. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-रीयाबड़ी
30. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-ईंडवा
31. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-बड़ू
32. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-बाराबड़
33. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-धाटवा
34. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-कोलिया
35. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-डीडवाना
36. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-मीठडी
37. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-मेड़ता सिटी (कन्या)
38. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-कुचामन सिटी (कन्या)

[38 अ. रोल, जिला नागौर]

जिला-अजमेर

39. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-बडाखेड़ा
40. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-खरवा
41. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-करकेडी
42. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-गोविन्द
43. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-लीडी
44. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-गढ़ सराना
45. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-फतेहगढ़
46. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-बघेरा
47. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-किशनगढ़ (छात्रा)
48. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-आदर्शनगर-अजमेर (छात्रा)

जिला-भरतपुर

49. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-सेवर
50. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-जुरहरा
51. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-कांमा (छात्रा)
52. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-गाबोली
53. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-उच्चैन

143

54. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-कनावर
55. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-बयाना (छात्रा)
56. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-पथेना
57. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-मुरेना
58. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-अब्दुलपुर
59. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-बसेडी (छात्रा)
60. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-सीकरी
61. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-बाडी (छात्रा)
62. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-मनिया
63. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-अस्तावन
64. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-वहज

जिला-झालावाड़

65. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-गानावद
66. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-खानपुर
67. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-रायपुर
68. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-रतलाई
69. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-जावर
70. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-डग
71. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-खानपुर (छात्रा)
72. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-चौमहला (छात्रा)

जिला-सवाई माधोपुर

73. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-मासलपुर
74. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-करणपुर
75. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-रतनजिला
76. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-नांगलपहाडी
77. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-बैंडागांवखेड़ला
78. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-बापनवासकलां
79. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-नादौती
80. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-सेवा
81. राजकीय माध्यमिक विद्यालय-बहावण्डा खुर्द

(१५५)

82. राजकीय माध्यमिक विद्यालय–बौंली
83. राजकीय माध्यमिक विद्यालय–कुण्डेरा
84. राजकीय माध्यमिक विद्यालय–टोडाभीम (छात्रा)
85. राजकीय माध्यमिक विद्यालय–महुवा (छात्रा)
86 राजकीय माध्यमिक विद्यालय–करौली (छात्रा)

जिला-जयपुर

87. बीलवा
88. कालवाड
89. हस्तेडा
90. बांसखोह
91. सैंथल
92. मन्डावरी
93. मानपुर
94. चन्दवाजी
95. गुढ़ाकटला
96. मौजमाबाद
97. रेनवालमाजी
98. भादवा
99. चाकसू
100. भानपुर कलां
101. धानोता
102. विराट नगर
103. भौनेडा
104. जमवा रामगढ़ (छात्रा)
105. पावटा (छात्रा)
106. लालसोट (छात्रा)
107. सांभरलेक (छात्रा)

जिला-टोंक

108. छाण
109. झिलाय
110. बनेठा
111. पारली
112. पचेवर
113. नासिरदा
114. मोर
115. देवली सिटी (छात्रा)

जिला-जालौर

116. सियाना
117. चांदराई
118. तेवतडा
119. जूनाबाली
120. भालवाड़ा
121. रमसीन
122. चीतलवाना
123. उहार
124 भीनमाल (छात्रा)

जिला–सिरोही

125. पालडी
126. जवाल
127. रुपमज
128. रेवदर
129. शिवगंज (छात्रा)
130. आबूपर्वत (छात्रा)
131. सातपुर

जिला–कोटा

132. मण्डाना
133. बडौद
134. खातौली
135. फतहपुर
136. किशनगंज
137. केलवाडा
138. कोटड़ी
139. हरनावदासाहजी
140. कवाई
141. कनवास
142. खैरावाद
143. इन्द्रगढ़
144. छबड़ा
145. सीसवाली (छात्रा)
146. नयापुरा बाग (छात्रा)

जिला–बून्धी

147. तालेडा
148. बड़ानयागांव
149. देई
150. नेनवा
151. आट का वराणा
152. के. पाटन (छात्रा)

जिला–बीकानेर

153. मो. मूलचन्द्र–बीकानेर
154. उदयरामसर
155. काकड़ा
156. कोलायत
157. लूणकरणसर
158. नोखा (छात्रा)

जिला–चूरू

159. दुधवाखारा
160. सिद्धमुख
161. दुलरासर
162. सौलासर
163. पड़िहारा
164. बचावास
165. विग्या
166. राजलदेसर (छात्रा)
167. राजगढ़ (छात्रा)

१४९

जिला–श्रीगंगानगर

168. पक्कासारणा
169. पीलीबंगा
170. रत्तेवाला
171. हिन्दमलकोट
172. सूरावाली
173. ग्रारायण
174. उतरादावास
175. निर्जेवालामेर
176. जेतसर
177. रामगढ़
178. पीटीडी
179. हनुमानगढ़ टाऊन (छात्रा)
180. श्रीगंगानगर नं.–2 (छात्रा)

जिला–झुंझुनू

181. टमकोर
182. कहाडवास
183. पीपली
184. टीबाबसई
185. पौंख
186. भारु
187. जजूसर
188. गिडानिया
189. सूरजगढ़ (छात्रा)
190. नवलगढ़ (छात्रा)

जिला–सीकर

191. पाटन
192. नीम का थाना
193. वाय
194. ग्रल्फसर
195. नेछवा
196. पलसाना
197. घोद
198. खंडेला
199. रींगस (छात्रा)
200. लोसल

जिला–बाड़मेर

201. रानीगांव
202. पचपदरा
203. सिणधरी
204. बावडीकलां
205. गडरारोड
206. मोकलसर
207. धोरीमन्ना
208. बायतू
209. बाडमेर
210. बालोतरा (छात्रा)

जिला–जैसलमेर

211. भणियाणा
212. नोख

जिला–अलवर

213. खेडली
214. तिजारा (छात्रा)
215. रामगढ़ (छात्रा)
216. टहला
217. अकबरपुर
218. गढीसवाईराम
219. कठूमर
220. बडौदामेव
221. रामगढ
222. बानसूर
223. चांदपुर
224. माजरीकलां
225. शाहबाद
226. कोटकासिम
227. नारायणपुर
228. बहरोड (छात्रा)
229. किशनगढबास (छात्रा)

जिला–जैसलमेर

230. मोहनगढ
231. रामगढ़

जिला–चित्तौड़गढ

232. सावा
233. बस्सी
234. सिंहपुर
235. डिण्डोली
236. पहुवा
237. अकोला
238. भैंसरोडगढ
239. कनेरा
240. काण्डा
241. निकुम्भ
242. भादसोडा
243. देलवास
244. कपासन (छात्रा)
245. बेंगू (छात्रा)
246. बडीसादडी (छात्रा)

जिला–उदयपुर

247. लौसिंग
248. बडाबाजार (नाथद्वारा)
249. गांवसूडा
250. रुण्डेडा
251. धासा
252. सनवाड
253. कमोल
254. केलवा
255. करज
256. सरदारगढ़
257. छापली
258. सेवन्त्री
259. देवगढ (छात्रा)
260. कानोड (छात्रा)

जिला–भीलवाड़ा

261. मंगरोप/भैंरूगढ
262. आकाला
263. पंडेर
264. रायला

(148)

265. बागोर
266. राणा
267. बोगोद
268. ढिकोला
269. कोसीथला
270. हमीरगढ़
271. हुरडा
272. बदनौर (छात्रा)
273. माण्डल (छात्रा)
274. माण्डलगढ़ (छात्रा)

जिला–डूंगरपुर

275. डूंगरपुर
276. ग्रासपुर
277. बिछीवाडा
278. पुनाली
279. भिलूडा
280. सागवाडा (छात्रा)
281. सीमलवाडा (छात्रा)

जिला–चित्तौड़गढ़

282. राज. मा. वि.–थड़ा

जिला–बांसवाड़ा

283. तलकडा
284. सरेड़ी
285. मोटागांव
286. छोटी सरग्रा
287. छोटा डंगरा
288. ग्रानन्दपुरी
289. घाटाली
290. नोगामा
291. बागीदोरा (छात्रा)
292. कुशलगढ़ (छात्रा)

जिला–उदयपुर

293. ग्रम्बामाता
294. टीडी
295. पारसोला
296. झभराना
297. केजड़
298. कोल्यारी
299. कोटडा
300. सातपुर (जिला–सिरोही)

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 230 की सूची

परिशिष्ट-1

पशु पेय जल-सार्वजनिक कुण्ड निर्माण

क्र. सं.	नाम पं. स.	ग्राम पंचा. का नाम	स्थान का नाम	ग्राम का नाम	स्वी. राशि रारायो	स्वी. राशि अभि. को
1	2	3	4	5	6	7
1.	नागौर	चुटिसरा	भांबियों का बास	चुटिसरा	15000/-	15000/-
2.	,,	ऊंटवालिया	ढाणी के पास ,,	ऊंटवालिया	15000/-	15000/-
3.	,,	कठिलासर	नायकों की ढाणी व स्कूल के पास	ढाकोरिया	15000/-	15000/-
4.	,,	सींगड़	भांबियों की ढाणी नं. 3 के पास	सींगड़	15000/-	15000/-
5.	,,	श्रीबालाजी	नायकों की ढाणी के पास	श्रीबालाजी	15000/-	15000/-
6.	मूण्डवा	खटोड़ा		खटोड़ा	15000/-	15000/-
7.	,,	बेराथल	बा. की ढाणी	टांकला	15000/-	15000/-
8.	,,	माडपुरा	ब्राह्मणी ढाणी	ब्राचीणा	15000/-	15000/-
9.	,,	भावण्डा	,,	चरडा	15000/-	15000/-
10.	,,	बिरलोका	चोतीणा कुए के पास	बिरलोका	15000/-	15000/-
11.	रियांबड़ी	भंवाल	,,	डुकिया	15000/-	15000/-
12.	,,	मोडीकलां	,,	मोरीजाना	15000/-	15000/-
13.	,,	पादूखुर्द	,,	पादूखुर्द	15000/-	15000/-
14.	,,	आंधलास	,,	लाटोलाई	15000/-	15000/-
15.	,,	डोडियाना	,,	रोहिसडा	15000/-	15000/-
16.	लाडनूं	सीलनवाद	,,	रोंजा	15000/-	15000/-
17.	,,	ढींगसरी	,,	तिपनी	15000/-	15000/-

क्र. सं.	नाम पं. स.	ग्राम पंचा. का नाम	स्थान का नाम	ग्राम का नाम	स्वी. राशि रारायो	स्वी. राशि गभि. को
18.	लाडनूं	ढींगसरी	चोतीण कुए के पास	सांडास	15000/-	15000/-
19.	,,	मालगांव	,,	मालगांव	15000/-	15000/-
20.	,,	सारडी	,,	ग्रनेसरिया	15000/-	15000/-
21.	डेगाना	पालिथास	,,	कोरियाराव	15000/-	15000/-
22.	,,	मांझी	रेगरों का बास	मांझी	15000/-	15000/-
23.	,,	खडिकलां	,,	जोघड़ास	15000/-	15000/-
24.	,,	बुन्दलोता	,,	गोरनाड़ा	15000/-	15000/-
25.	,,	लंगोड़	,,	बुन्दीसर	15000/-	15000/-
26.	परबतसर	धोलिया	,,	धौकलिया	15000/-	15000/-
27.	,,	खोखर	,,	यनिजापूर्वी	15000/-	15000/-
28.	,,	बाजवास	,,	पालडीकडवा	15000/-	15000/-
29.	,,	पीपलाद	,,	नयागांव	15000/-	15000/-
30.	,,	किनसरिया	,,	किनसरिया	15000/-	15000/-
31.	कुचामन सिटी	खाखडकी	,,	खाखड़की	15000/-	15000/-
32.	,,	गोविन्दी	सार्व. टांका नि.	सारडूढ़ाणी	15000/-	15000/-
33.	,,	,,	,,	नानणा	15000/-	15000/-
34.	,,	चौसला	,,	,,	15000/-	15000/-
35.	,,	गुढ़ासाल्ट	,,	गुढ़ासाल्ट	15000/-	15000/-
36.	मकराना	रानीगांव	,,	सीणीयां	15000/-	15000/-
37.	,,	सारडियां	जैसमल की ढ़ाणी	मडाडी	15000/-	15000/-
38.	,,	चाण्डी	,,	संघोली	15000/-	15000/-
39.	,,	,,	,,	देवला	15000/-	15000/-
40.	,,	भिचावा	,,	लारोली	15000/-	15000/-

होद एवं खेलियों के निर्माण की सूची

क्र. सं.	पं. स.	कार्य का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	राशि	
					रा. रा. यो.	अभिकरण को
1.	जायल	पानी का होद	जायल	जायल	10000/-	10000/-
2.	मेड़ता	,,	पांचडोलिया	पांचडोलिया	10000/-	10000/-
3.	डेगाना	,,	बुटाटी	बुटाटी	10000/-	10000/-
4,	रियां	,,	रियांबडी	रियांबडी	10000/-	10000/-
5.	लाडनू	,,	दुजार	दुजार	10000/-	10000/-
6.	मकराना	,,	गच्छीपुरा	गच्छीपुरा	10000/-	10000/-
7.	कुचामन	,,	पांचना	पांचना	10000/-	10000/-
8.	जायल	खेली निर्माण	जायल	जायल	750/-	750/-
9.	,,	,,	खियाला	खियाला	750/-	750/-
10.	,,	,,	बड़बड़	बड़बड़	750/-	750/-
11.	,,	,,	तरनाऊं	तरनाऊं	750/-	750/-
12.	मेड़ता	,,	पंचडोलिया	पंचडोलिया	750/-	750/-
13.	,,	,,	मोवाला	मोवाला	750/-	750/-
14.	,,	,,	लाम्बाजाटा	लाम्बाजाटा	750/-	750/-
15.	,,	,,	धनाणा	धनाणा	750/-	750/-
16.	,,	,,	बुनदलु	बुनदलु	750/-	750/-
17.	डेगाना	,,	बुटाटी	बुटाटी	750/-	750/-
18.	,,	,,	सांजू	सांजू	750/-	750/-
19.	,,	,,	कितलसर	कितलसर	750/-	750/-
20.	,,	,,	बरणा	बरणा	750/-	750/-
21.	,,	,,	पुनास	पुनास	750/-	750/-
22.	,,	,,	चुई	चुई	750/-	750/-
23.	,,	,,	चांदारुण	चांदारुण	750/-	750/-

(152)

क. सं.	पं. स.	कार्य का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	राशि	
					रा. रा. यो.	अभिकरण
24.	रियां	खेल्ली निर्माण	रियांबडी	रियांबडी	750/-	750/-
25.	,,	,,	बादु कलां	बादु कलां	750/-	750/-
26.	लाडनूं	,,	डुग्रार	डुग्रार	750/-	750/-
27.	,,	,,	बाकलिया	बाकलिया	750/-	750/-
28.	,,	,,	झरडिया	झरडिया	750/-	750/-
29.	,,	,,	चन्द्राई	चन्द्राई	750/-	750/-
30.	,,	,,	रताऊ	रताऊ	750/-	750/-
31.	,,	,,	सीलनबाद	सीलनबाद	750/-	750/-
32.	मकराना	,,	गच्छीपुरा	गच्छीपुरा	750/-	750/-
33.	,,	,,	पाटीडोबरिया	पाटीडोबरिया	750/-	750/-
34.	,,	,,	रामपुरागांव	रामपुरागांव	750/-	750/-
35.	,,	,,	बूडसू	बूडसू	750/-	750/-
36.	कुचामन	,,	पांवदा	पांवदा	750/-	750/-
37.	,,	,,	खारडिया	खारडिया	750/-	750/-
38.	,,	,,	भावता	भावता	750/-	750/-

153

परिशिष्ट-4

तारांकित प्रश्न संख्या 233 की सूची

उदयपुर जिले के जनजाति उप योजना क्षेत्र में पंचायत समितिवार विद्यालयों की सूची जहां एक भी अध्यापक उपलब्ध नहीं है ।

क्रम सं.	पंचायत समिति	विद्यालय का नाम
1.	गिर्वा	1. कालीवास
2.	कोटड़ा	1. डूंगरिया 2. क्यारिया 3. मेड़ी 4. पडावली खुर्द 5. कोदरमाल 6. राफराखेत 7. तीलाई 8. दातेड 9. बागोता 10. सांडमारिया 11. माल्डलिया 12. खुणी
3.	खमनोर	1. सलोदा
4.	सराड़ा	1. चन्दोडा 2. सगतपुर 3. पा. इन्टाली 4. गुडियावाडा
5.	झाडोल	1. खरडिया 2. ओवरा 3. आदिवास 4. बांसडिया 5. नलवावारा 6. क्यारियां 7. अटाटिया
6.	गोगुन्दा	1. मांडेवा 2. देवरों का खेडा 3. सनवाडा 4. राव 5. काम्बा 6. नाल 7. सिगडिया 8. पला 9. कडस 10. बैलुका खेत 11. कुर्रा
7.	सलूम्बर	1. मालपुर 2. हड़वानिया 3. कानपुर 4. सिवावली
8.	कुम्भलगढ़	1. माचड़ा 2. गावल 3. आरेट 4. जर्वारिया 5. वानिया टूकड़ा 6. जाम्बका तालाब
9.	धरियावद	1. जवाहर नं. 2. नाड 3. हजारीगुडा 4. गुडा 5. घटेला 6. सेवानगर 7. डूमातलाव 8. घाटा 9. नपाणियां 10. दाखु का गुडा

(154)

परिशिष्ट-5

तारांकित प्रश्न संख्या 235 की सूची

बीकानेर खण्ड में पदों की स्थिति

क्र. सं.	नाम पद	कुल स्वीकृत पद	पदोन्नति से भरे जाने वाले पद	सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद	कुल भरे हुए पद	पदोन्नति से भरे हुए पद	सीधी भर्ती से भरे हुए पद	आरक्षण के अनुसार भरे हुए पद	आरक्षण के अनुसार भरे जाने वाले पद	रिक्त पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	सहायक सचिव	4	3	1	1	1	–	–	2	3	मण्डी सेवा नियमों के अनुसार व्यक्ति निर्धारित योग्यता नहीं रखने के कारण।
2.	लेखाकार	7	5	2	1	–	–	–	3	6	मण्डी सेवा नियमों के अनुसार व्यक्ति निर्धारित योग्यता नहीं रखने के कारण एक पद पर मुख्य लेखाधिकारी से प्रतिनियुक्ति पर है।
3.	कनिष्ठ लेखाकार	8	5	3	5	5	–	–	3	3	मण्डी सेवा नियमों के अनुसार व्यक्ति निर्धारित योग्यता नहीं रखने के कारण।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	पर्यवेक्षक	29	20	9	24	21	3	2	8	5	मण्डी सेवा नियमों के अनुसार व्यक्ति निर्धारित योग्यता नहीं रखने के कारण ।
5.	वरिष्ठ लिपिक	23	23	–	20	20	–	2	7	3	,, ,, ,,
6.	कनिष्ठ लिपिक	200	20	180	140	–	140	21	80	60	सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार लिये जा चुके हैं व प्रतिवेदन पर जांच की जा रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ लिपिक के पदों पर पदोन्नति समिति की बैठक नहीं होने के कारण ।
7.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	175	–	175	145	–	145	37	67	30	चयन समिति का गठन किया जा कर कार्यवाही की जा रही है ।

155

परिशिष्ट 6

तारांकित प्रश्न संख्या 236 की सूची

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव के सम्बन्ध में चल रहे अदालती मामलों की सूची

क्र. सं.	जिला	नाम समिति	
1.	जयपुर	जयरामपुरा ग्राम सेवा	सहकारी समिति लि०
2.		बगरू	,,
3.		धर्मोपुरा	,,
4.		सांगानेर	,,
5.		हाथोद	,,
6.		बीलवा	,,
7.		निवारू	,,
8.		वाटिका	,,
9.		मदाऊ	,,
10.		साईवाड़	,,
11.		उगरीयावास	,,
12.		कागड़ी का बास	,,
13.		रेनवाल	,,
14.		मांडी	,,
15.		रोजड़ी	,,
16.		महलां	,,
17.		सेवा	,,
18.		तिगरिया	,,
19.		घासीपुरा	,,
20.		टूटोली	,,
21.		मरूढ	,,
22.		हीरापुरा	,,
23.		ग्रांतेला	,,
24.		खोरी	,,
25.		गीजगढ़	,,
26.		बनियान	,,

क्र. सं.	जिला	नाम समिति	
27.	जयपुर	डीडवाना	ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
28.		नीमला किशनावाला	
29.	पाली	रास	,,
30.		सेविरया	,,
31.		बाबरा	,,
32.		फालका	,,
33.		खेतावास	,,
34.	कोटा	रानपुर	,,
35.		गोपालपुरा	
36.		मंडाना	,,
37.		मदाना	,,
38.		नादना	,,
39.		नया	,,
40.	झुंझुनूं	ग्यारयासर	
41.		किठाना	,,
42.		छापोली	,,
43.		चन्दवा	,,
44.		खां	,,
45.	सीकर	सांगलिया	
46.		आलोदा	,,
47.		हलाना	,,
48.		बड़ीपुरा	,,
49.		नाजसर बड़ी	,,
50.		कंवरपुरा	,,
51.		जेरठी	,,
52.		गुंगारा	,,
53.		कटरायल	,,
54.		पलासरा	,,
55.		रानौली	,,
56.		राजपुरा	,,
57.		छाजाकी नागल	,,
58.		भूदोली	,,

(158)

क्र. सं.	जिला	नाम समिति	
59.	सीकर	सीखा	ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
60.		अलखपुरा बोगान	,,
61.		रामपुरा बेगा की नांगल	,,
62.	नागौर	ललासरी	,,
63.		झाडेली	,,
64.		बुगरडा	,,
65.	टोंक	झिलाय	,,
66.	सवाई माधोपुर	बाजोली	,,
67.		काचरोली	,,
68.		उदई कलां	,,
69.		छोटी उदई	,,
70.		बैराडा	,,
71.		वामन बडोदा	,,
72.		शशी वरदाला	,,
73.		कोयलां	,,
74.		फुलवाडा	,,
75.	अलवर	अलापुर	,,
76.		मंसारी	,,
77.		मथुराहेडा	,,
78.		अरूआ	,,
79.		बाबा	,,
80.		गोविन्दगढ	,,
81.	अजमेर	नांद	,,
82.		तबीजी	,,
83.		करकेडी	,,
84.	जालौर	जसवंतपुरा	,,
85.		मालवाडा	,,
86.		पांचला	,,
87.		कल्याण	,,
88.		केरिया	,,
89.	जोधपुर	हिरादेसर	,,
90.		हरियाडाणा	,,

क्र. सं.	जिला	नाम समिति	
91.	चूरू	केन्दन	ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
92.		नेथुरा	,,
93.		घाना भाकरन	,,
94.		बाप	,,
95.		खीवसर	,,
96.		कक्कू	,,
97.	गंगानगर	जबरासर	,,
98.		मद्दरखेडा	,,
99.		किशनपुरा	,,

सहकारिता मंत्री द्वारा स्थगन आदेश दिये गये

100.	झुन्झुनू	प्रतापपुरा	ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
101.		केहरकलां	,,
102.	सीकर	नीमेडा	,,
103.		नांगल लायूसर	,,
104.		दुल्हेपुरा	,,
105.		चक खटून्डरा	,,
106.	गंगानगर	ललाणा	,,
107.		रामगढ़	,,
108.		सरदारपुरा	,,
109.		बामसर	,,

मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दिये गये स्थगन आदेश

110.	सीकर	पाटोदा	ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
111.	सवाई माधोपुर	खण्डार	,,
112.		सूरवाल	,,
113.		कुस्तला	,,
114.		रापुर	,,
115.		भगवतगढ़	,,

परिशिष्ट–7

समयाभाव के कारण सदन में नहीं किये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

मथुरा व वृन्दावन स्थित देवस्थान विभाग की सम्पत्ति की नीलामी

237. श्रीमती विद्या पाठक(सांगानेर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि माह दिसम्बर 1981 में मथुरा व वृन्दावन स्थित देवस्थान की सम्पत्ति को नीलाम किये जाने की घोषणा राज्य सरकार ने की थी ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त नीलामी हुई ? यदि हां, तो उसमें किस-किस सम्पत्ति से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? कृपया सूची मय विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो यह नीलामी क्यों रुकी ?

उत्तर

(1) केवल अलाभकारी अचल सम्पदाओं को राज्य स्तरीय देवस्थान डिस्पोजल कमेटी के सिफारिश अनुसार खुली, नीलामी बोली से विक्रय करने का निर्णय लिया गया था।

(2) जी नहीं। इसका विरोध होने के कारण नीलामी स्थगित कर दी गई है।

बेरी वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

238. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण),

श्री रामकिशोर मीना (सिकराय),

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) :

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा), और

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों एवं विसंगतियों को दूर करने के लिये बेरी कमीशन का गठन किया था ? यदि हां, तो क्या कमीशन की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो कब ?

(2) राज्य सरकार ने अब तक बेरी कमीशन की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया ?

(3) क्या राज्य सरकार आयोग की समस्त सिफारिशों को स्वीकार करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि आयोग की सिफारिशों पर अमल करने में विलम्ब हुआ है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(5) यह रिपोर्ट राज्य कर्मचारियों पर कब से लागू मानी जावेगी ?

(6) क्या सरकार इसकी सिफारिशों पर शीघ्र ही निर्णय कर कर्मचारियों को राहत पहुंचाने की घोषणा करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । 15-9-81 को बेरी वेतन आयोग का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है ।

(2) अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ।

(3) राज्य सरकार इस मामले पर विचार कर रही है ।

(4) जी नहीं ।

(5) जैसा खण्ड 3 में अंकित है अभी कोई निर्णय नहीं किया है ।

(6) जी हां ।

पंचायत समिति सराड़ा (उदयपुर) के विकास अधिकारी के विरुद्ध आरोपों में कार्यवाही

239. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पंचायत समिति, सराड़ा, जिला उदयपुर के विकास अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता समिति, उदयपुर के सम्मुख कुछ आरोप जांच हेतु प्रस्तुत हुए हैं ? यदि हां, तो कृपया आरोप-पत्र की एक-एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सत्य है कि सतर्कता समिति, उदयपुर आरोपों की जांच करने के पश्चात् इस निर्णय पर पहुंची है कि आरोप सही हैं ? यदि हां, तो जिन आरोपों को सही पाया गया है उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या अब विकास अधिकारी का उपरोक्त आरोपों के आधार पर निलम्बन हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण अन्यत्र किया गया परन्तु उसे भी निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । शिकायती पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) शिकायती पत्र की जांच उप जिला विकास अधिकारी, उदयपुर से कराई गई थी । जांच अधिकारी द्वारा आरोप संख्या 5, 8, 9 व 15 के सम्बन्ध में विकास अधिकारी के विरुद्ध कुछ नतीजे अपनी रिपोर्ट में अंकित किये हैं । सतर्कता समिति द्वारा जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर विकास अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है । जांच प्रतिवेदन का सम्बन्धित अंश सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) जी नहीं । अभी तक ऐसा किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया ।

(4) जी हां । श्री ईश्वरमल विकास अधिकारी का स्थानान्तरण पंचायत समिति सराड़ा से धरियावद किया गया था जो प्रशासनिक कारणों से निरस्त कर दिया गया ।

सेवामें,

श्रीमान् जिलाधीश महोदय,
जिलाधीश कार्यालय,
उदयपुर।

विषय :– सराडा पंचायत समिति क्षेत्र में अनियमितताओं की जांच कर सतर्कता कमेटी में रखने बावत।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि सराडा पंचायत समिति क्षेत्र में विकास अधिकारी द्वारा गम्भीर रूप से अनियमितताएं की गई हैं अतः आपसे निवेदन है कि सम्पूर्ण जांच कर सतर्कता कमेटी में रखने का कष्ट करें।

1. विकास अधिकारी सराडा ने लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व पंचायत-समिति-बाउन्डरी में नर्सरी में 30 शीशम, सागवान आदि कीमती हरे वृक्षों को कटवा दिया एवं कटवाने की राशि पंचायत समिति कोष से व्यय की गई एवं कटी हुई लकड़ी अपने घर ले जाकर फर्नीचर बनवाया है। अभी हाल संजय वृक्षारोपण के तहत वापस नर्सरी लगवाने में भी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है।

2. विकास अधिकारी पंचायत समिति की जीप का दुरुपयोग कर रहे हैं जब भी अपने घर कनवई (डूंगरपुर व उदयपुर) जाता है तो सरकारी जीप लेकर जाता है एवं पंचायत समिति की दूरस्थ पंचायतों जैसे टोकर, सिगटवाडा, जावद, वडावली आदि स्थानों का बिना दौरा किये लौग-बुक में दर्ज किया जाता है।

3. जनगणना के समय में विकास अधिकारी की पत्नी उदयपुर हॉस्पिटल में भर्ती थी प्रतिदिन सरकारी जीप से आना जाना था और रात्रि में प्रगणकों से जनगणना का रेकार्ड देखकर टी. ए. डी. ए. के बिल वसूल किये हैं।

4. सरकारी जीप का ही पैट्रोल अपने निजी वाहन (स्कूटर) में उपयोग करता है जिसका कि प्रमाण स्कूटर भी चले किलोमीटर एवं पैट्रोल खरीद के बिल से ज्ञात हो जावेगा।

5. दिनांक 12-7-80 को 27 अध्यापकों के स्थानान्तरण कर दिये गये जिन अध्यापकों ने रिश्वत नहीं दी उनके, पुनः 12 अध्यापकों के 4-8-80 को स्थानान्तरण कर दिये।

6. श्री माणकचन्द जैन अध्यापक प्रा. वि. मलाड़ा को बिना कारण से निलम्बित कर दिया और पुनः बहाल कर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया जिसका मानहानि का दावा अध्यापक ने अदालत में कर रखा है।

7. सीमेन्ट वितरण में भारी अनियमिततायें विकास अधिकारी ने सभी आवेदकों को 1 या 2 थैले वितरित कर स्वयं ने एजेन्सी के माध्यम से ब्लैक किया जबकि कुछ व्यक्तियों के नाम लगातार 10 से 15 थैले वितरित कर स्वयं ने एजेन्सी के माध्यम से ब्लैक किया। प्रार्थना पत्र देखने से ज्ञात हो जावेगा।

8. मगोरिया तालाब पंचायत घोडासर में 10 दिन का ही कार्य चला किन्तु भुगतान के वक्त मस्टर रोल पर दिन नहीं चढ़ाकर भुगतान कर दिया बाद में दो दिन की हाजरी भरकर दिन चढ़ाकर 293 मजदूरों का 2 दिन का चावल स्वयं हड़प गया जो भी मजदूरों के बयान से ज्ञात हो सका।

9. एन. एन. सी. पोषाहार का बजट का ठेका अनियमित रूप से ठेकेदार को देकर उसमें 25 हजार रुपया हड़प गया जिसकी विस्तृत जांच से ज्ञात हो जावेगा।

10. पंचायत समिति मुख्यालय का एवं प्रा. वि. स्कूलों में वितरण करने के लिये। पुराना व जीर्ण फर्नीचर रंग करवाकर ऊंचे मूल्य पर खरीद बिल बनाकर व्यापारी से रुपये डकार गया जिसकी विस्तृत जांच से ज्ञात हो जावेगा।

11. प्राइमरी स्कूलों में वितरित करने के लिए चूरू लौटे आदि का पूरे वजन का बिल बनाकर कम वजन ही सप्लाई कर दिया और बकाया वजन का अपने घरेलू बर्तन बनाकर ले लिये। सभी स्कूलों से बर्तन मंगवा वजन करने से ज्ञात हो जावेगा।

12. केजड पंचायत के अधीन चले कार्य का भुगतान (अनाज) में 48 क्वि. 56 कि. का 31-7-80 को कार्य पूरा हो गया है, नपती मेजरमेन्ट हो गया है लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा है। सरपंच द्वारा बार बार निवेदन करने के बावजूद भी असन्तोषजनक उत्तर देकर परेशान किया जा रहा है।

13. श्री देवा मीणा व तेजी हिरजी पटेल जिनकी उपस्थिति पंचायत समिति मुख्यालय पर चल रहे कार्यों में भर रखी थी लेकिन उन्हें स्वयं के विकास पर घरेलू काम पर लगा रखा जो कि उक्त जांच से ज्ञात हो जावेगा।

14. मेटल कम्पोस्ट राशि का वितरण उन्हीं सरपंचों को किया गया जिन्होंने रिश्वत में हिस्सा राशि दी है, बकाया की पंचायत की मेटल कम्पोस्ट की राशि का भुगतान नहीं किया गया जो सरपंचों से जांच के दौरान ज्ञात हो जावेगा।

15. पंचायत समिति मुख्यालय पर पूर्व में कच्ची पत्थरों की बाउन्डरी बनी थी उस पर सीमेन्ट लगाकर पूरी ही रकम उठा ली और पूर्व के लगाए हुये कोट के पत्थरों का भी नये मस्टररोल भरकर पेमेन्ट उठा लिया।

16. पंचायत समिति द्वारा पंचायतों को अनुदान की राशि दी जा रही थी तब सरपंचों से 50–100 रुपये अनुदान की राशि में से काट लिये जिसकी कोई रसीद नहीं दी गई एवं सरपंचों के मना करने पर उनको धमकाया गया जो कि सभी सरपंचों के बयान लेने से ज्ञात हो जावेगा।

विनीत,
एस. डी.
(गुलाब चन्द कटारिया)
विधायक, उदयपुर क्षेत्र।

एक्स्ट्रैक्ट प्रतिलिपि जांच रिपोर्ट, उप जिला विकास अधिकारी, उदयपुर

क्रमांक–एफ/विकास/प्रशा/81 दिनांक 26-10-81

5. अस्थाई अध्यापकों के स्थानान्तरण किये उनको निरस्त कर जिन अध्यापकों ने रिश्वत नहीं दी उनके पुनः 12 अध्यापकों के 4-8-80 को स्थानान्तरण कर दिये:–मैंने आदेश दिनांक 4.8.80 को देखा उसमें आदेश दिनांक 31-7-80 को निरस्त करते हुए 12 अध्यापकों के स्थानान्तरण प्रशासकीय दृष्टि से किये गये हैं। यह तथ्य सही है। इस सम्बन्ध में जिन अध्यापकों के स्थानान्तरण निरस्त किये गये थे उनमें श्री शिव कुमार, श्री नाथूलाल पटेल, श्री देवी लाल, श्री शंकर लाल, श्री रूप शंकर चौबीसा, श्री जसराज जैन, श्री अर्जुन लाल भंवर, श्रीमती पार्वती, श्री देवी सिंह, श्री शंकर लाल के बयान लिये गये। इन बयानों से ऐसा आभास होता है कि इन लोगों ने अपने स्थानान्तरण निरस्तीकरण सम्बन्ध में विकास अधिकारी को किसी प्रकार की कोई रिश्वत नहीं दी यद्यपि जिन 12 अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये हैं उसके बयान नहीं लिए गये। विकास अधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक 4-8-80 को किये गये हैं जो उन्होंने जिलाधीश (प्रशासक, जिला परिषद) की अनुमति नहीं ली जो अनुचित है।

6. मगोरिया तालाब पर 10 दिन के बजाय 12 दिन का भुगतान बताकर दो दिन की श्रमिकों की हाजरी में काट फांस कर दो दिन का अधिक भुगतान बताकर चावल का अपहरण किया:–इस सम्बन्ध में अनियमितता हुई है जिसकी कार्यवाही अलग से हो रही है।

9. ए. एन. पी. पोषाहार का बजट को अनियमित रूप से ठेकेदारों को देकर 25,000/– रु. (पच्चीस हजार रुपये) हड़प जाना:–इस सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं मोटे रूप से पाई गई हैं :—

(1) टेण्डर नोटिस केवल एक ही न्यूज पेपर जय राजस्थान में निकलवाया जाकर व्यापक प्रचार नहीं कराया गया है जबकि कुल कार्य 2 लाख से अधिक था।

(2) ठेकेदार से कोई जमानत राशि एवं अनुबन्ध पत्र नहीं भराया गया था।

(3) ठेकेदार को 100 थैले सीमेन्ट कन्ट्रोल रेट से उपलब्ध कराया जाकर कार्य ठेकेदार को देने पर परमिट को सीमेन्ट दिया गया जबकि ठेका बी. एस. आर. की 9 प्रतिशत की ऊंची दर पर स्वीकार किया गया था।

(4) टेण्डर दिनांक 10-1-80 को सहायक अभियन्ता सामुदायिक विकास से अनुमोदन कराने की क्या आवश्यकता थी जबकि ऐसा अनुमोदन अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी से कराना था।

(5) टेण्डर नोटिस के अनुसार 2 लाख से अधिक के कार्य के लिये टेण्डर नोटिस जारी किया जाना था तो टेण्डर स्वीकार करने के लिये कमेटी का गठन होकर कमेटी के निर्णय अनुसार कार्यवाही करनी थी। जो नहीं की गई।

(6) इस कार्यवाही की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गई है। तकनीकी जांच कराना उचित होगा।

15. पंचायत समिति बाउण्डरीवाल निर्माण में अनियमितता:–इस मामले में निम्नलिखित अनियमितताएं हुई हैं :—

(1) इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

(2) मस्टररोल पर भुगतान प्रमाणीकरण विकास अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है जो होना आवश्यक है भुगतान कितना किया गया उसका योग अंकित नहीं है।

(3) कितना गेहूं, चावल प्राप्त हुआ उसका स्टौक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि नहीं। कुल कितना व्यय हुआ, शेष कितना रहा लेखा सम्बन्धित कोई रेकार्ड तरतीब नहीं है।

(4) मैटीरियल जो खरीद किया गया उसका इन्द्राज स्टौक रजिस्टर में नहीं है। इसके अभाव में जांच करना सम्भव नहीं है।

(5) इस मामले में तकनीकी जांच कराई जाना उचित है। एम. बी. नम्बर 62 पृष्ठ संख्या 25–28 और बाउन्डरीवाल पर रुपया 58,100.75 का अनुमानित लागत का प्रमाण पत्र कनिष्ठ अभियन्ता ने दिया है उसमें काफी गलतियां हैं। बाउन्डरीवाल निर्माण सम्बन्धित वास्तविक जांच हेतु अधिशासी अभियन्ता पी. डब्लू. डी. के माध्यम से जांच करवाया जाना उचित होगा एवं हिसाब के मामले में पंचायत समिति का लेखे का स्पेशल ऑडिट कराया जाना उचित होगा।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय खेड़ली गंडासिया (भरतपुर) में विज्ञान की कक्षा

240. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील बयाना, जिला भरतपुर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय खेड़ली गंडासिया में किस तारीख से विज्ञान की कक्षा खोली गई तथा इसमें छात्रों की क्या संख्या है ?

(2) क्या यह सही है कि अब जिला शिक्षा अधिकारी ने विज्ञान की कक्षा को बन्द करने के आदेश प्रसारित किये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञान की कक्षा को चालू रखना चाहेगी ?

उत्तर

(1) तहसील बयाना जिला भरतपुर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खेड़ली गंडासिया में इन्चार्ज प्रधानाध्यापक ने बिना किसी राजकीय आदेश के दिनांक 21-11-1981 से कक्षा 9 में विज्ञान विषय प्रारम्भ कर दिया था तथा 24 छात्रों ने विज्ञान विषय पढ़ने हेतु सहमति दी थी।

(2) जी हां। जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर के ध्यान में जब यह स्थिति आयी तो उन्होंने अनाधिकृत रूप से प्रारम्भ किये गये विज्ञान विषय को बन्द करने के आदेश दिये। तदनुसार विज्ञान विषय बन्द किया गया तथा अब छात्र कला वर्ग के विषय पढ़ रहे हैं। सम्बन्धित इन्चार्ज प्रधानाध्यापक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी नहीं।

जिला बाड़मेर व जैसलमेर में पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था

241. **श्री अमीन खां** (शिव): क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर व जैसलमेर में 80 प्रतिशत लोग पशुओं पर गुजारा करते हैं ?

(2) क्या सरकार ने उक्त पशुपालन क्षेत्र में जानवरों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये आज तक कोई योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्या भविष्य के लिये सरकार कोई योजना बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। वर्ष 1981–82 के पूर्व तक केवल बाड़मेर, बीकानेर एवं चूरू जिलों में मनुष्यों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा था किन्तु इन योजनाओं में पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था का प्रावधान नहीं था। इस वर्ष से भारत सरकार ने मरु क्षेत्र के सभी जिलों में पशु-जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत की हैं जिन पर कार्य चालू है, जिसके लिए इस वर्ष कुल 70 लाख रुपया स्वीकृत किया गया है।

जी हां, वर्ष 1981–82 के पूर्व तक ऐसी कोई योजनायें नहीं बनाई गई थीं क्योंकि राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत मनुष्यों हेतु जल प्रदाय योजना चालू थीं और यह आशा थी कि इन योजनाओं से पशुओं को भी पानी की सुविधा मिल जायेगी।

तहसील प्रतापगढ़ की सेवा सहकारी समिति अरनोद के मन्त्री श्री मनोहरसिंह के विरुद्ध गबन के मामले में कार्यवाही

242. **श्री नन्दलाल मीणा**(प्रतापगढ़): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ की अरनोद सेवा सहकारी समिति, अरनोद के श्री मनोहर सिह, मन्त्री के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 (1) के अन्तर्गत गबन की वसूली करना विचाराधीन है ? यदि हां, तो श्री मनोहर सिह द्वारा गबन की गयी राशि कितनी है और यह गबन कब की गयी है ?

(2) क्या राज्य सरकार गबनकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ? अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। श्री मनोहरसिंह से उनके विरुद्ध दिये गये निर्णय के अनुसार 641.73 रुपए की वसूली हो चुकी है।

पोलीटेक्निक संस्थानों में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की शिक्षा की व्यवस्था

243. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) :- क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या सरकार टैक्सटाइल इन्जीनियरिंग की शिक्षा प्रदान करने हेतु राज्य की पोलोटेक्निक संस्थाओं में यह विषय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो आगामी वर्ष कितने पोलीटेक्निकल संस्थानों में उक्त विषय खोला जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जयपुर स्थित खेतान पोलीटेक्निक में टैक्सटाइल इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रम चालू है। इसके साथ-साथ महिला पोलीटेक्निक जयपुर में भी टैक्सटाइल सम्बन्धी एक पाठ्यक्रम, टैक्सटाइल डिजाइनिंग चलाया जा रहा है। फिलहाल राज्य के अन्य पोलीटेक्निकों में वित्तीय साधनों के अभाव में टैक्सटाइल इन्जीनियरिंग की शिक्षा कोर्स खोलने का विचार नहीं है।

ग्राम पंचायत ऐंचेड़ी (बांदीकुई) के सरपंच के विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही

244. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत ऐंचेड़ी, पंचायत समिति बांदीकुई, जिला जयपुर के सरपंच के विरुद्ध सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो वे क्या थीं व कब प्राप्त हुई थीं ? कृपया प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिकायतों की जांच के आदेश किस स्तर पर किसके द्वारा दिये गये थे व किसको जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था ?

(3) क्या उस जांच में उक्त सरपंच को दोषी पाया गया था ? कृपया जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंच के विरुद्ध पंचायत एक्ट की धारा 17 (4) के तहत कार्यवाही करने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य स्तर पर ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई किन्तु जिला स्तर पर दो शिकायतें जिसमें आरोप एक ही है, की जांच चल रही थी। उपरोक्त शिकायत पर जांच पूर्ण होकर राज्य सरकार को 24-10-80 को प्राप्त हुई। जिस पर राज्य स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही चल रही है। जांच में पंचायत कोष का दुरुपयोग एवं अकाल राहत कार्यों के मद की राशि को निजी उपयोग में लाने के आरोप प्रमाणित पाये गये। शिकायत की प्रति संलग्न है।

(2) उक्त दोनों शिकायतों की जांच के आदेश जिला स्तर पर जिलाधीश द्वारा दिये गये। एक शिकायत में विकास

(पंचायत मन्त्री)

अधिकारी पंचायत समिति, बांदीकुई को नियुक्त किया गया तथा दूसरी शिकायत में पंचायत प्रसार अधिकारी को नियुक्त किया गया।

(3) जी हां। प्रथम जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त हो चुका है उसमें सरपंच को दोषी पाये जाने पर आरोपों का स्पष्टीकरण मांगा गया एवं पद से निलम्बित भी किया गया। सरपंच द्वारा आरोपों का खण्डन करने पर उप-जिलाधीश, दौसा को दिनांक 15-1-82 को विस्तृत जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। विस्तृत जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है। जांच अधिकारी को शीघ्र रिपोर्ट भिजवाने को लिखा गया है। प्राथमिक जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर दी गई है।

(4) जी हां, सरपंच के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने पर राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 17 (4) के तहत आरोप पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया एवं उन्हें पद से निलम्बित भी किया गया। दिनांक 15-1-82 को उप-जिलाधीश, दौसा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है एवं उनसे जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

सेवामें,

श्रीमान जगन्नाथ जी पहाड़िया,
मुख्य मन्त्री, राजस्थान सरकार,
जयपुर।

विषय :—भूतपूर्व विकास अधिकारी पंचायत समिति बांदीकुई एवं सरपंच ग्राम पंचायत ऐंचेडी द्वारा "काम के बदले अनाज" योजना के अन्तर्गत गम्भीर घोटाले।

मान्यवर महोदय,

नम्र निवेदन है कि राज्य सरकार की विशिष्ट "काम के बदले अनाज" योजना के अन्तर्गत बहुत से राजस्थान राज्य के ग्रामों में विकास कार्य किये गये हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत विकास अधिकारी, बांदीकुई द्वारा भी कई ग्रामों में विकास कार्यों को आरम्भ किया गया था लेकिन वास्तव में वे कार्य केवल राजकीय कागजों पर ही सीमित हैं एवं उन कार्यों में "काम के बदले अनाज" योजना के अन्तर्गत राजकीय भण्डार से अनाज प्राप्त कर गम्भीर घोटाले किये गये हैं। उन घोटालों में विकास अधिकारी, बांदीकुई साथ–साथ सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सरपंच भी लिप्त हैं।

(170)

भूतपूर्व विकास अधिकारी, बांदीकुई द्वारा "काम के बदले अनाज" योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों के लिए सम्बन्धित ग्रामवासियों को जिनकी उक्त कार्यों के लिये सेवायें प्राप्त की उन्हें आज तक अनाज वितरित नहीं किया गया और आवंटित किये गये अनाज को सम्बन्धित सरपंच से मिलकर अनाज का गबन दुरुपयोग किया गया है। यही नहीं सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच से मिलकर ऐसे कार्य किये गये हैं जिन से सम्बन्धित ग्राम का कोई भी विकास सम्भव नहीं है।

भूतपूर्व विकास अधिकारी, बांदीकुई एवं सम्बन्धित सरपंच द्वारा "काम के बदले अनाज" योजना के अन्तर्गत अनाज के गबन व दुरुपयोग के सम्बन्ध में कुछ उदाहरण निम्नानुसार हैं :–

(1) प्राथमिक पाठशाला जैतपुरा ग्राम पंचायत ऐंचेडी का भवन निर्माण का कार्य "काम के बदले अनाज योजना" के अन्तर्गत ग्राम जैतपुरा में होना था लेकिन विकास अधिकारी द्वारा सरपंच की मिली भगत से ग्राम जैतपुरा में उक्त कार्य न कराकर अन्य ढाणी रामवास में कराया है वास्तव में ढाणी रामवास के लिये कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई थी। फिर भी ग्राम जैतपुरा के निवासियों ने प्राथमिक पाठशाला का भवन स्वयं के परिश्रम से तैयार कर लिया है और उक्त स्वीकृत योजना के अन्तर्गत एक भी गेहूं की बोरी वितरित नहीं की गई है।

(2) ग्राम जैतपुरा के लिए "काम के बदले अनाज" योजना के अन्तर्गत खुर्रों के लिये योजना स्वीकृत की गई और उन कार्यों के लिए आज तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। लेकिन विकास अधिकारी, बांदीकुई द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत ऐंचेडी के साथ मिल कर उक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अनाज का गबन कर लिया गया है।

(3) ग्राम पंचायत ऐंचेडी को मुख्य सड़क से जोड़ने की योजना के अन्तर्गत भी ग्रामवासियों से कार्य कराया जाकर उनको विकास अधिकारी, बांदीकुई द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत ऐंचेडी की मिलीभगत से आज तक अनाज वितरित नहीं किया गया है।

(4) सरपंच, ग्राम पंचायत ऐंचेडी द्वारा लिये गये विभिन्न कार्यों के प्रस्तावों के अनाज में घोटाले।

(5) सरपंच श्री सत्यणलाल द्वारा ग्राम पंचायत की राशि रु. 2,200/– जो कि पोस्ट ऑफिस में जमा थी उसमें से 2,000/– रु. की राशि निकलवा कर उसका दुरुपयोग किया गया। राशि को निकलवाने का कोई प्रस्ताव भी नहीं लिया गया था।

(6) ग्राम पंचायत ऐंचेडी के लिए राज्य सरकार से मिली अनुदान की राशि लगभग 4,000/– रु. का सम्बन्धित सरपंच द्वारा दुरुपयोग किया गया जिसका कि ग्राम पंचायत में कोई हिसाब नहीं है।

(7) पाठशाला भवन, ऐंचेडी के लिए "काम के बदले अनाज" योजना के अन्तर्गत ली गई 35 गेहूं की बोरियों का कोई हिसाब श्रीमान सरपंच महोदय ने पेश नहीं किया और न ही पाठशाला भवन में कार्य हुआ है।

(8) ढाणी रामवास में खुर्रे बनाने के लिये प्रस्ताव पंचायत में लिया गया व सरकार से सम्बन्धित सरपंच ने गेहूं भी मंगाये। लेकिन उक्त ढाणी में अभी तक भी खुर्रा नहीं बना है।

उपरोक्त अनियमितताओं के व अनाज के वितरण के घोटाले के अतिरिक्त भी कई ग्रामों में विकास अधिकारी, बांदीकुई व सम्बन्धित सरपंचों द्वारा अनियमिततायें एवं अनाज के घोटाले किये गये हैं। जिनकी वास्तविकता गुप्त जांच द्वारा की जा सकती है। जिसमें सम्बन्धित ग्रामवासियों से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

अतः हम ग्रामवासियों का निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित अनियमितताओं एवं अनाज के गबन के सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र जांच करायी जावे तथा दोषी विकास अधिकारी, बांदीकुई एवं सम्बन्धित सरपंच के विरुद्ध कठिन कार्यवाही की जावे जिससे कि सरकार द्वारा चलाई गई "काम के बदले अनाज" योजना सफल हो सके एवं ग्रामवासियों को उसका पूरा-पूरा लाभ मिल सके।

ह./–
जनता, ग्राम जैतपुरा (बांदीकुई)

प्रतिलिपि :

1. श्रीमान मन्त्री महोदय, पंचायती राज राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान कमिशनर पं. एवं विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान जिलाधीश, जयपुर (राजस्थान)।
4. श्रीमान अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, जयपुर।
5. श्रीमान ——

शशि भूषण शर्मा

विकास अधिकारी।

पंचायत समिति बांदीकुई (जयपुर)

अ. सरकारी पत्रांक पंचा./80-81/1991

दिनांक 9-9-80

विषय : श्री श्रवणराम सरपंच, ग्राम पंचायत ऐचेड़ी द्वारा पंचायत कोष की राशि 11,673·00 का दुरुपयोग करने/अकाल राहत कार्यों के 10 बोरी गेहूं एवं 2,000.00 रुपये अग्रिम राशि के निजी उपयोग एवं सम्पूर्ण रिकार्ड ग्रुप सचिव को नहीं संभलाने के क्रम में।

आदरणीय श्रीयुत् श्री गोस्वामी साहिब,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आपके पत्रांक 194 दिनांक 1-8-80 की पालना में ग्राम पंचायत ऐचेड़ी की चालू केश बुक जो 16-11-78 से 30-7-80 तक लिखि हुई है जो कि ग्रुप सचिव के पास थी प्राप्त कर मूल संलग्न प्रेषित की जा रही है। पास बुक सरपंच श्री श्रवण राम मीणा ने अब तक ग्रुप सचिव के चार्ज में नहीं दी गई। इसलिए पास बुक प्रस्तुत करने के लिए श्री श्रवण राम सरपंच को इस कार्यालय के पत्रांक 175 दिनांक 7-8-80 के द्वारा लिखा गया किन्तु उन्होंने लिखित एवं मौखिक निर्देश देने पर भी आज तक प्रस्तुत नहीं की है। श्री श्रवणराम मीणा, सरपंच द्वारा दिनांक 6-8-80 को दिये गये बयानों के अनुसार बताया कि पंचायत ऐचेड़ी के खाते पोस्ट ऑफिस में अवश्य खोला हुआ है किन्तु उसमें यह पंचायत कोष की वक्त राशि 11,673·00 जमा नहीं है। यह राशि मेरे स्वयं के पास है, पास बुक श्री लाला राम के पास है जो मात्र बहाना है।

पंचायत क्षेत्र के ग्राम जैतपुर में कूप निर्माण बलाईव के लिये 800·00 व ग्राम ऐचेड़ी में कूप निर्माण हेतु 800.00 कुल 1600.00 कुल राशि 305 75 के इस कार्यालय द्वारा श्री श्रवणराम मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत ऐचेड़ी को दी गई थी यह राशि भी स्वयं सरपंच के पास है। इस राशि से कुओं के कार्य अभी तक नहीं करवाये हैं तथा राशि इस कार्यालय के बार बार नोटिस देने पर भी वापस जमा नहीं करवाई। इस राशि को पंचायत के पोस्ट ऑफिस के खाते जमा न करवा कर सरपंच द्वारा निजी उपयोग में लेकर पद व राशि के दुरुपयोग किया है।

श्री श्रवणराम मीणा, सरपंच को अकाल राहत कार्यों के लिये मस्टरोल दिये जा कर 10 बोरी गेहूं एवं 2000/-- रुपये अग्रिम दिये गये थे किन्तु उन्होंने अकाल राहत कार्य आज तक नहीं कराये मस्टरोल अपने पास रख छोड़े हैं बार बार लिखित एवं व्यक्तिगत सम्पर्क करने पर भी इन्होंने खाली मस्टररोल एवं दस बोरी गेहूं व दो हजार की अनुपयोगी राशि इस कार्यालय को वापस नहीं लौटाई है। इस प्रकार श्री श्रवणराम, सरपंच से दस बोरी गेहूं एवं 2000 रुपये अग्रिम प्राप्त राशि अपने निजी उपयोग में ले लिया

है जो उनकी मनमानी अनियमित कार्यवाही है । वह दो हजार (2000) रुपये प्राप्त अग्रिम (राशि) पंचायत के खाते में जमा नहीं है । अत: निवेदन है कि श्री श्रवणराम मीणा सरपंच, ग्राम पंचायत ऐचेड़ी द्वारा पद के दुरुपयोग कर अपनी मनमानी अनियमित रूप से पंचायत कोष की राशि पंचायत के खातें में पोस्ट ऑफिस अथवा बैंक में जमा न करवा कर व्यक्तिगत उपयोग में ले रखी है । इस प्रकार वे अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्व से विमुख होकर नाजायज लाभ उठा रहे हैं और सरकारी राशि का अपहरण किया है । इसलिए श्री श्रवणराम मीणा सरपंच, ग्राम पंचायत ऐचेड़ी को राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 17 (4) के तहत प्रतिलम्ब पद निलम्बित करा कर इसके पश्चात् इस पंचायत की सम्पूर्ण जांच करवाई जाकर इनसे पंचायत कोष की राशि एवं सामान गेहूं वसूल करवाने की व्यवस्था फरमावें व सम्पूर्ण रिकार्ड का चार्ज ग्रुप सचिव को दिलवाया जाकर इनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत पंचायत कोष की राशि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में मुकदमा चलाया जावे तो अति उत्तम होगा ताकि इस प्रकार की अनियमित प्रवृत्ति को बढ़ावा न मिले ।

सादर,

भवदीय,

ह./– शशि भूषण शर्मा

श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी,
अति. जिला विकास अधिकारी,
जयपुर ।

संलग्न–केश बुक मूल, पंचायत ऐचेड़ी

[16-11-78 से 30-7-80 तक लिखी हुई जिस पर श्री श्रवणराम मीणा सरपंच के हस्ताक्षर (पृष्ठ 1 से 70 तक)]

2. ऑडिट आक्षेप प्रति महालेखाकार एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग,

3. बयान प्रति श्री श्रवणराम सरपंच 6-8-80

जिला भीलवाड़ा में बीज निगम द्वारा वितरित बीज

245. **श्री बंसी लाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला भीलवाड़ा में गत 3 वर्षो में बीज निगम द्वारा कृषकों को कौन-कौन सा बीज वितरित कराया गया ?

(2) क्या यह सही है कि वितरित बीज के परिणाम अच्छे नहीं रहे ? यदि हां, तो उसकी वसूली क्यों की जा रही है ?

(3) उक्त जिले में सन् 1979-80 व 1980-81 में कांकड़ का कितना बीज वितरित किया गया ?

उत्तर

(1) पिछले तीन वर्षों में राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा भीलवाड़ा जिले में वितरित किये गये बीज का विवरण

(174)

(कृषि मंत्री)

तालिका में अंकित कर, प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वितरित किये गये बीजों में से खरीफ-80 में संकर कपास के बीज की अंकुरण क्षमता कम होने एवं खरीफ-81 में संकर ज्वार व संकर मक्का के बीज में घुन लगा होने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

भीलवाड़ा जिले में खरीफ-80 में लॉट नं. 10 एव 15 का संकर कपास बीज उपलब्ध कराया गया था। यह बीज राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन द्वारा कृषि विभाग की अभिशंषा पर पंजीकृत बीज उत्पादकों से क्रय किया गया था। बीज के विक्रय करने से पूर्व इसकी बीज परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा में जांच करवा ली गई थी, जिसके अनुसार बीज की अंकुरण क्षमता क्रमश: 83 एवं 89% थी, जो नियमों में निर्धारित अंकुरण क्षमता 60% से अधिक थी। उप निदेशक, कृषि (विस्तार) भीलवाड़ा द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर इस बीज की पुन: जांच करवाई गई किन्तु लॉट नं. 15 का ही नमूना उपलब्ध हो सका। इस बीज की अंकुरण क्षमता दुबारा जांच पर 66% पायी गई। इस प्रकार निगम द्वारा वितरित बीज को खराब नहीं कहा जा सकता एवं इसलिए इसकी वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

खरीफ-81 में संकर ज्वार एवं संकर मक्का के बीज के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं, किन्तु अधिकांश शिकायतें बीज के घुना होने के संबंध में थीं। शिकायत प्राप्त होने पर निगम ने चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा में दूसरा बीज उपलब्ध करवा दिया था और अपने हैंडलिंग एजेंट, क्रय विक्रय सहकारी समिति, भीलवाड़ा को निर्देश दिया कि उक्त बीज को अविलंब बदलकर उसके स्थान पर नया बीज दे देवें। जिन संस्थानों में बीज वापिस नहीं लौटाया उनसे बीज वापिस लेकर खरीफ-82 में उसके स्थान पर नया बीज दे दिया जावेगा। उक्त शिकायतें निगम को किसी भी काश्तकार द्वारा सीधे प्राप्त नहीं हुई। कृषि विभाग एवं सहकारी समितियों ने इस संबंध में शिकायतें की थीं।

मांडलगढ़ क्षेत्र से संकर मक्का, गंगा-5 एवं गंगापुर क्षेत्र से संकर ज्वार, सी. एस. एच.-1 के नमूनें कृषि विभाग द्वारा सीधे बीज परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा को भेजे गये। परीक्षण के पश्चात् संकर मक्का, गंगा-5 के बीज का एक लॉट न. के 79-13-13ए-134 का अंकुरण 75% पाया गया। इसी प्रकार संकर ज्वार का एक लॉट नं के 18-02-29-221 का अंकुरण 38% पाया गया। मक्का एवं ज्वार क न्यूनतम प्रस्तावित अंकुरण क्रमश: 90 एवं 80% है। प्रभावित कृषकों को मुआवजा दिए जाने बाबत निगम को निर्देश दिए गए हैं।

(3) भीलवाड़ा जिले में 79-80 में कपास का कोई बीज वितरित नहीं किया गया खरीफ-80 में 91 क्विंटल 53 किलो 250 ग्राम कपास का बीज उपलब्ध कराया गया था।

राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लि, जयपुर।

भीलवाड़ा जिले में पिछले तीन वर्षों में बीज निगम द्वारा बेचे गये बीज का विवरण

क. सं.	फसल/किस्म	79–80	80–81	81–82
	रबी:—			
1.	गेहूँ, राज–911	107·20	–	–
	गेहूँ, सोनालिका	100·00	641·80	38·40
	गेहूँ, अर्जुन	161·60	100·00	87·20
	गेहूँ कल्याण सोना	831·60	606·00	613·20
	गेहूँ राज–821	–	–	23·60
2.	चना, सी.–235	100.00	–	32·00
	चना, एच.–208	–	–	1·20
3.	सरसों, टी–59	–	–	10·02
4.	जौ, आर, डी. बी.–1	–	–	16.40
	खरीफ:—			
1.	ज्वार, सी. एस. एच–1	100·00	40·50	50·13
	ज्वार, सी. एस. एच–5	7·29	40·50	92·10
	ज्वार, सी. एस. एच–6	–	71·25	3·33
2.	मक्का, गंगा–2	173·34	99·12	31·92
	मक्का, विजय कम्पोजिट	15·00	–	–
	मक्का, गंगा–5	–	135·24	95·37
3.	उड़द, टी–9	–	15·00	–
4.	अरहर, यू. पी. ए. एस–120	–	1·36	–
5.	कपास, बीकानेरी नरमा	–	90·00	425·00
	कपास, एच–4	–	1·53·250	–
6.	तिल प्रताप	–	–	0.99
7.	ज्वार दुर्गाजय	–	–	1·20

(176)

राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित गत परीक्षाओं में कापियां जांचने में भारी गड़बड़ी होने की शिकायतें

246. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय की गत परीक्षा की कापियां मालवीया इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉल तथा अन्य कमरों में जंचाई गई थीं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) इस हेतु कुल कितने प्राध्यापक लगाये गये थे ? सरकार का इसमें कितना व्यय हुआ था और विश्वविद्यालय का इसमें कितना अतिरिक्त व्यय हुआ था ?

(3) क्या यह भी सही है कि बाहर से बुलाये गये प्राध्यापकों की ठहरने, खाने आदि की समुचित व्यवस्था नहीं थी ?

(4) क्या यह सही है कि इस व्यवस्था से कापियां ठीक प्रकार से नहीं जंच पाई थीं ?

(5) क्या इससे परीक्षार्थियों को दिये गये अंकों में बड़ी भारी गड़बड़ी हुई ?

उत्तर

(1) जी हां। ऐसा प्रशासनिक सुविधा एवं गोपनीयता की दृष्टि से किया गया।

(2) लगभग 3279 प्राध्यापक लगाये गये थे और कुल 13·39 लाख रुपया खर्च हुआ। जिसमें से राज्य सरकार ने 8·80 लाख रुपये ही स्वीकृत किये।

(3) जी नहीं।

(4) बाहर से बुलाये गये प्राध्यापकों को उनके रहने भोजन आदि की व्यवस्था स्वयं को करनी थी।

(5) जी नहीं।

संस्कृत शिक्षा निदेशक द्वारा 1980 में क्रय सामान

247. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि संस्कृत शिक्षा निदेशक द्वारा सन् 1980 के अन्तिम तीन दिनों में पचास बेंचें, आक्सफोर्ड का शब्दकोष, एम्पलीफायर, बिजली का सामान, पंखे, वाटर-कूलर, आलमारी, तिजोरी, टेपरेकार्डर एवं फर्नीचर आदि की करीब 90 हजार रुपयों की खरीद की गई थी ?

(2) यदि हां, तो कौन-कौन सी वस्तु किस-किस भाव से कहां-कहां से खरीदी गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त खरीद में वित्तीय नियमों का पूरी तरह पालन कर विभागीय लाभ को भी ध्यान में रखा गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। सिवाय आक्सफोर्ड शब्दकोष के।

(2) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) इस खरीद की जांच राज्य सरकार के विचाराधीन है।

परिशिष्ट "ब"

क्र. सं. नाम वस्तु	तादादी	दर	बिल सं. दिनांक	कुल राशि	फर्म का नाम
1 2	3	4	5	6	7
1–आलमारी 66 × 32 × 18	20 नग	700·00	364/30-3-80	14000-00	उपहार केन्द्र राज. राज्य सहकारी उप. भण्डार, जयपुर
2–गोदरेज सेफ तिजोरी	6 नग	1176.00			
3–लोहे के स्टूल	10 नग	44.80	,,	7056·00	,,
4–बैंचें लकड़ी की	4 नग	320·00	365/30-3-80	448·00	,,
5–टेबिल 4 × 2½ × 2½	3 नग	532.00	,,	1284·00	,,
6–स्टील टूवल चेयर्स	6 नग	48·40	,,	1596·00	,,
7–स्टील फोडिंगचेयर्स	50 नग	47·60	,,	470·40	,,
8–स्टूल	50 नग	44·80	363/30-3-80	2380·00	,,
9–मीटिंग केबिल 3 × 2½ × 2	10 नग	252·00	,,	2240·00	,,
10. स्टील आलमारी	6 नग	767·00	,,	2520·00	,,
11. वाटर कूलर मशीन	1 नग	6320·00	,,	4603·00	,,
12. सिलिंग फैन	6 नग	425 00	509/29-3-80	6320·00	,,
13. दरी पट्टियां	1000 नग	15.00	,,	2550·00	,,
14. (1) दरी 20 × 15	1 नग	900·00	1003/26-3-80	15100·00	खादी ग्रामोद्योग, जयपुर
(2) दरी 15 × 12	4 नग	540·00	,,	900·00	,,
15. टेबिल कवर	6 नग	43.60	,,	2160·00	,,
16. पर्दों का कपड़ा	100 मीटर	18·00 प्रतिमी.	896/29-3-80	235·24	,,
17. डस्टर	100 नग	2·50	1003/29-3-80	1800·00	,,
18. (1) फिलिप्स माइक्रोफोन एल बी डी 8204	2 नग	644·00	,,	225·00	,,
			7868/30-3-80	1423·19	रेडियो सेन्टर, मिर्जा इस्माईल रोड, जयपुर
(2) फिलिप्स माइक्रोफोन स्टैण्ड	1 नग	179·20			

क्र. सं.	नाम वस्तु	तादादी	दर	बिल सं. दिनांक	कुल राशि	फर्म का नाम
1	2	3	4	5	6	7
19.	फिलिप्स एम्पलीफायर 8144/02 एल बी डी	1 नग	2632·00			
	फिलिप्स माइक्र कालम एल बी डी 8360	2 नग	772·80	7867/31-3-80	4495·20	रेडियो सेन्टर, मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर
	फिलिप्स माइक स्टेण्ड एल बी डी	1 नग	117·60			
	प्लास्टिक पेक्सेबिल वायर 23076	(स्क्वायर 100 गज)	200·00			
20.	स्टेरियो केसिट टेप रिकार्डर रेडियो,	1 नग	3150·00			
	बैटरी सैल	8 नग	2·50	7870/31-3-80	4874·00	,,
	कैसिट टेप पक्केवा	50 नग	20·00			
	डाइरेक्ट रिकार्डिंग लीड	1 नग	24·00			
	कार रेडियो तीन बैण्ड	1 नग	650·00			
21.	बैंचें लकड़ी 6' × 15" × 18"	50 नग	175·00	31-3-80	8750·00	जगदीशप्रसाद मिस्त्री, नाहरगढ़ रोड, जयपुर
22.	विद्या वेजयन्ती निबन्ध माला	13 नग	38·00	1512/29-3-80	444·60	शरण बुक डिपो, चौपड़ रामगंज, जयपुर
23.	टाइप राइटर हिन्दी, गोदरेज नं. 173593, 212215	2 नग	3370·00	509/29-3-80	6740·00	उपहार केन्द्र राज. राज्य सहकारी उप. भण्डार, जयपुर
				Total	92,614·83	

देशी व विदेशी सुरा की दुकानें

248. श्री भैरू सिंह गुर्जर : (खारची) क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मुख्य सड़कों से कितनी दूरी पर अंग्रेजी व देशी शराब की दुकान खोलने का आदेश राज्य सरकार ने प्रसारित कर रखा है ?

(2) विभिन्न जिला मुख्यालयों पर कितनी ऐसी शराब की दुकानें हैं, जो सरकार द्वारा नियत की गई दूरी से कम दूरी पर हैं ?

उत्तर

(1) केवल नेशनल हाइवे से 500 मीटर के अन्दर अंग्रेजी व देशी शराब की दुकानें नहीं लगाने का प्रतिबन्ध लगाया गया है।

(2) नेशनल हाइवे से 500 मीटर के अन्दर शराब की दुकान खोलने बावत कोई ऐसी शिकायत इस समय विभाग के पास विचाराधीन नहीं है। जब भी शिकायत प्राप्त होती है, जांच करवाई जाकर शिकायत सही होने पर दुकान अन्य स्थान पर लगवाई जाती है।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र डग (झालावाड़) में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनायें

249. श्री बाल चन्द आर्यवीर (डग)

श्री अनंग कुमार जैन : (झालरापाटन) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

झालावाड़ के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र डग में 20 संकल्प कार्यक्रम के तहत शिक्षा विभाग द्वारा क्या-क्या योजनायें चलाई जा रही हैं और कहां-कहां ?

उत्तर

झालावाड़ जिले के पंचायत समिति, डग में 20 संकल्प कार्यक्रम के संकल्प 2 'बढ़िया शिक्षा' के अन्तर्गत 27 प्राथमिक विद्यालय, 12 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवम् 2 माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया है। इन विद्यालयों की सूचियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं। वर्ष 1981-82 में प्रत्येक चयनित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय को 500 रुपये मूल्य की टाट-पट्टियां एवम् फर्नीचर उपलब्ध करवाये जायेंगे। प्रत्येक विद्यालय में 500 रुपये मूल्य की पुस्तकें भी उपलब्ध करवाई जायेंगी। चयनित विद्यालयों में भवन सुधार हेतु 3·49 लाख रुपये भी व्यय किये जावेंगे। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों में से प्रत्येक को 8300 रुपये का फर्नीचर, 1500 रुपये की शिक्षण सामग्री, 5000 रुपये की पुस्तकें एवम् एक कमरे के निर्माण हेतु 15,000 रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में चयनित विद्यालय को 12,500 रुपये मूल्य का फर्नीचर, 2,000 रुपये मूल्य की शिक्षण सामग्री, 10,000 रुपये की पुस्तकें एवम् दो कमरों के निर्माण हेतु 30,000 रुपये उपलब्ध करवाये जावेंगे। संकल्प संख्या 16-कौमी एकता के अन्तर्गत पंचायत समिति, डग में विभिन्न विद्यालयों द्वारा 2 कठपुतली प्रदर्शन, 13 सांस्कृतिक कार्यक्रम व 16 ग्राम सभायें आयोजित की जा चुकी हैं।

180

बढ़िया शिक्षा

संकल्प संख्या 2 के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों की सूची

वर्ष 1981-82

जिला–झालावाड़

विद्यालय–माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/छात्रावास

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	विद्यालय का नाम	विशेष विवरण
(1)	झालरापाटन	(1) रा. मा. वि. गरनावद	
(2)	खानपुर	(2) रा. मा. वि. खानपुर	
(3)	पिड़ावा	(3) रा. मा. वि. रायपुर	
(4)	बकानी	(4) रा. मा. वि. रटलाई	
(5)	मनोहरथाना	(5) रा. मा. वि. जावर	
(6)	डग	(6) रा. मा. वि. डग	
(7)	खानपुर	(7) रा. बालिका मा. वि. खानपुर (बालिका)	
(8)	डग	(8) रा. बालिका मा. वि. चौमहला (बालिका)	
		छात्रावास	
(1)	डग	(1) रा. मा. वि. डग	
		उच्च माध्यमिक विद्यालय	
(1)	झालावाड़	(1) रा. उ. मा. वि. झालावाड़	

(181)

संकल्प संख्या 2 के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों की सूची

वर्ष 1981-82

जिला-झालावाड़

विद्यालय-प्राथमिक विद्यालय

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	विद्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4
(1)	मनोहरथाना-	(1) सेमलीहाट	
		(2) पट्टी	
		(3) ठिकरिया	
		(4) बुधवाड़ा	
		(5) टोरडी जगन्नाथ	
		(6) पिण्डोला	
		(7) गरवोलिया	
		(8) वडवदु	
		(9) मित्रोली	
		(10) मंकून	
		(11) तुरकाडिया	
		(12) लसोडियाशाह	
		(13) सोरली	
		(14) कानवा	
		(15) बान्सखेड़ी	
		(16) सरावडिया	
		(17) जावर (कन्या)	
		(18) मनोहरथाना	
		(19) टकलोन	
		(20) कोलखेड़मालियान	
		(21) डांगीपुरा	
(2)	डग-	(22) पगारया	
		(23) देवगढ़	
		(24) उदयपुर	
		(25) ब्रान्च डग	
		(26) बयासरा	

(182)

1	2	3	4
		(27) विस्तुनियां	
		(28) गुराडियाकली	
		(29) हरनावदा	
		(30) पीपल्याखुर्द	
		(31) मंदिरपुरक	
		(32) डोवडा	
		(33) परापीपली	
		(34) रावनगुराडी	
		(35) टोटीया	
		(36) बराडियाबीरजी	
		(37) उमठिया	
		(38) चाडा	
		(39) धतुरिया	
		(40) जगदीशपुरा	
		(41) कोलूखेड़ा	
		(42) कचनारा	
		(43) पारलिया	
		(44) सुनारी	
		(45) चौमहला-प्रथम पारी (कन्या)	
(3)	खानपुर-	(46) कंवरपुरा	
		(47) पखराना	
		(48) मरावता	
		(49) हरीगढ़	
		(50) कांकडदा	
		(51) अकावदखुर्द	
		(52) बरडा	
		(53) खानपुर (कन्या)	
		(54) पनवाड़ (कन्या)	
(4)	बकानी-	(55) नानोर	
		(56) देवनगर	
		(57) उखली	
		(58) देवरी	
		(59) गुराडियाखेड़ा	

1	2	3	4
		(60) दीहीखेड़ा	
		(61) घाटोली	
		(62) मावडिया	
		(63) कुशलपुरा	
		(64) आगरिया	
		(65) बिन्दाखेड़ा	
		(66) मोड़ी	
		(67) बोरबन्द	
		(68) बोराखेडी	
		(69) —	
		(70) बोरखेड़ी गुजरान	
(5)	पिड़ावा–	(71) बकानी (कन्या)	
		(72) दूबलिया	
		(73) आड़ियाखेड़ी	
		(74) काली तलाई	
		(75) फतहगढ़	
		(76) रामपुरिया	
		(77) कनवाड़ी	
		(78) सोयला	
		(79) रायपुर	
		(80) गोविन्दपुरा	
		(81) खाईराना	
		(82) शेरपुर	
		(83) मिजोलाई	
(6)	झालरापाटन	(84) भिलवाड़ी	
		(85) गरनावद	
		(86) सूलिया	
		(87) सेरोद	
		(88) गुराडिया नाना	
		(89) गुढा	
		(90) कुन्डी खेड़ा	

(184)

1	2	3	4
		(91) पुरोलिया	
		(92) तीतरी	
		(93) पनवासा	
		(94) चूनाभाटी	
		(95) रूपारेल	
		(96) लवासल	
		(97) नाहरघटा	
7.	मनोहरथाना	(98) चांदपुर भीलान	
		(99) मनपसर	
8.	डग	(100) देवगढ़	
		(101) बिशनिया	
		(102) गुराडियाकला	
		(103) मतवासी	
9.	खानपुर	(104) ढाणी	
10.	बकानी	(105) गुलखेडी	
		(106) मोडीझर	
		(107) ग्रासलपुर	
11.	पिडावा मु. सुनेल	(108) डोला	
		(109) हरनावदागजा	

संकल्प संख्या 2 के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों की सूची

वर्ष: 1981-82

जिला:—झालावाड़

विद्यालय: —उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्र. सं. 1	पंचायत समिति का नाम 2	विद्यालय का नाम 3	विशेष विवरण 4
(1)	मनोहरथाना: —	(1) बन्दीपुर	
		(2) बनेठ	
		(3) खाताखेड़ी	
		(4) कोल्हूखेड़ी	
		(5) ग्रावलहेड़ा	
		(6) बासखेड़ी	
		(7) सरेडी	
		(8) घनावद	
		(9) परोल	
		(10) ल्हास	
		(11) देवरीकलां	
		(12) बुरेलिया	
		(13) सिलेहगढ़	
(2)	डग:—	(14) करावन	
		(15) सिहपुरा	
		(16) दुवालिया	
		(17) लुहारिया	
		(18) डोडी	
		(19) कून्डला	
		(20) तलावली	
		(21) उन्हेल	
		(22) रीझाना	
		(23) रामपुरा	
		(24) गंगधार (कन्या)	
(3)	खानपुर:—	(25) लोलपा	

1	2	3	4
		(26) सूमर	
		(27) पिपलाज	
		(28) खूड़ी गाडरवाड़ा	
		(29) भगवानपुरा	
		(30) आकोदिया	
		(31) जरगा	
		(32) गोलाना	
		(33) खन्डी	
		(34) लायफल	
		(35) मून्डला	
		(36) बावेर	
		(37) मऊबोरदा	
		(38) धानोदाकला	
		(39) मूलनवासा	
		(40) करणवास	
		(41) सारण	
		(42) दहीखेड़ा (कन्या)	
		(43) सारोला (कन्या)	
	(4) बकानी:—	(44) बड़ाय	
		(45) मोडी	
		(46) गुरुकुलबकानी	
		(47) नसीराबाद	
		(48) रींछवा	
		(49) पाटलियाकुलीवी	
		(50) रीझोन	
		(51) गरवाड़ा	
		(52) बैरागढ़	
		(53) उमरिया	
		(54) गेहूखेड़ी	
		(55) पचोला	
		(56) सरड़ा	
		(57) रटलाई (कन्या)	

1	2	3	4
	(5) पिड़ावा	(58) कडोदिया	
		(59) उन्हेल	
		(60) भगीसपुर	
		(61) डाबलाखीची	
		(62) सारपाकला	
		(63) रमापदलपास	
		(64) डाबलामोज	
		(65) ग्रोसाव	
		(66) माथनिया	
		(67) हिम्मतगढ	
		(68) बरोनिया	
		(69) सलोतिया	
		(70) गादिया	
		(71) सालरी	
		(72) सुवास	
		(73) दीवलखेड़ा	
		(74) चछलाव	
		(75) सिरपोई	
		(76) सागरिया	
		(77) कोटडी	
		(78) हेमड़ा	
		(79) पीपल्या	
	(6) झालरापाटनः —	(80) झालावाड़रोड़	
		(81) ग्रावलीकलां	
		(82) मित्रोली	
		(83) गुराडियाजोगा	
		(84) भोगरा	
		(85) दुर्गपुरा	
		(86) भवराना	
		(87) खानपुरिया	
		(88) डोडा	
		(89) झूमकी	

1	2	3	4
		(90) कन्डलाव	
		(91) समराई	
		(92) माणकपुर	
		(93) सिथानिया	
		(94) जूनाखेड़ा	
		(95) इकतासा	
		(96) मंडावर	
		(97) मंदोडिया	
		(98) डूंगरगांव	
		(99) पचपहाड़	
		(100) प्रसनावर	(कन्या)

संकल्प संख्या 2 "बढ़िया शिक्षा" के चयनित विद्यालयों में संशोधन

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	चयनित विद्यालयों की सूची का क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4	5
जिला–झालावाड़				
1.	झालावाड़	छात्रावास में सूची क्रमांक-1	रा. उ. मा. वि. झालावाड़	(पढ़ा न जाय)
2.	मनोहरथाना	मा. वि. सूची क्र. 5	रा. मा. वि. बावर	रा. मा. वि. जावर
3.	मनोहरथाना	प्रा. वि. सूची क्र. 5	प्रा. वि. टोरडी जगन्नाथ	प्रा. वि. टोडरी जगन्नाथ
4.	मनोहरथाना	प्रा. वि. सूची क्र. 9	प्रा. वि. मित्रोली	प्रा. वि. मिश्रोली
5.	मनोहरथाना	प्रा. वि. सूची क्र. 10	प्रा. वि. मैकून	प्रा. वि. मैठून
6.	मनोहरथाना	प्रा. वि. सूची क्र. 13	प्रा. वि. सोरली	प्रा. वि. शोरती
7.	मनोहरथाना	प्रा. वि. सूची क्र. 16	प्रा. वि. सरावड़िया	प्रा. वि. सरखाड़िया
8.	मनोहरथाना	प्रा. वि. सूची क्र. 18	प्रा. वि. मनोहरथाना	प्रा. वि. मनोहरथाना (कन्या)
9.	मनोहरथाना	प्रा. वि. सूची क्र. 21	प्रा. वि. डांगीपुरा	प्रा. वि. दांगीपुरा
10.	डग	प्रा. वि. सूची क्र. 26	प्रा. वि. वयासरा	प्रा. वि. क्यासरा
11.	डग	प्रा. वि. सूची क्र. 35	प्रा. वि. टोटीया	प्रा. वि. कोटिया
12.	डग	प्रा. वि. सूची क्र. 37	प्रा. वि. कुनठिया	प्रा. वि. कुनठिया
13.	डग	प्रा. वि. सूची क्र. 44	प्रा. वि. सुनारी	प्रा. वि. सोनारा
14.	खानपुर	प्रा. वि. सूची क्र. 52	प्रा. वि. बरडा	प्रा. वि. बरेड़ा
15.	बकानी	प्रा. वि. सूची क्र. 58	प्रा. वि. बेवरी	प्रा. वि. देवर
16.	बकानी	प्रा. वि. सूची क्र. 59	प्रा. वि. गुराड़िया खेड़ा	प्रा. वि. गुराड खेड़ा
17.	बकानी	प्रा. वि. सूची क्र. 60	प्रा. वि. दीहीखेड़ा	प्रा. वि. दहीखेड़ा
18.	बकानी	प्रा. वि. सूची क्र. 62	प्रा. वि. मावड़िया	प्रा. वि. झीकड़िया
19.	बकानी	प्रा. वि. सूची क्र. 68	प्रा. वि. बोराखेड़ी	प्रा. वि. वोरखेड़ीलोडान
20.	बकानी	प्रा. वि. सूची क्र. 69	प्रा. वि. —	प्रा. वि. भालता
21.	पिडावा	प्रा. वि. सूची क्र. 81	प्रा. वि. खाईराना	प्रा. वि. खेराना

1	2	3	4	5
22.	पिडावा	प्रा. वि. सूची क्र. 83	प्रा. वि. मिजोनाई	प्रा. वि. खिजोनाई
23.	डग	प्रा. वि सूची क्र. 102	प्रा. वि. गुराडिया कला	प्रा. वि. गुराडिया कला
24.	झालरापाटन			
25.	मनोहरथाना	उ. प्रा. सूची क्र. 1	उ. प्रा. बंदीपुर	उ. प्रा. चंदीपुर
26.	मनोहरथाना	उ. प्रा. सूची क्र. 8	उ. प्रा. विघनावद	उ. प्रा. थनावद
27.	मनोहरथाना	उ. प्रा. सूची क्र. 12	उ. प्रा. बुरेलिया	उ. प्रा. चूरेलिया
28.	डग	उ. प्रा. सूची क्र. 15	उ. प्रा. सिहपुर	उ. प्रा. बनी
29.	डग	उ. प्रा. सूची क्र. 16	उ. प्रा. दुवालिया	उ. प्रा. दुधालिया
30.	डग	उ. प्रा. सूची क्र. 17	उ. प्रा. लुहारिया	उ. प्रा. नन्दपुर
31.	खानपुर	उ. प्रा. सूची क्र. 25	उ. प्रा. लोलवा	उ. प्रा. जोलवा
32.	खानपुर	उ. प्रा. सूची क्र. 28	उ. प्रा. सूडीगाडर-वाडा	उ. प्रा. वि. डूंडी गाडर-वाड़ा
33.	खानपुर	उ. प्रा. सूची क्र. 36	उ. प्रा. बावेर	उ. प्रा. वि. बाघेर
34.	खानपुर	उ. प्रा. सूची क्र. 39	उ. प्रा. मलनवास	उ. प्रा. मालनवासा
35.	खानपुर	उ. प्रा. सूची क्र. 41	उ. प्रा. सारण	उ. प्रा. वि. सारण
36.	बकानी	उ. प्रा. सूची क्र. 49	उ. प्रा. पाटलिया कुलेरी	उ. प्रा. पाटलियाकुल्मी
37.	पिडावा	उ. प्रा. सूची क्र. 62	उ. प्रा. सारगा-कलां	उ. प्रा. खारपाकलां
38.	पिडावा	उ. प्रा. सूची क्र. 68	उ. प्रा. बरोनिया	उ. प्रा. धरोनिया
39.	झालरापाटन	उ. प्रा. सूची क्र. 80	उ. प्रा. झालावाड रोड	उ. प्रा. झालावाड रोड
40.	झालरापाटन	उ. प्रा. सूची क्र. 82	उ. प्रा. मित्रोली	उ. प्रा. मिश्रोली
41.	झालरापाटन	उ. प्रा. सूची क्र. 84	उ. प्रा. मोगरा	उ. प्रा. वि. मोगरा
42.	झालरापाटन	उ. प्रा. सूची क्र. 86	उ. प्रा. मेहराना	उ. प्रा. भंवरासा
43.	झालरापाटन	उ. प्रा. सूची क्र. 90	उ. प्रा. कण्डलाव	उ. प्रा. खण्डलाव
44.	झालरापाटन	उ. प्रा. सूची क्र. 93	उ. प्रा. सियानिया	उ. प्रा. सिंधानिया
45.	झालरापाटन	उ. प्रा. सूची क्र. 95	उ. प्रा. इकतासा	उ. प्रा. अकतासा
46.	झालरापाटन	उ. प्रा. सूची क्र. 97	उ. प्रा. मंडोदिया	उ. प्रा. बडोदिया

संशोधित कुल संख्या

विद्यालय का नाम	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक विद्यालय	104	6	110
उच्च प्राथमिक विद्यालय	93	7	100
		महायोग-	210

जिला पाली में इलेक्ट्रोमेगनेटिक प्रक्रिया द्वारा भू-गत जल स्रोतों का सर्वेक्षण

250. **श्री गोकुल चन्द्र शर्मा** (सुमेरपुर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में इलेक्ट्रोमैगनेटिक सर्वे द्वारा भूमिगत जल स्रोत का कार्य चालू है ? यदि हां, तो अभी तक किन-2 तहसीलों की सर्वे पूरी हो चुकी है और समस्त जिले में यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि पाली जिले में हैण्ड पम्प स्कीम्स क्रियान्विति से यह स्पष्ट हो गया है कि जिस क्षेत्र में खारा पानी है वहां 200 मीटर नीचा भूमिगत वेल्ट मीठे पानी का प्राप्त हो रहा है और ऐसे क्षेत्रों को पूर्व में घोषित सी. ए. डी. श्रेणी वर्गीकरण को हटा कर वी. ए. सी. में वर्गीकरण कर घोषित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं । भू-जल विभाग इलेक्ट्रोमेगनेटिक सर्वे नहीं करता है । पाली जिले के अधिकांश क्षेत्रों में भू-भौतिकीय सर्वेक्षण किया गया है । यह सर्वेक्षण कार्य तहसील पाली, रायपुर, जैतारण, बाली, खारची एवं सोजत में किया गया है । माह सितम्बर, 1982 तक उपरोक्त कार्य पूर्ण किये जाने का प्रस्ताव है ।

(2) जी नहीं । पाली जिले में विस्तृत भू-जल अन्वेक्षण योजना के अन्तर्गत भू-भौतिकीय एवं भू-जलीय सर्वेक्षण के आधार पर, खारे पानी वाले क्षेत्रों में, लगभग 60 से 90 मीटर गहराई के एक्सपेरीमेन्ट नलकूप खोदे गये हैं जो कि सफल रहे हैं । इन सफल नलकूपों के आधार पर ही, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की पेयजल योजनाओं हेतु, हैण्ड पम्प नलकूपों के लिये स्थान चयन, भू-जल विभाग द्वारा किया गया है । जिससे सफल हैण्ड पम्प नलकूप निर्माण सम्भव हो सका है ।

पूर्व के वर्षों में पाली जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में किये गये, अर्द्ध-विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण के आधार पर घोषित पोटेंशियल जोन्स के वर्गीकरण को, वर्तमान में किये जा रहे विस्तृत भू-जल अन्वेषण कार्य की समाप्ति पर, परिवर्तित किये जाने की सम्भावना है । इस बारे में पूर्ण विवरण, विस्तृत सर्वेक्षण के प्रतिवेदन में दिया जायेगा ।

(१२९)

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न 163 की सूची

EXTRACT OF GOVERNMENT INSTRUCTIONS

Subject-New Excise Policy

As you are aware, prohibition has been scrapped in the State by ordinance No. 7 of 1981 with effect from 11th day of August, 1981.

2. Under the new excise policy the country liquor shops will be auctioned on'guarantee system' with exclusive privilleg e system as per Chapter VII of the Rajasthan Excise Rules, 1956. Country Liquor shops situated in Municipal ereas and those elsewhere whose reserve price i Rs. one lac or above would be in category 'A' and would be allotted by tender system. The other country liquor shops with reserve price below one lac will be grouped in category's' and will be auctioned.

3. It has been decided not to auction shops in trib al sub-plan areas and in tehsils of Shahabad and Kishangang of Kota District. Shops in these areas will continue on existing basis. The Director Incharge, Ganga-nagar Sugar Mills has been requested to contact you in case G. S. M. are interested in running these shops in the above areas.

4. The new excise policy would be in accordance with the temperan ce programme of the Government of India. This should be strictly enfor eed and in case any amendment in excise law is needed or any notifi-cation/ administrative order is required to be issued, the proposals in this regard may please be sent. According to the aforesaid programme the location of liquor shops near industrial, irrigation and ot her development projects should be banned in order to keep away workers from drinking. The minimum distance of 500 metres between, liquor shop and a highwav. Liquor shops should not beallowed in towns and villages near educational institutions, religious places and colonies of labourers and har-jans. The minimum distance should not as far as possible be less than-500 maters. These points should please be speci fically indicated in the tender.

5, To curb the activities of illicit distillation and looking to the s health of persons who drink a cheaper variety of country liquor of 60 U. P. will be revived, the retail price of which inculding sales tax will be between Rs. 10/- to 12/-.

6. The number of country liquor shops would not be more th an those exitred prior to the introduction of prohibition, as far as possible.

7. The licences for I. M. F. L. shops will now be renewed upto 31.3.82 As per existing policy the retail licences are granted to the Association of foreign licensees. This results in monopolizing the trade in a few hands. It has been decided that wherever necessary wholesale and retail licences of I. M. F. L. may be granted to other persons for which proposals may be got approved by the State Government.

8. The number of retail I. M. F. L. shops would not be more than those existed prior to the introduction of prohibition, as far as possible.

9. With the promulgation of Ordinance No. 7 of 1981 the Rajasthan prohibition Act, 1950 has been repealed and the Rajasthan Excise Act, 1950 has been revived with this consequential change in the notifications will have to be made. Proposals along with the draft notification may be sent at an early date.

10. The licence fees at country liquor and I. M. F. L was raised with effect from 1-4-81 Since under the new policy existing shops may have to be closed down before the expiry of the term, the Government has decided that in such cases, proportional refund for the unexpired period may be allowed.

11. With a view to ensure proper implementation of the new policy, concerted efforts will have to be made to curb illicit distelation and sale of illicit liquor with a heavy hand. The pockets in which menace of illicilt distillation exists will have to be identified, the persons who are indulging in this activity will have to be nominated and a very effective strategy to deal with this problem will have to be evolved. Needless to say that any laxity on the part of officers of the department will have to be tackled strongly. It will be advisable to monitor this part of work at your personal level and keep the Government posted about it.

12. You may also kindly see whether any other consequential steps in view of the contents of this letter to be initiated and do the needful.

(१२५)

परिशिष्ट 9.

अतारांकित प्रश्न संख्या 165 की सूचि

अतारांकित प्रश्न सं. 92 अ. ता.

द्वारा श्री नन्दलाल मीणा सदस्य राजस्थान विधान सभा तहसीलवार सूची जहां नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले गये।

सत्र 1981–82 में

क्र. सं.	नाम तहसील	विद्यालय स्थान का नाम
1.	बेंगू	1. लक्ष्मीपुरा
		2. नाहरगढ़
		3. लोठियाना
		4. ऊमरथुना
2.	भदेसर	1. केसरखेडी
3.	कपासन	1. सावलिया खेडी
		2. बावरिया खेडी
4.	चित्तौडगढ़	1. गोरसिया
		2. रसोया मगरी
		3. गोपालनगर
5.	निम्बाहेड़ा	1. सज्जनपुरा
6.	बडीसादडी	1. गाजलदेवी
		2. मानपुरा
7.	डुंगला	1. खेडा अहिरान
8.	राशमी	1. खेडिया
		2. आकोडिया
		3. परमेश्वर पुरा
9.	प्रतापगढ़	1. खेडा नरसिंह माता
		2. उठेल
		3. भनकपुरा
		4. कानपुरा

(अतारांकित प्रश्न संख्या 92/अ. ता.)
द्वारा श्री नन्द लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा ।

तहसील वार सूची जहां प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया (वर्ष 1981-82)

क्रम संख्या	नाम तहसील	विद्यालय का नाम
1.	बेगू	1. सामरिया 2. जवाहरनगर
2.	भदेहर	1. नाहरगढ़
3.	कपासन	1. निम्बाहेड़ा 2. मूरला
4.	चित्तौड़गढ़	1. ऐराल 2. चन्देरिया 3. पाडलपोल (कन्या) चित्तौड़गढ़
5.	डूंगला	1. पीराना 2. करसाना
6.	निम्बाहेड़ा	1. भावलिया 2. बोरखेड़ी
7.	राशमी	1. आरणी (कन्या) 2. अडाना
8.	प्रतापगढ़	1. अम्बीरामा 2. सालमगढ़ (कन्या)

(196)

संकल्प संख्या-2 के अन्तर्गत चयनित विद्यालय वर्ष 1981-82
माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय

जिला—भरतपुर

क्रम संख्या	पंचायत समिति का नाम	विद्यालय का नाम	छात्र/छात्रा	विशेस
माध्यमिक विद्यालय				
(1)	कुम्हेर	1. अस्तावन	छात्र	
(2)	सेंवर	2. सेवर	,,	
(3)	डीग	3. बहज	,,	
(4)	कामां	4. जुरहरा	,,	
		5. कामां	छात्रा	
(5)	नदवई	6. गादौली	छात्र	
(6)	रूपवास	7. उच्चैन	,,	
(7)	बयाना	8. कनावर	,,	
		9. बयाना	,,	
(8)	वर	10. बर्षेना	,,	
(9)	राजाखेड़ा	11. मुरेना	,,	
(10)	वाड़ी	12. अब्दुलपुर	,,	
(11)	बसेड़ी	13. बसेड़ी	छात्रा	
(12)	नगर	14. सीकरी	छात्र	
(13)	बाड़ी	15. बाड़ी	छात्रा	
माध्यमिक विद्यालय (छात्रावास)				
		16. सरमथुरा		
		17. जुरैहटा		
उच्च माध्यमिक विद्यालय				
(14)	भरतपुर शहर	18. भरतपुर	छात्र	

(197)

संकल्प संख्या-2 के अन्तर्गत चयनित विद्यालय वर्ष 1981-82
उच्च प्राथमिक विद्यालय

जिला-भरतपुर

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	विद्यालय का नाम	छात्र/छात्रा	विशेष
1	2	3	4	5
(1)	कामां	1. सहेड़ा	छात्र	
		2. सतवास	,,	
		3. सुनहरा	,,	
		4. सवलाना	,,	
		5. वरोलीधाऊ	,,	
		6. विलांद	,,	
		7. भौरी	,,	
		8. सहसन	,,	
		9. सतवाड़ी	,,	
		10. साभलेख	,,	
		11. पापड़ा	,,	
(2)	सेवर	12. कूम्हां	,,	
		13. एकटा	,,	
		14. अघापुर	,,	
		15. मलाह	,,	
		16. बछामदी	,,	
		17. इकरन	,,	
		18. हथेनी	,,	
		19. विलौठी	,,	
		20. मौरोलीकलां	,,	
		21. तुहियां	,,	
		22. भुरवारा	,,	
		23. लुधावई	,,	
		24. जाटोली रथवान	,,	
		25. बांसीखुर्द	,,	

198

1	2	3	4	5
(3)	बाड़ी	26. खानपुर	छात्र	
		27. कंचनपुर	,,	
		28. धीमरी	,,	
		29. जपावली	,,	
		30. खिलाचौंध	,,	
		31. टोटरी	,,	
		32. बसईडांग	,,	
(4)	नदबई	33. मई	,,	
		34. लखुनपुर	,,	
		35. मटारी	,,	
		36. पींगौरा	,,	
		37. डहरा	,,	
		38. बखटोटी	,,	
		39. हुन्तरा	,,	
		40. झारकई	,,	
		41. नाम	,,	
		42. बरोलीरॉन	,,	
		43. करीली	,,	
		44. कटारा	,,	
		45. रायशीश	,,	
		46. गोंगरोली	,,	
		47. बछामदो	,,	
		48. तलदेरा	,,	
(5)	धौलपुर	49. पिपहेरा	,,	
		50. मौलोनीपवाँर	,,	
		51. रौलीराखुर्द	,,	
		52. नुनहेरा	,,	
		53. कांकौली	,,	
		54. राजोराखुर्द	,,	
		55. टहरी	,,	
		56. मौलोनीखुर्द	,,	

1	2	3	4	5
		57. करीमपुर	ग्राम	
		58. बरेठा	,,	
		59. बसईसामन्ता	,,	
		60. पुरानी छावनी	,,	
		61. दूबरा	,,	
		62. मारोली	,,	
		63. बिशनोदा	,,	
		64. मैनापुर	,,	
(6)	वैर	65. हाथैडी	,,	
		66. जीवद	,,	
		67. बवेखर	,,	
		68. भैंसेना	,,	
		69. नेवाड़ा	,,	
		70. चेटोली	,,	
		71. वाछरैन	,,	
		72. दीवली	,,	
		73. इटामड़ा	,,	
		74. भूतोली	,,	
		75. सुहाँस	,,	
		76. लखनपुर	,,	
		77. जगजीवनपुरा	,,	
(7)	नगर	78. भटपुरा	,,	
		79. सेमलीकलाँ	,,	
		80. खकावली	,,	
		81. मूड़िया	,,	
		82. सिरथला	,,	
		83. खेस्ती	,,	
		84. झंजार	,,	
		85. खोहरी	,,	
		86. गंगोरा	,,	
		87. खंडेवला	,,	

(200)

1	2	3	4	5
		88. पीपलखेडा	छात्र	
		89. रॉफ	,,	
(8)	डीग	90. पसोपा	,,	
		91. गुहाना	,,	
		92. इकलेरा	,,	
		93. श्रउ	,,	
		94. बदनगढ़	,,	
		95. दांतलोठी	,,	
		96. निगोही	,,	
		97. जाटोली थून	,,	
		98. बेढ़म	,,	
(9)	राजाखेड़ा	99. गन्हेदी	,,	
		100. हथवाड़ी	,,	
		101. नादोली	,,	
		102. लुडिला	,,	
		103. वसईघीयाराम	,,	
		104. मछरिया	,,	
		105. सादिकपुर	,,	
		106. मांगरोल	,,	
		107. लालपुर	,,	
		108. सामौर	,,	
		109. भेसेना	,,	
		110. लुहारी	,,	
(10)	बयाना	111. फरसो	,,	
		112. मिलकपुर	,,	
		113. नारोली	,,	
		114. पुरावईखेड़ा	,,	
		115. विड़ियारी	,,	
		116. सिंघानिया	,,	
		117. बाजना	,,	

1	2	3	4	5
		118. महमदपुरा	छात्र	
		119. नहरौली	,,	
		120. समोगर	,,	
		121. धाधरैन	,,	
		122. वागरैन	,,	
(11)	कुम्हेर	123. ताखा	,,	
		124. तालफरा	,,	
		125. अभोरा	,,	
		126. तमरेर	,,	
		127. सिकरोरी	,,	
		128. धनवाड़ा	,,	
		129. भटावली	,,	
		130. हेलक्	,,	
		131. वावन	,,	
		132. डहरा	,,	
		133. आजउ	,,	
(12)	रूपवास	134. सहना	,,	
		135. नगला तेरहियां	,,	
		136. कुरका	,,	
		137. फतेहपुर	,,	
		138. निभेरा	,,	
		139. भवनपुरा	,,	
		140. डुमरिया	,,	
		141. भैंसा	,,	
		142. मालौनी	,,	
		143. चैंकोरा	,,	
		144. मिलस्वां	,,	
(13)	बसेड़ी	145. भारली	,,	
		146. बागथर	,,	

1	2	3	4	5
		147. जारगा	छात्र	
		148. बौरोली	,,	
		149. मग्रोधन	,,	
		150. बसेड़ी	,,	
		151. पिपरौन	,,	
		152. रतनपुर	,,	
		153. ताजपुर	,,	
		154. लीलौंठी	,,	
		155. नादनपुर	,,	
		156. बोरोली	,,	
		157. खरौली	,,	
		158. झिरी	,,	
		159. महुमुलावली	,,	
		160, धोर्र	,,	
	छात्रा विद्यालय			
(1)	सेवर	161. बहमेरा	छात्रा	
		162. जधीना कन्या	,,	
(2)	नदवई	163. परहसर	,,	
		164. अखेगढ़	,,	
(3)	धौलपुर	165. बसई नवाब	,,	
		166. सेंपउ	,,	
		167. तसीमों	,,	
		168. मनियां	,,	
(4)	वैर	169. हलैना	,,	
(5)	नगर	170. पहाड़ी	,,	
		171. गोपालगढ़	,,	
(6)	डीग	172. खेरा ब्राह्मण	,,	

1	2	3	4	5
(7)	बसेड़ी	173. सरमथुरा	छात्र	
(8)	बयाना	174. ब्रह्मवाद	,,	
(9)	कुम्हेर	175. रारह	,,	
(10)	रूपवास	176. रुदावल	,,	

204

संकल्प संख्या–2 के अन्तर्गत चयनित विद्यालय–वर्ष 1981–82
प्राथमिक विद्यालय

जिला–भरतपुर

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	विद्यालय का नाम	छात्र/छात्रा	विशेष
1	2	3	4	5
(1)	कामां	1. नौगावां	छात्र	
		2. नानैरा	,,	
		3. रेहृरा	,,	
		4. पाई	,,	
		5. गांवड़ी	,,	
		6. उबेरा	,,	
		7. भण्डारा	,,	
		8. धिलावटी	,,	
		9. उदाका	,,	
		10. कनवाड़ा	,,	
		11. छिछरवाड़ी	,,	
		12. ग्रोलिंदा	,,	
		13. बोलखेड़ा	,,	
		14. लुहेसर	,,	
		15. बिलंग	,,	
		16. गढ़ी अजान	,,	
		17. धौलेट	,,	
		18. धाटामीका	,,	
		19. कंठोल	,,	
		20. बमनबाड़ी	,,	
		21. घेसिंगा	,,	
		22. सौंमका	,,	
		23. जोतरहल्ला	,,	
		24. खानपुर	,,	

1	2	3	4	5
(2)	सेबर	25. वरताई	छात्र	
		26. चिकसाना	"	
		27. घुसियारी	"	
		28. गामरी	"	
		29. पीपला	"	
		30, मढुआ	"	
		31. सेवरकलाँ	"	
		32. मडरपुर	"	
		33. चिचहाना	"	
		33. मण्डौली	"	
		35. मूडोता	"	
(3)	वाडी	36. मस्तूरा	"	
		37. नगर	"	
		38. नयाखुर	"	
		39. रुदेरा	"	
		40. मरहोली	"	
		41. बीजोली	"	
		42. पिदावली	"	
		43. दूहोला	"	
		44. हासई	"	
		45. कुहावली	"	
		46. सुनीपुर	"	
		47. उमरेह	"	
		48. निधारा	"	
		49. अलीगढ़	"	
		50. बीघोरा	"	
		51. गढ़ी सुक्खा	"	
		52. नीमखेड़ा	"	
		53. जयालपुर	"	

(207)

1	2	3	4	5
		54. घनोस	,,	
		55. खालसा	,,	
		56. सोहा	,,	
		57. सहेड़ी	,,	
(4) नदबई		58. जहांगीरपुर	,,	
		59. गादोली	,,	
		60. करई	,,	
		61. कवई	,,	
		62. खेड़ी देवीसिंह	,,	
		63. खागरी	,,	
		64. पिपरऊ	,,	
		65. न्यौठा	,,	
		66, ऐवेड़ा	,,	
		67. भदीरा	,,	
		68. बरौली छार	,,	
		69. लुहासा	,,	
		70. गगवाना	,,	
		71. रोनीजा	,,	
		72. ऊंच	,,	
		73. नयावास	,,	
(5)	धौलपुर	74. दोनारी	,,	
		75. कैथरी	,,	
		76. कुकरामाकरा	,,	
		77. सहरौली	,,	
		78. पिपरूआ	,,	
		79. कनासिल	,,	
		80. भदीथाना	,,	
		81. खरगपुर	,,	
		82. निभेराकलां	,,	
		83. मूसलपुर	,,	

1	2	3	4	5
		84. कालारी	,,	
		85. सखवाड़ा	,,	
		86. चितौरा	,,	
		87. मानपुरा	,,	
		88. कौलुआ	,,	
		89. चटोला	,,	
		90. कुरैनी	,,	
		91. कैथपुरा	,,	
		92. हीनौता	,,	
		93. दुवारी	,,	
		94. टोण्डा	,,	
		95. विपरपुर	,,	
		96. ओण्डी	,,	
		97. पचगांव	,,	
		98. सरानीखेड़ा	,,	
		99. कोटरा	,,	
		100. शेखपुर	,,	
		101. विरौदा	,,	
(6) वैर		102. पथैना	,,	
		103. वल्लभगढ़	,,	
		104. निठार	,,	
		105. सलेमपुरकलां	,,	
		106. गोगेरा	,,	
		107. रणधीरगढ़	,,	
		108. संघली	,,	
		109. घरलोनी	,,	
		110. ललितामूड़िया	,,	
		111. नसवाड़ा	,,	
		112. अमीपुर	,,	
		113. झारीटी	,,	
		114. छोकरवाड़ा	,,	

2089

1	2	3	4	5
		115. सुहारी	छात्र	
		116. वछेरावलां	,,	
		117. उमरेड़ा	,,	
		118. सरसैना	,,	
		119. सिरस	,,	
		120. ग्रमोली	,,	
		121. गांगरोली	,,	
(7)	नगर	122. सेमली	,,	
		123. जालूकी	,,	
		124. मानौता कला	,,	
		125. मूडोती	,,	
		126. पैडका	,,	
		127. थून	,,	
		128. तरोडर	,,	
		129. सुन्दरावली	,,	
		130. दुन्दावल	,,	
		131. ग्रालमशाह	,,	
		132, पड़लवास	,,	
		133. ककराता	,,	
		134. गुलपाड़ा	,,	
		135. पालका	,,	
		136. जेतरी	,,	
		137. डावकी	,,	
		138. सीकरी	,,	
		139. तेसकी	,,	
		140. जलालपुर	,,	
		141. बोडोली	,,	
		142. लाड़मका	,,	
		143. पथराली	,,	
		144. नासूका	,,	
		145. कैथवाड़ा	,,	

1	2	3	4	5
		146. गंगावक	छात्र	
		147. वेरु	,,	
(8)	डीग	148. धमारी	,,	
		149. पास्ता	,,	
		150. बहज	,,	
		151. बरोली चौथ	,,	
		152. कोरेर	,,	
		153. कासोट	,,	
		154. सिनसिनी	,,	
		155. सैरावली	,,	
		156. जनूथर	,,	
		157. खोहरी	,,	
		158. शीशवाड़ा	,,	
		159. पान्होरी	,,	
		160. ककड़ा	,,	
		161. जटेरी	,,	
		262. खोह	,,	
		163. बरोली	,,	
		164. दिदावली	,,	
		165. परमदरा	,,	
(9)	बसेड़ी	166. मूड़िया	,,	
		167. खिरोड़ा	,,	
		168. अतरसमा	,,	
		169. कुनकुटा	,,	
		170. सलेमपुर	,,	
		171. ऐंचटा	,,	
		172. हरजूपरा	,,	
		173. आगई	,,	
		174. रहरई	,,	
		175. बोलारी	,,	

1	2	3	4	5
		176. बोझीली	छात्र	
		177. मडासिल	,,	
		178. चन्द्रावली	,,	
		179. दयोपुरा	,,	
		180. ढामई	,,	
		181. मदनपुर	,,	
(10)	राजाखेड़ा	182. सिलावट	,,	
		183. देवखेड़ा	,,	
		184. बाजना	,,	
		185. खुर्द	,,	
		186. सिकरौदा	,,	
		187. सेथान	,,	
		188. मोहिला	,,	
		189. मागरा	,,	
		190. सदापुर	,,	
		191. मरेना	,,	
		192. दिहोली	,,	
		193. सिंघावली	,,	
		194. जाटोली	,,	
		195. फरासपुरा	,,	
		196. जसूपुरा	,,	
		197. शादपुर	,,	
		198. जलालपुर	,,	
		199. कोटपुरा	,,	
		200. विनतीपुरा	,,	
		201. खेरली	,,	
		202. मढाभाऊ	,,	
		203. दलहारा	,,	
		204. चीलपुरा	,,	
		205. महमदपुरा	,,	

1	2	3	4	5
		206. कासिमपुरा	छात्र	
		207. तगावली	,,	
		208. बसई कारे	,,	
(11)	बयाना	209. बरखेड़ा	,,	
		210. खेरली गडासिया	,,	
		211. खोहरा	,,	
		212. नावली	,,	
		213. सालावाद	,,	
		214. वीरमपुरा	,,	
		215. बरोदा	,,	
		216. पाली डांग	,,	
		217. तरसूमा	,,	
		218. तुरसीपुरा	,,	
		219. पदम्रा	,,	
		220. सिंघाडा	,,	
		221. शेरगढ़	,,	
		222. कनावर	,,	
		223. महरोली	,,	
		224. कपूरा मलूका	,,	
		225. करिवारी	,,	
		226. महरावर	,,	
		227. खरैरो	,,	
		228. खानखेड़ा	,,	
		229. जसूपुरा मौरोली		
		230. कैर	,,	
		231. कलसाडा	,,	
		232. खूंटखेड़ा	,,	

1	2	3	4	5
(12)	कुम्हेर	233. दहुगांवा कन्या	छात्र	
		234. सांतरुक	,,	
		235. अजान	,,	
		236. गुन्सारा	,,	
		237. लखन	,,	
		238. अवांर	,,	
		239. सोगर	,,	
		240. उवार	,,	
		241. पला	,,	
		252. अस्तावन	,,	
		243. उसरानी	,,	
		244. पिचूमर	,,	
		245. महरावर	,,	
		246. सावौरा	,,	
		247. बिरहरु	,,	
		248. खन्सवारा	,,	
		249. कूम्हां	,,	
		250. अघियारी	,,	
		251. उच्चैन	,,	
		252. बरहमान्सी	,,	
		253. पिचूना	,,	
		254. खेड़ा ठाकुर	,,	
		255. महलपुराचूरा	,,	
		256. पहाड़पुर	,,	
		257. खेहली ढाना	,,	
		258. जटमाँसी	,,	
		259. दाहिनागांव	,,	
		260. शहदपुरा	,,	
		261. बरधा	,,	
		262. खानुआं	,,	
		263. ओढ़ लगदादी	,,	

1	2	3	4	5
		264. दोहरदा	छात्र	
		265. नौरदा	"	
		266. खानसूरजापुर	"	
		267. नयागांव	"	
		268. इब्राहीमपुर	"	
		269. समाहृद	"	
		270. माडौली	"	
		271. माढ़ापुरा	"	
		272. रुपवास (कन्या वि. प्रा. वि.)		

परिशिष्ट 11

तारांकित प्रश्न संख्या 167 की सूची

बीकानेर जिले में मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की सूची

क्र. संख्या	संस्था का नाम	अनुदान दिया गया 1980-81	अनुदान दिया गया 1981-82
1	2	3	4
1.	श्री जैन-पी. जी. महाविद्यालय, बीकानेर	3,31,580	3.62,000
2.	श्री बी. जे. एस. आर. जैन महाविद्यालय, बीकानेर	3,51,495	3,61,900
3.	नेहरू शारदापीठ, बीकानेर	52,846	59,000

नोट—पी. जे. एस. आर. जैन महाविद्यालय, बीकानेर को वर्ष 80-81 में रु. 15,000/- की राशि सन्दर्भ अनुदान के रूप में भुगतान की गयी।

सूची "ख"

बीकानेर जिले की अनुदान प्राप्त संस्थाओं की सूची

क्र. सं	संस्था का नाम	प्रतिशत	वर्ष 80-81 में भुगतान की गई राशि	दिसंबर 81 तक देय राशि
1	2	3	4	5
1–	मातृ सेवा सदन मोन्टेसरी, बीकानेर	50	35,866	26,600
2–	बालभारती मान्टेसरी, बीकानेर	80	1,03,639	77,729
3–	राजस्थान बाल भारती, बीकानेर	80	91,443	68,582
4–	पी. बी. एम. हासिपटल, बीकानेर	70	46,293	34,720
5–	ही. बो. रामपुरिया विद्यानिकेतन, बीकानेर	80	1,10,102	82,577
6–	एल. के. एस. आई. जैन कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, बीकानेर	70	63,365	47,524
7–	सौकिया माध्यमिक विद्यालय, बीकानेर (उ. प्रा. वि.)	70	4,326	3,245
8–	मातृ सेवा सदन मा. वि. बीकानेर	60	31,791	23,843
9–	महिला जागृति परिषद मा. वि., बीकानेर	70	45,930	34,448
10–	बीकानेर राज्य महिला मण्डल प्रा. वि.	80	28,788	21,591
11–	बीकानेर राज्य महिला मण्डल बालबाड़ी	70	25,124	18,843
12–	भैरू रत्न मातृ प्रा. वि., बीकानेर	70	26,966	20,225
13–	मातृ सेवा सदन शिशु शाला प्रा. वि. बीकानेर	60	21,720	16,290
14–	बालिका विद्याभवन समिति उ. प्रा. वि. गंगाशहर, बीकानेर	60	7,444	5,583
15–	शिक्षा सदन शिशु प्रा. वि., गंगाशहर	50	3,525	2,644
16–	बीकानेर महिला मण्डल केन्द्रीय कार्यालय, बीकानेर	80	17,703	13,277
17–	भैरू रत्न मातृ पाठशाला, बीकानेर	80	87,830	65,873
18–	सेठ फतेहचन्द दम्माणी मा. विद्यालय बीकानेर	70	83,258	62,444
19–	भैरू रत्न मातृ उ. मा. वि., बीकानेर	60	24,040	18,030

२४७

1	2	3	4	5
20–	बीकानेर महिला राज्य मण्डल मा. वि., बीकानेर	80	91,845	68,884
21–	बीकानेर महिला मण्डल बालानियों का चौक, बीकानेर	80	82,112	61,584
22–	फतेहचन्द दम्माणी बा. मा. वि., बीकानेर	50	8,069	6,052
23–	सौफिया मा. वि., बीकानेर	50	10,504	7,878
24–	मातृ सेवा सदन मा. वि., बीकानेर	50	25,819	19,364
25–	बी. के. मा. वि., बीकानेर	70	1,24,133	93,100
26–	जैन उ. मा. वि., बीकानेर	80	2,35,657	1,76,743
27–	हि. सा. के. रामपुरिया विद्यानिकेतन मा. वि., बीकानेर	70	1,23,744	92,808
28–	जैन पाठशाला केन्द्रीय कार्यालय, बीकानेर	70	10,808	8,106
29–	सालम छात्रावास वन्देड नोखा	50	1,812	21,334
30–	भारतीय विद्यामन्दिर केन्द्रीय कार्यालय, बीकानेर	80	11,845	8,884
31–	भारतीय विद्यामन्दिर उ. मा. वि., बीकानेर	60	36,270	27,203
32–	राष्ट्रीय उन्नति विद्यालय केन्द्रीय कार्यालय, बीकानेर	70	15,863	11,872
33–	सार्दूल पुष्करणा उ. मा. वि., बीकानेर	50	6,683	5,012
34–	जैन उ. मा. वि., बीकानेर	50	350	–
35–	सार्दूल पुष्करणा उ. मा. वि., बीकानेर	70	98,440	69,330
36–	संगीत भारतीय, बीकानेर (विशिष्ठ संस्था)	70	5,712	4,284
37–	भारतीय विद्यामन्दिर शोध प्रतिष्ठान, बीकानेर	70	49,406	37,055
38–	हिन्दी विश्वभारती, बीकानेर	80	5,639	4,229
39–	बीकानेर प्रौढ़ शिक्षा समिति, बीकानेर	80	69,270	51,953
40–	श्री गुणप्रकाश सज्जनालय पुस्तकालय, बीकानेर	70	7,384	5,538
41–	जुबली नागरी भण्डार पुस्तकालय, बीकानेर	60	7,233	5,425
42–	शिक्षा भारती पुस्तकालय, बीकानेर	60	1,080	810

1	2	3	4	5
43-	गायत्री पुस्तकालय, बीकानेर	60	1,030	778
44-	विद्यार्थी सभा पुस्तकालय, बीकानेर	60	3,370	2,528
45-	नवयुवक पुस्तकालय नापासर, बीकानेर	60	633	-
46-	श्री नृसिंह पुस्तकालय, बीकानेर	60	2,945	2,209
47-	छात्र सदन पुस्तकालय/वाचनालय, बीकानेर	50	793	-
48-	आचार्य श्री राम उ. प्रा. वि., बीकानेर	70	67,189	50,350
49-	श्री कृष्ण उ. प्रा. वि., बीकानेर	70	65,205	48,902
50-	हनुवन्त उ. प्रा.वि., गंगाशहर, बीकानेर	60	66,214	49,661
51-	अग्रसेन उ. मा. वि., बीकानेर	60	52,104	39,078
52-	श्री. बी. एम. हास्पिटल मोन्टेंचर उप्रावि, बीकानेर	70	19,735	15,101
53-	राष्ट्र उन्नति विद्यालय नं. 4, बीकानेर	60	44,969	33,427
54-	राष्ट्र उन्नति विद्यालय नं. 1, बीकानेर	70	95,599	71,699
55-	शिक्षा सदन उ. प्रा. वि., बीकानेर	50	10,018	7,514
56-	महाजनी प्रा. वि., बीकानेर	50	14,332	10,749
57-	हनुमान बाल प्रा. वि., बीकानेर	50	8,089	6,067
58-	बी. के. प्रा. वि., बीकानेर	50	20,896	15,672
59-	शिक्षा सदन प्रा. वि. नं. 1, बीकानेर	50	12,724	9,543
60-	राजस्थान महिला परिषद बा. म. प्रा. वि., बीकानेर	50	13,267	9,950
61-	नेहरु विद्या भवन प्रा. वि., बीकानेर	50	21,010	15,758
62-	दुर्गा प्रा. वि., गंगाशहर, बीकानेर	50	3,389	2,542
63-	शिव प्रा. वि. बीकानेर	50	3,710	2,783
64-	श्रीराम प्रा. वि., गंगाशहर, बीकानेर	50	3,692	2,769
65-	बाहेती मूलचन्द शिवकिशन वि., बीकानेर	70	25,634	19,226
66-	शिशु एण्ड रेल्वे कर्मचारी प्रा. वि., बीकानेर	60	7,999	5,999
67-	रामदेव प्रा. वि., बीकानेर	50	16,611	12,459
68-	श्री जैन प्रा. वि., बीकानेर	70	55,105	41,329
69-	श्री गणेश प्रा. वि., बीकानेर	50	17,369	130,27

1	2	3	4	5
70–	राष्ट्रीय सहायक प्रा. वि., बीकानेर	60	34,422	25,817
71–	करणी आदर्श प्रा. पाठ शाला बीकानेर	60	29,346	22,010
72–	श्री महादेव प्रा. वि., बीकानेर	50	9,869	7,402
73–	बालिका प्रा. वि., बीकानेर	50	13,196	9,897
74–	बालिका बाल विद्याभवन नं. 2 प्रा. वि., बीकानेर	50	\5,783	4,339
75–	बालनिकेतन प्रा. वि., रानी बाजार, बीकानेर	50	21,481	16,111
76–	बाल शिक्षा सदन प्रा. वि., नापाखर	60	17,728	13,296
77–	राष्ट्र उन्नति प्रा. वि. नं 2 बीकानेर	50	19,259	14,444
78–	बाल विद्या भवन नं. 1 बीकानेर	60	20,417	15,31[illegible]
79–	लक्ष्मी प्रा. वि., गंगाशहर, बीकानेर	50	5,345	4,099
80–	भैरव प्रा. वि., बीकानेर	50	7,411	5,558
81–	सर्व बाल हितैषी प्रा. वि., बीकानेर	50	7,686	5,765
82–	श्री नृसिंह आदर्श प्रा. वि., गंगाशहर बीकानेर	50	4,926	3,695
83–	अरविन्द प्रा. वि., बीकानेर	50	9,435	7,054
84–	शिक्षा सदन प्रा. वि., नं. 2 सुभाषपुरा बीकानेर	50	5,820	4,365
85–	शास्त्री शिक्षा निकेतन प्रा. वि., बीकानेर	50	9,004	6,753
86–	बैनी हैप्पी स्कूल, बीकानेर	50	8,383	6,287
87–	विद्या समिति नोखा	50	7,135	5,349

सूची "ख"

अनुदान प्रार्थना पत्र निम्न संस्थाओं के प्राप्त नहीं हुए

88–	बालिका विद्याभवन समिति उच्च प्रा. वि., गंगाशहर	60
89–	श्री कृष्ण विद्यालय, भीनासर	50
90–	जीवन कन्या विद्यालय, बीकानेर	50
91–	महिला जागृति परिषद, बीकानेर मा. वि.	50
92–	सोफिया, मा. वि. बीकानेर (उ. मा. वि.)	50
93–	शार्दूल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बीकानेर	80
94–	भैरों शिक्षा सदन प्रा. वि., बीकानेर	50
95–	बालविद्या समिति प्रा. वि., नामासर	50
96–	बाल विद्यापीठ प्रा. वि., नामासर	50

सूची "ख"

बीकानेर जिले की निम्न संस्थाओं को वर्ष 80–81 में राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अनुदान स्वीकृत किया गया।

क्र. सं.	शाला का नाम	स्वीकृत राशि
1.	हि. सौ. रामपुरिया. उ. मा. वि. गंगाशहर, बीकानेर	3000/-
2.	सोफिया मा. वि. बीकानेर	10000/-
3.	संगीत भारती बीकानेर	2500/-
4.	ही. सौ. रामपुरिया विद्या निकेतन मान्टेशरी स्कूल, गंगाशहर	10000/-
5.	बाल भारती मान्टेसरी स्कूल बीकानेर	7500/-
6.	राजस्थान बाल भारती बीकानेर	7500/-
7.	पी. बी. एम. मान्टेसरी स्कूल बीकानेर	5000/-
8.	मातृ सेवा सदन मान्टेसरी स्कूल बीकानेर	5000/-

220

सूची "ग"

बीकानेर जिले में संस्कृत शिक्षण संस्थाओं की सूची

क. सं.	संस्था का नाम	अनुदान जो दिया गया	
		1980–81	1981–82
1.	श्री सादुर्ल संस्कृत विद्यापीठ, बीकानेर	1,29,000	32,100

संस्था को दिनांक 1-7-81 से
राज्याधीन ले लिया है।

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 168 की सूची

1981-82 में बीकानेर जिले में खोले गये प्राथमिक विद्यालयों की सूची

1– लोहारों का मोहल्ला

2– व्यापारियों का मोहल्ला

3– बीदासरबारी कोचरों का चौक के पास

4– कोलासर (कन्या)

5– पवनपुरी

6– आर. सी. पी. कालोनी

7– जसवन्तसर

8– गोगालियावाली

9– मेहरासर

10– मैनसर

11– खोसोलाई शिम्भु

12– साधुना की ढाणी

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न 171 की सूची

किराये के भवनों में कार्यरत पशु चिकित्सा संस्थाओं की सूची ।

क्र. सं.	संस्था का नाम व स्थान	तहसील
(1)	पशु चिकित्सालय, प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
(2)	पशु औषधालय, रामपुरिया	प्रतापगढ़
(3)	पशु औषधालय, वामोत्तर	प्रतापगढ़
(4)	पशु चिकित्सालय, बैंगू	बैंगू
(5)	पशु चिकित्सालय, पारसोली	बैंगू
(6)	पशु औषधालय, ओछड़ी	चित्तौड़गढ़
(7)	पशु चिकित्सालय, बड़ी सादड़ी	बड़ी सादड़ी
(8)	पशु चिकित्सालय, बांसी	बड़ी सादड़ी
(9)	पशु औषधालय, मंगलवाड़ का चौ.	बड़ी सादड़ी
(10)	पशु चिकित्सालय, राशमी	राशमी
(11)	पशु चिकित्सालय, निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा

परिशिष्ट 14

अतारांकितप्रश्न संख्या 173 की सूची

पंचायत समिति नागौर एवं मूण्डवा क्षेत्र की दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति
एवं अक्टूबर 1981 से जनवरी 1983 तक इन समितियों
से प्राप्त दूध की मात्रा का विवरण (लीटर)

क्रमांक	नाम सहकारी समिति				पंचायत समिति	अक्टूबर 1980
1.	गोपालक	दुग्ध	उत्पादक	स.	प. स. मून्डवा	—
2.	कुचेरा	,,	,,	,,	,,	—
3.	महाना	,,	,,	,,	,,	—
4.	आसीना	,,	,,	,,	,,	1192
5.	गांधीसागर	,,	,,	,,	,,	3852
6.	झूलासागर	,,	,,	,,	,,	—
7.	चातडिया	,,	,,	,,	व. स. नागौर	1064
8.	नयाबेरा	,,	,,	,,	,,	3088
9.	सिगोद	,,	,,	,,	,,	....
10.	टिगसरा	,,	,,	,,	,,	617
11.	मेड	,,	,,	,,	,,	946
12.	अलाय	,,	,,	,,	,,	974
13.	रथेरण	,,	,,	,,	,,	997
14.	जाखाडिया	,,	,,	,,	,,	716
15.	नीम की ढाणी	,,	,,	,,	,,	1403
16.	नई माडी	,,	,,	,,	,,	....
17.	चावन्डा माता पंजीकृत	,,	,,	,,	,,	669
18.	वाऊ दूध उत्पादक सह. स. लि.			,,	,,	....
19.	परावा	,,	,,	,,	,,	....
20.	मंडिवाली अपंजीकृत	,,	,,	,,	,,	....
21.	चेतास	,,	,,	,,	,,	....
22.	कवलीसर	,,	,,	,,	,,	....
23.	हिगोंनिया	,,	,,	,,	,,	....
24.	छोरडा	,,	,,	,,	,,	....
25.	माडपूरा	,,	,,	,,	,,	285
26.	भुन्हेण	,,	,,	,,	,,	482

क्रमांक	नवम्बर 80	दिसम्बर 80	जनवरी 81	फरवरी 81	मार्च 81
1.	—	—	....	....	....
2.	—	—	....	....	....
3.	—	—	....	....	....
4.	1848	3238	4133	2667	1448
5.	4216	5048	6069	4987	5200
6.	—	....	....	....	....
7.	2447	4828	5943	5319	5019
8.	4044	5615	7238	5796	5131
9.	....	....	....	....	....
10.	1450	4585	7988	4071	4040
11.	1075	1634	2656	1663	1854
12.	3232	6029	12348	6220	7296
13.	1942	3094	4799	4113	3610
14.	1183	1959	2077	1669	1503
15.	1935	4698	6233	3316	2691
16.	....	....	....	4061	3781
17.	1871	2650	3777	3309	3061
18.	....	....	....	....	2129
19.	....	....	....	....	657
20.	....	....	....	....	....
21.	....	....	....	....	1593
22.	....	....	....	....	868
23.	....	....	....	....	....
24.	....	....	....	....	968
25.	237	610	1351	....	....
26.	873	835	834	622	....

क्रमांक	अप्रेल 81	मई 81	जून 81	जुलाई 81	अगस्त 81
1.	....	....	....	....	....
2.	....	....	....	....	....
3.	....	....	....	....	....
4.	1008	783	465	308	435
5.	4499	5189	4559	4494	4852
6.	....	....	....	....	2080
7.	3964	3197	2165	2211	1430
8.	4637	3497	2396	1620	1427
9.	....	....	....	....	....
10.	3816	3506	2542	2101	1430
11.	1387	1294	814	455	820
12.	5947	4754	1477	2835	1370
13.	2826	2320	1814	1599	305
14.	1255	704	890	900	810
15.	1225	1794	370	845	648
16.	3137	2630	2061	2008	2040
17.	2709	2349	1938	1687	876
18.	2121	1937	1200	1100	940
19.	1580	1534	1113	1180	898
20.	....	....	....	....	....
21.	[illegible]	1800	883	302	852
22.	801	1195	761	858	870
23.	559	1281	914	597	710
24.	1084	920	921	436	570
25.	072	[illegible]	007	....	....
26.	286	....	....	....	....

क्रमांक	सितम्बर 81	अक्तूबर 81	नवम्बर 81	दिसम्बर 81	जनवरी 1982
1.	....	....	....	....	....
2.	....	....	....	....	....
3.	....	....	....	....	....
4.	682	1015	1702	2133	2183
5.	5230	6427	7347	7815	8826
6.	2190	3052	4138	5633	6636
7.	1590	1744	2243	2464	4292
8.	1630	1817	2618	3614	4971
9.	....	....			
10.	1570	1966	2777	2924	4928
11.	940	956	903	1317	2168
12.	1508	2844	5337	6605	10663
13.	395	588	964	1421	1751
14.	935	1255	2217	2491	3751
15.	765	1257	2292	2289	3172
16.	2190	2266	2562	2726	3168
17.	1092	1314	1857	3025	4003
18.	1020	978	1850	2842	4611
19.	1317	1181	2518	272	7220
20.	413	834	2197	3134	4354
21.	970	1984	5006	5574	4326
22.	1012	1173	2087	3137	4131
23.	820	773	2740	4151	4111
24.	750	943	2782	4849	6787
25.	....	....	....	....	....
26.	....	....	....	....	....

पंचायत समिति नागौर की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से माह अप्रेल 1980 से सितम्बर 1980 तक प्राप्त दूध की मात्रा का विवरण (इन समितियों से पूर्व में दूध संकलन कर मेड़ता अवशीतन केन्द्र पर ले जाया जाता था।) (लीटर)

क्रमांक	नाम सहकारी समिति	अप्रेल 1980	मई 1980	जून 1980	जुलाई 1980	अगस्त 1980	सितम्बर 1980
1.	भेड़ दूध उ. सह. स.	585	637	647	660	830	870
2.	चावण्डिया ,, ,,	727	678	823	885	951	995
3.	नया बेरा ,, ,,	759	849	897	637	1742	1861
4.	ढिगसरा ,, ,,	520	517	480	670	572	607
5.	अलाय ,, ,,	760	689	640	897	847	821

गांव मेंड, चावण्डिया, ग्राचोना, माडपुरा, पांचला सिद्धा (गांधी सागर) की दुग्ध उत्पादक समितियों के दूध उत्पादकों को चल पशु चिकित्सा इकाई की सुविधा का विवरण

माह 1	मेंड 2					चावण्डिया 3					ग्राचोना 4	माडपुरा 5	पाचलासिद्धा 6
मई, 1977 दिनांक	7	14	21	28		7	14	21	28		—	—	—
पशुओं की संख्या	15	17	21	13		14	13	16	13		—	—	—
जून, 1977 दिनांक	4	11	18	25		4	11	18	25		—	—	—
पशुओं की संख्या	19	17	15	14		18	19	21	25		—	—	—
जुलाई, 1977 दिनांक	2	9	16	23	30	2	9	16	23	30	—	—	—
पशुओं की संख्या	16	18ए	13	16	17	15	8	8	12	13	—	—	—
अगस्त, 1977 दिनांक	6	13	20	27		6	13	20	27		—	—	—
पशुओं की संख्या	15	10	14	16		11	10	19	21		—	—	—
सितम्बर, 1977 दिनांक	3	10	17	24		3	10	17	24		—	—	—
पशुओं की संख्या	13	14	15	21		28	2	2	16		—	—	—
अक्टूबर, 1977 दिनांक	1	8	15	22	29	1	8	15	22	29	—	—	—
पशुओं की संख्या	20	18	10	12	13	19	16	13	12	9	—	—	—
नवम्बर, 1977 दिनांक	5	11	18	25		5	11	18	25		—	—	—
पशुओं की संख्या	9	13	12	16		18	12	21	16		—	—	—
दिसम्बर, 1977 दिनांक	2	9	16	23	30	2	9	16	23	30	—	—	—
पशुओं की संख्या	10	12	9	8	12	13	12	11	10	8	—	—	—
जनवरी, 1978 दिनांक	6	13	20	27		6	13	20	27		—	—	—

1	2					3					4	5	6
पशुओं की संख्या	11	17	14	13		4	16	19	21		—	—	—
फरवरी, 1978 दिनांक	3	10	17	24		3	10	17	24		—	—	—
पशुओं की संख्या	19	12	13	14		22	13	14	11		—	—	—
मार्च, 1978 दिनांक	3	10	17	24	31	3	10	17	24	31	—	—	—
पशुओं की संख्या	16	17	19	20	19	17	13	16	15	11	—	—	—
अप्रैल, 1978 दिनांक	7	14	21	28		7	14	21	28		—	—	—
पशुओं की संख्या	17	7	10	12		17	16	13	19		—	—	—
मई, 1978 दिनांक	5	12	19	26		5	12	19			—	—	—
पशुओं की संख्या	19	17	16	19		21	29	28			—	—	—
जून, 1978 दिनांक	2	9	16	23	30	2	9	16	39		—	—	—
पशुओं की संख्या	18	19	17	15	13	26	19	13	11	10	—	—	—
जुलाई, 1978 दिनांक	8	15	22	29		8	15	22	29		—	—	—
पशुओं की संख्या	14	15	14	13		13	16	15	13		—	—	—
अगस्त, 1978 दिनांक	5	12	19	26		5	12	19	26		—	—	—
पशुओं की संख्या	16	20	12	14		14	17	13	14		—	—	—
सितम्बर, 1978 दिनांक	2	9	16	23	30	2	9	16	23	20	—	—	—
पशुओं की संख्या	18	19	13	15	24	16	13	11	16	15	—	—	—
अक्टूबर, 1978 दिनांक	7	13	20	27		7	13	20	27		—	—	—
पशुओं की संख्या	9	10	12	10		13	12	9	21		—	—	—
नवम्बर, 1978 दिनांक	3	10	17	24		3	10	17	24		—	—	—

230

1	2					3					4	5	6
पशुओं की संख्या	9	7	13	16		23	15	21	16		–	–	–
दिसम्बर, 1978 दिनांक	1	8	15	22	29	1	8	15	22	29	–	–	–
पशुओं की संख्या	17	12	13	8	9	17	21	13	12	13	–	–	–
जनवरी, 1979 दिनांक	5	12	19	26	31	5	12	19	26	31	–	–	–
पशुओं की संख्या	12	11	12	13	14	11	14	15	21	13	–	–	–
फरवरी, 1979 दिनांक	7	14	21	28		7	14	21	28		–	–	–
पशुओं की संख्या	13	12	13	11		12	30	35	16		–	–	–
मार्च, 1979 दिनांक	8	15	22	29		8	15	22	29		–	–	–
पशुओं की संख्या	9	7	11	13		13	17	15	14		–	–	–
अप्रैल, 1979 दिनांक	6	11	19	26		6	11	19	26		–	–	–
पशुओं की संख्या	12	10	8	12		21	13	12	17		–	–	–
मई, 1979 दिनांक	3	10	17	24	31	3	10	17	24	31	–	–	–
पशुओं की संख्या	7	6	9	10	12	18	20	25	17	13	–	–	–
जून, 1979 दिनांक	7	14	21	28		7	14	21	28		–	–	–
पशुओं की संख्या	14	11	16	13		16ए	19	13	14		–	–	–
जुलाई, 1979 दिनांक	5	12	19	26		5	12	19	26		–	–	–
पशुओं की संख्या	12	10	9	7		15	13	12	7		–	–	–
अगस्त, 1979 दिनांक	2	9	16	23	30	2	9	16	23	30	–	–	–
पशुओं की संख्या	11	13	10	12	13	11	13	15	16	21	–	–	–
सितम्बर, 1979 दिनांक	6	13	20	27		6	13	20	27		–	–	–

1	2					3					4	5	6
पशुओं की संख्या	10	11	14	15		13	15	12	11		—	—	—
अक्टुबर, 1979 दिनांक	4	11	18	25		4	11	18	25		—	—	—
पशुओं की संख्या	9	10	11	12		13	16	13	12		—	—	—
नवम्बर, 1979 दिनांक	1	8	15	22	29	1	8	15	22	29	—	—	—
पशुओं की संख्या	15	17	16	15	13	11	10	15	16	17	—	—	—
दिसबंर, 1979 दिनांक	6	13	20	27		6	13	20	27		—	—	—
पशुओं की संख्या	14	10	11	13		21	20	13	17		—	—	—
जनवरी, 1980 दिनांक	3	10	17	24	31	3	10	17	24	31	—	—	—
पशुओं की संख्या	12	11	14	12	11	18	13	12	11	10	—	—	—
फरवरी, 1980 दिनांक	14	21	28			7	14	21	28		—	—	—
पशुओं की संख्या	13	14	10			9	13	12	21		—	—	—
मार्च, 1980 दिनांक	6	13	20	27		6	13	20	27		—	—	—
पशुओं की संख्या	15	10	9	8		17	16	14	12		—	—	—
अप्रेल, 1980 दिनांक	3	10	17	24		3	10	17	24		—	—	—
पशुओं की संख्या	11	12	9	8		13	12	11	21		—	—	—
मई, 1980 दिनांक	1	22	29			1	22	29			—	—	—
पशुओं की संख्या	7	5	9			20	16	18			—	—	—
जून, 1980 दिनांक	5	12	19	26		5	12	19	26		—	—	—
पशुओं की संख्या	10	12	8	7		13	12	10	21		—	—	—
जुलाई, 1980 दिनांक	3	10	17	24	31	3	10	17	24	31	—	—	—

1	2	3	4	5	6
पशुओं की संख्या	10 11 12 13 15	22 16 17 16 17	—	—	—
अगस्त, 1980 दिनांक	7 14 21 28	7 14 21 28	—	—	—
पशुओं की संख्या	16 13 12 10	13 12 21 23	—	—	—
सितम्बर, 1980 दिनांक	4 11 18 25	411 18 25	—	—	—
पशुओं की संख्या	11 10 9 10	14 12 17 8	—	—	—
अक्टुबर, 1980 दिनांक	15 24	15 24	15 24	15 24	15 24
पशुओं की संख्या	10 12	5 7	2 4	1 2	5 7
नवम्बर, 1980 दिनांक	14	14	14	14	14
पशुओं की संख्या	11	9	5	4	8
दिसम्बर, 1980 दिनांक	21	21	21	21	21
पशुओं की संख्या	14	11	3	3	9
जनवरी, 1981 दिनांक	19 27	19 27	19 27	19 27	19 27
पशुओं की संख्या	15 10	10 6	4 5	2 5	11 12
फरवरी, 1981 दिनांक	20	20	20	20	20
पशुओं की संख्या	11	11	6	3	6
मार्च, 1981 दिनांक	5 10 17	5 10 17	5 10 17	5 10 17	5 10 17
पशुओं की संख्या	12 11 13	10 7 9	7 8 7	2 1 3	5 7 8
अप्रेल, 1981 दिनांक	9 22 26	9 22 26	9 22 26	9 22 26	9 22 26
पशुओं की संख्या	14 10 15	3 7 8	5 4 3	2 1 2	6 4 3

1	2	3	4	5	6
मई, 1981 दिनांक	24 31	24 31	24 31	24 31	24 31
पशुओं की संख्या	16 9	9 11	6 7	4 3	5 4
जून, 1981 दिनांक	14 19 27	14 19 27	14 19 27	14 19 27	14 19 27
पशुओं की संख्या	10 11 12	7 6 5	5 3 4	2 3 2	9 8 3
जुलाई, 1981 दिनांक	5 11	5 11	5 11	5 11	5 11
पशुओं की संख्या	13 14	4 8	6 5	5 1	11 7
अगस्त, 1981 दिनांक	5 26	5 26	5 26	5 26	5 26
पशुओं की संख्या	15 16	9 5	7 8	2 4	8 9
सितम्बर, 1981 दिनांक	6	6	6	6	6
पशुओं की संख्या	13	3	3	3	11
अक्टूबर, 1981 दिनांक	9	9	9	9	9
पशुओं की संख्या	12	4	4	4	12
नवम्बर, 1981 दिनांक	2 23	2 23	2 23	2 23	2 23
पशुओं की संख्या	15 14	6 7	5 4	3 2	8 9
दिसम्बर, 1981 दिनांक	20 23	20 23	20 23	20 23	20 23
पशुओं की संख्या	4 3	15 3	2 2	0 0	7 8
जनवरी, 1982 दिनांक	2 10 18 28 31	2 10 18 28 31	2 10 18 28 31	2 10 18 28 31	2 10 18 28 31
पशुओं की संख्या	5 4 5 3 4	4 5 17 6 7	6 8 6 0 0	1 1 2 1 2	10 12 10 8 6

233

(234)

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 176 की सूची

परिशिष्ट "अ"

कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक, लि. कोटा द्वारा पंचायत समिति सुलतानपुर में ट्रैक्टर हेतु दिये गए ऋण की सूची

क्र. सं.	नाम ऋणी मय वल्दियत	ग्राम	तहसील	ऋण देने का दिनांक
1	2	ग	4	5
1-	श्री मोहनलाल ब्रा. रामनारायण गूजर	रैल	दीगोद	22-7-68
2-	श्री जगन्नाथ/ग्योबक्ष अहीर	उम्मेदपुरा	,,	22-7-68
3-	श्री शिवप्रकाश/जमनालाल ब्रा.	अकलदा	,,	11-11-68
4-	कु. मेघराजसिंह/प्रतापसिंह राज.	खेड़लीतवरान	,,	13-11-69
5-	श्री महेन्द्रकुमार/रामनारायण ब्रा.	कल्याणपुरा	,,	3-8-70
6-	श्री धनराज/रामजीवन मीणा	कोटसुवा	,,	28-4-70
7-	श्री मुकुटविहारी/श्री ओंकार अहीर	बड़ौद	,,	11-8-71
8-	श्री चतुभुर्ज/धूलीलाल महा.	पीपल्दावीरम	,,	24-6-69
9-	श्री हेमन्तकुमार/श्री मथुरालाल अहीर	बड़ौद	,,	20-4-70
10-	श्री गोविन्दप्रसाद/श्री रघुनाथ अहीर	,,	,,	7-11-70
11-	श्री चैना/श्री रामबक्श मीणा	बिसलाई	,,	7-11-70
12-	श्री कन्हैयालाल/भैरूलाल मीणा	कालारेवा	,,	5-3-71
13-	श्रीमती नन्दकुवरी/बद्रीलाल धाकड़	मौरया	,,	28-1-71
14-	श्री कालूलाल/नारायण मीणा	रूगधी	,,	27-1-71
15-	श्री केशरीलाल/बाला मीना	नृसिंहपुरा	,,	12-12-70
16-	श्री मोहनसिंह/मनोहरसिंह राजपूत	उम्मेदपुरा	,,	9-5-70
17-	श्री बाला/राधाकिशन मीणा	बमूलीरावतान	,,	29-7-70
18-	श्री रामरतन/क्षेत्रपाल ब्रा.	खैसला	,,	22-7-71
19-	श्री लक्ष्मीनारायण/चतुर्भुज धाकड़	किशनगंज	,,	16-9-71
20-	श्री नन्दकिशोर/रामगोपाल ब्रा.	,,	,,	16-9-71
21-	श्री नन्दकिशोर/धनराज ब्रा.	कल्याणपुरा	,,	20-11-70
22-	श्री बदरूद्दीन/महराब खां	नौताड़ा	,,	26-2-71
23-	श्री मोतीलाल/भंवरलाल मीना	नापाहेड़ा	,,	21-6-71
24-	श्री बिरधीलाल/पन्नालाल मीना	मड़पान	,,	3-6-74
25-	श्री रामकरण/ओंकार ब्रा.	किशोरपुरा	,,	28-12-73
26-	श्री अशोककुमार/भंवरलाल ब्रा.	खेड़लीतवरान	,,	29-3-74
27-	श्री कंवरलाल/काना लश्करी	मोतीकुआ	,,	7-1-65
28-	श्री मदनलाल/नन्दकिशोर अहीर	बनेठिया	,,	3-11-66

1	2	3	4	5
29-	श्री भंवरलाल/दयाल बक्श	मण्डावरा	दीगोद	6-2-67
30-	श्री विरधीलाल/ओंकारलाल	किशोरपुरा	,,	31-8-68
31-	श्री गैंदरीलाल/मांगीलाल धा.	मंडावरा	,,	25-9-69
32-	श्री धूलीलाल/माधो मीना	वल्लभपुरा	,,	6-8-79
33-	श्री कालूलाल/पन्नालाल मीना	गड़पान	,,	27-11-70
34-	श्री भैंरूलाल/लक्ष्मण धाकड़	दीगोद	,,	11-6-71
35-	श्री ग्यारसीराम/मंगला मीणा	वल्लभपुरा	,,	2-8-71
36-	श्री रामचन्द्र/जगन्नाथ धाकड़	डूगरज्या	,,	10-2-73
37-	श्री फैजमोहम्मद/रमजान खां	नीतौड़ा	,,	17-5-74
38-	श्री हरमैलसिंह/जोगेन्द्रसिंह सिक्ख	कंवरपुरा	,,	14-12-74
39-	श्री तेजराजसिंह/महेन्द्रसिंह राजपूत	गावड़ी	,,	4-1-79
40-	श्री बृजराजसिंह/महेन्द्रसिंह राजपूत	गावडी	,,	7-5-79
41-	श्री बृजराज/मोतीलाल मीणा	वल्लभपुरा	,,	21-9-77
42-	श्रीमती कन्याबाई/धन्ना मीणा	रूधी	,,	31-3-80
43-	श्री मोहनचन्द/मूलचन्द जोधी	मूण्डला	,,	31-3-80
44-	श्री हेमन्तकुमार/रामनारायण ब्रा.	कल्याणपुरा	,,	2-5-80
45-	श्री बूटासिंह/कुलवन्तसिंह सिक्ख	मैहदीं	,,	13-2-82
46-	श्री साधुसिंह/शेरसिंह	सुल्तानपुर	,,	13-3-81
47-	श्री बतासिंह/सौदागरसिंह	दीगोद	,,	31-3-81
48-	श्री रामनाथ/किशनलाल मीना	पीपल्दा वीरम	,,	31-3-81
49-	श्री कान्हा/धूल्या तेली	सारोला	,,	31-3-81

परिशिष्ट "ब"

ट्रक्टर ऋण से सम्बन्धित सूचना ट्रैक्टर ऋण प्राप्त करने वालों पर कितनी-कितनी धन राशि कब से बकाया चल रही है एवं वसूली करने हेतु कब-कब क्या कार्यवाही की गई :—

क्र. सं.	नाम ऋणी मय वल्दियत	ग्राम,	तहसील	ट्रैक्टर ऋण देने की दिनांक	30-6-81 को बकाया अवधिपार	30-6-81 को बकाया मूल ऋण	कब से अवधिपार है।	वसूल करने हेतु कब कब क्या-क्या कार्यवाही की गई।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री हेमन्तकुमार/श्री मथरालाल,	बड़ोद	दीगोद	20-4-70	—	4999.43	निल	—
2.	श्री चैना/श्रीराम बकन अहीरमीणा	बिसलाई	,,	7-11-70	—	5600.00	निल	—
3.	लक्ष्मीनारायण/चतुर्भुज धाकड़,	किशनगंज	,,	16-9-71	—	8328.40	निल	—
4.	श्री नन्दकिशोर/रामगोपाल ब्रा.	,,	,,	16-9-71	1868.00	10890.19	30-6-81	से राज. सह. अधिनियम की धारा 117 का नोटिस 17.11.81 को दिया व राशि अवधिपार वसूल करली गई है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	श्री नन्दकिशोर/भंवरलाल ग्रा.	कल्याणपुरा	दीगोद	20-11-70	34705.78	23867.19	30-7-81 8 वर्ष से	को राज. सह. अधिनियम की धारा 117-118 ट्रेक्टर कुर्क 30-6-77 को नीलाम किया व अब धारा 106 में 3.2.81 को नोटिस जारी किया व आगे कार्यवाही की जा रही है।
6.	श्री अशोककुमार/भंवरलाल ग्रा.	खेड़ली	,,	29-3-74	4282.25	8305.80	30-6-81 से	राज. सह. अधिनियम की धारा 117 में नोटिस 17-11-81 को दिया आदेश फैसला हो चुका है निष्पादन में(20.1.82 को)
7.	कंवरलाल/काना लश्करी,	मोतीकुआं	,,	7-1-65	1123.61	829.81	30-6-81 को 5 वर्ष से	राज. सह. अधिनियम की धारा 117 में नोटिस 17-11-81 को दिया आदेश फैसला 20-1-82 को हो चुका है निष्पादन में है।
8.	धलीलाल/माधो मीना,	बल्लमपुरा	.	6-8-70	2637.50	7816.70	30-6-81 से	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	ग्यारसीराम/मंगला मीना,	बल्लभपुरा	दीगोद	2-8-81	21921.67	21975.70	30-6-81 को 8 वर्ष	धारा 117-118 के अन्तर्गत कार्यवही कर ट्रेक्टर 22-3-76 को बेचना किया व धारा 106 के अन्तर्गत 17-11-81 को नोटिस दिया कार्यवाही की जा रही है।
10.	हरमेलसिंह/जोगेन्द्रसिंह जिकरा,	कवंरपुरा	,,	14-12-74	11236.39	10630.63	30-6-81 से 6 वर्ष से	धारा 117-118 में कार्यवाही कर टेक्टर 30-6-67 को बेचान किया ऋण की मृत्यु हो चुकी है उत्तराधिकारी पंजाब में रहते हैं नाबालिग हैं रहन अधिग्रहित कर नीलामी कार्यवाही की जा रही है।
11.	तेजराजसिंह/महेन्द्रसिंह, राजपूत,	गांवडी	,,	4-1-79	5479.00	37619.96	30-6-81	धारा 117 में नोटिस 17-11-81 को जारी किया गया आदेश फैसला 20-1-82 को निष्पादन में है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	वृजराजसिंह/ महेन्द्रसिंह, राजपूत,	गांवड़ी	दीगोद	7-5-79	4357.00	42215.50	30-6-81 दो वर्ष से	को दिनांक 2-11-81 को व्यक्तिगत सम्पर्क कर तकाजा किया गया। धारा 117 में 17-11-81 को नोटिस दिया कार्यवाही कर वसूली करली गई।
13.	वृजराज/मोतीलाल मीणा,	बल्लभपुरा	,,	21-9-77	1520.00	18520.00	30-6-81	से 2-11-81, 14-12-81 व 14-1-82 को व्यक्तिगत सम्पर्क कर तकाजा किया गया।
14.	श्रीमती कन्याबाई/घन्ना, मीणा	रूग्घी	,,	31-3-80	866.00	34980.00	,,	,, ,,
15.	मोहनलाल/मूलचन्द जोशी,	मूण्डला	,,	31-3-80	68251.80	55537.50	30.6.81	से धारा 117 में नोटिस 17-11-81 को दिया 3000/- की वसूली कर ली गई है आगे कार्यवाही की जा रही है।
16.	हेमन्तकुमार/रामनारायण ब्रा.	बल्याणपुरा	,,	2-5-80	14030.00	56600.00	30-6-81	राज. सह. अधि. की धारा 117 में नोटिस 17-11-81 को दिया फैसला 20-1-82 को निष्पादन में।

(२५८)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	बूटासिह/कुलवन्तसिंह	सिकड़ामेहदी	दीगोद	13-2-81	---	52000.00	नील	–
18.	साधूसिह/शेरसिंह	सुल्तानपुर	,,	13-3-81	---	46500.00	नील	–
19.	बैतासिंह/सोदागरसिंह	दीगोद	,,	31-3-81	---	54500.00	नील	–
20.	रामनाथ/किशनलाल मीणा	पीपल्दावीरम	,,	31-3-81	---	69800.00	नील	–
21.	काना/धूल्या तेली,	सारोला	,,	31-3-81	---	64400.00	नील	–

परिशिष्ट "स"

कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक लि. कोटा

समय पर ऋण जमा न करने पर नीलामी किये गये ट्रैक्टर की सूची (पंचायत समिति सुल्तानपुर)

क्रमांक	नाम ऋणी मय वल्दियत	ग्राम	दिनांक ऋण देने की	अवधिपार राशि जब ट्रैक्टर नीलाम किया गया	ट्रैक्टर नीलामी की तिथी	नीलामी से प्राप्त राशि	नीलामी के बाद भी वर्तमान अवधि पार रही राशि	अवधिपार राशि वसूली हेतु कार्यवाही विवरण
1–	नन्दकिशोर/धनराज ब्राह्मण	कल्याणपुरा	20.11.70	18246-41	30-6-77	8200-00	34705-78	राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 106 के अन्तर्गत रहन भूमि की नीलामी की कार्यवाही की जा रही है।
2–	ग्यारसीलाल/मंगलामीणा	बल्लभपुरा	2.8.71	10060-26	22-3-76	8950-00	21921-67	"
3–	हरमेलसिंह/जोगेन्द्रसिंह	कंवरपुरा	14.12.74	4678-62	30.6.78	8500-00	11236-39	"
				कुल		25650-00		

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 182 की सूची

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	नाम तहसील/ शहर	उचित मूल्य की कार्यरत दुकानें		
		सहकारी	निजी	योग
1	2	3	4	5
1-	बीकानेर, गंगाशहर व भीनासर	23	82	105
2-	तहसील बीकानेर	34	20	54
3-	तहसील लूणकरणसर	24	10	34
4-	तहसील नोखा	24	46	70
5-	तहसील कोलायत	20	12	32

परिशिष्ट "ख"

क्र. सं.	नाम वस्तु	वर्ष	तहसील के नाम				विशेष विवरण
			बीकानेर तहसील मय शहर	तह. लूणकरणसर	तह. नोखा	तह. कोलायत	
1	2	3	4	5	6	7	8
1–	गेहूं	1980-81	4844.1 टन	398.0 टन	1663.1 टन	480.4 टन	–
	,,	1981-82	3870.4 टन	677.0 टन	1272.0 टन	770.0 टन	फरवरी, 1982 तक
2–	चीनी	1980-81	2911.3 टन	469.1 टन	808.9 टन	403.9 टन	–
	,,	1981-82	1661.9 टन	424.2 टन	581.6 टन	337.1 टन	जनवरी, 1982 तक
3–	कपड़ा	1980-81	255.5 गांठ	34.0 गांठ	53.0 गांठ	30.0 गांठ	–
	,,	1981-82	103.5 गांठ	20.0 गांठ	36.0 गांठ	51.0 गांठ	दिसम्बर, 1981 तक
4–	सीमेन्ट	1980-81	2140.1 मैं. टन	322.0 मै. टन	7000 मै. टन	2380 मै. टन	–
	,,	1981-82	1612.0 मै. टन	354.0 मै. टन	542.0 मै.टन	232.0 मै. टन	दिसम्बर, 1981 तक

243

(२५५)

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 831 की सूची

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	नाम तिमाही	आवंटित सीमेन्ट की मात्रा (टनों में)	विशेष विवरण
1	2	3	4
1-	जनवरी, 81 से मार्च, 81 तक	850	केन्द्र सरकार से सीमेन्ट का आवंटन त्रैमासिक प्राप्त होता है, एवं राज्य सरकार द्वारा भी जिलों को सीमेन्ट का त्रैमासिक आवंटन किया जाता है, जैसे–जनवरी से मार्च, अप्रेल से जून, जुलाई से सितम्बर एवं अक्टूबर से दिसम्बर।
2-	अप्रेल, 81 से जून, 81 तक	850	
3-	जुलाई, 81 से सितम्बर, 81 से	850	
4-	जुलाई, 81 से दिसम्बर, 81 तक	1000	
5-	जनवरी, 82 से मार्च, 82 तक	1000	

परिशिष्ट "ख"

क्र. सं.	नाम तिमाही	कुल आवंटन	आवंटित सीमेन्ट की मात्रा (टनों में)								योग
			गंगाशहर	भीनासर	देशनोक	बीकानेर शहर	तह. नोखा	तह. कोलायत	तह. लूणकरणसर	तह. बीकानेर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1–	प्रथम तिमाही, 1981	850	17.5	9.5	9.5	386.5	175	49	91	112	850
2–	द्वितीय तिमाही, 1981	850	17.5	9.5	9.5	318.0	180	45	87	183.5	850
3–	तृतीय तिमाही, 1981	850	21	11	11	257	182	95	115	158	850
4–	चतुर्थ तिमाही, 1981	1000	18	9	10	439	180	92	112	140	1000
5–	प्रथम तिमाही, 1982	1000	नोटः– माल प्राप्त न होने के कारण वितरण नहीं किया गया है ।								

(२४५)

(246)

परिशिष्ट-18

अतारांकित प्रश्न संख्या 185 की सूची

राज्य सरकार द्वारा माडा परियोजना के अन्तर्गत तहसील पीपल्दा पंचायत समिति से पूर्ण क्षेत्र इटावा में वर्षवार निम्न योजना के अन्तर्गत जो कार्य स्वीकृत है वह निम्न प्रकार है--

बजट वर्ष 78-79 व्यय वर्ष 79-80

क्र. संख्या	कार्य का नाम	स्थान	आवंटन राशि
1.	शिक्षा प्रोत्साहन	सम्पूर्ण पं. स. क्षेत्र	14010-00

प्रगति—

उपरोक्त योजनान्तर्गत तहसील पीपल्दा पंचायत समिति इटावा के सम्पूर्ण माडा क्षेत्र के छात्र/छात्राओं को स्टेशनरी ड्रेस वितरित कर एकाउन्ट समायोजन किया जा चुका है।

2.	अधूरे कुए को पूरा कराने हेतु	ग्राम नारायणपुरा	11000/- 2166/- खर्च किया जा चुका है।

प्रगति—

उपरोक्त कुए का कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से करवाया जा रहा है। तथा इस कार्य हेतु अब तक 2166/- रुपये एडवांस दे रखा है। पंचायत चुनावों के कारण कार्य प्रगति नहीं हो पाई है। अब नये सरपंच चुनकर आये हैं। शीघ्र कार्य पूरा करवाया जाने के लिए. निर्देश जारी कर दिया गया है।

बजट वर्ष 79-80 व्यय वर्ष 80-81

क्र. संख्या	कार्य का नाम	स्थान	आवंटन राशि
1	2	3	4
1.	शिक्षा प्रोत्साहन	सम्पूर्ण पं. स. क्षेत्र	13920-00

प्रगति :--

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत तहसील पीपल्दा पंचायत समिति इटावा के सम्पूर्ण माडा क्षेत्र के छात्र/छात्राओं को स्टेशनरी ड्रेस-वितरित कर एकाउन्ट समायोजन किया जा चुका है।

2. **कूप निर्माण--**

(1) गेन्दी 15000-00
(2) खेरडा 11000-00, अग्रिम राशि सरपंच को दी जा चुकी है। 3,000/-
(3) झाडोल 15000-00 (4) किशनवास 15000-00
(5) नलावता 24000-00 (6) कवल्दा 5000-00
(7) भाटोली 10000-00 अग्रिम राशि 6000/- सरपंच को दी जा चुकी है।

प्रगति—

कूप निर्माण का समस्त बजट विकास अधिकारियों को आवंटन किया जा चुका है। अभी किशनवास, नलावता, कवल्दा, गेन्दी, झाडोल का कार्य शुरू नहीं हुआ है।

3. हैण्ड पम्प मुमैना 5000-00

प्रगति—

उपरोक्त कार्य पी. एच. ई. डी. के माध्यम से करवाया जाना है। परन्तु पी. एच. ई. डी. विभाग द्वारा हैन्ड पम्प नहीं लगने के कारण उनके बताये गये एस्टीमेट 14000/- के अनुसार अतिरिक्त राशि रखी गई है। राशि प्राप्त होते ही यह कार्य भी उनके माध्यम से शीघ्र पूरा किया जा सकेगा।

4. व्यक्तिगत लाभ सम्पूर्ण पं. स. क्षेत्र इटावा 20,000-00

प्रगति—

व्यक्तिगत लाभ योजना के अन्तर्गत माडा क्षेत्र पंचायत समिति इटावा के अन्तर्गत जनजाति के व्यक्तियों को बिजली, के अतिरिक्त पोल, कुआ, ब्लास्टिंग, फल पौध, मुर्गी, मुर्गा पालन इत्यादि की योजना है। अभी तक किसी व्यक्ति को लाभान्वित नहीं किया गया है।

5. प्राथमिक शाला निर्माण

दूधली	7400-00	एक कमरा मय बरामदा
झाडोल	14800-00	दो कमरा मय बरामदा
डोली	7400-00	एक कमरा मय बरामदा
प्रेमपुरा	14800-00	दो कमरा एक बरामदा
	44400-00	

प्रगति—

उपरोक्त राशि विकास अधिकारी को स्थानान्तर कर दी गई है। कार्य शुरू कराने हेतु अग्रिम राशि दी जा चुकी है। नींव खोदना प्रारम्भ कर दिया है।

बजट वर्ष 80-81 व्यय वर्ष 81-82

क्र. संख्या	कार्य का नाम	स्थान	आवंटन राशि
1.	शिक्षा प्रोत्साहन	सम्पूर्ण पं. स. क्षेत्र इटावा	18000-00

प्रगति—

उपरोक्त राशि विकास अधिकारियों को आवंटन कर दी गई है। तथा उनके द्वारा माडा क्षेत्र पंचायत समिति इटावा में छात्र/छात्राओं को ड्रेस, स्टेशनरी वितरित किया जाना है।

2. **नल कूप निर्माण—**

कवल्दा	5500-00	अग्रिम राशि सरपंच को 3000/- दी जा चुकी है।
डोली	5550-00	
खरेदा	5550-00	

प्रगति--

उपरोक्त कार्य हेतु राशि विकास अधिकारियों को आवंटन कर दी गई है। डोली एवं खेरदा का कार्य अभी चालू नहीं है।

व्यक्तिगत लाभ योजना--

इस योजना के अन्तर्गत पीपल्दा, मांगरोल, दीगोद, ब्लाक के अन्तर्गत 66950/- स्वीकृत किया गया है। विकास अधिकारियों को इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 79-80 की आवंटन राशि में से 20000/- दे रखा है। उक्त राशि खर्च होने पर और राशि इस वर्ष के बजट में से इस योजना पर विकास अधिकारी को और आवंटन कर दी जावेगी।

इन कार्यों के अतिरिक्त एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 81-82 में, फरवरी 82 तक 347 व्यक्तियों को इस अभिकरण द्वारा विभिन्न प्रयोजनार्थ 4,80,346 रुपये का अनुदान सुलभ कराया गया। जिसमें अनुसूचित जाति, सहकारी विकास निगम द्वारा प्रदत्त 9525/- रुपयों की अतिरिक्त अनुदान राशि भी शामिल है। प्रयोजन वार सूची संलग्न है। इस राशि के 32 व्यक्ति वो भी शामिल हैं जिन्हें कुआ बनाने के लिए दूसरी किस्त अनुदान की दी गई। ये 32 व्यक्ति 347 में शामिल नहीं हैं।

ह०

अतिरिक्त जिलाधीश (विकास)

कोटा

(250.)

पंचायत समिति इटावा में वर्ष 81-82 में निम्न कार्य द्वारा व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया (तहसील पीपल्दा)

जिला—कोटा

माह फरवरी, 1982 तक

क्र. संख्या	प्रयोजन	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6
1,	दुधारू पशु	47	8	33	88
2.	बैलजोड़ी	11	4	7	22
3.	बैलगाड़ी	8	1	9	18
4.	ऊंट गाड़ी	4	–	6	10
5.	बकरी पालन	22	2	43	67
6.	भेड़ पालन	1	–	–	1
7.	गधा पालन	–	–	1	1
8.	सुअर पालन	1	–	–	1
9.	तांगा घोड़ा	–	–	1	1
10.	नलकूप	22	14	19	55
11.	कूप मरम्मत/ कूप गहरा	6	4	10	20 ×
12.	पम्प सेट	1	–	3	4
13.	ट्यूब वैल	–	–	1	1
14.	पक्की नाली निर्माण	–	–	3	3
15.	सिलाई कार्य	6	–	6	12
16.	चर्म कार्य	4	–	–	4
17.	बढ़ई कार्य	–	–	1	1
18.	साइकिल दुकान	2	–	1	3
19.	बांस टोकरी बनाना	13	–	–	13
20.	ऊनी कार्य	6	–	–	6
21.	कशीदा कार्य	–	1	–	1

× 32 कूप निर्माण हेतु द्वितीय किश्त दी गई ।

251

1	2	3	4	5	6
22.	वेल्डिंग दुकान	–	–	1	1
23.	कुम्हारी कार्य	–	–	1	1
24.	घड़ी मरम्मत दुकान	–	–	1	1
25.	ठेला चालक	–	–	3	3
26.	दुकान	2	1	6	9
	कुल योग	156	35	156	347

ह०
अतिरिक्त जिलाधीश (विकास)
कोटा

परिशिष्ट-"ए"

परिशिष्ट-19

अतारांकित प्रश्न संख्या 189 की सूची

बाड़मेर जिले के ग्रामों के भू-जल सर्वेक्षण का परिणाम

क्र. सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भूमि की सतह से भू-जल-स्तर की गहराई (मी. में)	रासायनिक परीक्षण का परिणाम (पी. पी. एम.) टी.डी.एस.	नाइट्रेट	फ्लोराइड	टिप्पणी
1.	बाड़मेर	चाड़ार	60	3650	200	0.92	नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से पानी पीने योग्य नहीं है।
2.	बाड़मेर	गंगाला	65	2030	520	0.64	नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से पानी पीने योग्य नहीं है।
3.	बाड़मेर	अभेकापार	15 से 25	730	130	4.24	नाइट्रेट एवं फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से पानी पीने योग्य नहीं है।
4.	बाड़मेर	चांदी का पार	20 से 25	1200	155	14.60	नाइट्रेट एवं फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से पानी पीने योग्य नहीं है।
5.	शिव	मेदूसर	100	2035	40	2.80	फ्लोराइड की मात्रा कुछ अधिक है। स्थानीय परिस्थिति में पिया जा सकता है।
6.	शिव	नेगरड़ा	116	3100	0	2.48	फ्लोराइड की मात्रा कुछ अधिक है। स्थानीय परिस्थिति में पिया जा सकता है।
7.	शिव	उनरोड	112 से 115	1465	0	2.64	फ्लोराइड की मात्रा कुछ अधिक है। स्थानीय परिस्थिति में पिया जा सकता है।

परिशिष्ट–"दो"

जैसलमेर जिले के भू-जल सर्वेक्षण का परिणाम :

क्र. सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भूमि की सतह से भू-जल-स्तर की गहराई (मी. में)	रासायनिक परीक्षण का परिणाम (पी. पी. एम.) टी.डी.एस.	नाइट्रेट	फ्लोराइड	टिप्पणी
1.	जैसलमेर	कपूरीया	103	3460	—	2.40	पानी पीने योग्य है।
2.	जैसलमेर	रोवडी	95	1740	—	4.5	फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण पानी पीने योग्य नहीं है।
3.	जैसलमेर	मंडाई	111	2910	30	2.08	पानी पीने योग्य है।
4.	जैसलमेर	कोडियासर	100	1820	70	2.8	पानी पीने योग्य है।
5.	जैसलमेर	तेजमालता	95	300	25	1.20	पानी पीने योग्य है।
6.	जैसलमेर	देवड़ा	79	2590	—	1.20	पानी पीने योग्य है।
7.	जैसलमेर	चलेक	103	3820	—	2.00	फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण पानी खारा है।

(क्लोराइड की मात्रा = 1,775 पी.पी.एम.)

परीक्षणात्मक नलकूप–जोगीदास का गांव (तेजमालता) का विवरण निम्नानुसार :

8.	जैसलमेर	जोगीदास का गांव (तेजमालता)	84	2700	50	2.40	पानी पीने योग्य है।

नलकूप की कुल गहराई — 305 मीटर

नलकूप की जल क्षमता — 40,000 लीटर प्रति घण्टे।